आदिवासी आजीविका की स्थिति 2022

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

Status of Adivasi Livelihoods 2022

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल
जिलों में घरेलू सर्वेक्षणों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम
से अंतर्दृष्टि को उजागर करना और परिवर्तन लाना

अर्जुन मुंडा
ARJUN MUNDA

मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे प्रसन्नता है कि "प्रदान" संस्था ने आदिवासी समुदायों के आजीविका से संबंधित उल्लेखनीय अध्ययन पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ जनजातीय बहुल राज्य हैं और यहां निवासरत विभिन्न समुदायों के जीविकोपार्जन का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। संस्था ने दोनों राज्यों के लगभग 6,000 परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट संकलित किया है। इस रिपोर्ट में जनजातीय समुदायों के विभिन्न पहलुओं जैसे शैक्षिक स्तर, भूमि संबंधी जानकारी, वन संपदा पर निर्भरता, जीवन-यापन के मार्ग एवं आय के विभिन्न संसाधनों पर जानकारी दी गई है।

मैं "प्रदान" संस्था के इस प्रयास की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि उनकी यह उपलब्धि दोनों राज्यों में आदिवासी समाज के कल्याण हेतु कारगर सिद्ध होगी। जनजातीय समुदाय की उपलब्धियां देश की प्रगति के लिए काफी अहम है।

संस्था द्वारा आदिवासी समाज कल्याण की दिशा में योगदान हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(अर्जुन मुंडा)

नई दिल्ली

दिनांक:- 10 अगस्त, 2023

751, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Tel. : 011-23381499, 23388482, 23070577 (Fax)
E-mail : arjun.munda@gov.in

प्राक्कथन

मुझे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल करते हुए " आदिवासी आजीविका स्थिति" पर वर्ष 2022 की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है।

पूरे इतिहास में, इन समुदायों को खनिज संसाधन निष्कर्षण, बांध निर्माण, औद्योगिक सेटअप और वन्यजीव अभयारण्यों के कारण विस्थापन और बेदखली का सामना करना पड़ा है। सीमांत भूमि जोत, ऊबड़-खाबड़ इलाके, सीमित सिंचाई और घटते वन संसाधनों ने आदिवासियों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिस कारण अक्सर उन्हें शहरी क्षेत्रों में छोटी-मोटी नौकरियाँ तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है। परिणामस्वरूप, आदिवासी, विशेषकर मध्य भारतीय क्षेत्र के आदिवासी, हमारे देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले वर्गों में से एक बन गए हैं।

हाल के वर्षों में भारत सरकार आदिवासियों के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। वर्तमान केंद्र सरकार, विशेष रूप से, अनुसूचित जनजाति (एसटी) से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदायों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को समर्पित निधि में पर्याप्त वृद्धि के साथ, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) हेतु महत्वपूर्ण बजट आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अगले तीन वर्षों में उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समर्पित ₹15,000 करोड़ की निधि प्रदान की गयी है। इसके साथ- साथ, पीवीटीजी की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

इन प्रयासों के अनुरूप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों ने भी आदिवासी विकास और रोजगार योजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित करके सक्रिय कदम उठाए हैं।

चार दशकों से मध्य भारतीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करते हुए, प्रदान हाशिए पर रहने वाले समुदायों की आजीविका स्थिति में सुधार के लिए समर्पित है, लगभग 60% अनुसूचित जनजाति समुदाय तक हमारी पहुँच है। कई अन्य नागरिक समाज संगठन भी आदिवासियों के कल्याण और आजीविका व अन्य आवश्यक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर रहे हैं।

इस यात्रा में, हमने आदिवासी आजीविका की वर्तमान स्थिति, उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ और सार्थक कार्यशीलता के अवसरों को समझने के लिए सामूहिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता की पहचान की है। अब तक, इस तरह की जानकारी की कमी है, जिसने हमें 2021 से आदिवासी आजीविका की स्थिति (एसएएल) पर सामयिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया है।

शुरुआती साल में हमने, झारखंड और ओडिशा पर ध्यान केंद्रित किया था। इस वर्ष, हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शामिल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का उद्देश्य एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है जो अनुसूचित जनजाति समुदायों और आसपास रहने वाले अन्य लोगों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को सक्षम बनाता है, साथ ही सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और चिकित्सकों के लिए उनके काम की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु साक्ष्य भी तैयार करता है।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, हमने दोनों राज्यों में नागरिक समाज संगठनों और सरकारी अधिकारियों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की हैं, और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में उनके बहुमूल्य इनपुट को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, हमने इस रिपोर्ट के प्रसार के लिए पीरामल फाउंडेशन के अनामया आदिवासी स्वास्थ्य समूह के साथ सहयोग किया है।

मैं आशा करता हूं कि यह रिपोर्ट भारत में आदिवासी लोगों के समावेशी और स्व-निर्धारित विकास की दिशा में चल रहे प्रयासों की दक्षता में तेजी लाने, हितधारकों को निर्णय लेने में सशक्त बनाने के साथ साथ उनके ज्ञान परंपरा को संवर्धित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।

सरोज महापात्रा
कार्यकारी निदेशक, प्रदान
दिल्ली, अगस्त 2023

'प्रदान'ने 2022 में आदिवासियों की आजीविका की स्थिति (एसएएल) पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया है, जो झारखंड और ओडिशा राज्यों के आदिवासियों की आजीविका की स्थिति पर केंद्रित है। रिपोर्ट का उद्देश्य इन क्षेत्रों की आजीविका पर प्रदान और विभिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले पहल के प्रभावों को समझना था। विशेष रूप से यह रिपोर्ट व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ, जिला विशिष्टताएं, आजीविका के स्रोत, पारिस्थितिक सेटिंग्स, भौतिक बुनियादी ढांचे (जैसे सड़क की स्थिति और संचार साधन), सामाजिक बुनियादी ढांचे (शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित) सहित विभिन्न कारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। व्यक्तिगत और सामुदायिक संपत्ति, और सांस्कृतिक गतिशीलता के साथ साथ, यह आबादी, क्षेत्रों और राज्यों में अलग-अलग परिणामों पर प्रकाश डालता है।

आदिवासी आजीविका की स्थिति (SAL) 2022

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि प्रदान ने इस पहल में एक कदम आगे बढ़ाया है और अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए एक समान रिपोर्ट लेकर आया है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 22 जिलों के 55 ब्लॉकों में फैले 6019 घरों के अध्ययन पर आधारित है। इसके निष्कर्ष रोचक और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट झारखंड और ओडिशा के लिए जारी रिपोर्ट में उल्लेखित प्रासंगिक मापदंडों के साथ एकरूपता बनाए रखती है, जिससे भविष्य में विभिन्न राज्यों में आदिवासी आजीविका के मूल्यांकन के लिए एक रुपरेखा सुनिश्चित होती है।

यह रिपोर्ट न केवल प्रदान के लिए बल्कि छात्रों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों और व्यापक जन समूहों के लिए भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे अध्ययन वार्षिक आवधिक अंतराल पर किए जाएं तो ऐसी रिपोर्टों का मूल्य और अधिक बढ़ जाता है। निस्संदेह, यह प्रयास हस्तक्षेप के स्थायी और दूरगामी प्रभाव को समझने और मूल्यांकित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

वर्जिनियस खाखा

राजेश तिवारी
सलाहकार
माननीय मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन
D-1/8, ऑफिसर्स कॉलोनी, देवेन्द्र नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़
ई–मेल : tiwarikanker@gmail.com

क्रमांक : 150
दिनांक : 27.07.2023

संदेश

——00——

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान इसके आदिवासी समुदायों, उनकी अनूठी भाषाओं, जीवंत त्योहारों, लोक संगीत और नृत्य रूपों, उत्कृष्ट हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजनों और आध्यात्मिक मान्यताओं से है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि इसके मूल निवासी की गहरी विरासत को दर्शाती है और राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक ताने-बाने में योगदान करती है।छत्तीसगढ़ का लगभग 44प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है, जो अच्छी वर्षा और तुलनात्मक रूप से कम जैविक हस्तक्षेप जैसी अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण जैव विविधता में बहुत समृद्ध है।छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पहल लागू की हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि अधिकार, कौशल विकास और आजीविका संवर्धन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। अनुसूचित जनजाति समुदाय और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 4.41 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार वितरित किये गये हैं। हालांकि, आदिवासियों के जीवन में पर्याप्त सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने, भूमि अधिकार सुरक्षित करने, स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने, कौशल विकास के अवसर प्रदान करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित हो। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है।नागरिक समाज संगठनों, एजेंसियों, और स्वयं आदिवासी समुदायों के बीच सहयोग टिकाऊ समाधान बनाने के लिए आवश्यक है जो आदिवासियों की आजीविका को ऊपर उठाकरछत्तीसगढ़ को समग्रविकास की ओर लेके जा सकता है।

भवदीय,

(राजेश तिवारी)

विषय – सूची

आभार ज्ञापन	8
इन्फोग्राफिक्स (आलेख जानकारी)	11
परिचय	46
भारत में अनुसूचित जनजातियाँ	48
"विकास" और आदिवासी लोग	50
मध्यप्रदेश और छतीसगढ़	51
इस रिपोर्ट के बारे में	53
01 - अध्ययन की पद्धति	55
02 - सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है	65
03 - आजीविका चलाने वाले संसाधन आधार	71
04 - अवसंरचना और संसाधन विकास	75
05 - परिवार की विशेषताएँ	87
06 - आदिवासियों की आजीविका संबंधी प्रथाएँ	107
07 - आजीविका संबंधी परिणाम	133
08 - आदिवासी समाज में महिलाएँ और आजीविकाएँ	151
09 - विश्लेषण: संसाधनों और आजीविका परिणामों के बीच का संबंध	173
10 - निष्कर्ष	181
11 - अनुलग्नक	185

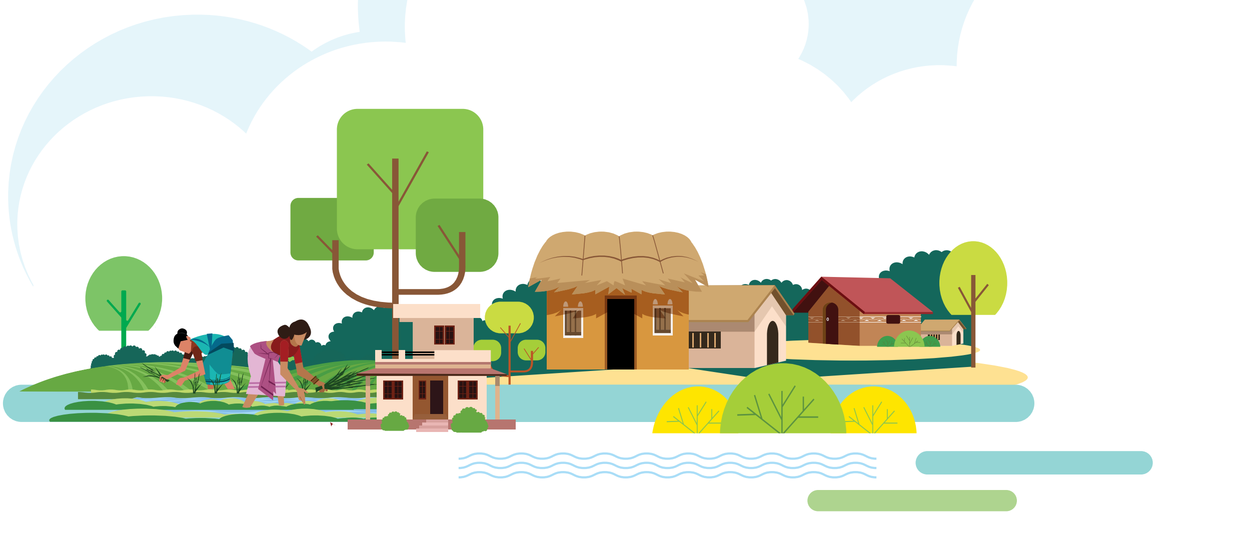

आभार ज्ञापन

इस रिपोर्ट को तैयार करने में मिलने वाले सहयोग के लिए हम सभी योगदानकर्ताओं के प्रति प्रदान की तरफ से आभार ज्ञापित करते हैं।

अध्ययन समूह: यह एक मुख्य समूह है, जो अध्ययन पद्धति और अध्ययन उपकरण तैयार करने के साथ साथ डेटासंग्रह, डेटा विश्लेषण के समन्वय और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने से संबंधित है। इस समूह के सदस्यों द्वारा आदिवासी बुद्धिजीवियों और नेताओं के साथ साक्षात्कार भी लिए गए। अध्ययन समूह के सदस्यों में -अमित कुमार (प्रदान), अमित कुमार सिंह(प्रदान), दिब्येंदु चौधरी (प्रदान), किरण लिमये (सलाहकार), नलिनीकांत गौडो (प्रदान), पारिजात घोष (प्रदान), रमणीक पनेसर (प्रदान), सुदर्शन ठाकुर (प्रदान)शामिल हैं।

आंकड़ा संग्रह और समेकन टीम: अकांश सोनी (मस्ट), अनुराध सिंगरौरे (प्रदान), भरत नामदेव (जेबीएसके), भूपेंद्र सिंह (संगता सहभागी ग्रामीणविका ससंस्थान), चिराग शकुंतला बारिया (प्रदान), दिनेश जायसवाल (प्रदान), धीरेंद्र मिश्रा (एग्रोक्रेट्स सोसाइटी फॉर रुरल डेवलपमेंट), जी तरुणकुमार (प्रदान), हिमाद्रि दास (प्रदान), कमलसिंह देवल (काडे), खुशबू बिसेन (प्रदान), ममता कुजूर (जशपुर जनविका ससंस्था), प्राजक्ता काले (एमजीएसए), प्रीतम गुप्ता (प्रदान), राजेशकुमार मिश्रा (सृजन), रामदास नागरे (पार्थ समिति), रिजवान (प्रदान), रोशन पाटिल (ग्रीन फाउंडेशन), सबीरा याकूब (प्रदान), संकेत जोशी (प्रदान), शाकिर पठान (समावेश), शिव झाड़ी (साथी समाजसेवी संस्था), सोहन विश्वकर्मा (प्रदान), सोमेश विजय धोंगड़े (प्रदान), सौम्य रंजन(समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट), सुरेश पटेल (कर्म-दक्ष), तुलसी चरण प्रधान (प्रदान)।

198 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा ग्राम स्तरीय आंकड़े और घरेलू आंकड़े एकत्र किए गए।

रिपोर्ट और वेबपेज डिजाइनिंग: प्रदान की एक टीम जिसमें दिब्येंदु चौधरी, पारिजात घोष, सुपर्णो चटर्जी और सुधीर साहनी शामिल थे, द्वारा रिपोर्ट की हार्ड कॉपी और वेबपेज लेआउट डिजाइन किया।

आंतरिक समीक्षा: इस रिपोर्ट की समीक्षा एक टीम द्वारा की गई जिसमें दिवा रस्मी चौधरी, कुंतल मुखर्जी, मनोजकुमार, समीरकुमार, संकेत रंजन जोशी, सतीश पटनायक, सोनुबल आई .वी., सुमेन्दर पुनिया शामिल रहे।

सलाहकार टीम: डॉ. वर्जिनियस खाखा, मानस सत्पथी, डॉ. संजीव फणसलकर, सरोज महापात्रा, तमाली कुंडु।

प्रसार भागीदार: अनामया, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी
इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी मदद करने में हमारी गिनती से कहीं अधिक लोग सहयोगी रहे, उनका सहयोग और समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। उनके बहुमूल्य योगदान के बिना हम अध्ययन पूरा करने और इस रिपोर्ट को संकलित करने में सक्षम नहीं होते। हम उनमें से प्रत्येक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

इन्फोग्राफिक्स (आलेख जानकारी)

ए. कार्यप्रणाली

इस अध्ययन में अनुसूचित जनजातियों/जनजातियों/आदिवासियों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित छह पहलुओं को शामिल किया गया है:

- सांस्कृतिक लोकाचार, जिसके अनुसार आजीविका चलाई जाती है
- वह संसाधन आधार जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है
- बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप
- परिवारों के स्वयं के गुण
- आजीविका में अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ
- आजीविका संबंधी परिणाम

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 22 जिलों और 55 ब्लॉकों में 6,019 परिवारों का एक घरेलू सर्वेक्षण; इनमें से 4,745 आदिवासी हैं, 393 पीवीटीजी हैं, और बाकी 881 गैर-आदिवासी परिवार थे। आदिवासी समुदायों की टिप्पणियों और विचारों को प्राप्त करने के लिए 50 गांवों में फोकस समूह चर्चा। आदिवासी प्रश्न से निकटता से जुड़े और जानकार 28 प्रमुख आदिवासी और गैर-आदिवासी व्यक्तियों से गहन बातचीत की गई। यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में मई 2022 से जुलाई 2022 तक और छत्तीसगढ़ में मई 2022 से अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, इस रिपोर्ट की तालिकाएँ प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

बी. सांस्कृतिक लोकाचार

सांस्कृतिक प्रथाएँ, विचारधाराएँ और आकांक्षाएँ बदल रही हैं और मेरे विचार से, यह विकास की प्रक्रिया है। 40 साल पहले जैसी स्थिति थी वैसी नहीं हैं; बाहरी दुनिया के साथ संपर्क और अंतर-सांस्कृतिक शिक्षा के चलते परिवर्तन हुआ है। हालाँकि, हम इस परिवर्तन को रोकने के लिए बाहरी दुनिया के साथ अपनी बातचीत को रोक नहीं सकते हैं; ऐसा करना हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा।

-ऐलिस लाकड़ा

बैगा और दूसरा जनजाति, जैसे गोंड, उनमें भी अंतर है। जैसे नृत्य में देखें तो हमारा जो है चार नृत्य है- बैगा प्रभु, बैगा कर्मा, बैगा फाग और घोड़ी पेठाई। और गोंड के है सैला, रीना और डंडा। कर्मा भी करते हैं गोंड, लेकिन उनका कर्मा और बैगा का कर्मा पद्धति में अंतर होता है। और अगर आप गोदना (टैटू) देखेंगे गोंड और बैगा का, वो भी अलग होगा।

-अर्जुन सिंह धुर्वे

हालाँकि आदिवासी जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यह पदानुक्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आदिवासी समुदायों के भीतर, अनुष्ठानों और प्रथाओं में कुछ पदानुक्रम और अंतर हैं।

-ऐलिस लाकड़ा

अगर आदिवासी अपने मूल्यों, विश्वदृष्टि, जीवन शैली को बदलते हैं, तो वे अब आदिवासी नहीं कहलाएंगे। पारंपरिक व्यवस्थाएं और जीवन शैली आदिवासी समाज के स्तंभ हैं और हम इन्हें कमजोर नहीं करना चाहते हैं, अन्यथा हमें या तो हिंदू धर्म या ईसाई धर्म की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

-मानक दरपट्टी

हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत करके जमीन बनाई और हमें दिया। पर अभी जो पीढ़ी है, उनका ज़मीन से लगाव ख़तम हो रहा है । युवा पीढ़ी अपने गांव से, अपनी जमीन छोड़ कर निकलते जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए । अगर आने वाले समय में उनके जमीन पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा तो अगली पीढ़ी के पास जमीन नहीं रहेगी । ज़्यादातर गाँव में हमारे पास जो जमीन और संसाधन है, सरकार अगर उसमे में से ही रोज़गार का प्रावधान करे तो ही, एक आदिवासी और उनके संस्कृति का अस्तित्व बच सकता है , साथ में युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए एवं जो गांव से पलायन कर रहे हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक) मिलने चाहिए ताकि उनकी संस्कृति बचे रहे।

-ममता कुंजूर

मुझे लगता है कि आदिवासियों को गैर-आदिवासियों से जो एक चीज़ सीखनी चाहिए वह है थोड़ा अधिक व्यवसायिक मानसिकता वाला होना। आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं, उनके पास जो कुछ भी है उससे वे खुश हैं।

-गोदावरी मरावी

"आदिवासी समाज को टोटेम सिस्टम में बांटा गया है और ज्यादातर मामलों में ये टोटेम स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं। एक विशेष कुलदेवता के लोग अपने कुलदेवता की रक्षा करते हैं और यदि किसी क्षेत्र में 750 कुलदेवता हैं, तो 750 प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। इसलिए, प्राकृतिक विविधता की रक्षा करना उनके सिस्टम में शामिल है।

-अश्विनी कांगे

"आदिवासी धन का संचय नहीं करते है। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। आदिवासियों में उच्च स्तर का आत्म-सम्मान होता है, वे कभी भीख नहीं मांगते।

-संपतिया उइके

"आदिवासी भविष्य के बारे में नहीं सोचते/परवाह नहीं करते, वे केवल आज के भोजन के बारे में सोचते हैं। दूसरी ओर, गैर-आदिवासी भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसकी परवाह करते हैं और उसी के अनुसार अपना व्यवसाय करते हैं। गैर-आदिवासी समुदाय के बच्चे बचपन से ही अपना काम-धंधा शुरू कर देते हैं लेकिन हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते। हमें भी ऐसा ही करना सीखना चाहिए ताकि हम भी कल (भविष्य) के लिए तैयारी कर सकें।

-अनुसुइया मरावी

सी. सरकारी और गैर-सरकारी हस्तक्षेप

"अगर हम सीएफआर की बात करें, तो उसका सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए ताकि आदिवासी सीएफआर में दिए गए प्रबंधन को अपने हाथों में ले सकें। पेसा के क्रियान्वयन गांव स्तर में जाने की जरूरत है तकी हर एक व्यक्ति को इसका पता चले।

-लता नेताम

"एफ आर ए (FRA) को लागू करने की जिम्मेदारी आदिवासी विभाग को दी गई थी और जिम्मेदार अधिकांश कर्मचारियों को संदर्भ के साथ-साथ अधिनियम के बारे में कोई स्पष्ट समझ नहीं है। यदि अधिनियम को उसकी वास्तविक भावना में लागू करना है, तो कार्यान्वियन के लिए जिम्मेदार लोगों को नेक इरादे और उचित रुपरेखा की आवश्यकता होगी।

-बलवंत रहांगडाले

"सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों और पीवीटीजी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हालाँकि, कई मामलों में इससे उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, पुराने मिट्टी के घरों को कंक्रीट संरचनाओं से बदला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही उनकी जरूरत और मौसम के अनुकूल घर कैसे बनाएं, इसकी जानकारी भी अनावश्यक होती जा रही है। घास,लंबी पत्तियों को उगाने और उससे संसाधित करने का ज्ञान जो उन पारंपरिक घरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वह लुप्त हो रहा है। यदि इन योजनाओं का तैयार प्रारुप करते समय पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखा जाए तो यह मददगार होगा। इस उदाहरण में पारंपरिक सामग्री और तरीकों का उपयोग करके घरों को बेहतर बनाने में कंक्रीट के घरों की तुलना में कम लागत आएगी।

-एतवारी मचिया बैगा

आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज हैं और उन्हें 'पेसा' के माध्यम से मान्यता दी गई है। इस अधिनियम में बहुत स्पष्ट रूप से प्रथागत कानूनों का सम्मान करने और उन्हें स्वीकार करने के बारे में कहा गया है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों की ताकत बन सकता है तथा उनकी पहचान बाकी मुख्य-धारा के समाज से अलग दर्शा सकता है।

-ऐलिस लाकरा

पीएम आवास योजना भी आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद रही है। पहले कई बार पुरूष दूसरी महिलाओं से शादी करने के लिए अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे। परित्यक्त महिलाओं को अपना ससुराल छोड़ना पड़ता था। अब पीएम आवास के तहत बनने वाले घर महिलाओं के नाम पर है। इससे महिलाओं को मदद मिली है क्योंकि उन्हें उनके घरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता है।

-संपतिया उइके

एफआरए से एक अच्छी शुरुआत हुई है, हालाँकि और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वन आधारित आजीविका में सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार और सीएसओ, दोनों को काम करने की जरूरत है ताकि उन्हें वन उपज का अधिक मूल्य मिल सके। बाज़ार तक पहुँच अभी भी एक मुद्दा है और मूल्यवर्धन से बाज़ार से जुड़ने में मदद मिल सकती है।

-पल्लवी जैन गोविल

एसएचजी ने बचत करने, ऋण लेने और व्यवसाय करने के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद की है।

-संपतिया उइके

लोगों के लिए कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले हमें उन लोगों की सांस्कृतिक विरासत को समझने की ज़रूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा दृष्टिकोण और विचार उनकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं से मेल न खाएं। और इसी विसंगति के कारण कई योजनाएं और परियोजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जरूरी नहीं कि समुदाय उन्हें दी गई प्रत्येक चीज़ को स्वीकार करेगा, अतः कार्यक्रम नियोजकों और नीति-निर्माताओं को इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

-सैबल जाना

छत्तीसगढ़ में सरकार ने यह माना है कि किसी भी समुदाय के विकास में भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए, सरकार ने स्थानीय बोली और भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यमों में से एक के रूप में शामिल किया। उदाहरण के लिए, बस्तर में बच्चों को हल्बी या गोंडी भाषा में पढ़ाया जा रहा है।

-ऐलिस लाकरा

सड़क से संपर्क

गांव बारहमासी सड़कों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

मध्य प्रदेश

आदिवासी	**78%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	62%
गैर-आदिवासी	**79%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	54%
पीवीटीजी	**80%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	64%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	**80%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	78%
गैर-आदिवासी	**100%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	88%
पीवीटीजी	**82%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	64%

SAL 2021 से पता चलता है

गांव बारहमासी सड़कों द्वारा ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

ओडिशा

आदिवासी	**72%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	47%

झारखंड

आदिवासी	**74%**
सड़कें अच्छी स्थिति में	58%

वर्ष 2020 में मिशन अंत्योदय, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय औसत **68%** है[1]

[1]https://missionantyodaya.nic.in/ma2020/preloginStateFacilityReports2020.html

सार्वजनिक परिवहन

मध्य प्रदेश

आदिवासी	42%
गैर-आदिवासी	63%
पीवीटीजी	80%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	30%
गैर-आदिवासी	40%
पीवीटीजी	9%

गांव सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से अपने ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	46%

झारखंड

आदिवासी	57%

मिशन अंत्योदय, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार
वर्ष 2020 में राष्ट्रीय औसत 69.11% है

मोबाइल नेटवर्क

मध्य प्रदेश

आदिवासी	66%
गैर-आदिवासी	84%
पीवीटीजी	90%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	72%
गैर-आदिवासी	100%
पीवीटीजी	64%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	74%

झारखंड

आदिवासी	73%

गांव कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की 31 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के आंकड़ों से पता चला कि मार्च 2022 तक, **भारत के 6,44,131 गांवों में से 5,98,951 गांव (लगभग 93%) मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर किए गए हैं।**

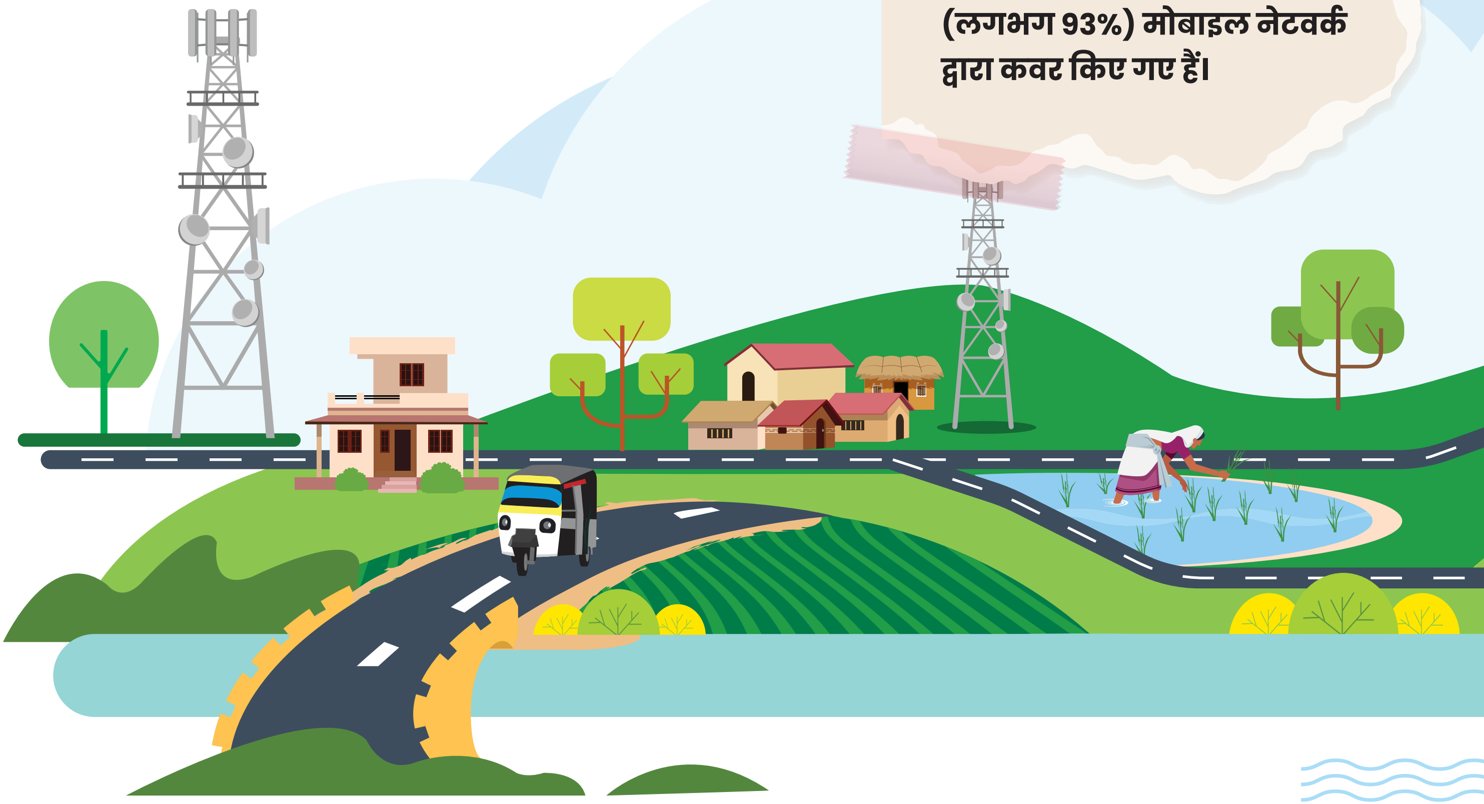

स्मार्टफोन का स्वामित्व

मध्य प्रदेश

आदिवासी परिवार
पुरुष 18% | महिला 7%

गैर-आदिवासी परिवार
पुरुष 45% | महिला 27%

पीवीटीजी परिवार
पुरुष 15% | महिला 4%

छत्तीसगढ़

आदिवासी परिवार
पुरुष 20% | महिला 11%

गैर-आदिवासी परिवार
पुरुष 42% | महिला 29%

पीवीटीजी परिवार
पुरुष 7% | महिला 3%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी परिवार
पुरुष 6% | महिला 5%

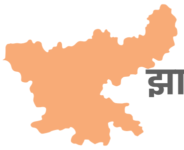

झारखंड

आदिवासी परिवार
पुरुष 21% | महिला 9%

न्यूज़ू की ग्लोबल मोबाइल मार्केट रिपोर्ट[2] के अनुसार, **भारत में 659 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं, जो आबादी का लगभग 46.5% है।**

[2]https://newzoo.com/resources/rankings/top-countries-by-smartphone-penetration-and-users

गांवों में

आंगनवाड़ी

मध्य प्रदेश

आदिवासी	98%
गैर-आदिवासी	95%
पीवीटीजी	100%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	100%
गैर-आदिवासी	100%
पीवीटीजी	100%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	89%

झारखंड

आदिवासी	84%

गांवों में एक आंगनवाड़ी केंद्र है।

वर्ष 2020 में भारत सरकार के मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण में बताया गया है कि **भारत के 79% गांवों में आंगनवाड़ी है।**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

मध्य प्रदेश

- आदिवासी 51%
- गैर-आदिवासी 63%
- पीवीटीजी 50%

छत्तीसगढ़

- आदिवासी 63%
- गैर-आदिवासी 88%
- पीवीटीजी 36%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

- आदिवासी 31%

झारखंड

- आदिवासी 58%

गांवों में पीडीएस आउटलेट है।

वर्ष 2020 में मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण से पता चलता है कि **भारत के 48.27% गांवों में पीडीएस आउटलेट है।**

डी. परिवार की विशेषताएं

सरकार ने अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में छात्रावास सुविधाओं के साथ प्राथमिक और आवासीय विद्यालय स्थापित करने में काफी अच्छा काम किया है। इससे पता चलता है कि आदिवासी स्कूलों के नतीजे अन्य पब्लिक स्कूलों की तुलना में अच्छे या उससे भी बेहतर हैं। इसलिए आदिवासियों को अच्छी शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के मामले में, हमने (सरकार ने) कुछ इलाकों को छोड़कर, जहां स्कूल छोड़ने की दर अभी भी बहुत अधिक है, काफी अच्छा काम किया है।

-पल्लवी जैन गोविल

गैर-आदिवासी हमारे साथ भेदभाव करते हैं क्योंकि हमारी जीवनशैली, पहनावा अलग है, हम आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अगर किसी बैंक में जाएं और कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करें, तो कभी-कभी गैर-आदिवासी कहेंगे, "हटो जरा तुम और बड़े लोग आगे चले जाएंगे।" जिनके पास अधिक संपत्ति होती है उनका समाज में ऊंचा स्थान होता है।

-अनुसुइया मरावी

अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में बाजार के साथ संबंध धीरे-धीरे बदल रहे हैं। हालाँकि, बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा गेम चेंजर साबित होगी। जब वे सीबीएसई डिप्लोमा या कॉलेज डिप्लोमा पूरा करके अच्छे के विश्वास के साथ एक शैक्षणिक संस्थान से निकालेंगे, तो वे बाजार में अपना काम बेहतर ढंग से करने में सक्षम होंगे।

-पल्लवी जैन गोविल

यदि हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों, अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान और अधिकारों के बारे में जाने, तो स्कूलों में ग्राम सभा, पेसा, कृषि, वन, प्रकृति, कलात्मकता आदि के बारे में उनके ज्ञान के बारे में पढ़ाने की आवश्यकता है।

-गंगाराम पैकरा

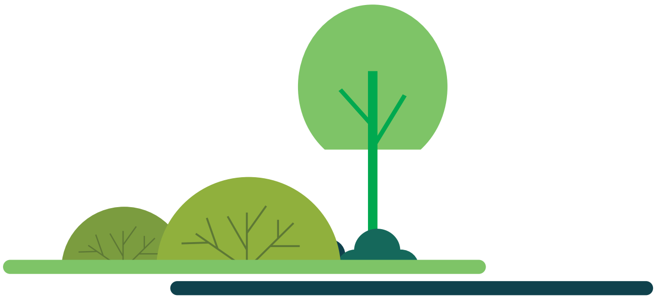

साक्षरता

पीवीटीजी परिवार	83%
आदिवासी परिवार	75%

परिवारों का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षित नहीं है, और उनमें से अधिकांश की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में ये अनुपात:

पीवीटीजी परिवार	87%
आदिवासी परिवार	66%

मध्य प्रदेश में परिवार के मुखिया की शिक्षा प्राप्ति

शिक्षा का स्तर (कुल का%)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्कूली शिक्षा नहीं	58.3	31.3	69
प्राथमिक से कम	8.8	4.9	4
प्राथमिक	9.3	18.6	9.5
मैट्रिक से कम और प्राइमरी से ज़्यादा	15.2	28.4	13.5
मैट्रिकुलेशन और उससे ऊपर	8.4	16.8	4

छत्तीसगढ़ में परिवार के मुखिया की शिक्षा प्राप्ति

शिक्षा का स्तर (कुल का%)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्कूली शिक्षा नहीं	49	38.2	65.6
प्राथमिक से कम	6.8	9.5	12
प्राथमिक	11.5	12.2	12
मैट्रिक से कम और प्राइमरी से ज़्यादा	20.3	24.9	8.3
मैट्रिकुलेशन और उससे ऊपर	12.4	15.2	2.1

SAL 2021 से पता चलता है

झारखंड

आदिवासी परिवार	82%
गैर-आदिवासी परिवार	72%

के मुखिया मैट्रिक से कम पढ़े हैं

ओडिशा

आदिवासी परिवार	87%
गैर-आदिवासी परिवार	82%
पीवीटीजी परिवार	90%

के मुखिया मैट्रिक से कम पढ़े हैं

राष्ट्रीय औसत: भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग के बारे में एनएसएस के 75वें दौर की रिपोर्ट (जुलाई 2017 - जून 2018) के **अनुसार साक्षरता दर लगभग 77.7% थी, जिसमें पुरुषों के लिए 84.7% और महिलाओं के लिए 70.3% थी। यही रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों में 87.7% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% दर्शाती है।**

जमीन की जोत

मध्य प्रदेश

आदिवासी	36%
गैर-आदिवासी	43%
पीवीटीजी	36%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	5%
गैर-आदिवासी	32%
पीवीटीजी	48.4%

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा

आदिवासी	15%
गैर-आदिवासी	28%
पीवीटीजी	47%

झारखंड

आदिवासी	12%
गैर-आदिवासी	30%

परिवार भूमिहीन हैं।

राष्ट्रीय औसत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि **8.2% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं।**

मध्य प्रदेश

भूमिधारिता श्रेणी	आदिवासी		गैर-आदिवासी		पीवीटीजी	
	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार
भूमिहीन	36.1	40.6	42.8	42.5	36.4	25.8
सीमांत	38.3	39.5	32.4	34.8	36.3	54.5
छोटी	12.9	10.8	12.7	10.6	12.4	7.6
छोटी-मध्यम	11.4	8.1	9.1	4.5	10.9	10.6
मध्यम	0.9	0.5	1.9	1.5	3.5	1.5
बड़ी	0.4	0.5	1.1	6.1	0.5	0.0

छत्तीसगढ़

भूमिधारिता श्रेणी	आदिवासी		गैर-आदिवासी		पीवीटीजी	
	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार	पुरुष मुखिया परिवार	महिला मुखिया परिवार
भूमिहीन	15.2	23.0	32.1	49.6	48.4	57.8
सीमांत	51.8	53.3	48.3	40.9	34.4	24.4
छोटी	18.8	13.5	12.7	8.7	8.3	11.1
छोटी-मध्यम	12.4	9.0	6.5	0.9	6.8	4.4
मध्यम	1.3	0.7	0.4	0.0	2.1	2.2
बड़ी	0.5	0.5	0	0.0	0	0.0

औसत भूमि जोत

आदिवासी 3.9 एकड़

पीवीटीजी 4.4 एकड़

आदिवासी 3.2 एकड़

पीवीटीजी 3.0 एकड़

SAL 2021 से पता चलता है

आदिवासी 1.9 एकड़

पीवीटीजी 1.3 एकड़

आदिवासी 2.3 एकड़

राष्ट्रीय औसत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि प्रति कृषि परिवार के स्वामित्व वाला औसत क्षेत्र **0.876 हेक्टेयर है**।

सिंचाई

मध्य प्रदेश में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्वयं की भूमि (प्रतिशत)	17.5	28.0	30.2
भूमि पट्टे पर (प्रतिशत)	20.2	28.6	36.8
भूमि में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	21.9	16.7	46.2

छत्तीसगढ़ में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
स्वयं की भूमि (प्रतिशत)	12.4	17.2	2.0
भूमि पट्टे पर (प्रतिशत)	6.0	26.7	0.0
भूमि में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	10.1	12.5	0.0

झारखंड में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आदिवासी परिवार	18.5%
गैर-आदिवासी परिवार	16.4%

ओडिशा में सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आदिवासी परिवार	7.4%
गैर-आदिवासी परिवार	12.4%
पीवीटीजी परिवार	42.9%

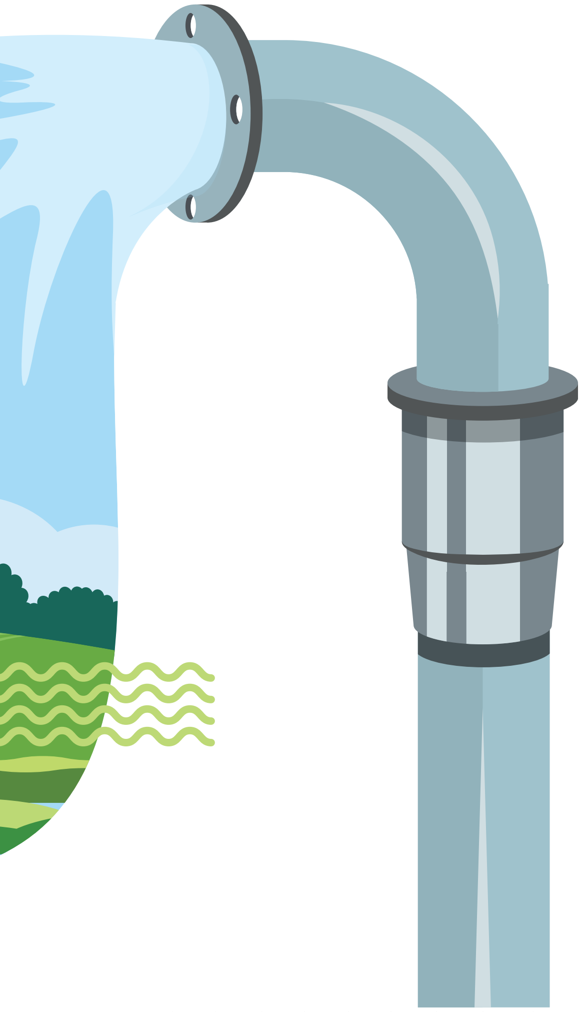

ओडिशा

आदिवासी	7.4%
गैर-आदिवासी	12.4%
पीवीटीजी	42.9%

झारखंड

आदिवासी	18.5%
गैर-आदिवासी	16.4%

परिवारों के पास सभी मौसमों के लिए सिंचाई की सुविधा है

वनों तक पहुंच

मध्य प्रदेश

आदिवासी	62%
पीवीटीजी	98%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	90%
पीवीटीजी	98%

ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता बताई।

वन दूरी (मध्य प्रदेश)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की जंगल से औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों के लिए जंगल से औसत दूरी (किमी)	6.8	9.2	0.2
वे परिवार जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2

वन दूरी (छत्तीसगढ़)	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की जंगल से औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों के लिए जंगल से औसत दूरी (किमी)	2.6	9.4	0.3
वे परिवार जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2

आदिवासी 75%

आदिवासी 53%

परिवार जंगल पर निर्भर हैं।

ई. आजीविका संबंधी गतिविधियाँ

"पहले हम कुटकी, मरुआ, अरहर जैसे जितने भी पानी या कम पानी की जरूरत वाला फसल लेते थे। इसके अलावा वन से फल, फूल, कांदा, साग, भाजी मिल जाता था। फिर बाहरी लोगों का आगमन, व्यवसायों का आगमन से धीरे-धीरे फसल का स्थिति बदलना शुरू हुआ। फिर वो सीखने लग गए की आधुनिक खाद डालो इसे तुम्हारा उत्पादन अच्छा होगा, तो हम लोगों ने उपयोग और इससे बनाना भी शुरू किया।

-शेर सिंह अचला

"जंगल के सामान को जब सिर्फ पैसे से तौला जाता है तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। बाज़ार से लोगो के पास डिमांड आती है कि हमें इतना सामान चाहिए और इतना पैसा मिलेगा। इस चक्कर में लोग पूरा का पूरा पेड़ काट डालते हैं और एक साल काट देते हैं तो दूसरा साल फिर कहां मिलेगा? ऐसे करके अब भी बहुत सारा पेड़ पौधा जैसे चार, चिरौंजी, हर्रा, बांस ये सब खत्म हो गया।

-अर्जुन सिंह धुर्वे

"बैगा जंगल से विभिन्न मौसमों में लगभग 43 प्रकार की साग-सब्जियाँ, 15 से अधिक प्रकार की जड़ें, 20 से अधिक प्रकार के फल इकट्ठा करते थे। ये विभिन्न मौसमों में उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता को सुनिश्चित करते थे।

-बलवंत रहांगडाले

"पहले लोगों को जंगल से विभिन्न प्रकार का भोजन मिलता था जो बहुत पौष्टिक होता था और बीमारियों को रोकने में मदद करता था। उदाहरण के तौर पर, पहले आदिवासियों में मधुमेह का रोगी नहीं पाया जाता था। हम कोडो, कुटकी, मक्का खाते थे। इन्हें बिना किसी रासायनिक इनपुट के उगाया जाता था। धीरे-धीरे चावल और गेहूं का प्रचलन शुरू हुआ और ये आदिवासियों के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं थे। आदिवासियों ने चावल और गेहूं के बेहतर उत्पादन के लिए रासायनिक खेती भी करना शुरू कर दिया। इससे उनकी भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

-संपतिया उइके

"पलायन को कम करने और आदिवासी युवाओं को अपनी संस्कृति और कृषि में रुचि लेने के लिए गांवों में आजीविका के अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है।

- लता उसेंडी

छत्तीसगढ़ के मामले में अगर आप देखेंगे कि सक्रिय राजनीति में कौन-कौन हैं, तो वहां गोंड या उरांव या कंवर जैसे समुदाय होंगे। इसी तरह उरांव सरकारी नौकरी में भी हैं। आप शायद ही किसी पंडो या मांझी या मझवार को इन आजीविका विकल्पों को चुनते हुए पाएंगे। वे ज्यादातर कृषि या मजदूरी पर निर्भर होते है। बैगा और पहाड़ी कोरवा कुछ अन्य जनजातियों की अपेक्षा वनों पर अधिक निर्भर रहते है।

-गंगाराम पैकरा

आजकल लोग कम पलायन कर रहे हैं। वे गांव में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मजदूरी का काम पा सकते हैं।

-गोदावरी मरावी

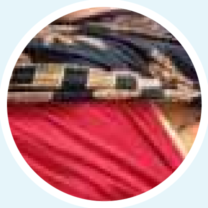

यह अच्छी बात है कि हममें से कुछ लोगों की पहचान शहरी अभिजात वर्ग में की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवा कौशल को कैसे अपना सकते हैं।

-भूरी बाई

कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान, मध्य प्रदेश क्षेत्रवार

	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
आय का स्रोत	बी	जी	अन्य	कुल	बी	जी	अन्य	कुल	बी	जी	अन्य	कुल
खेती	60	33	26	44	62	57	44	53	#N/A	16	53	36
पशुपालन	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	#N/A	-1	-2	-2
वनोपज	0	4	4	2	0	2	1	1	#N/A	6	7	6
मजदूरी	28	35	57	37	27	22	45	32	#N/A	43	29	35
गैर-कृषि उद्यम	2	1	3	2	5	6	3	4	#N/A	0	0	0
प्रेषण	6	8	6	7	2	5	4	4	#N/A	4	9	7
वेतन और पेंशन	7	23	8	12	5	12	8	9	#N/A	31	4	17

बी= भील क्षेत्र, जी= गोंड क्षेत्र, अन्य = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, कुल= मध्यप्रदेश कुल

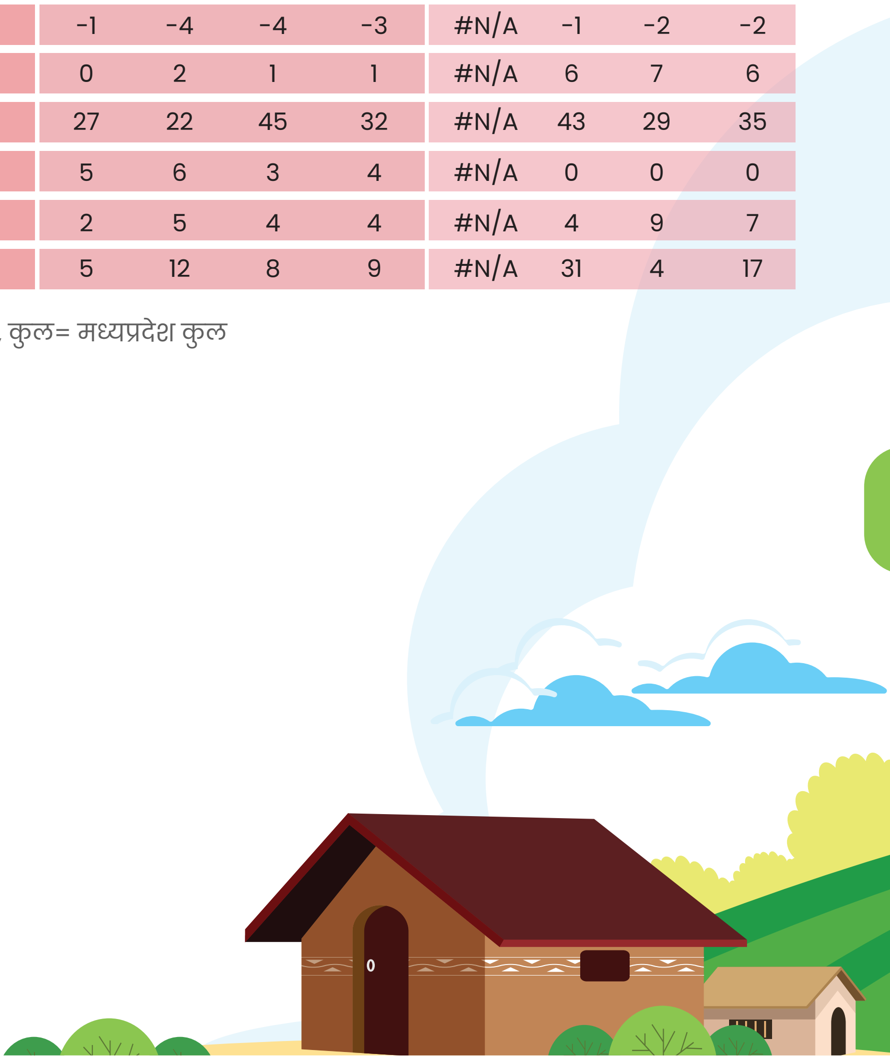

कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान, छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार

	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
आय का स्रोत	द	मध्य	उत्तर	कुल	द	मध्य	उत्तर	कुल	द	मध्य	उत्तर	कुल
खेती	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
पशुपालन	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
वनोपज	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
मजदूरी	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
गैर-कृषि उद्यम	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
प्रेषण	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
वेतन और पेंशन	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

द= दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य = मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर = उत्तर छत्तीसगढ़, कुल = छत्तीसगढ़ कुल

एफ. आजीविका संबंधी परिणाम

“ बाजार बहुत बदल गया है। पहले बाजार लोकल तक ही सीमित था, न सड़क न वेब नेटवर्क था। जो कुछ भी उत्पादित होता था, उस में शायद ही कुछ बचा हुआ करता था और उनमें से अधिकांश का स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जाता था। जरूरत का एहसास भी कम था। अब हम दुनिया से जुड़ गए हैं, बस्तर के वन और कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकते हैं। युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को भी कई तरह से बाजार ने आकार दिया है। चिप्स और मैगी जैसी चीजें हर स्थानीय बाजार में उपलब्ध हैं।

-अरविन्द नेताम

“ क्या है कि मार्केटिंग अभी भी कोरोना काल से थोड़ा सा डाउन हो गया है। जो ऑर्डर-वोर्डर आते थे अपने पास में वो नहीं आ पा रहे हैं। और एग्जिबिशन वगैरा, मेला वेला लगते थे बहुत सारी जगह तो वो सारी चीजें नहीं हो पा रहा है।

-विजय धुर्वे

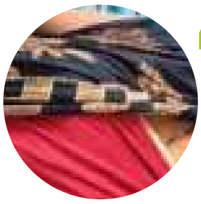

“ बच्चे अब कोदो कुटकी खाना पसंद नहीं करते। पी डी एस (PDS) में भी धान का वितरण किया जाता है। चावल बनाने में कम समय और मेहनत लगती है इसलिए महिलाओं के लिए इसे बनाना आसान होता है। चावल-मिल आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कोदो-कुटकी को प्रोसेसिंग करने के लिए कोई मशीनीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है।

-गोदावरी मरावी

“ अधिकांश आदिवासी गांवों में लोगों को एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) का पहुंच प्राप्त है। चूंकि आईसीडीएस मध्याह्न भोजन प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन मिल पाता है।

-इंदिरा मंडावी

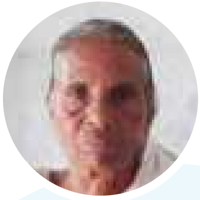

औसत वार्षिक घरेलू आय

राज्यवार

औसत वार्षिक आय :

मध्य प्रदेश

आदिवासी	रु. 73,900
गैर-आदिवासी	रु. 84,033
पीवीटीजी	रु. 68,726

छत्तीसगढ़

आदिवासी	रु. 53,610
गैर-आदिवासी	रु. 53,766
पीवीटीजी	रु. 43,012

क्षेत्र-वार

भील क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय, भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	99,211	1,45,289	
प्रति-व्यक्ति आय	24,571	36,875	
परिवारों की संख्या	820	45	0

गोंड क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय, भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	66,724	69,755	79,564
प्रति-व्यक्ति आय	15,077	13,800	20,732
परिवारों की संख्या	758	156	81

अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	52,597	80,084	61,411
प्रति-व्यक्ति आय	12,596	20,034	13,043
परिवारों की संख्या	719	134	120

दक्षिण क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	54,961	60,092	1,06,223
प्रति-व्यक्ति आय	12,137	13,944	17,366
परिवारों की संख्या	742	172	35

मध्य क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	57,072	52,980	45,468
प्रति-व्यक्ति आय	14,177	14,668	14,198
परिवारों की संख्या	708	159	57

उत्तर क्षेत्र में वार्षिक औसत घरेलू आय भारतीय रुपये में, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	49,599	48,033	19,488
प्रति-व्यक्ति आय	13,063	12,071	6,969
परिवारों की संख्या	861	168	100

SAL 2021 से पता चलता है -परिवारों की वार्षिक आय

आदिवासी रु. 61,263

आदिवासी रु. 75,378

एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587 -77/33.1/1 से पता चलता है कि **वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि परिवारों की औसत वार्षिक आय रु. 122,616 है**

खाद्य सुरक्षा

मध्य प्रदेश

आदिवासी	32%
गैर-आदिवासी	27%
पीवीटीजी	61%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	27%
गैर-आदिवासी	42%
पीवीटीजी	29%

परिवार गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना देते हैं।

मध्य प्रदेश

आदिवासी	4.2%
गैर-आदिवासी	2.4%
पीवीटीजी	1.1%

छत्तीसगढ़

आदिवासी	2.2%
गैर-आदिवासी	2.5%
पीवीटीजी	19%

परिवार खराब आहार विविधता वाले हैं।

SAL 2021 से पता चलता है

ओडिशा में परिवार गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं।

ओडिशा

आदिवासी	12%

झारखंड

आदिवासी	25%

यूएन-इंडिया के अनुसार, भारत में लगभग **195 मिलियन लोग कुपोषित लोग हैं, जो इसकी आबादी का लगभग 16% है**

परिचय

आदिवासी आजीविका की स्थिति 2022 (SAL 2022) विषयक यह रिपोर्ट इस विषय पर आवधिक रिपोर्ट प्रकाशन की श्रृंखला में दूसरी है। SAL 2021 में झारखंड और ओडिशा राज्यों को शामिल किया गया था। SAL 2022 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। इस रिपोर्ट में राज्य के आदिवासियों की आजीविका की वर्तमान स्थिति को एक तरफ राज्य द्वारा किए जा रहे औपचारिक प्रयासों और दूसरी तरफ विस्थापन और बेदखली की समस्याओं के मद्देनजर दर्शाया गया है।

इस रिपोर्ट का लक्ष्य है:

- एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना, जिससे अनुसूचित जनजाति के लोगों और उनके निकट रहने वाले अन्य लोगों के बीच तुलना की जा सके।
- आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के लिए किए जा रहे विविध उपायों के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध कराना।
- आदिवासी लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी वाले प्रशासन और नीति निर्माताओं को तथ्य प्रदान करना:
- आदिवासी कल्याण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों और अन्य शामिल व्यक्तियों के कार्य गुणवत्ता हेतु साक्ष्य उपलब्ध कराना।
- देश के नागरिकों को आदिवासी जीवन स्थितियों, उनके संघर्षों और देश की आर्थिक प्रगति में उनके योगदान के बारे में अवगत कराना।

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ

भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाली लगभग 8.6% जनसंख्या 705 जातीय समूहों के रूप में अनुसूचित जनजातियों में शामिल है।

"ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के रूप में पहचाने और प्रगणित किए गए समूहों और समुदायों को 1950 में संविधान को अपनाने के बाद अनुसूचित जनजातियों के रूप में फिर से वर्गीकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, इन समूहों को अनुसूची में सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है ताकि निश्चित रूप से उन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक रियायतें दी जा सकें"- भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, मई 2014। यह जनसंख्या जातीयता, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में विविध है। इसमें दुनिया के कुछ अंतिम संपर्क रहित आदिम समुदायों जैसे अंडमान के सेंटिनलीज़ से लेकर मध्य भारत के गोंड और संथाल जैसे कुछ

सबसे बड़े जातीय समूह शामिल हैं। हालाँकि, इन विविधताओं के बावजूद, एसटी भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रभाव और शक्ति हासिल नहीं कर सके हैं।

भारत में, जनजाति, आदिवासी और अनुसूचित जनजाति शब्द आम तौर पर एक दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं, हालांकि उनका मतलब एक नहीं है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में लोगों के एक समूह को शामिल करने की पहल राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति, जो समावेशन के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं, अक्सर इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए, कई सामाजिक-राजनीतिक कारकों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की सूची एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और झारखंड में संथालों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है, जबकि असम के चाय बागानों में संथालों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं. मध्य भारतीय क्षेत्र में एसटी लोग खुद को आदिवासी कहलाना पसंद करते हैं। उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे आदिवासी कहलाना चाहते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं और जिस भूमि पर वे अब रहते हैं उस पर उनका ऐतिहासिक अधिकार है। इस रिपोर्ट में, हमने एसटी, जनजाति और आदिवासी शब्दों का बराबर उपयोग किया है।

हालांकि वे पूरी तरह से "आदिवासी" हैं, हम विशेष नामित समुदायों के लिए पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह) शब्द का उपयोग करेंगे और जहां तक उपलब्ध हो, उनके बारे में अलग से जानकारी प्रदान करेंगे। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग द्वारा आदिवासी समूहों के लिए आदिम आदिवासी समूह (पीटीजी) नामक एक श्रेणी बनाई गई थी, जिसे निम्न आधार पर पहचाना जा सकता है: (i) उनके द्वारा कृषि में प्राचीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना (ii) साक्षरता का निम्न स्तर (iii) आर्थिक पिछड़ापन और (iv) घटती या स्थिर जनसंख्या। वर्ष 2013 में उस श्रेणी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया. वे ऐसे समूह हैं जिनके कारीगर होने या स्थानांतरण खेती करने की अधिक संभावना है, प्रमुख आदिवासी समूहों के विपरीत जो स्थायी कृषि करते हैं। देश में 75 जातीय समूहों के लगभग 29 लाख व्यक्तियों, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग की आबादी का लगभग 3% हैं, को पीवीटीजी के रूप में चिह्नित किया गया है।

आदिवासी सबसे अधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहते हैं। इन क्षेत्रों में खनिज भंडार के साथ-साथ वन भी स्थित हैं। इसके अलावा, मध्य भारतीय जनजातीय समुदाय अधिकांश प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रहते हैं। जिस ज़मीन पर उनका निवास है, वह उद्योगपतियों और राज्य के लिए महत्वपूर्ण रही है। हालाँकि अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या का 8.6% हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से विस्थापित लोगों में 55% से अधिक आदिवासी ऐसे हैं, जिन्हें खनिजों के निष्कर्षण, बड़े बाँधों के निर्माण या वन्य-जीवन अभयारण्यों की स्थापना के लिए उनकी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया है।

भारतीय संविधान ने ऐसे समुदायों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए हैं और भारतीय शासन द्वारा कानून और नीतियां बनाई गयी हैं। विधायी प्रावधानों के कुछ उदाहरण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों के अधिकारों को सक्षम बनाते हैं। इनमें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए) 1996, उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (एलएआरआर), 2013, अनुसूचित जनजाति और वन निवासी अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 शामिल हैं।

आजादी के बाद से, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन आदिवासियों के कल्याण हेतु काम कर रहे हैं। फिर भी, विकास उनसे दूर है। इसके लिए विभिन्न कारक जिम्मेदार हैं; निरंतर विस्थापन और बेदखली उनमें से एक रहा है। साथ ही, मुख्यधारा की विकास नीतियां और कार्यक्रम उनपर ऊपर से थोपे गए हैं। इन नीतियों को एक तरफ आदिवासियों की विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को समझे बिना और दूसरी तरफ उनके पुनर्वास को ध्यान में रखे बिना लागू किया जाता है।

ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों के कुछ क्षेत्रों- वर्तमान नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के भौगोलिक क्षेत्र, असम और मणिपुर के कुछ हिस्से, मद्रास प्रेसीडेंसी में गोदावरी एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र, छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र, बस्तर और तत्कालीन गोंडवाना के कुछ हिस्सों (ओडिशा के आदिवासी बसे हुए हिस्से) आदि को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के दायरे से "मुक्त या आंशिक रूप से बाहर" (भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत) रखा गया था।

"विकास" और आदिवासी लोग

भारत के संविधान ने इस अधिनियम से आदिवासी लोगों की सुरक्षा और पोषण और उनके क्षेत्रों के भौगोलिक सीमांकन की आवश्यकता और राज्य की जिम्मेदारी दोनों भावना को वहीं से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 244 और उसकी अनुसूची V और VI उक्त संवैधानिक प्रावधान निर्धारित करते हैं। यह अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को राज्य की संवैधानिक रूप से अनिवार्य जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों के अनुसार जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने का निर्देश देता है। संविधान का अनुच्छेद 275(1) भारत की संचित निधि के एक हिस्से को जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को अनुदान के रूप में निर्धारित करता है, जिससे राज्यों के राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद के परामर्श से जनजातियों की सुरक्षा और उनके पोषण संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहूलियत मिल सके।

आदिवासी बहुल इलाकों के विकास की रणनीति के रूप में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) 1974-75 में अस्तित्व में आई। जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत- जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में जाना जाता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग हर साल अपने कुल योजना आवंटन के 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक की राशि को आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जा रहा है। डीएपीएसटी फंड आवंटन वर्ष 2013-14 से लगभग साढ़े पांच गुना बढ़ गया है। यह वर्ष 2013-14 के 21,525.36 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,17,943.73 करोड़ रुपये (बजट व्यय) हो गया। यहां तक कि, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का बजट आवंटन वर्ष 2013-14 के 4295.94 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 12461.88 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यानी लगभग 190.01% की वृद्धि और पिछले वर्ष के बजट से 5,160.88 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि की गयी है। इसके अलावा, अब पीवीटीजी की जीवन स्थिति में सुधार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वर्ष 2023-24 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी आदिवासी विकास के लिए 36,950 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, राज्य के वित्त मंत्री ने एक योजना के लिए 252 करोड़ रुपये की घोषणा की, जो घुमंतू जनजातियों को रोजगार प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी आदिवासी विकास के लिए राज्य के बजट से 21,682 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों राज्य मध्य भारत के भूमि से घिरे राज्य हैं। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। 33 जिलों वाला छत्तीसगढ़ भारत का नौवां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 135192 वर्ग किमी और जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वहीं 52 जिलों वाला मध्यप्रदेश 308252 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

मध्य प्रदेश में 46 मान्यता-प्राप्त अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें से तीन की पहचान 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी)' के रूप में की गई है। जबकि छत्तीसगढ़ में पांच पीवीटीजी सहित 42 आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) जनसंख्या का प्रतिशत 30.62% है, जबकि मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 21.09% है।

2011[1] की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 25.54 मिलियन है, जबकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या 72.62 मिलियन है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से 2011 तक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः 22.61 और 20.35 प्रतिशत रही है।

छत्तीसगढ़ में हिंदी के बाद छत्तीसगढ़ी व्यापक रूप से बोली जाती है, जबकि गोंडी जैसी अन्य आदिवासी भाषाएँ भी बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में, हिंदी आधिकारिक भाषा है, जिसमें उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। बघेली, बुंदेली, निमाड़ी, मालवा आदि कई क्षेत्रीय बोलियाँ भी बोली जाती हैं। मध्य प्रदेश में गोंडी बोलने वालों का एक छोटा सा हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 991है, जो मध्य प्रदेश के 931 और भारत के 943 की तुलना में बेहतर है।

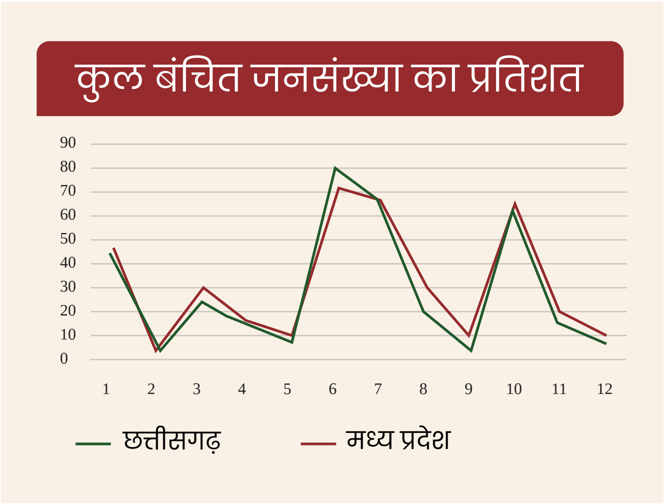

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-- 4 (वर्ष 2015-16) पर आधारित बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट दर्शाती है कि मध्यप्रदेश का एमपीआई स्कोर छत्तीसगढ़ के एमपीआई स्कोर 0.173 के मुकाबले 0.134 है, जो खराब है। एमपीआई का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में 29.91% आबादी गरीब है और गरीबों में वंचितों का भाग 44.64% है। मध्य प्रदेश के लिए यही आंकड़े क्रमशः[2] 36.65% और 47.25% हैं। हालाँकि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल करने वाली एमपीआई गणना समुदाय विशिष्ट जानकारी को निरुपित नहीं करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर 70.28% है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.27% और महिला साक्षरता दर 60.24% है। जबकि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कम यानी 69.32% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 78.73% और महिला साक्षरता दर 59.24% है। एनएफएचएस-5 (2019-20)[3] से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 या अधिक वर्षों तक स्कूली शिक्षा पाने वाली महिलाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 32.1% और 21.7% हैं। पुरुषों के संदर्भ में, ये प्रतिशत क्रमशः 38.1% और 35% हैं। एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में 20.8% और मध्य प्रदेश में 20.1% महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। जबकि इन राज्यों में पुरुषों संदर्भ में संबंधित आंकड़े क्रमशः 50.4% और 49.3% हैं।

पोषण संबंधी परिणाम की स्थिति

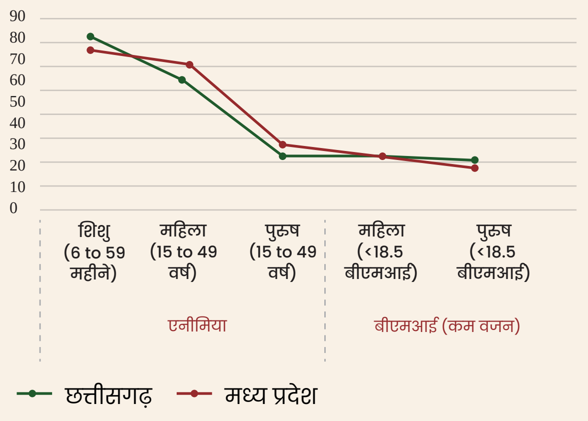

चित्र 2: एनएफएचएस-5 (2019-21) से डेटा, (अंतिम नोट iii)

आकलन वर्ष, 2015-19 में, यह पाया गया है कि भारत में औसत जीवन-प्रत्याशा 69.7[4] वर्ष के मुकाबले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में औसत जीवन-प्रत्याशा क्रमशः 65.3 और 67 वर्ष है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआइ) (2016-18)[5] की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारत के 113 के मुकाबले क्रमशः 150 और 173 पर उच्च मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) है।

इसी प्रकार, एनएफएचएस- 5 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 44.3 और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) 50.4 है। मध्य प्रदेश में आईएमआर और U5MR क्रमशः 41.3 और 49.2 हैं। पोषण संबंधी परिणाम इन दोनों राज्यों में जनसंख्या की कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं (चित्र-2 देखें)। एसआरएस या एनएफएचएस रिपोर्ट में, आदिवासियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में विशेष जानकारी का कोई डेटा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक शोध अध्ययन[6] में कहा गया है कि योग्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में कुपोषण, एनीमिया, सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी, बीटा थैलेसीमिया के लक्षण और जी 6 पीडी एंजाइम की कमी की दर बहुत अधिक है। मलेरिया का बार बार होना भी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का मुद्दा रहा है। इसी प्रकार, एक अन्य शोध अध्ययन[7] से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की समग्र संख्या कम है। योग्य डॉक्टर शहरीकृत स्थानों पर अधिक केंद्रित होते हैं। आदिवासी बस्तियां, जो ज्यादातर ग्रामीण और वन सीमांत क्षेत्र में हैं, वहां चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बहुत कम है।

31 मार्च 2017 तक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्रमशः 3232 किमी और 7854 किमी है। तदनुसार, इन दोनों राज्यों में राज्य राजमार्गों की लंबाई 4438 किमी और 11389 किमी[8] है। इस कारण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का घनत्व 5.67 किमी और 6.24 किमी प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र है, जबकि भारत का औसत 10.26 किमी[9] है। सड़कों का कम घनत्व खराब कनेक्टिविटी का संकेत देता है; हालाँकि, यह आदिवासी बस्तियों में कनेक्टिविटी के बारे में उल्लेख नहीं करता है।

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां आदिवासी आबादी का अनुपात अधिक है, जिनकी आजीविका काफी हद तक कृषि, पशुपालन और वन उपज के संग्रह पर निर्भर करती है। हालाँकि, इन दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कहीं अधिक है। छत्तीसगढ़ (वर्ष 2012-13) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में उद्योगों की हिस्सेदारी 40.3% है, जबकि कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.7%[10] है। वर्ष 2011-12 में, मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक क्षेत्र का क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है, जिसमें जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक 46.96% और कृषि का योगदान 20%[11] से कम है। इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ में 52% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 31.9% आदिवासी परिवारों ने कृषि को अपनी आय का एकमात्र स्रोत बताया (एसईसीसी[12] , 2011)। जबकि छत्तीसगढ़ में 42.6% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 63.6% आदिवासी परिवारों ने शारीरिक श्रम/ मजदूरी को

उनकी आय का मुख्य स्रोत बताया है। छत्तीसगढ़ में 4.2% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 2.3% आदिवासी परिवारों ने बताया कि उनके परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। इन राज्यों के एसटी परिवार, जहां कोई एक व्यक्ति प्राइवेट नौकरी में है, का प्रतिशत क्रमशः केवल 0.2% और 0.5% हैं। इसलिए, आदिवासी परिवारों के लिए कृषि अभी भी बहुत बड़ा योगदान देती है। सिंचित भूमि पर मालिकाना हक रखने वाले आदिवासी परिवार छत्तीसगढ़ में केवल 4.56% और मध्य प्रदेश में 15% (एसईसीसी, 2011) हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 0.62% आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश में 1.02% आदिवासी परिवारों के पास मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं। यहां तक कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसे सरकारी प्रावधानों तक उनकी पहुंच बेहद कम है, 50,000 रुपये और उससे अधिक की केसीसी सीमा वाले आदिवासी परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में केवल 1.27% और मध्य प्रदेश में 1.9% है। भारत में 75% ग्रामीण परिवारों ने बताया कि सबसे अधिक कमाई करने वाला सदस्य 5000 रुपए प्रति माह से कम कमाता है। (एसईसीसी, 2011)। छत्तीसगढ़ के आदिवासी परिवारों में यह अनुपात बढ़कर 93.3% और मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवारों में 92.7% हो गया है। कम आय से स्पष्ट है कि आदिवासी घरों में आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता भी तुलनात्मक रूप से कम है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल 6% आदिवासी परिवारों के पास मोटरसाइकिल है, और रेफ्रिजरेटर रखने वाले परिवारों की संख्या 2% से भी कम है।

इस रिपोर्ट के बारे में

यह रिपोर्ट आजीविका और अन्य मापदंडों से संबंधित स्थिति के आंकड़ों को स्पष्ट करती है। इसका अगला भाग अनुसंधान के दौरान अपनाई गई पद्धति और नमूनाकरण प्रक्रिया की व्याख्या करता है। खंड 9 "मूलभूत चरों" और परिणामों के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। अंतिम खंड में अध्ययन का निष्कर्ष और भविष्य की रणनीति है।

नोटः अध्ययन में बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र किया गया है। मुख्य रिपोर्ट केवल मुख्य बिंदु और तालिकाएँ प्रदान करती है। अनुलग्नकों में डेटा और विश्लेषण का विवरण शामिल है। संपूर्ण रिपोर्ट में इनका भी उल्लेख किया गया है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि यदि उनकी रुचि हो तो पूरा प्रासंगिक अनुबंध पढ़ें।

संदर्भ

[1] भारत की जनगणना (2011) रिपोर्ट (links mentioned below).

a. https://www.censusindia.co.in/states/chhattisgarh

b. https://www.censusindia.co.in/states/madhya-pradesh

c. https://www.censusindia2011.com/chhattisgarh-population.html

d. https://www.censusindia2011.com/madhya-pradesh-population.html

[2] नीति आयोग (2021) राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बेसलाइन रिपोर्ट, एनएफएचएस-4 (2015-16) पर आधारित, नीति आयोग, भारत, नई दिल्ली। https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-11/National_MPI_India-11242021.pdf

[3] छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एनएफएचएस-5, राज्य तथ्य पत्रक।
International Institute for Population Sciences (IIPS) (2022) National Family Health Survey- 5, 2020-21, State Fact Sheet Chhattisgarh, Ministry of Health and Family Welfare. https://www.im4change.org/docs/NFHS-5%20Chhattisgarh.pdf
a.International Institute for Population Sciences (IIPS) (2022) National Family Health Survey- 5, 2019-21, State Fact Sheet Madhya Pradesh, Ministry of Health and Family Welfare. http://rchiips.org/nfhs/NFHS-5_FCTS/Madhya_Pradesh.pdf

[4] Times of India (2022) Life expectancy up: The best places to be born, work, and retire in India, Times of India, June 13, 2022. https://timesofindia.indiatimes.com/india/where-in-india-will-you-live-the-longest-and-where-shortest/articleshow/92178313.cms

[5] Press Information Bureau (2021) Maternal Mortality Rate (MMR), Press Information Bureau, Delhi, 12 February 2021. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1697441

[6] Galhotra, A., Padhy, G. K., Pal, A., Giri, A. K. and Nagarkar, N. M. (2014) 'Mapping the health indicators of Chhattisgarh: A public health perspective', International Journal of Medicine and Public Health, 4 (1), pp. 23-28. DOI:10.4103/2230-8598.127117

[7] De Costa, A., Al-Muniri, A., Diwan, V. K. and Eriksson, B. (2009) Where are healthcare providers? Exploring relationships between context and human resources for health Madhya Pradesh province, India', Health Policy, 93 (1), pp. 41-47.
DOI: 10.1016/j.healthpol.2009.03.015

[8] Ministry of Road Transport & Highways (2019) Basic Road Statistics of India [2016-17], Ministry of Road Transport & Highways, Government of India. https://morth.nic.in/sites/default/files/Basic%20_Road_Statics_of_India.pdf

[9] See the reference viii

[10] National Skill Development Corporation (NSDC) (2013) District wise skill gap study for the State of Chhattisgarh (2012-2017, 2017-22), NSDC, June 18, 2013. https://nsdcindia.org/sites/default/files/files/chattisgarh-district-skill-gap-study-final-report_18thJune.pdf

[11] National Skill Development Corporation (NSDC) (2013) District wise skill gap study for the State of Madhya Pradesh, NSDC, January 2013. https://nsdcindia.org/sites/default/files/files/madhya-pradesh-sg.pdf

[12] SECC (2011) Socio-Economic and Caste Census, Ministry of Rural Development, Government of India. https://secc.gov.in/

#01
अध्ययन की पद्धति

1.1 वैचारिक रूपरेखा

इस रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने के लिए छह पहलुओं का अध्ययन किया गया है। ये पहलू हैं :

1. सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है
2. वह संसाधन आधार, जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है
3. बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप
4. परिवारों की अपनी विशेषताएं
5. आजीविका हेतु अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ
6. आजीविका संबंधी परिणाम

इनमें से कुछ कारकों पर जानकारी परिवारों द्वारा, कुछ ग्राम समुदाय से और कुछ उन लोगों से एकत्र की गयी थी, जिनके पास व्यापक दृष्टिकोण है। इस खंड में किया गया विमर्श कार्यप्रणाली के औचित्य को स्पष्ट करता है।

इस रिपोर्ट के कुछ अध्यायों में संदर्भ जोड़ने या तुलना करने के लिए सेकेन्डरी डेटा और प्रासंगिक साहित्य का उपयोग किया गया है। संबंधित अध्याय के अंत में लेखन के संदर्भों का उल्लेख किया गया है।

सांस्कृतिक लोकाचार और जीवन लक्ष्य

किसी समुदाय का सांस्कृतिक लोकाचार जीवन के लक्ष्यों और संसाधनों के साथ परस्पर संबंध के संदर्भ में उनके विचारों को प्रभावित करता है। आकांक्षाएँ और जीवन लक्ष्य एक व्यक्तिगत परिवार और समुदाय द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं। आकांक्षाएं सांस्कृतिक लोकाचार से आकार लेती हैं जो पीढ़ियों से विकसित होती हैं और बच्चों के पालन-पोषण और समाजीकरण प्रथाओं में खुद को प्रतिबिंबित करती हैं, और बड़े होने पर लोगों की सोच को प्रभावित करती हैं।

संसाधन आधार

भूमि, जल, पेड़, जंगल और पशु संसाधन आधार का निर्माण करते हैं, जो परिभाषित करता है कि ग्रामीण लोग किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते हैं। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पूर्वी पठार और पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र VII के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है - पूर्वी पठार और पहाड़ियाँ (क्षेत्र VII), मध्य पठार और पहाड़ियाँ (क्षेत्र VIII), और पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ (क्षेत्र IX)। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों और छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा 1100 से 1500 मिमी के बीच है जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी आदिवासी जिलों में यह 800 और 900 मिमी के बीच है। ये सभी संसाधन आधार आजीविका संबंधी निर्णयों और परिणामों को निर्धारित करते हैं।नमूनाकरण पदहट्टीऔर डेटा का विश्लेषण क्षेत्रीय भिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

बाहरी हस्तक्षेपों के माध्यम से संसाधनों को पुनः आकार देना

बाहरी हस्तक्षेपों ने आदिवासियों के संसाधन आधार को नया आकार दिया है।कुछ हस्तक्षेपों का उनके संसाधनों और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ये बाहरी प्रभाव वनों के निष्कर्षण उपयोग या खनिजों के निष्कर्षण के लिए या औद्योगिक खपत के लिए पानी जमा करने के लिए बड़ी संरचनाओं के निर्माण से संबंधित हैं। 1882 के वन अधिनियम ने आदिवासियों से वन और वन भूमि का अधिकार छीन लिया और इसे राज्य के हाथ में दे दिया है। इससे आदिवासी लोग अपनी भूमि में अवांछित हस्तक्षेपकर्ता बन गए, और उन्हें केवल निस्तार अधिकार प्राप्त हुए हैं। खनन संरचनाओं के लिए आवश्यक निर्माण गतिविधियाँ, विशाल खनन अपशिष्ट और बांधों के मामले में नदी के ऊपरी हिस्से में जलमग्नता के चलते कई आदिवासियों बस्तियों को नष्ट किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापन और उनकी भूमि[1] से बेदखली का सामना करना पड़ा है। आदिवासियों के निवास वाले क्षेत्रों में 'विकास की पहल' उन्हें एक ऐसी मूल्य प्रणाली के साथ संघर्ष में लाती है जो उनके लिए अलग है। विस्थापन-प्रेरित जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने आमतौर पर आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया है।

कुछ बाहरी हस्तक्षेप आदिवासियों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों, स्कूलों, रेलवे, सड़कों और इलेक्ट्रॉनिक (और हाल ही में डिजिटल) कनेक्टिविटी तक पहुंच से संबंधित हैं। हालांकि स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच ने आदिवासियों में जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में योगदान दिया है, तथा रेल, सड़क और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी ने व्यापार और गतिशीलता के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं।

आदिवासी परिवारों की विशेषताएं

परिचालन जोत का आकार, भूमि स्थलाकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई तक पहुंच, घर पर श्रम की उपलब्धता, कृषि संपत्ति, परिवार का आकार, आयु और शैक्षिक स्तर, आवश्यक न्यूनतम आय, घरेलू

[1] See for instance Buch MN, "The Madhya Pradesh Forests, Their Degradation, and Their Implications," India International Centre Quarterly; Vol. 17, No. 2 (Monsoon 1990), pp. 117-124 (8 pages)

ऋणग्रस्तता, परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, गैर कृषि स्रोत से आय (यदि कोई हो), ऋण तक पहुंच, बाजार, सामाजिक और संस्थागत आश्वासन (उदाहरण के लिए स्थानीय एसएचजी की सदस्यता) आदि आजीविका विकल्पों और पारिवारिक स्थितियों को आकार देते हैं। एक परिवार व एक ही कबीले और एक ही गांव के परिवार भी इनमें से कई मापदंडों पर भिन्न होते हैं, जो अलग-अलग आजीविका विकल्पों के चयन और अपने समग्र कल्याण के कारक हैं।

आजीविका संबंधी गतिविधियाँ:

आदिवासी अपनी भूमि पर खेती करते हैं, छोटे पालतू पशुओं का पशुपालन करते हैं, घरेलू उपभोग और बिक्री के लिए एनटीएफपी इकट्ठा करते हैं और आसपास के खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या कभी-कभी अपने परिवारों के साथ दूर-दराज के स्थानों पर मौसमी व्यवसायों के लिए पलायन कर जाती है। आदिवासियों का कुछ गैर-कृषि गतिविधियाँ- जैसे छोटी दुकानें चलाना, सांस्कृतिक कला और शिल्पकला, पारंपरिक चिकित्सा का अभ्यास और मनरेगा जैसे सरकारी मजदूरी कार्यक्रमों से जुड़ना आम बात है। आदिवासी परिवार बाहर काम करने वाले अपने रिश्तेदारों से धन और सरकारी योजनाओं के तहत नकद सहायता भी प्राप्त करते हैं।

आजीविका परिणाम :

आय, पर्याप्त और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत, स्वास्थ्य की स्थिति, बच्चों की शिक्षा, उपभोग के अन्य आयाम जैसे कपड़े, मनोरंजन, डिजिटल इंफोटेनमेंट का उपभोग और घरेलू और उत्पादक संपत्तियों का अधिग्रहण (टीवी, एलपीजी कनेक्शन, रेफ्रिजरेटर), मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या पावर-टिलर, पंप सेट, ढोने वाले जानवर, निराई करने वाले उपकरण, भंडारण) आदि आजीविका के कुछ प्रमुख परिणाम हैं।

1.2 त्रिस्तरीय जांच

अध्याय की शुरुआत में आदिवासी आजीविका की स्थिति हेतु करीब छह पहलुओं: परिवारों का नजरिया, गाँवों, आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों, आदिवासी समुदाय के नेताओं और आदिवासी समुदायों के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। हमने परिवार का नजरिया जानने के लिए एक परिवार-स्तरीय प्रश्नावली (अनुलग्नक L1 देखें), एक विलेज फ़ैक्ट शीट (अनुलग्नक L2 देखें) और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) प्रारूप (अनुलग्नक L3 देखें) का उपयोग किया है। हमने विद्वानों, कार्यकर्ताओं और समुदाय के नेताओं के दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सेमी स्ट्रक्चर्ड व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआइ) प्रारूप (अनुलग्नक एल 3 देखें) का उपयोग किया है। नीचे दी गई तालिका 1.1 में आजीविका स्थिति के छह पहलुओं के आसपास, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों का उल्लेख है।

तालिका 1.1: आजीविका पहलुओं से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए उपयोग किए गए साधन

अध्ययन का पहलू	उपयोग किए गए साधन
सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है	पीआई
वह संसाधन आधार, जिसके अंतर्गत आजीविका चलती है	द्वीतीयक आंकड़े, विलेज फैक्ट शीट, एफ़जीडी, पीआई
बुनियादी ढांचे और संसाधन विकास के संदर्भ में बाहरी हस्तक्षेप	विलेज फैक्ट शीट. एचएच प्रश्नावली, एफ़जीडी, पीआई
परिवारों की अपनी विशेषताएं	एचएच प्रश्नावली, एफ़जीडी, पीआई
आजीविका हेतु अपनाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियाँ	एचएच प्रश्नावली, पीआई
आजीविका परिणाम	एचएच प्रश्नावली, पीआई

नमूना आकार और नमूनाकरण (सैम्पलिंग) की पद्धति:

इस कार्य का उद्देश्य आदिवासी आजीविका की कार्यात्मक साक्षरता, आय, खाद्य सुरक्षा और आहार विविधता जैसे कई मापदंडों को समझना था। इस विचार के आधार पर, कुल 5000 परिवारों का नमूना आकार रखने का निर्णय लिया गया और गहन जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) के तहत कवर किए गए "आदिवासी बहुल" प्रशासनिक ब्लॉकों को शामिल किया गया।

नमूनाकरण (सैम्पलिंग)

सैंपलिंग के लिए 2011 की जनगणना से मिलने वाली जानकारी का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण के समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक जिले, उप-जिले और ब्लॉक, 2011 की जनगणना में बताए गए विवरणों से भिन्न थे। इसमें नमूने में प्रयुक्त जिले, ब्लॉक और गांव शब्द 2011 की जनगणना से संदर्भित हैं। हमने एक बहु-चरण, स्तरीकृत गैर-उद्देश्यीय नमूनाकरण पद्धति का अनुसरण किया है।

हमने गाँव को सैंपलिंग ढांचे की मूल इकाई के रूप में चुना है। प्रत्येक नमूना गांव में, गैर-उद्देश्यपूर्ण रूप से चुने गए 20 परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। अध्ययन के लिए दो प्रकार के गाँव - आदिवासी गाँव और गैर-आदिवासी गाँव लिए गए। आदिवासी गाँव वह है जिसकी जनसंख्या 300 से अधिक है और 70% या अधिक जनसंख्या एसटी है। गैर-आदिवासी गाँव वह गाँव है जिसकी जनसंख्या 300 से अधिक है और एसटी जनसंख्या कुल जनसंख्या के 30% से कम है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के आईटीडीपी ब्लॉकों के 300 गांवों का नमूना लिया गया । नमूनों को दो राज्यों में समान रूप से विभाजित किया गया। राज्यों के गाँव और प्रकारों का वितरण निम्नलिखित है।

तालिका 1.2: गाँवों[2] के नमूनों का चयन

मध्य प्रदेश			छत्तीसगढ़			
आदिवासी और गैर पीवीटीजी (TNP)	115	+	आदिवासी और गैर पीवीटीजी (TNP)	115	=	230
गैर-आदिवासी	25	+	गैर-आदिवासी	25	=	50
पीवीटीजी	10	+	पीवीटीजी	10	=	20
कुल	**150**	+	**कुल**	**150**	=	**300**

राज्य का नमूना मध्य प्रदेश के 9 जिलों से लिया गया है। मध्य प्रदेश के जिलों के आईटीडीपी ब्लॉकों को तीन व्यापक समूहों: भील क्षेत्र (जिले - झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन), गोंड क्षेत्र (जिले - डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, बैतूल, सिवनी और शहडोल), और आईटीडीपी ब्लॉक वाले शेष जिले में विभाजित किया गया है। राज्य के नमूने को इन तीन क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से तीन जिलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, राज्य के नमूने को तीन क्षेत्रों में समान रूप से विभाजित किया गया है: दक्षिण, मध्य और उत्तर क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिलों के आईटीडीपी ब्लॉक शामिल हैं। ये सातों जिले पुराने अविभाजित बस्तर जिले के हिस्से हैं। मध्य क्षेत्र में बालोद, बिलासपुर, धमतरी, गरियाबंद, कबीरधाम, कोरबा, मुंगेली और राजनांदगांव जिलों के आईटीडीपी ब्लॉक शामिल हैं। उत्तरी क्षेत्र में बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, रायगढ़, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आईटीडीपी ब्लॉक शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र से 3 जिलों को यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

जैसा कि हमने इसे नमूने के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भौगोलिक प्रकृति के आधार पर - उत्तरी पठार, मध्य छत्तीसगढ़ में महंदी बेसिन और दक्षिणी पठार में विभाजित किया है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश को उस क्षेत्र में मुख्य जनजाति की उपस्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में ये विभाजन मालवा (भील) और सतपुड़ा-बघेलखंड (गोंड) जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के साथ भी ओवरलैप हो रहे हैं। आजीविका परिणाम अध्याय में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संभागों के बीच आजीविका की स्थिति की तुलना की गई है। हालाँकि, नमूना आकार से हम विशिष्ट जनजातीय समूहों (जैसे माडिया गोंड) के स्तर पर निष्कर्ष नहीं निकाल सके हैं। ऐसा होने के लिए, कुल नमूना आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। विशिष्ट जनजातीय समूहों के लिए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रदान और अन्य इच्छुक संगठनों के बीच सहयोगात्मक प्रयास और लागत-साझाकरण की आवश्यकता होगी।

मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 114 आदिवासी गांवों और छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 115 आदिवासी गांवों का नमूना जनसंख्या के अनुपात में जिलों में आवंटित किया गया था: यदि X इन 9 जिलों की कुल जनसंख्या है (2011 की जनगणना के अनुसार आईटीडीपी ब्लॉक में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या)) और m_i, i^{th} जिले की जनसंख्या और कुल 9 जिले की जनसंख्या का अनुपात है, आवंटित i^{th} जिले का मान $115 \times m_i$ होगा।

जिले के नमूने को उस जिले के आईटीडीपी ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। सर्वेक्षण के लिए प्रति ब्लॉक अधिकतम 5 गांवों को शामिल किया गया। जैसे यदि जिले में 17 नमूना गांवों का आवंटन है, तो 4 ब्लॉकों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। फिर 3 ब्लॉकों से 5 एसटी गांवों को यादृच्छिक रूप से चुना गया और चौथे ब्लॉक से 2 गांवों का चयन किया गया। विचार किए गए ब्लॉकों का क्रम उनके प्रशासनिक क्रम के अनुसार था। मध्य प्रदेश में नमूना ब्लॉकों की कुल संख्या 24 थी और छत्तीसगढ़ में 27 थी।

यद्यपि उपलब्ध जानकारी के अनुसार पीवीटीजी जनसंख्या, जनसंख्या का लगभग 4% है, पर्याप्त नमूना आकार सुनिश्चित करने के लिए 8% नमूना पीवीटीजी गांवों को आवंटित किया गया था। सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़- दोनों से मुख्य रूप से पीवीटीजी आबादी वाले 10 गांवों पर विचार किया गया। पीवीटीजी गांवों और पीवीटीजी परिवारों के चयन का निर्णय पास के ब्लॉकों के बजाय पीवीटीजी के स्थान के आधार पर किया गया जहां शेष आदिवासी नमूने आवंटित किए गए थे।

सर्वेक्षण के लिए आईटीडीपी ब्लॉकों से 1000 गैर-आदिवासी परिवारों का एक नमूना तैयार किया गया । प्रत्येक ब्लॉक से जहां आदिवासी नमूना आवंटित किया गया है, सभी गैर-एसटी गांवों में से एक गैर-आदिवासी गांव को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासी गांवों की संख्या क्रमश: 24 और 27 थी। अब तक की चर्चा डिज़ाइन से संबंधित है। चर्चा के अनुरूप निम्नलिखित तालिकाएँ उन परिवारों के समूह के बारे में हैं, जिनका सर्वेक्षण किया गया था।

तालिका 1.3: सर्वे में पीवीटीजी ब्लॉक

मध्य प्रदेश

जिला	ब्लॉक
शहडोल	जयसिंगना
शिवपुर	करहल
मांडला	नारायणग

छत्तीसगढ़

जिला	ब्लॉक
गरियाबंध	गरियाबंध
जशपुर	बगीचा
नारायणपुर	ओरछा

तालिका 1.4: सर्वेक्षित परिवारों के जिलों और गाँवों की संख्या

जिला	नमूने वाले ब्लॉक की संख्या	गावों की संख्या
बरवानी	3	16
छिंदवारा	4	24
धार	4	20
हरदा	1	6
जबलपुर	4	24
खरगौन (पश्चिम नीमार)	2	11
सेयोनि	2	12
शहडोल	3	12
उमारिया	2	15
शिवपुर	1	6
मांडला	1	2
कुल योग	**27**	**148**

जिला	नमूने वाले ब्लॉक की संख्या	गावों की संख्या
बस्तर	4	20
बीजापुर	1	10
बिलासपुर	3	15
गरियाबंध	3	15
जशपुर	4	26
कबीरधाम	1	4
कोंडागाँव	3	16
कोरिया	2	13
सूरजपुर	4	20
नारायणपुर	1	2
जीपीएम	2	12
कुल योग	**28**	**153**

कुल	नमूने वाले ब्लॉक की संख्या	45	गावों की संख्या	301

सर्वेक्षण उपकरणों, फोकस ग्रुप परिचर्चा केन्द्रित प्रश्नों और लिए गए साक्षात्कार के प्रमुख बिन्दुओं को अनुलग्नक-एल में दिया गया है।

तालिका 1.5 सम्पूर्ण आंकड़ा आकार

मध्य प्रदेश		+	छत्तीसगढ़		=	
कुल परिवार	2,967	+	कुल परिवार	3,052	=	6,019
आदिवासी परिवार	2,405	+	आदिवासी परिवार	2,340	=	4,745
पीवीटीजी परिवार	201	+	पीवीटीजी परिवार	192	=	393
गैर-आदिवासी परिवार	361	+	गैर-आदिवासी परिवार	520	=	881
कुल गाँव	148	+	कुल गाँव	153	=	301
आदिवासी गाँव	117	+	आदिवासी गाँव	117	=	234
पीवीटीजी गाँव	10	+	पीवीटीजी गाँव	10	=	20
गैर आदिवासी गाँव	21	+	गैर आदिवासी गाँव	26	=	47
नमूने लिए गए ब्लॉक	27	+	नमूने लिए गए ब्लॉक	28	=	55
नमूने लिए गए जिले	11	+	नमूने लिए गए जिले	11	=	22
कुल एफ़जीडी	24	+	कुल एफ़जीडी	26	=	50
कुल साक्षात्कार	11	+	कुल साक्षात्कार	17	=	28

मध्यप्रदेश में मई 2022 और जुलाई 2022 की अवधि और छत्तीसगढ़ में मई 2022 से अगस्त 2022 के दौरान सभी आंकड़े इकट्ठे किए गए।

व्याख्यात्मक नोट:

नमूनाकरण पद्धति पिछले भाग में दी गई है। आंकड़े और उसके निष्कर्ष यहां प्रस्तुत किए गए हैं:

1. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के डेटा में तीन श्रेणियां हैं: आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी। पीवीटीजी अनिवार्य रूप से आदिवासी हैं, लेकिन उन पर डेटा अलग से दिखाया गया है क्योंकि उन्हें आदिवासी लोगों के बीच एक विशेष श्रेणी माना जाता है। "गैर-आदिवासी" श्रेणी एकसमान नहीं है। इस श्रेणी में शामिल परिवार विभिन्न जातियों के हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।

2. महिला प्रधान परिवारों का डेटा भी लिंग और आजीविका खंड में अलग से प्रस्तुत किया गया है।

3. हमने जैसा है, उसी रूप में स्थिति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। ऐसा क्यों है? के स्पष्टीकरण पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है।

4. पारिवारिक आय में दो घटक शामिल हैं: कृषि उपज से वर्ष के दौरान अर्जित वास्तविक नकद आय, प्राप्त मजदूरी, बैंक खातों में जमा पेंशन आदि, व्यवसायों से आय, आदि। दूसरा घटक उत्पादित वस्तुओं के "अध्यारोपित मूल्य" का है या जिसका उत्पादन अथवा एकत्रण कर घर में ही उपभोग किया गया।

कृषि उपज और वन संग्रह का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर पारिवारिक जीविका के उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पारिवारिक आय की गणना हेतु कृषि या संग्रह उद्यमों के उत्पादन को बाजार में प्रचलित कीमतों पर मूल्यांकित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप आंशिक अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि घर में उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, उनकी मात्रा और गुणवत्ता की एक बार में गणना करना कठिन होता है। वहीं दूसरी तरफ 'मुख्यधारा' आर्थिकी से आजीविका चलाने वाले परिवारों की मुद्रीकृत आय के आंकड़े जुटाना तुलनात्मक रूप से आसान है। बहरहाल, हमें आजीविका परिणामों और परिवारों की स्थिति की बेहतर समझ के लिए अनुमानित खपत को महत्व देना होगा। इसलिए, इस अध्ययन में उत्तरदाताओं से मुद्रीकृत आय के साथ-साथ उपभोग से अर्जित आय के बारे में डेटा प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। हालांकि उनकी कुल आय का आकलन करने में अभी भी अंतर हो सकता है। राज्य विशेष के लिए बाजार मूल्य अथवा परिवार की औसत आय का उपयोग आरोपित खपत का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। अनिवार्य रूप से, हमारा माप परिवार विशेष द्वारा की गई खपत के आधार पर विशिष्ट मूल्य निर्धारण जानकारी का उपयोग करके मुद्रीकृत आय को कैप्चर करने में बेहतर है और कम विशिष्ट और अधिक सामान्य (राज्य या प्रतिनिधि परिवार के स्तर पर) तरीके से की गई खपत खपत के मूल्य को कैप्चर करते हैं।

5. आय के कुल आंकड़े जेब खर्च को घटाकर बनाया गया हैं। पारिवारिक श्रम या घर के अहाते में (फार्मयार्ड खाद, पशु मसौदा शक्ति) की लागत को सकल बिक्री आय में शामिल नहीं किया गया है।

6. हर मौसम के लिए फसल की कीमत की गणना सर्वेक्षण डेटा से की गई है। डेटा-आधारित मूल्य की गणना का सूत्र इस प्रकार था:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} Gross\ income_{ij}^{st}\right) / \left(\sum_{i=1}^{n} Quantity\ sold_{ij}^{st}\right)$$

जहां सकल आय ($Gross\ income_{ij}^{st}$), i^{th} परिवार (मध्यप्रदेश अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के) की आय है, जो j^{th} फसल की बिक्री से t^{th} महीने (खरीफ, रबी और गर्मी) को दर्शाती है। विक्रय सामग्री ($Quantity\ sold_{ij}^{st}$) के रूप में और फसल की मात्रा j^{th} फसल की बिक्री t^{th} वें मौसम में i^{th} परिवार को राज्य में दर्शाता है। गणना की गई इन कीमतों की तुलना कृषि वर्ष 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से की गई है (सब्जी के मामले में यह राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई वार्षिक कीमतों से संदर्भित हैं।)। जहां कहीं भी गणना की गई कीमत एमएसपी से 20% भिन्न (कम और अधिक दोनों) थी, वहां एमएसपी को लिया गया है।

ऐसे मामले जहां एमएसपी तुलना के लिए उपलब्ध नहीं है, वहाँ गणना की गई कीमत का उपयोग किया गया है। ऐसे मामलों में, जहां परिकलित मूल्य उपलब्ध नहीं है, वहाँ एमएसपी को उस मौसम में उस फसल की कीमत के रूप में माना गया है। ऐसे मामलों के लिए जहां किसी फसल के लिए ण तो एमएसपी है, और ना ही राज्य द्वारा कोई कीमत तय की गयी हो, वहाँ कीमत की गणना ₹1000 प्रति क्विंटल के दर से मानी गयी है।

[2]Income has been calculated by subtracting the operating cost from the revenue earned from the particular activity

7. सब्जियों के सन्दर्भ में, जहाँ कहीं भी डेटा-आधारित कीमतें उपलब्ध नहीं थी अथवा बहुत कम या बहुत अधिक (जैसे कुछ रुपये प्रति क्विंटल) रहने पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा प्रदान की गई कीमत के अनुसार गणना की गयी। किसी विशिष्ट मौसम के लिए किसी सब्जी के भारित औसत सीज़न मूल्य की गणना राज्य के प्रमुख बाज़ार, मध्यप्रदेश के लिए भोपाल और छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर के अनुसार तय की गई है। जब ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं होती है, उदाहरण के लिए, मध्यप्रदेश में मटर की ग्रीष्मकालीन कीमत, के लिए 2021की वार्षिक भारित औसत कीमत का उपयोग किया गया है। जहां एनएचबी की जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहां उस सीज़न के लिए अन्य राज्य से गणना की गई कीमतों का उपयोग किया गया है।

तालिका 1.6: कृषि आय गणना हेतु फसलों के दाम (रुपए प्रति क्विंटल)

	मध्य प्रदेश			छत्तीसगढ़		
फसल	खरीफ	रबी	गर्मी	खरीफ	रबी	गर्मी
मक्का	1741	1829	2029	1870	1593	1870
गेंहू	2455	2002	2143	2015	1716	1888
धान	1755	1700	1950	2033	1950	1768
जौ	1473	1635	1635	1635	1635	1635
सिउर_मारसा_चलाइ	1050	1050	1050	1050	1050	1050
फूलन	6296	6296	6296	6296	6296	6296
ओगला	1050	1050	1050	1050	1050	1050
फापरा	1050	1050	1050	1050	1050	1050
कोदो-कुटकी	2690	2690	2690	2690	2690	2690
गंगराई	1050	1050	1050	1050	1050	1050
गन्ना	290	290	290	260	290	290
राजमा	2000	2000	2000	2000	2000	2000
सानी	1050	1050	1050	1050	1050	1050
कुलथी	2000	2500	2250	5979	2500	4240
सोयाबीन	5027	3950	4750	3950	3950	3950
मसूर	5500	5500	5500	5500	5500	5500
अरहर	4960	6300	6300	5562	6300	6300
उड़द	6300	6300	3797	7434	6300	6300
तेल बीज	3940	3940	3940	3940	3940	3940
सरसों	5818	5667	5050	5417	5050	5050
अलसी	8333	8333	8333	8333	8333	8333

तालिका 1.7: कृषि आय गणना हेतु सब्जियों के दाम (रुपए प्रति क्विंटल)

	मध्य प्रदेश			छत्तीसगढ़		
सब्जियाँ	खरीफ	रबी	गर्मी	खरीफ	रबी	गर्मी
आलू	2000	1248	1000	1702	844	1500
मटर	1284	3920	1284	1169	2434	2444
बीन्स	4110	4400	4255	4110	4400	4255
पत्तागोभी	1300	1300	1300	2568	1149	1545
टमाटर	2119	828	3000	2092	2482	1934
लहसुन	1915	4407	8000	7863	5781	4851
कच्चा आलू	1000	1000	1000	1000	1000	1000
मिर्च	5556	2569	2569	4495	1982	1922
प्याज	1217	1551	806	1713	1643	2571
बर्बट्टी	2418	2660	1282	2418	2660	1282
बंगाल चना	5000	4725	4912	4530	4694	3900
हरा चना	4501	4855	5350	5200	5200	5200
कच्चू	1000	1000	1000	1000	1000	1000
कांदा	1000	1000	1000	1000	1000	1000
गोभी	3500	4667	1841	2941	1843	3857
भिंडी	6708	4364	1846	2743	982	2428
खीरा	1300	1667	800	5543	1000	1235
धनिया/अदरक	2577	2577	2577	3300	3051	2385
करेला	5896	4129	2662	3586	1500	2704
अन्य कद्दू	1333	1333	1333	1333	1333	1333
बैंगन	1408	1408	1408	2313	1504	1577

संदर्भ और टिप्पणी

[1]See for instance Buch MN, "The Madhya Pradesh Forests, their Degradation and its Implications"; India International Centre Quarterly; Vol. 17, No. 2 (Monsoon 1990), pp. 117-124 (8 pages)

[2]तालिका सैंपल डिजाइन को दर्शाती है। क्षेत्रीय स्थिति के कारण इसमें थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं।

[3]आय की गणना विशेष गतिविधि से अर्जित राजस्व से परिचालन लागत को घटाकर की गई है।

#02

सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार, जिसमें आजीविका चलती है

यह अध्याय उन लोगों के साक्षात्कार पर आधारित है जो अपने संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और आदिवासियों के मुद्दों के जानकार माने जाते हैं। कुल मिलाकर 28 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया, जिनमें- 17 छत्तीसगढ़ से और 11 मध्य प्रदेश से थे। इनमें से 22 एसटी समुदाय के हैं। वे गोंड, बैगा, ओरांव, भील, अगरिया और प्रधान जनजातियों से थे। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल थीं। सांस्कृतिक लोकाचार के विविध पहलुओं पर इन साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा साझा की गई जानकारी और विचारों का सारांश नीचे दिया गया है।

आदिवासीयत

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, क्रमशः 42 और 46 अलग-अलग आदिवासी समूह हैं जिन्हें या तो अनुसूचित जनजाति (एसटी) या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन सभी में कुछ सांस्कृतिक मूल्य समान हैं। ये मूल्य 'आदिवासी' (आदिवासी की मूल विश्वास प्रणाली और प्रकृति) को परिभाषित करते हैं और उन्हें गैर-आदिवासियों से अलग करते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, जो लगभग हर उत्तरदाता द्वारा साझा किए गए, उनमें एकजुटता व भेदभाव रहित समाज और प्रकृति के साथ गैर-दोहनकारी संबंध थे। उनके सभी रिश्ते, भाषाएँ, कला रूप, जीवन कौशल, अनुष्ठान, सामाजिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ और आजीविकाएँ इन मूल्यों से आकार ग्रहण करती हैं।

उदाहरण के लिए, पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ श्रम और बीजों के बंटवारे पर आधारित थीं। समुदाय में जरूरतमंद लोगों को रोटी, कपड़े और आश्रय स्थल के रूप में भी पारस्परिक सहायता को देखा जा सकता है। आदिवासियों की अधिकांश पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ लालच के बनिस्पत आवश्यकता पर आधारित हैं; इसलिए, वे गैर- दोहनकारी हैं और सततजीवी हैं। जैव-विविधता के पुनर्विकास और अनुरक्षण के लिए पर्याप्त जगह छोड़कर जंगल से संग्रहण किया जाता है। इसके विपरीत, गैर-आदिवासी समाजों में मानव प्रजाति को केंद्र में रख कर और प्रकृति के अन्य सभी घटकों, सजीव या निर्जीव, को मानव जाति की सेवा हेतु संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए, उनकी सभी कार्य प्रणालियाँ प्राकृतिक संसाधनों से अधिकतम लाभ निकालने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो पारिस्थितिक अस्थिरता को जन्म देती है।

अंतर-जनजातीय संबंध और विविधता:

यद्यपि सभी जनजाति समाज द्वारा सामान्य मूल्यों और विश्व-दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है, परंतु जनजातीय संस्कृतियाँ सजातीय नहीं हैं। हालांकि अधिकांश जनजातीय समूह स्थायी कृषि करते हैं, पीवीटीजी कुल मिलाकर कारीगर हैं। उनके गीत, नृत्य रूप और पेंटिंग सामूहिकता के मूल्य और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन ऐसे प्रतिनिधित्व सभी जनजातियों के संदर्भ में बिल्कुल समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, गोंड पेंटिंग अपने रूप और संभवतः संदेश में भील पेंटिंग से बहुत अलग हैं।

आदिवासी समाज में महिलाएँ:

कुल मिलाकर, उत्तरदाताओं ने बताया कि आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति गैर-आदिवासी समाज में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने आदिवासी समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए गतिशीलता और स्वायत्तता को कारण बताया। काम के लिए बाहर निकलना और बाजार जाना कोई वर्जित नहीं है। हालाँकि, यह भी साझा किया गया कि आदिवासी महिलाएँ अधिकांश घरेलू काम करती हैं, वे जंगलों में भी जाती हैं और वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, और वे कृषि में भी अधिकांश काम करती हैं।

इसके बाद भी, पितृसत्तात्मक भेदभाव उनकी प्रथागत प्रथाओं/कानूनों, भूमिका विभाजन, निर्णय लेने आदि में दिखाई देता है। प्रथागत कानून महिलाओं को जमीन के मालिक होने के अधिकार से वंचित करता है और वे व्यक्तियों पर समुदाय को प्राथमिकता देने के अपने मूल्य के साथ इसे उचित ठहराते हैं। बदलते समय के साथ महिलाओं की स्थिति और लैंगिक संबंध भी बदल रहे हैं। विशेषज्ञों ने परिवर्तन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को साझा किया। एक ओर, उन्होंने बताया कि कैसे लैंगिक समानता के इर्द-गिर्द मुख्यधारा के विमर्श ने आदिवासी समाज को प्रभावित किया है और कैसे अधिक आदिवासी महिलाओं के पास अब भूमि स्वामित्व है। वहीं दूसरी ओर, उन्होंने बताया कि मुख्यधारा की मीडिया और फिल्मों में महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रदर्शित किए जाने के कारण आदिवासी समाज में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामलों में हालिया वृद्धि हुई है। हाल ही में, सीबीओ और सरकारी कार्यक्रम महिला संगठनों, एसएचजी और सहयोगी स्तरों को मजबूत करने और गांव में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ महिला उत्तरदाताएँ, जो एसएचजी का भी हिस्सा हैं, ने साझा किया कि इससे महिलाओं को परिवार के साथ-साथ गांव में भी निर्णय लेने में सहायता मिली है। भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित कुछ सुविधाजनक नीतियों ने भी आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बदलते मूल्य, रिश्ते और आकांक्षाएँ:

विशेषज्ञों ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी प्रकृति के साथ एकजुटता और गैर-दोहनकारी संबंध के इस विश्व-दृष्टिकोण को पूरी तरह से अपना नहीं पा रही है। ये युवा अपने पारंपरिक ज्ञान, कौशल और संस्कृति के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते हैं। शहरों के संपर्क, आधुनिक तकनीक और मुख्यधारा की शिक्षा को इस बदलाव के प्रमुख कारकों के रूप में देखा गया है।

गाँव में स्थायी रूप से जीवनयापन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल स्कूली शिक्षा में नहीं सिखाए जाते हैं। शिक्षा देने का माध्यम भी उनकी अपनी भाषा में नहीं है। यह स्थिति आदिवासी ग्रामीण युवाओं को न तो अपने गांव से स्थायी जीवनयापन करने में सक्षम बना पाती है और न ही शहरों में लाभकारी रोजगार पाने में अन्य गैर-आदिवासी समुदायों या शहरवासियों के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बना पाती है।

पहुंच में बदलाव और आजीविका :

वन (जंगल)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में, सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि वन आदिवासी जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग रहे हैं। कई उत्तरदाताओं ने बताया कि हाल तक, 30-40 साल पहले तक, आदिवासियों को लगभग सब कुछ जंगल से मिलता था। कई उत्तरदाताओं ने एक कहावत साझा की है कि आदिवासी केवल नमक और कपड़ों के लिए बाजार पर निर्भर थे, बाकी सब कुछ जंगल में उपलब्ध था। इस निर्भरता के कारण, उनकी पारंपरिक एनटीएफपी संग्रह विधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि क्षेत्र की जैव-विविधता को नुकसान न पहुंचे। उदाहरण के लिए, पौधों से भोजन इस तरह से एकत्र किया जाता है, जिससे पौधे का पुनर्विकास/जीवनचक्र सुनिश्चित रहे। वनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों को काटने के साथ-साथ उन्हें लगाने के भी अपने तरीके और मौसम/महीने हैं।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करते हैं कि वे केवल वही इकट्ठा करें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा में वे अधिक मात्रा में संचय करने में विश्वास नहीं करते, चाहे वह भोजन हो या धन या कोई अन्य उत्पाद। हालाँकि, यह परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सरकार और वन विभाग वनों को आय के संसाधन के रूप में देखते हैं, इसलिए सभी परियोजनाएं और योजनाएं ज्यादातर बाजार की मांग वाले इमारती लकड़ी के पेड़ों और पौधों की ही रक्षा करती हैं। यह चलन आदिवासियों के अपने जंगलों के साथ सहजीवी संबंध पर ध्यान नहीं देती है।

इसके अलावा, बाजार मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मलिहान (बौहिनिया वाहली) का मामला द्रष्टव्य है। बैगा चक से यह लगभग लुप्त होता जा रहा है। बाजार में भारी मांग के कारण पत्तियां एकत्र की जाती हैं। दूसरी ओर, वन विभाग द्वारा इसे एक खरपतवार के रूप में माना गया और इसलिए इस लता का कोई नया रोपण नहीं किया गया। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार, यदि वन अधिकार अधिनियम 2006 को इसकी वास्तविक भावना से लागू किया जाए, तो यह वनों के पुनर्जनन में सहायक सिद्ध हो सकता है।

कृषि:

कई विशेषज्ञों ने बताया कि आदिवासियों को प्राकृतिक चक्रों और ऋतुओं का गहन ज्ञान था और वे वनस्पतियों और जीवों के पुनर्जनन के प्रति सचेत थे। इसने फसल की पसंद, बीज चयन या खेती के तरीकों को प्रभावित किया है। एकजुटता का मूल्य उनकी कृषि पद्धतियों में अंतर्निहित है। यह उन अनुष्ठानों में भी प्रकट होता है जो खेती से संबंधित हैं; जैसे बीज विनिमय; श्रम बँटवारा; या 'नवाखाई' उत्सव आदि में एक साथ फसल का जश्न मनाना।

इन क्षेत्रों में धीरे-धीरे बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 10-15 वर्षों में लोगों ने देशी बीजों की जगह अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कई मामलों में बाजरा जैसी फसलों का स्थान धान/गेहूं ने ले लिया है। फसल की पसंद में बदलाव से खान-पान की आदतों में बदलाव को भी बल मिला है।

नागरिक समाज संगठनों और सरकार के संबंधित विभागों ने इस बदलाव में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिवासी किसानों को उपज बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और बीज कंपनियों द्वारा प्रदान की गई विधियों के पैकेज का पालन करने में मदद की। इसे प्रशिक्षण, सहायता, बीज वितरण आदि के माध्यम से सुदृढ़ किया गया। इस प्रक्रिया में, आदिवासियों की खेतों और जंगलों से संबंधित ज्ञान परंपरा धीरे-धीरे निरर्थक सिद्ध होने लगी है। अब आदिवासी लाभार्थी बन गए और कृषि के बारे में अपने स्वयं के ज्ञान और निर्णय पर नियंत्रण खो दिया है। विभिन्न अन्य कारकों के साथ-साथ नियंत्रण की कमी और रचनात्मकता के विस्तार ने आदिवासी युवाओं की कृषि में रुचि कम कर दी है।

प्रवासन:

कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि आदिवासियों का एक वर्ग आय के लिए केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य स्थानों पर पलायन करता है, जिसका मुख्य कारण कम कृषि उत्पादन, जंगलों तक पहुंच में कमी और बढ़ते दबाव और आय के लिए अन्य विकल्पों की कमी है। चूँकि उनकी शिक्षा का स्तर निम्न है, अधिकांश आदिवासी युवा कम वेतन वाले आकस्मिक छोटे-मोटे काम के लिए पलायन कर जाते हैं। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि कोविड के बाद कम लोग काम के लिए पलायन कर रहे थे।

कला और शिल्प :

दोनों राज्यों में विभिन्न छोटे कारीगर समूह हैं जिनकी पेंटिंग, गायन, नृत्य और धातु शिल्प करने की परंपरा रही है। विशेषज्ञों में गोंड और भील समुदायों के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार, धातुकार, बैगा समुदाय के नर्तक आदि शामिल थे। उनके अनुसार, परंपरागत रूप से, उनकी जनजाति में हर किसी के पास अपनी विशेष कला का कौशल होता

था। कई विशेषज्ञों ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि अब केवल कुछ ही कलाकार हैं, जो बाहरी लोगों द्वारा पहचाने जाते हैं, और बाजार में अपनी कला रूपों को बेचकर आजीविका कमाने में सक्षम हैं। सरकार द्वारा मान्यता से उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचने में भी मदद मिली है। उन्हें बाज़ार की माँग के अनुसार अपने उत्पादों में संशोधन करने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, गोंड पेंटिंग पारंपरिक रूप से दीवारों या दरवाजों पर की जाती थी। हालाँकि, शहरी बाज़ार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब चित्रकार कपड़े, कटलरी, कागज आदि पर पेंटिंग के साथ सामने आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, सामान्य मार्केटिंग चैनल के बाधित होने और मार्केटिंग तकनीक तक पहुंच की कमी के कारण कारीगरों को भी उत्पादों बेचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। कुछ उत्तरदाताओं ने व्यक्त किया कि सरकार युवाओं में इन रुचियों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उद्यम:

लगभग सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि कुल मिलाकर आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं। यही कारण है कि आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के बाजारों पर भी गैर-आदिवासियों का वर्चस्व है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा इस पहलू में धीमे लेकिन क्रमिक परिवर्तन की ओर भी इशारा किया गया। सरकार और सीएसओ, एफपीओ को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करके उद्यमशीलता उत्साह का संचार करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ताकि आदिवासी बाजार में अपना स्थान पुनः पा सकें।

#03
आजीविका चलाने वाले संसाधन आधार

इन राज्यों में आदिवासियों की आजीविका ऐतिहासिक रूप से जंगलों पर निर्भर रही है। यहां तक कि उनकी कृषि प्रणाली भी अद्वितीय है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार की वन सीमा वाली बस्तियों में मौजूद हैं। जल, जंगल, ज़मीन और जानवर आदिवासियों के प्रमुख संसाधन हैं। यह खंड इन दोनों राज्यों में संसाधन उपलब्धता और इसकी विशेषताओं का विवरण दर्शाता है। इसमें आदिवासियों की आजीविका पर इनके प्रभाव पर भी चर्चा की गई है।

छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पूर्वी पठार और पहाड़ियों के रूप में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्र VII के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश तीन कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है- इनमें पूर्वी पठार और पहाड़ी (क्षेत्र VII), केंद्रीय पठार और पहाड़ी (क्षेत्र VIII) और पहाड़ी क्षेत्र (क्षेत्रIX)[1] शामिल है। आदिवासी आबादी पूरे छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, जिसमें बस्तर पठार क्षेत्र में सबसे अधिक सघनता है। मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों (अर्थात छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सटे जिलों में क्रमिक आदिवासी बसावट) में आदिवासियों की सबसे सघन बसावट है।

3.1 वन संसाधन

छत्तीसगढ़[2] और मध्यप्रदेश[3] में वन आवरण क्रमशः 41.14% और 25.14% है। छत्तीसगढ़ में, सघन जंगल के अंतर्गत 5.23% क्षेत्र और 0.45% क्षेत्र में झाड़ियाँ हैं, जबकि मध्यप्रदेश में ये क्रमशः2.17% और 1.95% हैं। हमारे अध्ययन के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में वन सीमा क्षेत्र में आदिवासी गांवों का प्रतिशत क्रमशः 93% और 83% है। यहां तक कि गैर-वनक्षेत्र के आदिवासी गांव भी वन से अधिकतम 1.4 किमी की दूरी पर हैं। साल(शोरिया रोबस्टा), सागौन (टेक्टोनाग्रैंडिस), बीजा (टेरोकार्पस मार्सुपियम), हर्रा (टर्मिनलिया चेबुला), बबूल (अकेसिया निलोटिका), औरबांस (बम्बुसा एसपी) इन दोनों राज्यों[4] के पर्णपाती जंगलों की कुछ मुख्य प्रजातियाँ हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में लोगों ने ईंधन, चारा, भोजन, दवा आदि के लिए जंगल पर निर्भरता व्यक्त की। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, जलावन लकड़ी, तेंदू (डायस्पायरोस मेलानॉक्सिलॉन), महुआ (मधुका लोंगिफोलिया), चार-चिरौंजी (बुचानियाकोचीनिनेंसिस), बिल्वा (एगल मार्मेलोस), मशरुम, साल (शोरिया रोबस्टा) बीज, दातुम (टूथ ब्रश), सरगीपान, विभिन्न फल, बंजीत, वनतुलसी (ओसिमम ग्रैटिसिमम लिन), चरोटा (कैसिया टोरा), पुट्टू, आंवला (फाइलेंथस एम्बलिका), चिराता (स्वर्टियाचिराटा), जमेला, जामुन (साइजियम क्यूमिनी), बोरा, हर्रा (टर्मिनलिया चेबुला) और बहेरा (टर्मिनलिया बेलिरिका) आदि को बाजार में बेचने के साथ-साथ घरों में उपभोग के लिए जंगल से निकाल कर इकट्ठा किया जाता है। बेचे जाने पर, साल के बीजों की बाजार में सबसे अधिक कीमत मिलती है, उसके बाद चार, तेंदू और महुआ का स्थान आता है। हालाँकि, ग्रामीणों ने जंगलों और उनकी जैव-विविधता की कमी पर चिंता व्यक्त की, जिसके कारण जलावन लकड़ी और अन्य लघु वन उत्पादों की अनुपलब्धता हो रही है। ग्रामीणों ने अत्यधिक दोहन के लिए स्वयं को और इन प्रजातियों को दोबारा न रोपने के लिए वन विभाग को दोषी ठहराया।

2006 का वन अधिकार अधिनियम (FRA) आदिवासियों को वन तक पहुंच और अधिकार प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक अधिनियम था। पिछले 16 वर्षों में सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) के लिए दावों की 89.9% स्वीकृति के साथ छत्तीसगढ़ में अधिनियम के उच्चतम अनुमोदन की दर रही है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) अनुमोदन कुल दावों का केवल 51.18% है; मध्यप्रदेश के लिए, यह कुल दावों का केवल 45.55%[5] है। फिर भी, पर्यावरण एवं विकास केंद्र का अनुमान है कि छत्तीसगढ़ में सीएफआर क्षमता 53,843 वर्ग किमी है। यानी, मध्यप्रदेश के 57,948 वर्ग किमी की तुलना में कुल वनक्षेत्र का 96%, जो कुल वनक्षेत्र[6] का 61% है। यह स्वयं आदिवासी अधिकारों और आजीविका के प्रति एफआरए की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन वनक्षेत्र सिकुड़ रहा है. 2001 से 2021 तक, छत्तीसगढ़ में प्राथमिक वन का 1.4% खत्म हो गया , जब कि इसी अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश के लिए नुकसान 0.82% है। वन क्षेत्र घटने सेवनों से दूर गांवों के लिए भी मानव-पशु संघर्ष बढ़ रहा है। ये संघर्ष आदिवासी बस्तियों में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं और फसल के नुकसान का भी कारण बनते हैं। सर्वेक्षण में, 57% गांवों ने पिछले वर्ष जानवरों के हमलों का सामना करने की सूचना दी, 45-47% गांवों द्वारा जंगली जानवरों द्वारा फसल क्षति की सूचना दी गयी। (अनुलग्नक-डी तालिका 10 और 18)।

3.2 जल संसाधन

छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1276 मिमी और मध्य प्रदेश में 1172 मिमी है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र में वर्षा 900 मिमी तक सीमित है और अधिक अप्रत्याशित है। बहुत सारी मौसमी धाराएँ और प्रमुख नदियाँ आदिवासी भूमि से होकर बहती हैं और वहां की भूमि को बहा देती हैं। महानदी, इंद्रावती, नर्मदा, सोन, बेतवा आदि कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो इन दोनों राज्यों के लोगों के जीवन और आजीविका को काफी हद तक प्रभावित करती हैं।

खेती और पशुपालन आदिवासियों की महत्वपूर्ण आजीविका गतिविधियाँ होने के कारण, उनकी बस्ती ऐतिहासिक रूप से जल निकायों के पास रही है। लेकिन हालिया विकास के दशकों में आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए जल संसाधन विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो भी सिंचाई संरचनाएं बनाई गईं, वे निचले क्षेत्र स्थित गैर-आदिवासी क्षेत्रों में ही बनाई गईं। यहां तक कि मध्यप्रदेश में गैर-आदिवासी क्षेत्रों[7] में भूजल विकास बेहतर है। सर्वेक्षण में, छत्तीसगढ़ के 41% गांवों में जलाशय/टैंक या तालाब होने की सूचना मिली, लेकिन मध्यप्रदेश में केवल 19% में ही ऐसा था। (अनुलग्नक-डी, तालिका 7 और 15 देखें)। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के अनुसार, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में आदिवासी परिवारों के लिए सुनिश्चित दो-मौसम सिंचाई के साथ भूमि प्रतिशत क्रमशः12.6% और 39.1% है। छत्तीसगढ़ में केवल 3.6% आदिवासी परिवारों के पास किसी भी प्रकार के सिंचाई उपकरण हैं; मध्यप्रदेश में यह प्रतिशत 15.2% है। सर्वेक्षण में, छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों 17.2% के मुकाबले 12.4% आदिवासी परिवारों के पास हर मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। मध्यप्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 17.5% और 28% है (अनुलग्नक सी, तालिका 1 देखें)। पेयजल सुविधाओं पर नजर डालें तो, छत्तीसगढ़ में 99% गांवों में सार्वजनिक पेयजल सुविधाएं होने की सूचना है। गैर-आदिवासी गांवों के 48% की तुलना में 22% गांवों में निजी पेयजल सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि मध्यप्रदेश में, 97% गांवों में सार्वजनिक पेयजल सुविधाएं होने की सूचना है। गैर-आदिवासी गांवों में 63% की तुलना में 25% गांवों में निजी पेयजल सुविधाएं हैं (अनुलग्नक डी, तालिका 7 और 15 देखें)।

फोकस समूह चर्चा में यह बात सामने आई कि कई गांवों में गर्मी के महीनों में घरेलू उपयोग के लिए पानी की कमी हो जाती है। गांवों में कुएं, बोरवेल और हैंडपंप उपलब्ध हैं। लेकिन गर्मी के महीनों के दौरान पीने के पानी की उपलब्धता अभी भी एक संघर्ष है। कुछ गांवों में, महिलाओं ने बताया कि भले ही गांव में नलजल योजना के तहत घरों में पानी की आपूर्ति की जा रही थी; परंतु पाइप अभी भी सूखे हैं। कुछ गांवों में, कई हैंडपंप सूख गए हैं, कुछ अन्य में दूषित पानी है और केवल कुछ से ही साफ और पीने योग्य पानी मिलता है। जिन घरों में कुएँ हैं उन्हें भी गर्मियों के दौरान संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि पानी का स्तर गिर जाता है और कुएँ सूख जाते हैं। इसके अलावा, कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि दूषित पानी के सेवन के कारण उन्हें बरसात के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है।

3.3 भूमि संसाधन

इन दोनों राज्यों में, भूमि को आमतौर पर कृषि और अन्य गतिविधियों में अलग-अलग उपयोग के साथ ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि और निचली भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.94% और 49.91% है, जिसमें वर्तमान परती क्षेत्र क्रमशः[8] 1.94 % और 1.26% है। हालाँकि, विकास के दशकों में, आदिवासी अपनी भूमि संसाधनों से दूर होते जा रहे हैं, जिसका कारण आरक्षित/संरक्षित वनों[9] में भूमि जाने अथवा उद्योगों[10] के लिए भूमि छोडना रहा है। एसईसीसी 2011 से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में केवल 53.3% आदिवासी परिवारों और मध्यप्रदेश में 45.3% आदिवासी परिवारों के पास ही भूमि संपत्ति है (अनुलग्नक सी, तालिका 1 देखें)। खेती के उद्देश्य से केवल 4% आदिवासी परिवार ही पट्टे पर ज़मीन लेते हैं, गैर-आदिवासी परिवारों में भी यह प्रतिशत समान है।

3.4 पशु संसाधन

19 वीं पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन आबादी 15.04 मिलियन और मध्यप्रदेश[11] में 36.33 मिलियन बताई गई है। वन क्षेत्रों में चराई प्रचलन में है। पशुधन को मामूली बाजरा के साथ-साथ इन पौधों के पत्ते और डंठल भी खिलाए जाते हैं, जो उनकी भूमि[12] पर आसानी से उगते हैं। अधिक उपज देनेवाली नस्लों के लिए, भोजन में अधिक निवेश होता है, साथ ही प्रारंभिक पूंजी निवेश भी अधिक[13] है। कमजोर आय स्रोतों और आदिवासियों की बसावट प्रकृति के कारण आदिवासी, उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए उच्च पूंजी निवेश नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में मुक्त चराई फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ आवारा गायों से उत्पन्न होने वाली समस्या को लेकर तनाव पैदा करती है। यही एक कारण है कि आदिवासी इलाकों में रबी की खेती आम नहीं है।

दोनों राज्यों के आदिवासी गांवों में उपलब्ध सभी प्राकृतिक और मानवनिर्मित संसाधनों के बारे में अनुलग्नक डी में बताया गया है।

संदर्भ

[1] Sinha, D. K. (N.A.) 15 Agro-Climatic Zones in India Categorised by the Planning Commission. https://www.yourarticlelibrary.com/geography/15-agro-climatic-zones-in-india-categorised-by-the-planning-commission/42307.

[2] Forest Survey of India (2019) India State of Forest Report 2019. https://fsi.nic.in/isfr19/vol2/isfr-2019-vol-ii-chhattisgarh.pdf.

[3] Forest Survey of India (2019) India State of Forest Report 2019. https://fsi.nic.in/isfr19/vol2/isfr-2019-vol-ii-madhya-pradesh.pdf.

[4] छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की संख्या अधिक है तथा शुष्क पर्णपाती वनों का क्षेत्रफल कम है। मध्यप्रदेश में स्थिति बिलकुल उलट है।

[5] Tripathi, A. (2022) The Long Wait: 16 years on, only 50% claims settled under the Forest Rights Act, Gaon Connection, Lead Story, 28 December 2022. https://www.gaonconnection.com/lead-stories/forest-rights-act-land-titles-tribals-adivasi-claims-settlement-indigenous-community-india-laws-analysis-51526.

[6] Lele, S. et al. (2020) Estimating and Mapping CFR potential For Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and Maharashtra, Centre for Environment and Development, ATREE. https://www.atree.org/sites/default/files/reports/CFR_Potential_Mapping_Report_compressed.pdf.

[7] Singh, M. (2022) 'Access to Resources Eludes Tribals', India Water Portal https://www.indiawaterportal.org/articles/access-resources-eludes-tribals.

[8] Ministry of Agriculture (2014) Agricultural Statistics at a Glance 2014,Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation Directorate of Economics & Statistics. https://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf.

[9] Kakvi, K (2019) MP Tops in Tiger Conservation, But Lost 17,781 Acres Forest Land, Says FSI report, News Archive, NEWS CLICK. https://www.newsclick.in/mp-tops-tiger-conservation-lost-17781-acres-forest-land-says-fsi-report.

[10] Mazoomdaar, J (2022) 'Explained: Chhattisgarh's forest 'by mistake', News Archive, The Indian Express. https://indianexpress.com/article/explained/explained-chhattisgarh-forest-by-mistake-8114153/.

[11] See endnote ii and iii

[12] Catalyst Management Services (2009) Impact Assessment of Agriculture Interventions in Tribal Areas in Madhya Pradesh. https://mpplanningcommission.gov.in/international-aided- projects/pmpsu/publication/Impact%20Assessment%20of%20Agriculture%20Interventions%20in%20Tribal%20Areas%20in%20Madhya%20Pradesh%20.pdf.

[13] Chand, P. et al. (2018)'How profitable is dairying in tribal Chhattisgarh?',Indian Journal of Animal Sciences, 88 (6): 749–754. DOI: 10.56093/ijans.v88i6.80899.

#04
अवसंरचना और संसाधन विकास

इस अध्ययन में ग्रामीणों द्वारा सुझाए गए बाहरी हस्तक्षेप के सात क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और पोषण, भोजन, पहुंच और संचार, बिजली और गांव में गैर-सरकारी संगठनों (विकास एजेंसियों) की उपस्थिति शामिल थी। इसके पश्चात इन क्षेत्रों को आजीविका को प्रभावित करनेवाले प्रमुख बाहरी हस्तक्षेपों के रूप में चुना गया। इन हस्तक्षेपों को भौतिक और कार्मिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि बुहर (2003) ने बुनियादी ढांचे को वर्गीकृत करते समय किया था। भौतिक अवसंरचना पूंजीगत वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है जबकि कार्मिक अवसंरचना भौतिक अवसंरचना के निर्माण और संचालन के लिए आवश्यक मानव पूंजी है। बुहर ने अनुदेशात्मक बुनियादी ढांचे नामक एक तीसरी श्रेणी का भी सुझाव दिया है, जो संस्थागत संरचनाओं, नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में है। हमने उसका उपयोग नहीं किया है, बजाय इसके, हमने संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं/सुविधाओं का उपयोग किया है।

इसे नीचे तालिका 4.1 में निर्देशित किया गया है।

तालिका 4.1: बाहरी हस्तक्षेप की श्रेणियाँ

क्षेत्र	हस्तक्षेप	
	भौतिक अवसंरचना	कार्मिक एवं सेवाएँ
शिक्षा	प्राथमिक स्कूल/ माध्यमिक स्कूल/ उच्च माध्यमिक विद्यालय से दूरी	
जल	टैंक/तालाब/जलाशय सार्वजनिक पीने के पानी का स्रोत	
स्वास्थ्य एवं पोषण	आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से औसत दूरी, सीएचसी एवं फार्मेसी की दुकान से गाँव की दूरी	आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण, स्कूल में मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी केंद्र में राशन सेवा
भोजन	पीडीएस केंद्र	
संचार	ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली क्की सड़क, गाँव के अंदर की पक्की सड़क, मोबाइल नेटवर्क	सार्वजनिक परिवहन से जुड़ाव
अन्य	बिजली	गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति

बुनियादी ढांचे और लोक कल्याण के बीच संबंधों पर अधिकांश मौजूदा साहित्य एक सकारात्मक सह-संबंध की तरफ इशारा करते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट (विश्व बैंक, 1990), (विश्व बैंक, 2000) में बुनियादी ढांचे को गरीबी उन्मूलन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना है। इफ्ज़ल और अर्नेस्टो (2003) का तर्क है कि सतत और सामाजिक रूप से समावेशी विकास तभी संभव है जब आर्थिक विकास के साथ-साथ व्यापक आर्थिक प्रबंधन और सुशासन हो, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हो। निखिल आनंद (2017) ने बताया है कि कैसे बुनियादी ढांचा एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन के विभिन्न रूपों को आकार देती है। हालाँकि, एस्चौएर (1990) ने विभिन्न वर्गों के जनकल्याण पर बुनियादी ढांचे के सकारात्मक और नकारात्मक-दोनों प्रभावों के बारे में चर्चा की है।

भारत में अध्ययन समान परिणाम दिखाते हैं। इस तरह के एक और अध्ययन में जालान और रैवेलियन (2002) संकेत देते हैं कि पारिवारिक विशेषताओं के बारे में सोचने के बाद, गरीब क्षेत्रों में गरीबी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी ढांचे में अंतर और इसकी कमी के कारण होता है। स्पष्ट कारण यह है कि इस तरह की कमी से उत्पादों और बाजारों तक पहुंच में कमी हो जाती है, जिसे गरीबी के मुख्य कारण के रूप में देखा जा सकता है। अन्य समान अध्ययन जो भारतीय संदर्भ में गरीबी को बुनियादी ढांचे से जोड़ते हैं जैसे कि राव,

गुप्ता और शर्मा (1986), एमिस और कुमार (2003) के अध्ययन बुनियादी ढांचे और कल्याण के बीच एक सकारात्मक संबंध दर्शाते हैं।

18 नवंबर, 2019 को लोकसभा में उठाए गए एक संसदीय प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के एक सेट से पता चलता है कि आदिवासी क्षेत्र बुनियादी ढांचे के अस्तित्व से वंचित हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 34% आदिवासी गाँव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, 30% गाँवों में सार्वजनिक परिवहन सुविधाएँ नहीं हैं, और 12% आदिवासी गाँवों में कोई स्कूल नहीं है।

प्राथमिक विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, फार्मेसी दुकानों, पीडीएस दुकानों, मोबाइल नेटवर्क, बिजली, पक्की सड़क, सार्वजनिक परिवहन आदि की उपस्थिति पर केन्द्रित हमारा प्राथमिक डेटा चयनित गांवों से लिया गया है, जिसे तालिका 4.2 और नीचे 4.3. में प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पूरा आदिवासी क्षेत्र खराब बुनियादी ढांचे की समस्या से जूझ रहा है। हालाँकि, क्षेत्र के भीतर, आदिवासी गाँव अधिक उपेक्षित हैं।

दोनों राज्यों में, ब्लॉक मुख्यालयों से गांवों की औसत दूरी पीवीटीजी गांवों में सबसे अधिक है, इसके बाद आदिवासी गांवों का नंबर आता है; गैर-आदिवासी गांव ब्लॉक मुख्यालय के करीब हैं। मध्य प्रदेश में 42% आदिवासी गाँव और छत्तीसगढ़ में केवल 30% आदिवासी और 9% पीवीटीजी गाँव सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं। यह गैर-आदिवासी गांवों के संदर्भ में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 63 और 40 प्रतिशत है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के 80% पीवीटीजी गांवों में सार्वजनिक परिवहन है, जो उन्हें ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ता है।

मध्य प्रदेश में, 51% आदिवासी, 63% गैर-आदिवासी और 50% पीवीटीजी गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आउटलेट है। छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत क्रमशः 63, 88 और 36 है।
छत्तीसगढ़ में 29% गांवों के सीएफ़आर मांग के मुकाबले 22% गांव सीएफआर के तहत अपने दावों का निपटान प्राप्त कर सके। मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 11% और 3% रहा है।

मध्य प्रदेश के 66% आदिवासी गाँव और छत्तीसगढ़ के 72% आदिवासी गाँव कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क के दायरे में आते हैं। मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासियों के संदर्भ में यह 84% है। छत्तीसगढ़ में, 100% गैर-आदिवासी नमूना गांवों में कम से कम एक मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी गांवों के लिए ये आंकड़े क्रमशः 90 और 64 प्रतिशत हैं।

मध्य प्रदेश में आदिवासी गांवों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत दूरी 7.5 किमी और छत्तीसगढ़ में 6.8 किमी है। पीवीटीजी गांवों के संदर्भ में, यह 8.7 किमी और 5.8 किमी है, वहीं गैर-आदिवासी गांवों के संदर्भ में, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 5.5 किमी और 15.6 किमी है।

तालिका 4.2 : मध्य प्रदेश सार्वजानिक सेवाओं की गाँव तक पहुँच

अवसंरचना	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/ तालाब/ जलाशय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	19.0	16.0	40.0
सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था-युक्त गाँव	97.0	95.0	100.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय की औसत दूरी (किमी)	25.0	22.0	26.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय तक के लिए पक्की सड़क का प्रतिशत	78.0	79.0	80.0
सर्वेक्षण के समय कनेक्टिंग सड़कों के खराब स्थिति में नहीं होने का प्रतिशत	79.0	68.0	80.0
सार्वजनिक परिवहन द्वारा गाँव और ब्लॉक मुख्यालय के जुड़ाव का प्रतिशत	42.0	63.0	80.0
पक्की सड़क-युक्त गाँवों का प्रतिशत	53.0	79.0	80.0
सर्वेक्षण के समय गाँवों को जोड़नेवाली सड़कों के खराब नहीं होने की स्थिति	67.0	74.0	90.0
सभी मुहल्लों में बिजली आपूर्ति सुविधा का प्रतिशत	80.0	95.0	100.0
मोबाइल नेटवर्क पहुँच का प्रतिशत	66.0	84.0	90.0
प्राथमिक विद्यालय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
प्राथमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	4.0		
माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	11.0	16.0	30.0
माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	7.0	6.0	10.0
उच्च माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	9.0	26.0	0.0
नजदीकी उच्च माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	9.0	6.0	16.0
महाविद्यालय युक्त गाँव का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0
नजदीकी महाविद्यालय से औसत दूरी (किमी), जब गाँव में न हो	23.0	17.0	21.0
नजदीक में खदान युक्त गाँव का प्रतिशत	4.0	11.0	30.0
खनन के कारण दूषित जलाशय-युक्त गाँव का प्रतिशत	0.0	50.0	33.0
जंगल के निकट गाँव का प्रतिशत	83.0	68.0	100.0
जंगल के निकट गाँव से औसत दूरी	1.4	3.2	1.9
सीएफ़आर हेतु आवेदित गाँव - कुल का प्रतिशत	11.0	0.0	30.0
सीएफ़आर प्राप्त गाँव - कुल का प्रतिशत	3.0	0.0	10.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी-युक्त गाँव - कुल का प्रतिशत	98.0	95.0	100.0
कम से कम एक एनजीओ से जुड़ा हुआ गाँव - कुल का प्रतिशत	36.0	42.0	80.0
पीडीएस आउटलेट-युक्त गाँव -कुल का प्रतिशत	51.0	63.0	50.0
घर तक राशन कार्यक्रम वाले आंगनवाड़ी-युक्त गाँव - कुल का प्रतिशत	29.0	53.0	80.0
मिड डे मील योजना कार्यान्वित गाँव - कुल का प्रतिशत	75.0	84.0	100.0
गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत दूरी (किमी)	7.5	5.5	8.7
गाँव से सीएचसी की औसत दूरी (किमी)	16.9	13.8	18.0
गाँव से नजदीकी फार्मेसी की दुकान की औसत दूरी (किमी)	10.0	4.9	11.6

तालिका 4.3: छत्तीसगढ़ सार्वजानिक सेवाओं की गाँव तक पहुँच

अवसंरचना	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/ तालाब/ जलाशय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	41.0	40.0	27.0
सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था-युक्त गाँव	99.0	92.0	100.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय की औसत दूरी (किमी)	20.0	14.0	32.0
गाँव से ब्लॉक मुख्यालय तक के लिए पक्की सड़क का प्रतिशत	80.0	100.0	82.0
सर्वेक्षण के समय कनेक्टिंग सड़कों के खराब स्थिति में नहीं होने का प्रतिशत	78.0	88.0	64.0
सार्वजनिक परिवहन द्वारा गाँव और ब्लॉक मुख्यालय के जुड़ाव का प्रतिशत	30.0	40.0	9.0
पक्की सड़कयुक्त गाँवों का प्रतिशत	62.0	84.0	55.0
सर्वेक्षण के समय गाँवों को जोड़नेवाली सड़कों के खराब नहीं होने की स्थिति	66.0	80.0	55.0
सभी मुहल्लों में बिजली आपूर्ति सुविधा का प्रतिशत	87.0	96.0	91.0
मोबाइल नेटवर्क पहुँच का प्रतिशत	72.0	100.0	64.0
प्राथमिक विद्यालय-युक्त गाँवों का प्रतिशत	98.0	100.0	100.0
नजदीकी माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	4.0		
माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	21.0	24.0	27.0
माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	6.0	4.0	8.0
उच्च माध्यमिक विद्यालय-युक्त गाँव का प्रतिशत	13.0	20.0	36.0
नजदीकी उच्च माध्यमिक विद्यालय (जब गाँव में नहीं हो) से गाँव की दूरी	9.0	4.0	7.0
महाविद्यालय युक्त गाँव का प्रतिशत	1.0	12.0	0.0
नजदीकी महाविद्यालय से औसत दूरी (किमी), जब गाँव में न हो	19.0	14.0	15.0
नजदीक में खदान-युक्त गाँव का प्रतिशत	5.0	4.0	0.0
खनन के कारण दूषित जलाशय-युक्त गाँव का प्रतिशत	33.0	100.0	
जंगल के निकट गाँव का प्रतिशत	93.0	80.0	100.0
जंगल के निकट गाँव से औसत दूरी	1.4	2.9	0.6
सीएफ़आर हेतु आवेदित गाँव –कुल का प्रतिशत	29.0	0.0	18.0
सीएफ़आर प्राप्त गाँव –कुल का प्रतिशत	22.0	0.0	9.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी युक्त गाँव –कुल का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
कम से कम एक एनजीओ से जुड़ा हुआ गाँव –कुल का प्रतिशत	59.0	56.0	45.0
पीडीएस आउटलेट-युक्त गाँव –कुल का प्रतिशत	63.0	88.0	36.0
घर तक राशन कार्यक्रमवाले आंगनवाड़ी-युक्त गाँव –कुल का प्रतिशत	18.0	24.0	18.0
मिडडे मील योजना कार्यान्वित गाँव –कुल का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
गाँव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औसत औसत दूरी (किमी)	6.8	15.6	5.8
गाँव से सीएचसी की औसत औसत दूरी (किमी)	14.9	20.8	17.7
गाँव से नजदीकी दवा दुकान की औसत दूरी (किमी)	12.7	6.6	10.6

सर्वेक्षण में उत्तरदाता परिवारों द्वारा अनुभव की गई रुग्णता के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई। उनसे परिवार में होनेवाली बीमारियों, यदि वे जागरूक हों तो उनके निदान और उनके द्वारा मांगे गए और प्राप्त किए जानेवाले उपचार के प्रकार के बारे में पूछा गया। तालिका 4.4 से 4.11 में प्रस्तुत यह डेटा रिकॉल पर आधारित है। बीमारी की घटना संपर्क की तारीख से एक महीने पहले तक की है। मृत्यु की घटना संपर्क की तारीख से एक वर्ष पहले तक की है।

तालिका 4.4 बीमारी की स्थिति और चिकित्सा व्यय : मध्यप्रदेश

स्वास्थ्य संकेतक	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार में बीमार सदस्य (%)	19.00	23.8	41.3
उपचार हेतु किए गए औसत खर्च (रुपए)	5,917	10,029	1,994
बीमार सदस्य वाले परिवार, जिन्होंने पैसे उधार लिए (%)	44.4	59.3	28.9
बीमार सदस्य वाले परिवार जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया	13.3	20.9	12
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट करने वाले (%)	4.3	3.6	9.0

उपरोक्त तालिका 4.4 से, यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में पीवीटीजी बीमारी की थोड़ी अधिक घटनाओं का अनुभव करते हैं, फिर भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे कम खर्च/लागत वहन कर सकते हैं। जैसा कि तालिका 4.5 से देखा जा सकता है, छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों ने अधिक बीमारियों की सूचना दी है, लेकिन उन्होंने अपने इलाज के लिए काफी अधिक खर्च की भी सूचना दी है। दोनों राज्यों में गैर-आदिवासियों द्वारा स्वास्थ्य व्यय आदिवासी या पीवीटीजी परिवारों की तुलना में बहुत अधिक है। क्या यह वास्तव में रुग्णता को दर्शाता है या स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता और इसे प्राप्त करने के लिए लागत वहन करने की इच्छा को भी व्यक्त करता है, इसे जानने की जरूरत है। (यह तर्क पूर्ण रूप से तर्क दिया जा सकता है कि पीवीटीजी या आदिवासी एक स्वास्थ्य समस्या के साथ जी सकते हैं, जबकि गैर-आदिवासी परिवार इसे सामने लाते हैं, इसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास ले जाते हैं, इसलिए इस पर खर्च होता है।) पीवीटीजी परिवार पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा अधिक इलाज करवाते हैं।

तालिका 4.5 बीमारी की स्थिति और चिकित्सा व्यय : छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य संकेतक	आदिवासी	गैर- आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार में बीमार सदस्य (%)	17.9	24.4	20.8
उपचार हेतु किए गए औसत खर्च (रुपए)	6,847	11,604	2,334
बीमार सदस्य वाले परिवार, जिन्होंने पैसे उधार लिए (%)	19.6	29.1	7.5
बीमार सदस्य वाले परिवार, जिन्होंने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया (%)	17.9	21.3	7.5
परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट करने वाले (%)	4.3	3.6	9.0

तालिकाएँ 4.6 से 4.11 दर्शाती हैं कि परिवार स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के संबंध में कैसा व्यवहार करते हैं। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में निजी पंजीकृत चिकित्सकों के साथ साथ अनौपचारिक चिकित्सकों पर काफी अधिक निर्भरता है। इसका कारण राज्य स्वास्थ्य प्रणाली की अपेक्षाकृत अपर्याप्त पहुंच हो सकती है।

तालिका 4.6 आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, मध्य प्रदेश

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकत्सक	फार्मासिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	20.3	49.4	13.9	3.8	0.0	1.3	8.9	1.3	1.3	0.0	79
मलेरिया	26.4	46.2	8.8	0.0	0.0	0.0	17.6	0.0	1.1	0.0	91
अन्य बुख़ार	17.5	47.9	6.0	0.4	0.9	4.3	13.2	7.7	2.1	0.0	234
खसरा	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
टीबी	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
अस्थमा	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
पीलिया	18.2	36.4	18.2	0.0	0.0	9.1	18.2	0.0	0.0	0.0	11
डायबिटीज़	20.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	5
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	50.0	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	10
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.7 आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, छत्तीसगढ़

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकत्सक	फार्मासिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	22.6	32.1	2.8	9.4	3.8	0.0	20.8	0.9	7.5	0.0	106
मलेरिया	29.5	38.6	2.3	4.5	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	44
अन्य बुख़ार	16.8	18.4	1.6	16.8	1.1	2.2	38.4	3.2	1.6	0.0	185
खसरा	60.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5
टीबी	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
अस्थमा	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
पीलिया	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
डायबिटीज़	66.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	6
कैंसर	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
हृदय रोग	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3
कोविड-19	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
हाइपरटेंशन	55.6	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	0.0	18
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.8 गैर- आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, मध्य प्रदेश

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकत्सक	फार्मेसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	26.3	36.8	15.8	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	0.0	0.0	19
मलेरिया	30.8	46.2	7.7	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	0.0	13
अन्य बुख़ार	36.7	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	0.0	30
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
अस्थमा	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
पीलिया	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
डायबिटीज़	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	3
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.9 गैर- आदिवासियों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, छत्तीसगढ़

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकत्सक	फार्मेसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	39.1	39.1	0.0	8.7	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	23
मलेरिया	50.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	8
अन्य बुख़ार	42.4	15.3	0.0	5.1	0.0	0.0	28.8	6.8	1.7	0.0	59
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
अस्थमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
पीलिया	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2
डायबिटीज़	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6
कैंसर	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
हृदय रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	60.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	5
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.10 पीवीटीजी द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, मध्य प्रदेश

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकत्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4
मलेरिया	57.1	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7
अन्य बुखार	34.9	19.0	7.9	0.0	0.0	0.0	34.9	1.6	1.6	0.0	63
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
अस्थमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
पीलिया	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
डायबिटीज़	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

तालिका 4.11 पीवीटीजी द्वारा मांगे जाने वाले प्रमुख प्रकार के उपचार, छत्तीसगढ़

Disease	सरकारी अस्पताल	निजी अस्पताल	आयुर्वेदिक चिकि	आशा	एएनएम	पारंपरिक जड़ीबूटी	अनौपचारिक चिकत्सक	फार्मसिस्ट	उपचार नहीं	अन्य	सं.
डायरिया/ पेट की बीमारी	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3
मलेरिया	42.9	14.3	0.0	14.3	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7
अन्य बुखार	4.5	0.0	0.0	40.9	0.0	40.9	13.6	0.0	0.0	0.0	22
खसरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
टीबी	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
अस्थमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
पीलिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
डायबिटीज़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कैंसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हृदय रोग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
कोविड-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
हाइपरटेंशन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

सर्वेक्षण में यह भी डेटा एकत्र किया गया कि उत्तरदाताओं को राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है और उससे कितनी संतुष्टि है। तालिकाएँ दो बिंदुओं को दर्शाती हैं। शिक्षा का अधिकार योजना के तहत लाभों के अलावा, अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ परिवारों की संतुष्टि का एक उच्च स्तर है। उज्ज्वला योजना जैसे कुछ कार्यक्रमों में संतुष्टि का स्तर काफी प्रभावशाली है। दूसरी बात यह है कि जहां गैर-आदिवासी परिवार इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी रखते हैं, और वे इन योजनाओं से कम संतुष्ट भी हैं।

तालिका 4.12 कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्टि : मध्यप्रदेश

कल्याणकारी योजनाएँ	योजनाओं से संतुष्ट उत्तरदाताओं का अनुपात	
	आदिवासी	गैर- आदिवासी
शिक्षा का अधिकार और स्कूल सिस्टम	42.1	38.7
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	69	55.6
स्वच्छ भारत मिशन	53.6	45.2
आयुष्मान भारत	35.4	39.1
पीएमएवाई	44.8	35.4
पीएम-किसान	59.4	70.9
जेएसवाई	31.1	26.1

तालिका 4.13 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में परिवार की जानकारी : मध्यप्रदेश

कल्याणकारी योजनाएँ	जानने वाले आदिवासी उत्तरदाता %	जानने वाले गैर आदिवासी उत्तरदाता %
शिक्षा का अधिकार	23.7	25.8
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	71.5	74.2
स्वच्छ भारत मिशन	68.9	68.7
आयुष्मान भारत	61.1	63.7
पीएमएवाई	73.8	71.2
पीएम-किसान	49.5	49.6
जेएसवाई	48.2	48.8

तालिका 4.14 कल्याणकारी योजनाओं से संतुष्टि : छत्तीसगढ़

कल्याणकारी योजनाएँ	योजनाओं से संतुष्ट उत्तरदाताओं का अनुपात	
	आदिवासी	गैर- आदिवासी
शिक्षा का अधिकार	41.8	37.9
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	65.9	73.4
स्वच्छ भारत मिशन	64.3	69
आयुष्मान भारत	65.1	74.1
पीएमएवाई	35.7	29.1
पीएम-किसान	44.3	48.7
जेएसवाई	33.9	33.5

तालिका 4.15 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में परिवार की जानकारी : छत्तीसगढ़

कल्याणकारी योजनाएँ	जानने वाले आदिवासी उत्तरदाता %	जानने वाले गैर आदिवासी उत्तरदाता %
शिक्षा का अधिकार	23.4	29.4
उज्जवला कुकिंग गैस योजना	78.4	83.8
स्वच्छ भारत मिशन	78.6	78.1
आयुष्मान भारत	80.5	87.7
पीएमएवाई	73.6	76
पीएम-किसान	43.1	45.4
जेएसवाई	42.9	50

संदर्भ

आमिश पी. एवं कुमार एस. (2003). अर्बन इकोनोमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोवेर्टी इन इंडिया: लेसन्स फ्रम विशाखापतनम. ईआरडी पॉलिसी ब्रीफ़ सं. 13, इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च डिपार्टमेन्ट, एशियन डेवेलपमेंट बैंक, मनीला

एस्चौएर, डी. ए . (1990). वाइ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्टेंट? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ बोस्टन, vol. 34, , (pp. 21-68.). Boston.

बुहर, डबल्यू. (2003). वॉट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Universit t Siegen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeitraege.

चक्रबर्ती, एस., बक्शी, ए., एवं वर्मा, ए. (2012). रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर एवेलेबिलिटी एंड वेलबिंग. जर्नल ऑफ रिजनल डेवेलपमेंट एंड प्लानिंग, vol. 1(2), pages 169-179.

दातार, ए., मुखर्जी, ए., एंड सूद, एन. (2007). हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्यूनिजाइजेशन कवरेज इन रुरल इंडिया इंडियन जर्नल ऑफ मेडिसिन रिसर्च , 125, 31-42.

हाती, के. के., एवं मजूमदार, आर. (2013). हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ आउटकम एंड इकोनोमिक ग्रोथ आउटकम एंड इकोनोमिक वेलबिंग : ए डिस्टिंक्ट लेवल स्टडी इन इंडिया. MPRA Paper 53363, University Library of Munich, Germany.

इफजल, ए., एव,एर्नेस्टो, पी. एम. (2003). इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर्टी रीडक्सन: वॉट इज द कनेक्सन?मनीला: एशियन डेवेलपमेंट बैंक

जालान, जे ., एवं रेवेलियन., एम. (2002). ज्योग्राफिक पोवर्टी ट्रेप्स? ए माइक्रो मॉडल ऑफ कंजंप्शन ग्रोथ इन रुरल चाइना . जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स 17.4, 329-346.

मजूमदार, आर. (2012). रिमुविंग पावर्टी एंड इनइक्वेलिटी इन इंडिया: थे रोल ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर,MPRA Paper 40941, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ म्यूनिख, जर्मनी

राव, सी., गुप्ता एवं शर्मा पी,(1986). इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवेलपमेंट एंड रुरल पावर्टी इन इंडिया: ए क्रॉस सेक्सनल एनालिसिस जे.एम. (संपा), एग्रीकल्चरल चेंज एंड रुरल पावर्टी , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

वर्ल्ड बैंक (1990). वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस .

वर्ल्ड बैंक (2000). वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

#05
परिवार की विशेषताएँ

इस भाग में नमूना लिए गए परिवारों के बारे में कई विशेषताओं पर आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। ये विशेषताएँ हमें इन परिवारों में सामाजिक जागरूकता और विकास के स्तर का समग्र मूल्यांकन करने में सहायता करती हैं। इन विशेषताओं में परिवार का आकार, शिक्षा, साक्षरता का स्तर, भूमि का स्वामित्व, सिंचाई तक पहुंच, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुंच (यह संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक मांगवाली और इसलिए सर्वव्यापी सार्वजनिक सुविधा है) तथा जंगल से दूरी शामिल है। यह डेटा नीचे स्व-व्याख्यात्मक तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है और आवश्यकता होने पर ही टिप्पणियाँ दी गयी हैं।

5.1 नमूना विवरण परिवार का आकार

तालिका 5.1: मध्यप्रदेश में परिवार का औसत आकार

	परिवार का औसत आकार	परिवारों की संख्या
आदिवासी	4.8	2,405
गैर -आदिवासी	4.4	361
पीवीटीजी	4.7	201

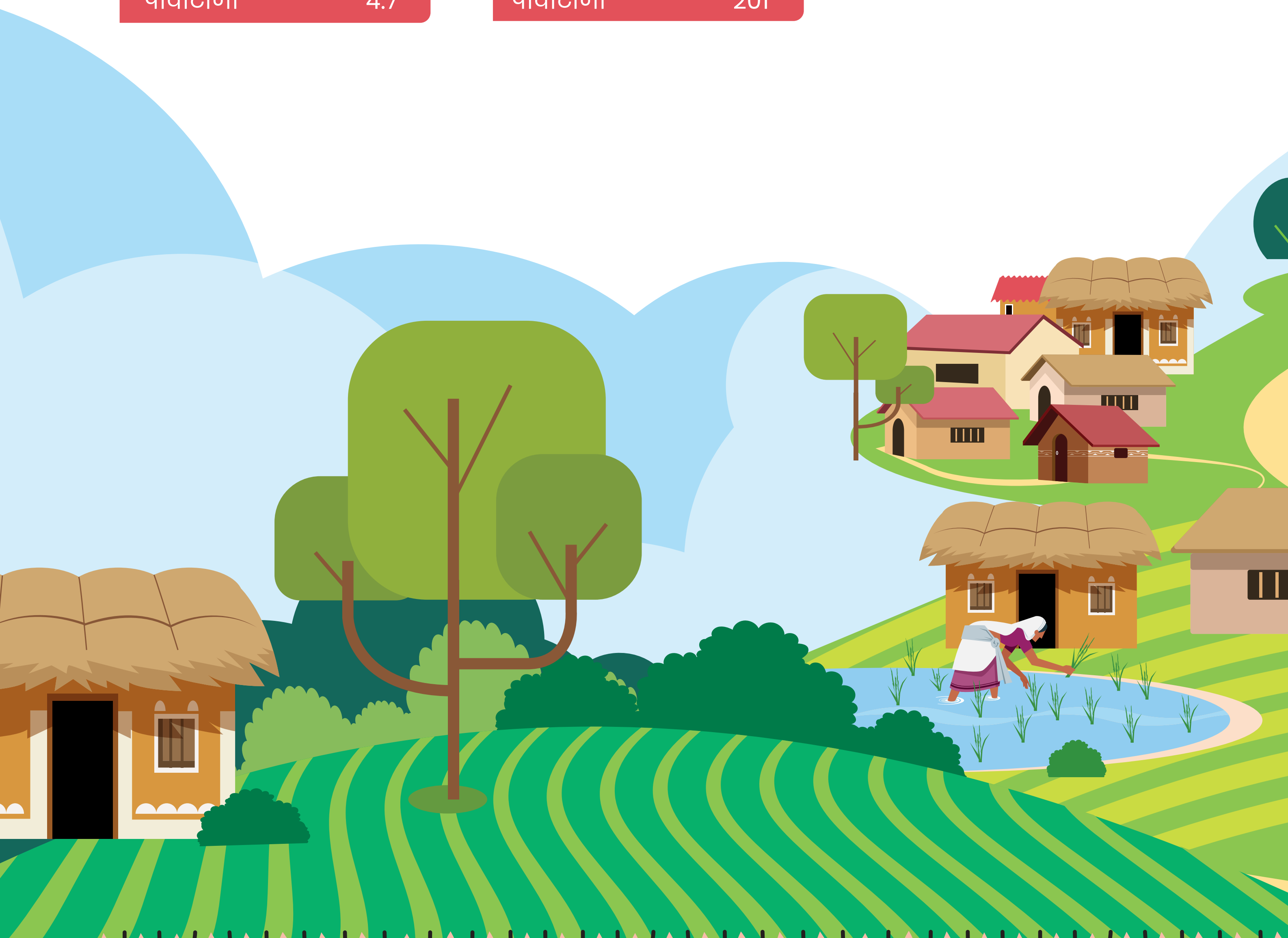

तालिका 5.2: छत्तीसगढ़ में परिवार का औसत आकार

परिवार का औसत आकार		परिवारों की संख्या	
आदिवासी	4.5	आदिवासी	2,340
गैर-आदिवासी	4.2	गैर-आदिवासी	520
पीवीटीजी	3.9	पीवीटीजी	192

उपरोक्त दो तालिकाओं (तालिका 5.1 और 5.2) से ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवार छोटे हैं। क्या यह पीवीटीजी के बीच उच्च रुग्णता और मृत्युदर के कारण है या परिवार के युगलों द्वारा चुने गए सजग विकल्प के कारण है, इसका पता लगाने की जरूरत है, लेकिन पीवीटीजी और अन्य एसटी परिवारों के आकार के बीच अंतर उल्लेखनीय प्रतीत होता है। मध्यप्रदेश में गैर-आदिवासियों के परिवार का आकार सबसे छोटा है।

तालिका 5.3: मध्यप्रदेश में परिवार के प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	58.3	31.3	69.0
प्राइमरी से कम	8.8	4.9	4.0
प्राइमरी	9.3	18.6	9.5
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	15.2	28.4	13.5
मैट्रिकुलेशन	4.9	9.9	3.0
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	1.5	3.2	0.0
एचएससी	0.7	0.6	0.5
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.2	0.9	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	0.8	1.7	0.5
स्नातकोत्तर	0.2	0.0	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.0	0.6	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.1	0.0	0.0
परिवारों की संख्या	2,326	345	200

तालिका 5.4: छत्तीसगढ़ में परिवार के प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	49.0	38.2	65.6
प्राइमरी से कम	6.8	9.5	12.0
प्राइमरी	11.5	12.2	12.0
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	20.3	24.9	8.3
मैट्रिकुलेशन	6.2	6.2	1.0
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	2.1	2.9	0.5
एचएससी	2.6	2.7	0.0
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.2	0.2	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	0.5	1.5	0.5
स्नातकोत्तर	0.2	0.8	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.1	0.4	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.5	0.6	0.0
परिवारों की संख्या	2,277	518	192

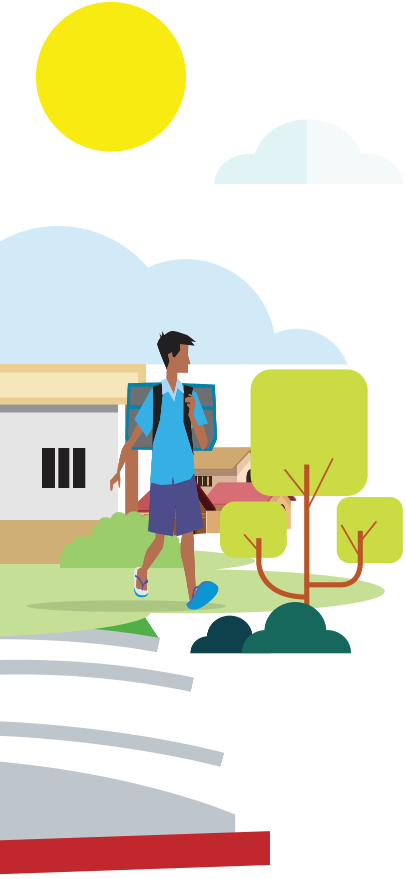

तालिकाएँ 5.3 और 5.4 विशेष रूप से एसटी और पीवीटीजी के बीच शिक्षा की चिंताजनक स्थिति को दर्शाती हैं।

मध्य प्रदेश

पीवीटीजी परिवार	**83%**
एसटी परिवार	**75%**

यदि कोई पहली तीन पंक्तियों (प्राथमिक को पूरा करते हुए) तक अनुपात जोड़ता है, तो वह पाता है कि मध्यप्रदेश में 83% पीवीटीजी परिवारों और 75% एसटी परिवारों का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक स्तर से आगे शिक्षित नहीं है, और एक बड़े भाग को कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है।

छत्तीसगढ़

पीवीटीजी परिवार	**87%**
एसटी परिवार	**66%**

छत्तीसगढ़ में ये अनुपात क्रमशः 87% और 66% है। जैसा कि नीचे दिए गए तालिका 5.5 और 5.6 के आंकड़ों से पता चलता है कि महिला प्रधान परिवार में महिलाओं की स्थिति बदतर है। इन सभी तालिकाओं में गैर-आदिवासियों के बीच शिक्षा की बेहतर तस्वीर दिखाती है।

तालिका 5.5: मध्यप्रदेश में परिवार के महिला प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	75.3	57.6	78.8
प्राइमरी से कम	4.3	1.5	4.5
प्राइमरी	3.5	10.6	4.5
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	11.1	22.7	6.1
मैट्रिकुलेशन	3.0	6.1	6.1
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	1.0	1.5	0.0
एचएससी	0.5	0.0	0.0
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.3	0.0	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	1.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर	0.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0
परिवारों की संख्या	397	66	66

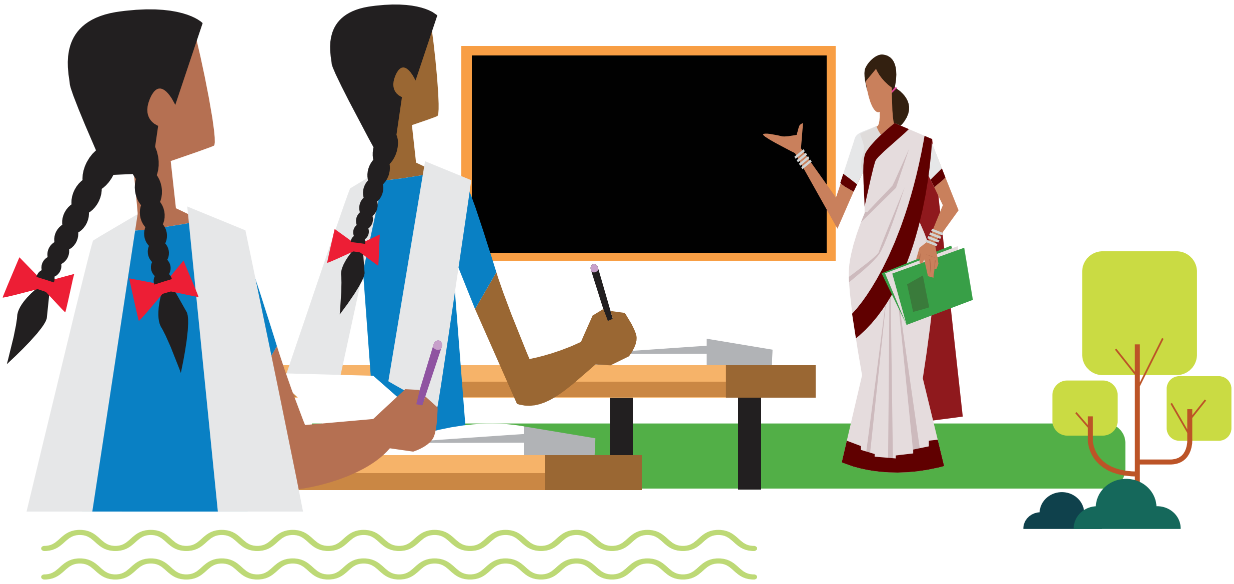

तालिका 5.6: छत्तीसगढ़ में परिवार के महिला प्रधान द्वारा शिक्षा प्राप्ति का स्तर (सभी मान कुल के प्रतिशत में)

शिक्षा का स्तर	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	72	60.9	84.4
प्राइमरी से कम	5.2	8.7	6.7
प्राइमरी	7.0	7.8	4.4
प्राइमरी से अधिक और मैट्रिक से कम	10.2	14.8	2.2
मैट्रिकुलेशन	3.4	5.2	0.0
मैट्रिकुलेशन से अधिक एचएससी से कम	0.5	0.9	2.2
एचएससी	1.6	0.0	0.0
कॉलेज गए लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं की	0.0	0.9	0.0
कॉलेज से स्नातक लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं	0.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर	0.0	0.0	0.0
स्नातकोत्तर से अधिक	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.2	0.9	0.0
परिवारों की संख्या	443	115	45

सर्वेक्षण किए गए गांवों में, परिवारों के प्रधान और उनके जीवनसाथी का कार्यात्मक साक्षरता परीक्षण किया गया। परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि

मध्य प्रदेश

आदिवासी परिवार
34% 52%

गैर -आदिवासी परिवार
20% 39%

पीवीटीजी परिवार
37% 62%

छत्तीसगढ़

आदिवासी परिवार
38% 54%

गैर -आदिवासी परिवार
29% 46%

पीवीटीजी परिवार
57% 78%

महिलाएँ बिल्कुल भी पढ़, लिख और बुनियादी गणना नहीं कर सकते हैं।

तालिका 5.7: पुरुषों की कार्यात्मक साक्षरता, मध्यप्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	2.9	4.8	1.4
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	3.7	6.5	2.6
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	2.3	4.1	2.2
कार्यात्मक साक्षारता का औसत स्कोर (30 में से)	8.9	15.4	6.2
परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,658	248	126
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	16.2	25.8	4.0
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	28.3	56.5	17.5
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	10.1	22.2	7.1
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल पुरुष	11.9	24.6	5.6

तालिका 5.8: पुरुषों की कार्यात्मक साक्षरता, छतीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	4.1	5.2	2.3
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	4.6	5.5	2.0
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	3.4	4.4	1.3
कार्यात्मक साक्षारता का औसत स्कोर (30 में से)	12.1	15.1	5.6
परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,747	404	129
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	30.2	43.1	13.2
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	38.0	48.5	14.0
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले पुरुष	24.0	34.9	5.4
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल पुरुष	26.6	37.4	8.5

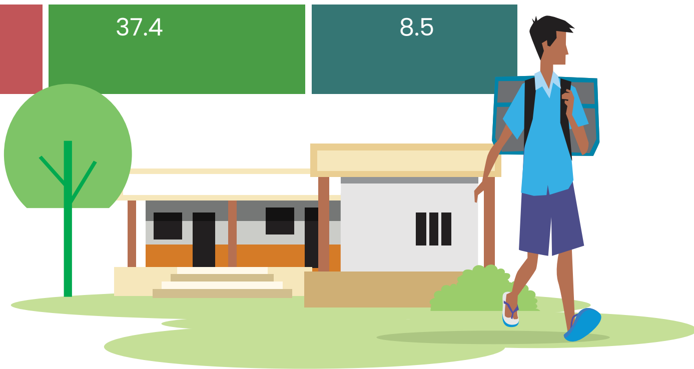

तालिका 5.9: महिला कार्यात्मक साक्षरता, मध्यप्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	1.9	2.9	1.1
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	2.3	4.2	1.1
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	1.6	2.7	1.3
कार्यात्मक साक्षारता का औसत स्कोर (30 में से)	5.9	9.8	3.6
परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,806	297	176
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	11.7	14.1	8.5
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	17.9	34.7	8.0
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	7.8	14.8	6.3
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल महिलाएं	8.7	15.2	6.3

तालिका 5.10: महिला कार्यात्मक साक्षरता, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पाठन का औसत स्कोर (10 में से)	2.7	3.6	0.5
लेखन का औसत स्कोर (10 में से)	3.1	3.8	0.6
अंक ज्ञान का औसत स्कोर (10 में से)	2.3	3.0	0.5
कार्यात्मक साक्षारता का औसत स्कोर (30 में से)	8.0	10.4	1.6
परिवार के पुरूष सदस्यों द्वारा दिया कार्यात्मक साक्षरता टेस्ट	1,987	441	180
पाठन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	17.7	29.5	2.2
लेखन में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	24.9	31.1	4.4
अंक ज्ञान में 80% से ज्यादा अंक लाने वाले महिलाएं	15.5	21.3	2.2
पूरे कार्यात्मक साक्षरता स्कोर में 80% से अधिक प्राप्त करने वाले कुल महिलाएं	16.8	24.0	2.2

5.2 संपत्ति और उन तक पहुँच

जैसा कि तालिका 5.11 और 5.12 में दिखाया गया है, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की औसत भूमिजोत क्रमशः 3.9 एकड़ और 3.2 एकड़ है। वहीं महिला-प्रधान आदिवासी परिवारों के पास छत्तीसगढ़ में पुरुष-प्रधान आदिवासी परिवार की तुलना में अधिक औसत जोत है, जबकि मध्यप्रदेश में पुरुष-प्रधान आदिवासी परिवारों की तुलना में कम औसत जोत है। पीटीवीजी के पास मध्यप्रदेश में सबसे कम औसत भूमिजोत है, जबकि गैर-आदिवासी परिवारों के पास छत्तीसगढ़ में अन्य दो श्रेणियों की तुलना में सबसे कम औसत भूमिजोत है।

तालिका 5.11: औसत भूमि जोत (एकड़ में) मध्यप्रदेश

	आदिवासी	पीवीटीजी	कुल
महिला-प्रधान परिवार	2.7	2.4	6.2
पुरुष-प्रधान परिवार	4.2	4	4.1
कुल	3.9	3.4	4.4

मध्यप्रदेश में गैर-आदिवासी परिवारों के महिला-प्रधान परिवारों के मामले में भूमि स्वामित्व डेटा के सैंपल साइज के बहुत छोटा और बाहरी होने के कारण आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है।

तालिका 5.12: औसत भूमि जोत (एकड़ में), छत्तीसगढ़

	आदिवासी	पीवीटीजी	पीवीटीजी	कुल
महिला-प्रधान परिवार	3.5	1.5	3.5	3.2
पुरुष-प्रधान परिवार	3.1	2.1	2.2	2.9
कुल	3.2	2	2.5	3

दोनों राज्यों में भूमिजोत के आधार पर परिवारों को निम्न श्रेणियों में बाँटा गया है:

भूमिहीन:	**जिनके पास अपनी भूमि नहीं है**
सीमांत:	**जिनके पास 2.47 एकड़ तक जमीन है**
छोटा:	**जिनके पास 2.47 से 4.94 एकड़ तक जमीन है**
छोटे - मध्यम:	**जिनके पास 4.94 से 9.88 एकड़ तक जमीन है**
मध्यम:	**जिनके पास 9.88 से 24.7 एकड़ तक है**
बड़े:	**जिनके पास 24.7 एकड़ से अधिक है**

मध्यप्रदेश में, 36.1% आदिवासी परिवारों ने भूमिहीन होने की सूचना दी; यह छत्तीसगढ़ में भूमिहीन आदिवासी परिवारों का लगभग दोगुना है। छत्तीसगढ़ में 51.8% आदिवासी परिवारों और मध्यप्रदेश में 38.3% आदिवासी परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। इन परिवारों की भूमिहीनता को समझने के लिए इस बात की गहन पड़ताल करने की जरूरत है कि क्या ये आंकड़ा औपचारिक भूस्वामित्व वाली भूमि को अथवा "अतिक्रमित" भूमिसहित परिचालन जोत भूमि को संदर्भित करता है।

तालिका 5.13: मध्यप्रदेश में परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	36.1	42.8	36.4
सीमांत	38.3	32.4	36.3
छोटे	12.9	12.7	12.4
छोटे -मध्यम	11.4	9.1	10.9
मध्यम	0.9	1.9	3.5
बड़े	0.4	1.1	0.5
परिवारों की संख्या	2,405	361	201

तालिका 5.14: मध्यप्रदेश में महिला-प्रधान परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	40.6	42.5	25.8
सीमांत	39.5	34.8	54.5
छोटे	10.8	10.6	7.6
छोटे -मध्यम	8.1	4.5	10.6
मध्यम	0.5	1.5	1.5
बड़े	0.5	6.1	0.0
महिला-प्रधान परिवार	397	66	66

तालिका 5.15: छत्तीसगढ़ में परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	15.2	32.1	48.4
सीमांत	51.8	48.3	34.4
छोटे	18.8	12.7	8.3
छोटे -मध्यम	12.4	6.5	6.8
मध्यम	1.3	0.4	2.1
बड़े	0.5	0	0
परिवारों की संख्या	2,340	520	192

तालिका 5.16: छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवारों का भूमिजोत पैटर्न (ये मान परिवारों के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

भूमिजोत श्रेणी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	23.0	49.6	57.8
सीमांत	53.3	40.9	24.4
छोटे	13.5	8.7	11.1
छोटे -मध्यम	9.0	0.9	4.4
मध्यम	0.7	0.0	2.2
बड़े	0.5	0.0	0.0
महिला-प्रधान परिवार	443	115	45

5.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक पहुँच

मध्य प्रदेश		छत्तीसगढ़	
आदिवासी	9.1%	आदिवासी	1.9%
गैर -आदिवासी	24.1%	गैर -आदिवासी	0.8%
पीवीटीजी	12.9%	पीवीटीजी	8.9%

परिवारों ने बताया कि उनके पास कोई पीडीएस कार्ड नहीं है; हालाँकि, बाकी सभी के पास या तो बीपीएल कार्ड या अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) कार्ड हैं (नीचे तालिका 5.15 और 5.16 देखें)।

तालिका 5.17: पीडीएस कार्ड प्रकार, मध्यप्रदेश (इसमें कुल का प्रतिशत दिया गया है।)

	एपीएल	बीपीएल	अंत्योदय	कार्ड नहीं	संख्या
आदिवासी	17.7	63.2	10.1	9.1	2,405
गैर-आदिवासी	21.6	49.6	4.7	24.1	361
पीवीटीजी	8.0	54.2	24.9	12.9	201

तालिका 5.18: पीडीएस कार्ड प्रकार, छत्तीसगढ़ (इसमें कुल का प्रतिशत दिया गया है।)

	एपीएल	बीपीएल	अंत्योदय	कार्ड नहीं	संख्या
आदिवासी	3.2	83.0	11.9	1.9	2,340
गैर-आदिवासी	4.4	81.5	13.3	0.8	520
पीवीटीजी	0.0	33.9	57.3	8.9	192

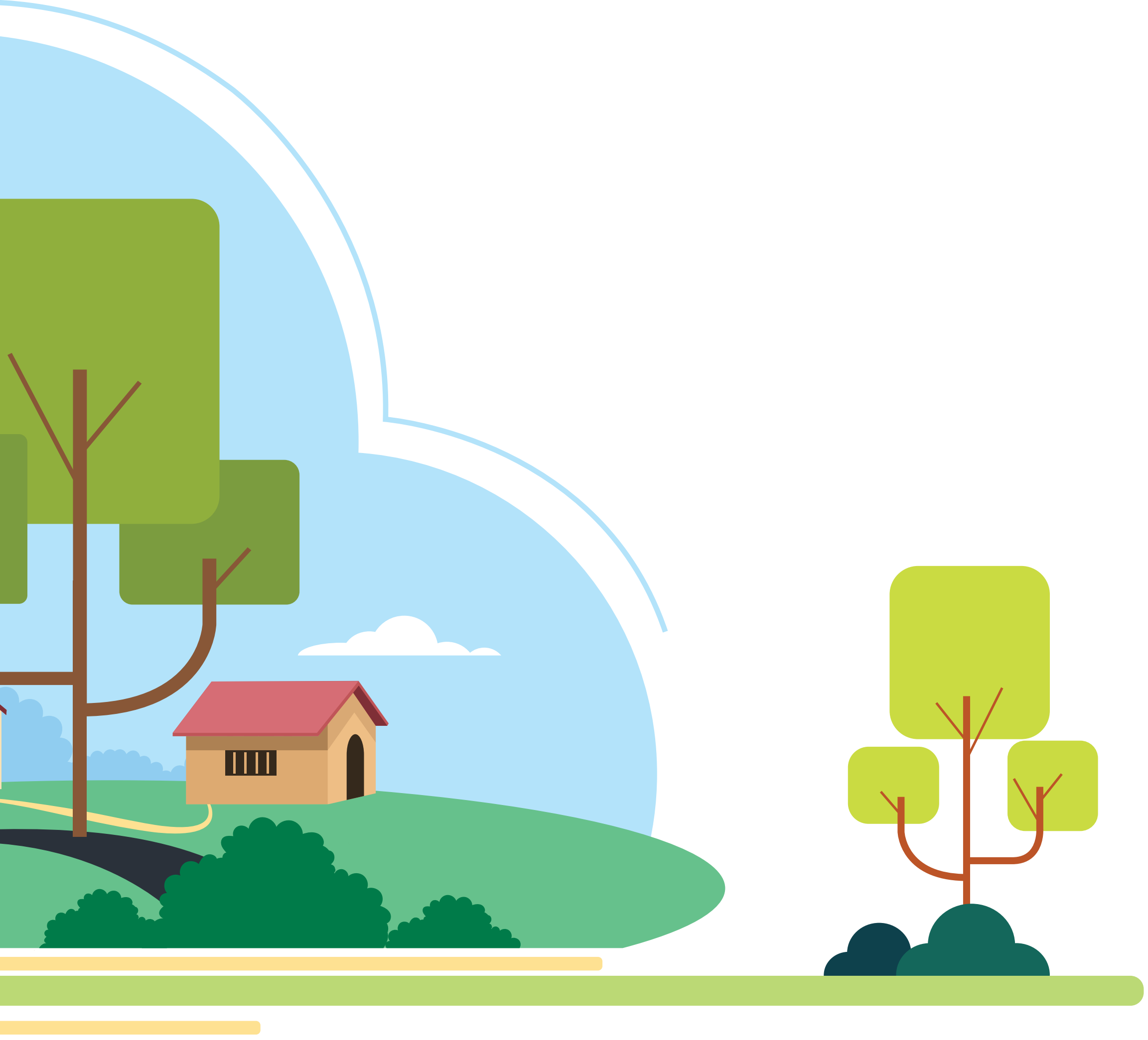

5.4 सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा

तालिका 5.19: मध्य प्रदेश में सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
अपनी भूमि (प्रतिशत)	17.5	28.0	30.2
लीज पर ली गयी भूमि (प्रतिशत)	20.2	28.6	36.8
साझे की भूमि (प्रतिशत)	21.9	16.7	46.2

तालिका 5.20: छत्तीसगढ़ में सभी मौसमों में सिंचाई की सुविधा

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
अपनी भूमि (प्रतिशत)	12.4	17.2	2.0
लीज पर ली गयी भूमि (प्रतिशत)	6.0	26.7	0.0
साझे की भूमि (प्रतिशत)	10.1	12.5	0.0

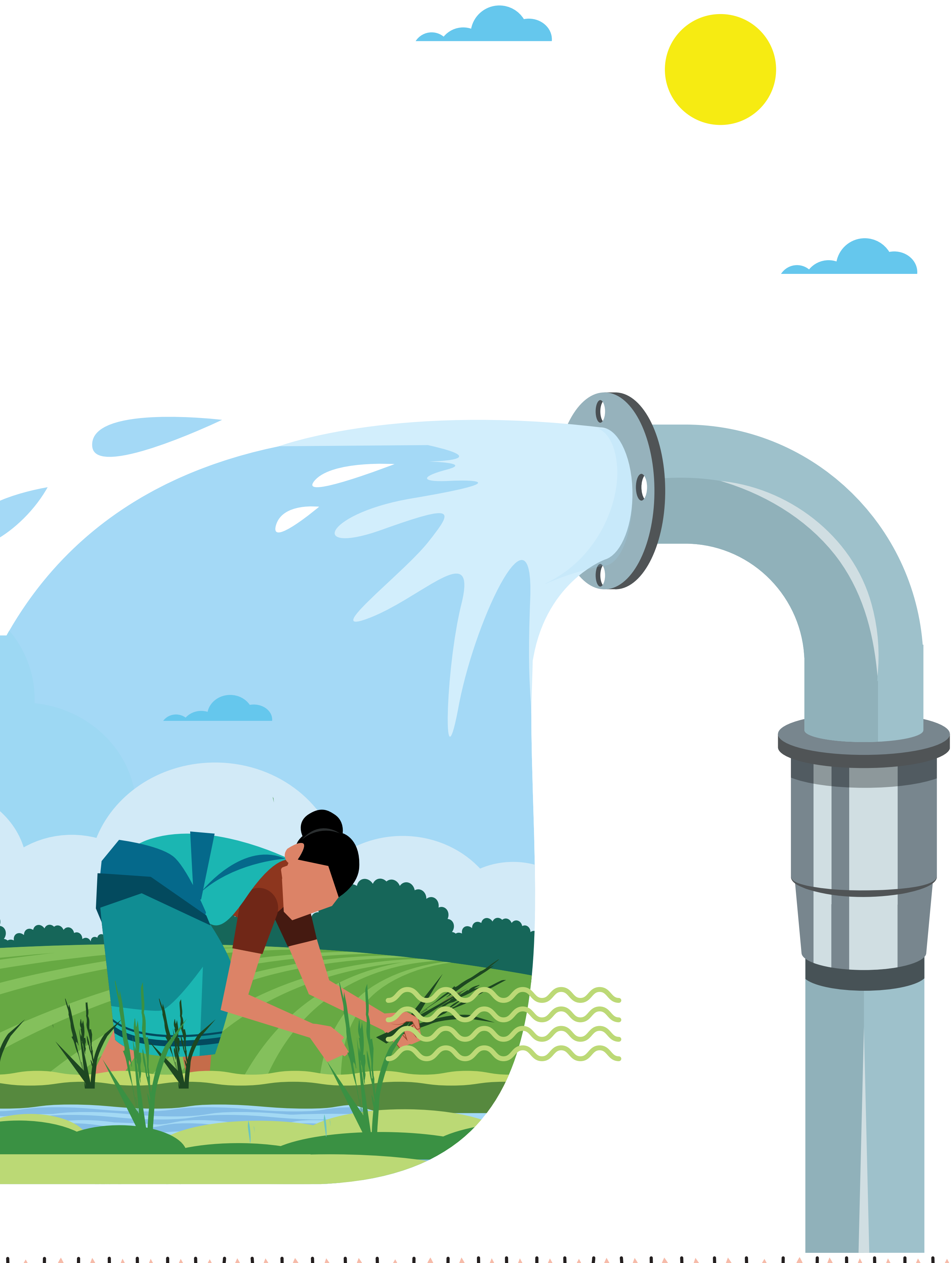

5.5 वनों से दूरी

जैसा कि तालिका 5.21 और 5.22 (नीचे) से पता चलता है, दोनों राज्यों में, पीवीटीजी गांव भौगोलिक रूप से जंगल के सबसे करीब हैं, उसके बाद आदिवासी गावं हैं। आदिवासियों की जंगलों से औसत दूरी छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में थोड़ी अधिक है। आदिवासियों और गैर-आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में जंगल पर निर्भरता बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 62% आदिवासियों और 40% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी, जबकि छत्तीसगढ़ में 90% आदिवासियों और 64% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी। दोनों राज्यों में, 98% पीवीटीजी ने आजीविका के लिए वन पर निर्भरता की सूचना दी।

तालिका 5.21: वन से दूरी (मध्य प्रदेश)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	6.8	9.2	0.2
ऐसे परिवार, जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2

तालिका 5.22: वन से दूरी (छत्तीसगढ़)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वनों से औसत दूरी (किमी)	2.6	9.4	0.3
ऐसे परिवार, जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2

टिप्पणियाँ:

भूमिधारण: भूमिधारण का तात्पर्य किसी व्यक्ति, संगठन या इकाई द्वारा भूमि के एक क्षेत्र के स्वामित्व या कब्जे से है। इसमें भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े पर किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार और नियंत्रण शामिल हैं, जिसमें कानून द्वारा अनुमति के अनुसार भूमि का उपयोग करने, कब्जा करने, स्थानांतरित करने या उसमें परिवर्तन करने की क्षमता शामिल है।

सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच: सभी मौसमों में सिंचाई तक पहुंच का तात्पर्य मौसमी विविधताओं या जलवायु परिस्थितियों की किसी भी स्थिति में, पूरे वर्ष कृषि उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे, प्रणालियों और प्रथाओं से है।

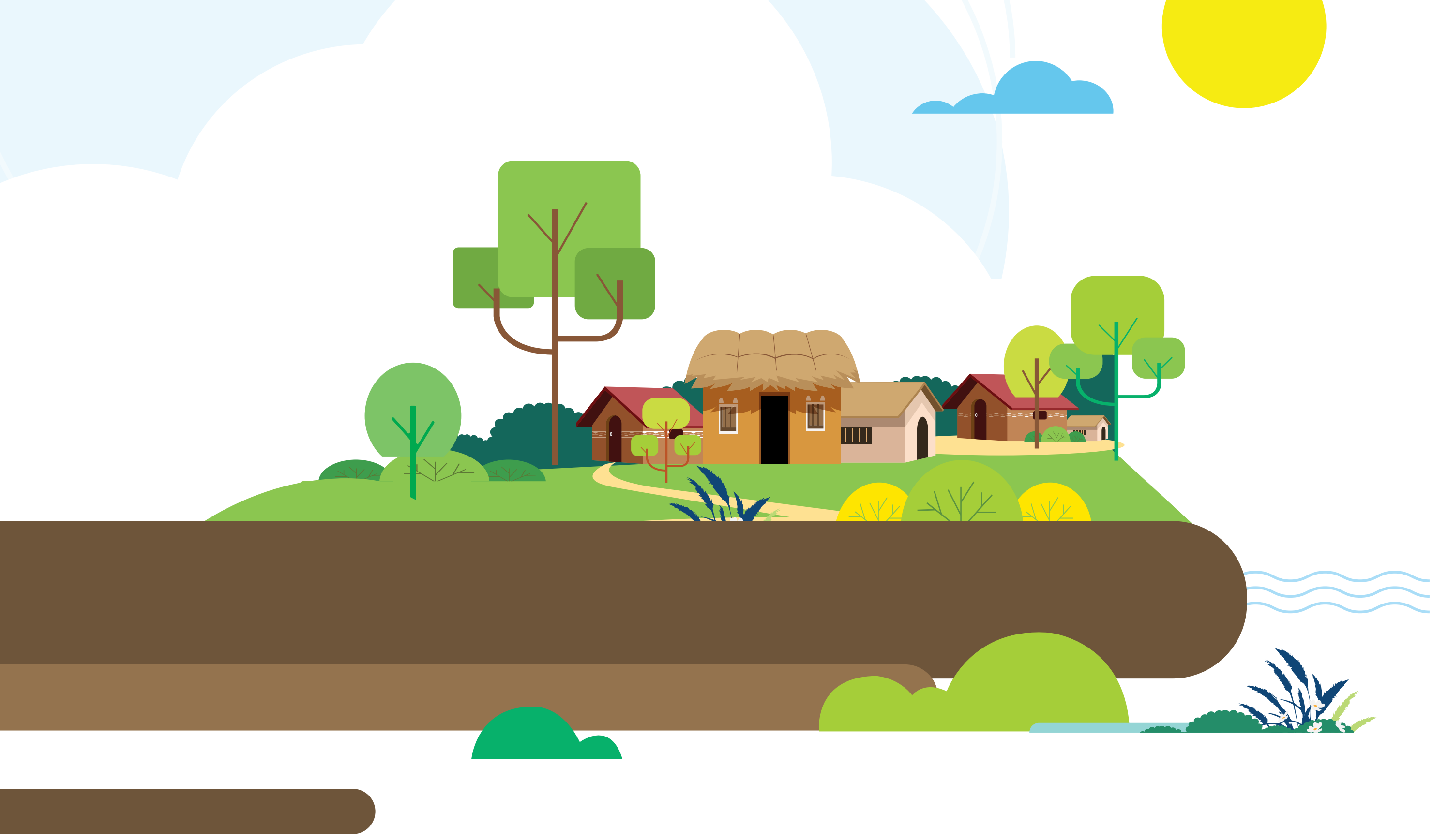

#06
आदिवासियों की आजीविका संबंधी प्रथाएँ

6.1 विभिन्न स्रोतों से आय

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी की खेती, पशुपालन, जंगल से संग्रहण, मजदूरी कार्य, गैर-कृषि गतिविधियाँ (बांस की वस्तुएँ बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े धोने की सेवा, सामान्य छोटी दुकानें, चाय की दुकानें, महुआ शराब की दुकानें, सब्जी की दुकानें चलाना, साइकिल और मशीन की मरम्मत के लिए सेवाएँ प्रदान करना आदि), वेतन, पेंशन और प्रेषण प्रमुख आजीविका संबंधी गतिविधियाँ हैं।

जैसा कि तालिका 6.1 से देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश में 2297 आदिवासी परिवारों में से सबसे अधिक 1594(69%) परिवारों ने अपने आजीविका के स्रोत के रूप में मजदूरी कमाई की सूचना दी है, इसके बाद खेती(68%), पशुपालन(61%) वन से संग्रहण और प्रेषण(दोनों 29%), विभिन्न प्रकार की पेंशन या वेतन (19%), और गैर-कृषि गतिविधियों(5%)का क्रम आता है।

छत्तीसगढ़ में, जैसा कि तालिका 6.2 में दिखाया गया है, 2311 आदिवासी परिवारों ने अपनी आय की सूचना दी, जिनमें से सबसे अधिक संख्या 1957(85%) ने खेती में संलग्नता, उसके बाद पशुपालन (80%), मजदूरी से आय (72%), वन से संग्रहण (51%), पेंशन और वेतन (18%), प्रेषण (6%) और गैर-कृषि गतिविधियों(4%)में संलग्न होने के बारे में सूचना दी।

दोनों तालिकाओं से पता चलता है कि लगभग तीन-चौथाई आदिवासी परिवारों की मजदूरी से आय पर निर्भरता है। दोनों राज्यों में, यह अनुपात उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक है जिन्होंने वन संग्रहण से आय प्राप्त करने की सूचना दी है। यह उन पारंपरिक मान्यताओं से काफी भिन्न प्रतीत होता है कि आदिवासी अपनी आजीविका मुख्य रूप से कृषि के साथ-साथ जंगलों से प्राप्त करते हैं। परिवार आमतौर पर एक से अधिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, अतः ये संख्याएँ 100 तक नहीं जाती हैं । वे ऐसा अपनी कुल आय जोखिम को कम करने या शायद एक गतिविधि परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती, इसलिए लिए करते हैं । आखिरी कारण संभवतः सबसे आम है।

दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवारों को छोड़कर, सभी श्रेणियों में पशुपालन से होने वाली आय नकारात्मक आंकड़े दर्शा रही है। उन गतिविधियों में नकारात्मक आय संभव है जहां आय की गणना राजस्व से लागत घटाकर की जाती है। खेती(फसलें और सब्जियाँ) और पशुपालन ये दो गतिविधियाँ हैं जहाँ परिवारों ने अपने उत्पादन(खेती) या राजस्व (पशुपालन से) और लागत की सूचना दी है। इसलिए, खेती और पशुपालन की आय नकारात्मक हो सकती है। नकारात्मक आय इंगित करती है कि पिछले 365 दिनों में परिवार को ऐसी गतिविधि में नुकसान हुआ है। नकारात्मक आय कोई त्रुटि नहीं है, बल्कि उस पद्धति और वास्तविकता का परिणाम है जिस पर यह पद्धति लागू की जाती है।

पशुपालन करने वाले परिवारों के एक बड़े हिस्से ने लागत की सूचना देते समय कोई बिक्री नहीं होने की बात कही है। चूँकि हमारा आय

पशुपालन

मध्य प्रदेश	61%
छत्तीसगढ़	80%

खेती

मध्य प्रदेश	68%
छत्तीसगढ़	85%

मजदरी

मध्य प्रदेश	69%
छत्तीसगढ़	72%

वन से संग्रहण और प्रेषण

मध्य प्रदेश	29%
छत्तीसगढ़	51%

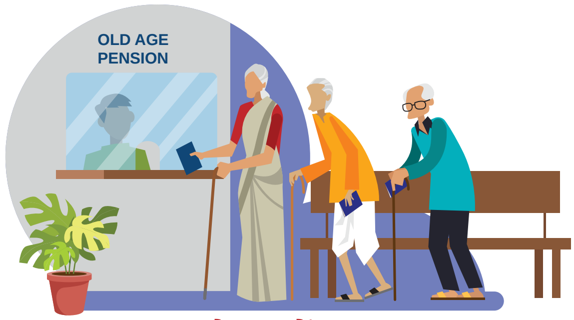

वेतन/पेंशन

मध्य प्रदेश	19%
छत्तीसगढ़	18%

गैर-कृषि गतिविधि

मध्य प्रदेश	5%
छत्तीसगढ़	4%

दृष्टिकोण प्राप्तियों से लागत को घटाने पर है, ऐसे परिवारों के बारे में, पशुपालन आय नकारात्मक हो जाती है। ऐसे परिवारों में पशुपालन की सूचना देनेवाले कुल परिवारों का एक बड़ा हिस्सा हैं, अतः कुल मिलाकर पशुपालन से हमें नकारात्मक आय का संकेत मिलता है। यदि हम केवल उन परिवारों के बारे में विचार करते हैं जो बिक्री के बारे में सूचना देते हैं तो पशुपालन से हमारी सकारात्मक आय होती है। यह संभव है कि कई परिवारों ने हाल ही में पशुपालन शुरू किया है या उनमें से कुछ को बाजार नहीं मिल रहा है और/या वे इसका उपयोग स्व-उपभोग(कम से कम आंशिक रूप से) के लिए नहीं कर रहे हैं । इसके कारणों को समझने के लिए गहन जांच करने की आवश्यकता है।

खेती के संदर्भ में, ऐसी संभावना है कि खेती में नकारात्मक आय वाले और खेती के उत्पादन का काफी स्व-उपभोग करने वाले परिवार के लिए, अनुमानित आय का मूल्यांकन करने के लिए लागू की गई कीमतों से भिन्न कीमतें सकारात्मक आय का कारण बन सकती हैं। लेकिन पशुपालन के मामले में, राजस्व और लागत दोनों परिवारों द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, इस प्रकार नकारात्मक आय पूरी तरह से रिपोर्ट की गई जानकारी का परिणाम है।

(तालिका 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 के लिए नोटः विभिन्न घटकों से रिपोर्ट की गई आय उस गतिविधि को करने वाले परिवारों की संख्या का औसत है और पूरे नमूने का औसत नहीं है। इस प्रकार, पंक्तियाँ कुल पारिवारिक आय के आंकड़े में नहीं जुड़ेंगी। सभी वेतन/पेंशन को छोड़कर, जो प्रति माह रुपये में है, एक वर्ष के आंकड़े रुपये में हैं। ये सभी रिकॉल डेटा से प्राप्त किए गए हैं)

तालिका 6.1: मध्य प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से औसत आय

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	48,366	-4,127	5,478	38,999	3,703	17,500	26,078	73,900
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	1,553	1,404	657	1,594	447	655	128	2,297
गैर-आदिवासी (रुपये)	70,559	-4,995	4,758	41,736	2,829	16,580	29,793	84,033
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	212	190	62	215	73	69	42	335
पीवीटीजी (रुपये)	33,962	-3,414	6,014	31,171	3,912	14,805	1,250	68,726
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	147	73	149	156	50	65	2	201

तालिका 6.2: छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्रोतों से औसत आय

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	32,187	-2,812	7,848	25,051	2,242	16,180	15,388	53,610
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	1,957	1,853	1,186	1,672	422	132	93	2,311
गैर-आदिवासी (रुपये)	36,737	-1,501	6,102	29,612	1,937	17,812	3,190	53,766
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	332	324	133	373	124	16	30	499
पीवीटीजी (रुपये)	26,161	224	8,169	16,715	2,790		4,500	43,012
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	103	88	140	126	68	0	4	192

उपरोक्त दो तालिकाओं से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का एक सामान्य आदिवासी परिवार मध्य प्रदेश के अपने समकक्ष की तुलना में, खेती से औसतन 8000 रुपये या 17% कम कमाता है, छत्तीसगढ़ का औसत गैर-आदिवासी परिवार मध्य प्रदेश के अपने समकक्ष की तुलना में खेती से आधे से थोड़ा अधिक कमाता है और औसत पीवीटीजी परिवार मध्य प्रदेश के अपने समकक्ष की तुलना में 7000 रुपये या 20% कम कमाता है। क्या इसका कारण खराब मिट्टी को माना जाए या खराब बाजार पहुंच को, यह जांच का एक दिलचस्प क्षेत्र है। दोनों राज्यों में पशुपालन घाटे का सौदा प्रतीत होता है।

नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत डेटा महिला-प्रधान परिवारों को संदर्भित करता है, जो कुल नमूने का एक उपसमूह है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों की मुखिया महिलाएं सभी परिवारों के नमूना औसत से लगभग 8% अधिक कुल आय अर्जित करती हैं। गैर-आदिवासी परिवारों में विपरीत दिशा में 13% से अधिक का अंतर दिखता है। छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवार सभी श्रेणियों के नमूना औसत से कम कमाते हैं।

तालिका 6.3: मध्य प्रदेश में महिला-प्रधान परिवारों की औसत पारिवारिक आय का स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	40,847	-2,827	6,320	35,712	4,009	11,974	22,142	79,108
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	240	195	165	273	174	118	32	386
गैर-आदिवासी (रुपये)	64,094	-4,249	7,522	26,137	1,640	12,000	29,125	74,904
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	40	29	9	40	30	16	8	61
पीवीटीजी (रुपये)	23,138	-1,025	7,032	41,119	5,159	16,438	2,000	79,291
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	55	20	51	41	27	16	1	66

तालिका 6.4: छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवारों की औसत पारिवारिक आय का स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन उपज	मजदरी	वेतन/पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रुपये)	29,962	-2,934	5,723	28,366	1,424	13,867	12,250	52,109
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	335	312	215	318	163	30	22	439
गैर-आदिवासी (रुपये)	29,121	-2,807	4,904	32,246	1,330	25,000	10,314	45,994
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	54	58	26	77	53	3	7	109
पीवीटीजी (रुपये)	27,645	747	6,852	14,680	1,186		3,000	34,223
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	18	15	30	26	31	0	1	45

बॉक्स 2: एक प्रतिनिधि परिवार की आय के स्रोत

तालिकाएँ- 6.1, 6.2, 6.3, और 6.4 उन परिवारों की विभिन्न स्रोतों से औसत आय को दर्शाती हैं जिन्होंने उन स्रोतों से अपनी आय की सूचना दी है। हालाँकि, सर्वेक्षण में शामिल सभी परिवारों के पास इनमें से प्रत्येक आय स्रोत नहीं है। इसलिए, हमने इस मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु, प्रत्येक आय श्रेणी के लिए एक "प्रतिनिधि परिवार" का निर्माण किया और उस प्रतिनिधि परिवार के लिए, हमने उस स्रोत का औसत लेकर आय का आंकड़ा प्रस्तुत किया।

ये अनुपात आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों के आय के विभिन्न स्रोतों के वास्तविक महत्व को दर्शाते हैं।

तालिका 6.5: मध्य प्रदेश में प्रतिनिधि परिवार की आय, भारतीय रुपये में

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	31,232	41,436	24,838
पशुपालन	-2,410	-2,629	-1,240
वन से उपज	1,497	817	4,458
गैर-कृषि व्यवसाय	1,388	3,466	12
मजदूरी	25,848	24,857	24,192
वेतन/पेंशन	8,260	6,864	11,678
प्रेषण	4,766	3,169	4,788
परिवार की आय	70,581	77,981	68,726

तालिका 6.6: प्रतिनिधि परिवार के आय स्रोतों में मध्य प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	44.2	53.1	36.1
पशुपालन	-3.4	-3.4	-1.8
वन से उपज	2.1	1	6.5
गैर-कृषि व्यवसाय	2	4.4	0
मजदूरी	36.6	31.9	35.2
वेतन/पेंशन	11.7	8.8	17
प्रेषण	6.8	4.1	7
परिवार की आय	70,581	77,981	68,726

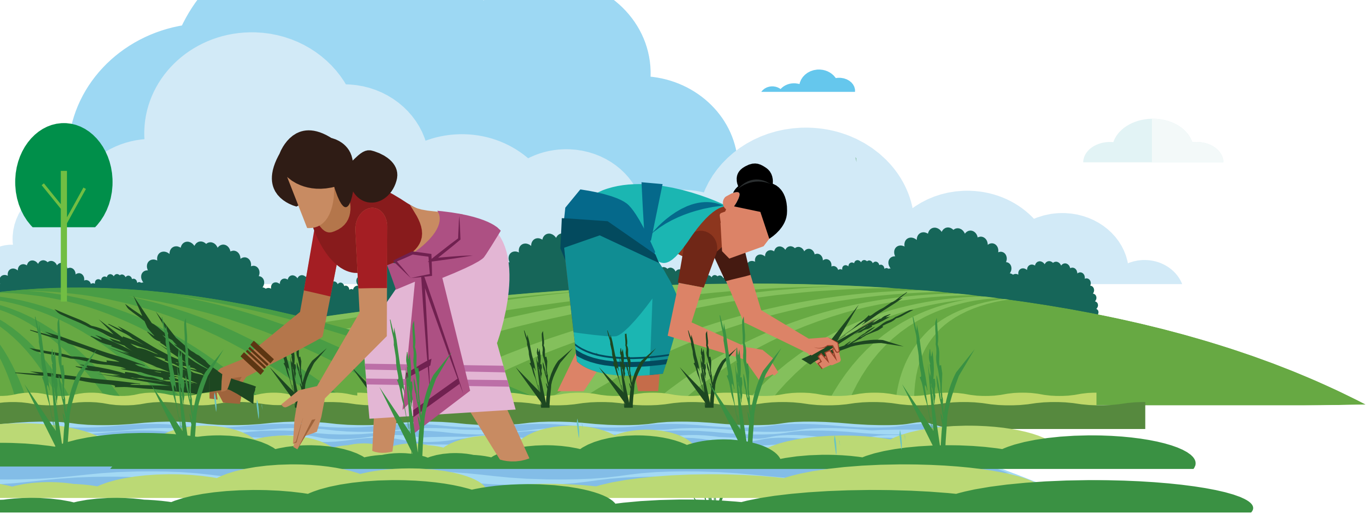

तालिका 6.7: छत्तीसगढ़ में प्रतिनिधि परिवार की आय, भारतीय रुपये में

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	26,919	23,455	14,034
पशुपालन	-2,226	-935	103
वन से उपज	3,978	1,561	5,956
गैर-कृषि व्यवसाय	612	184	94
मजदूरी	17,899	21,241	10,969
वेतन/पेंशन	4,852	5,541	11,855
प्रेषण	913	548	
परिवार की आय	52,946	51,595	43,012

तालिका 6.8: प्रतिनिधि परिवार के आय स्रोतों में छत्तीसगढ़ का प्रतिशत हिस्सा

आय शीर्ष	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खेती	50.8	45.5	32.6
पशुपालन	-4.2	-1.8	0.2
वन से उपज	7.5	3	13.8
गैर-कृषि व्यवसाय	1.2	0.4	0.2
मजदूरी	33.8	41.2	25.5
वेतन/पेंशन	9.2	10.7	27.6
प्रेषण	1.7	1.1	0
परिवार की आय	52,946	51,595	43,012

स्पष्ट रूप से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक सामान्य आदिवासी परिवार की आय में खेती का योगदान क्रमशः लगभग 44% और 51% है। इसके बाद वेतन रोजगार और फिर वेतन/पेंशन आता है। छत्तीसगढ़ में वन से उपज का योगदान लगभग 8% आय है; मध्य प्रदेश के लिए यह मात्र 2% है।

आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि आदिवासी परिवारों की आय में वन से उपज का योगदान बहुत कम है। मध्य प्रदेश में यह मामूली 2.1% और छत्तीसगढ़ में 7.5% है। कुछ अन्य लघु अध्ययन (प्रदान द्वारा नगरी, छत्तीसगढ़ में एनटीएफपी का व्यवहार्यता अध्ययन)और वन उत्पादक-संग्रहकर्ताओं के बीच फील्डवर्क (डॉ एस जे फणसलकर द्वारा वही अध्ययन) के अवलोकन आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए वन से उपज के महत्व पर जोर देते प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस तरह के अध्ययन विशेष रूप से समृद्ध जंगलों में या उसके करीब रहने वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित होते हैं, जो वन से उपज के संग्रह के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जंगलों में शायद एनटीएफपी काफी कम हो गया है जिसे एकत्र किया जा सकता है और इसके कारण नमूना औसत निम्न स्तर तक आया है।

6.2 आय स्रोतों की क्षेत्रवार भिन्नता

तालिका 6.9 से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में, आदिवासी परिवारों के उच्चतम प्रतिशत ने खेती से आय की सूचना दी है। भील क्षेत्र में, आदिवासी परिवारों का उच्चतम प्रतिशत पशुपालन में संलग्न है। अन्य आईटीडीपी क्षेत्रों में, अधिकतम प्रतिशत आदिवासी परिवारों द्वारा मजदूरी को उनकी आय का स्रोत बताया गया है। गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में लगभग समान पैटर्न देखा जा सकता है। भील क्षेत्र के केवल 2% आदिवासी परिवारों ने वनों से आय की सूचना दी। गोंड क्षेत्र के मामले में यह 44% है। पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में, 81% ने गोंड क्षेत्र में वनों से आय की सूचना दी।

तालिका 6.10 से पता चलता है कि उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में, अधिकतम प्रतिशत में आदिवासी परिवार खेती में संलग्न हैं । जबकि मध्य छत्तीसगढ़ में, उच्चतम प्रतिशत में आदिवासी परिवारों ने मजदूरी से आय की सूचना दी। पीवीटीजी के लिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ में 100% परिवारों द्वारा पशुपालन और वन संग्रहण को आय के स्रोत के रूप में बताया गया है। मध्य छत्तीसगढ़ में 72% आदिवासी परिवारों ने वनों से आय की सूचना दी, यह प्रतिशत उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में वनों से आय की रिपोर्ट करने वाले आदिवासी परिवारों के प्रतिशत से अधिक है।

तालिका 6.9: मध्य प्रदेश क्षेत्रवार विभिन्न आजीविका गतिविधियों में संलग्नता की सूचना देने वाले परिवारों का प्रतिशत

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
खेती	56	84	55	65	40	75	48	59	-	90	62	73
पशुपालन	66	67	41	58	35	63	48	53	-	51	27	36
वन से उपज	2	44	39	27	0	19	22	17	-	81	69	74
वेतन	43	80	79	66	35	63	66	60	-	80	76	78
गैर-कृषि उद्यम	5	5	6	5	13	14	8	12	-	1	1	1
प्रेषण	20	43	20	27	8	30	11	19	-	16	43	32
वेतन तथा पेंशन	18	22	16	19	13	27	15	20	-	42	13	25

B = भील क्षेत्र, G = गोंड क्षेत्र, O = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, T = मध्य प्रदेश कुल

तालिका 6.10: छत्तीसगढ़ क्षेत्र-वार विभिन्न आजीविका गतिविधियों में संलग्नता की रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
खेती	87	77	86	84	67	42	80	64	94	49	42	54
पशुपालन	87	68	81	79	68	44	72	62	100	16	44	46
वन से उपज	53	72	32	51	47	12	17	26	100	86	56	73
मजदूरी	60	93	64	71	64	86	67	72	57	95	52	66
गैर-कृषि गतिविधियाँ	8	1	3	4	8	7	3	6	0	7	0	2
प्रेषण	9	6	3	6	3	4	2	3	0	0	0	0
वेतन तथा पेंशन	16	18	20	18	26	23	23	24	54	30	32	35

S= दक्षिणी छत्तीसगढ़, C= मध्य छत्तीसगढ़, N= उत्तरी छत्तीसगढ़, T= छत्तीसगढ़ कुल

जहां तक कुल आय में योगदान का सवाल है, आदिवासी परिवारों में भील क्षेत्र में खेती और वेतन/पेंशन का संयुक्त रूप से सबसे अधिक योगदान है। गोंड क्षेत्र में, आदिवासी परिवारों द्वारा खेती, मजदूरी और वेतन/पेंशन- प्रत्येक से एक-तिहाई योगदान बताया गया है। अन्य आईटीडीपी ब्लॉकों में, आदिवासियों की पारिवारिक आय में मजदूरी का योगदान सबसे अधिक है। पीवीटीजी परिवारों में, गोंड क्षेत्र में मजदूरी का योगदान सबसे अधिक है जबकि अन्य आईटीडीपी क्षेत्रों में खेती का योगदान सबसे अधिक है। कुल आय में वन संग्रहण का योगदान सभी श्रेणियों में बहुत कम है, जो आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों में भील क्षेत्रों में शून्य से लेकर अन्य आईटीडीपी क्षेत्रों में पीवीटीजी के मामले में 7% तक है।

छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की कुल आय में वन संग्रहण का योगदान सबसे अधिक है। हालाँकि, इस क्षेत्र में आदिवासी परिवारों की कुल आय में मजदूरी का योगदान सबसे अधिक बताया गया है। दक्षिण एवं उत्तर छत्तीसगढ़ में खेती का योगदान सर्वाधिक है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवारों के मामले में कुल आय में वन संग्रहण का योगदान सबसे अधिक है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी यह अन्य श्रेणियों की तुलना में काफी अधिक है।

तालिका 6.11: मध्य प्रदेश क्षेत्रवार कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	B	G	O	T	B	G	O	T	B	G	O	T
खेती	60	33	26	44	62	57	44	53	-	16	53	36
पशुपालन	-3	-4	-3	-3	-1	-4	-4	-3	-	-1	-2	-2
वन से उपज	0	4	4	2	0	2	1	1	-	6	7	6
मजदूरी	28	35	57	37	27	22	45	32	-	43	29	35
गैर-कृषि उद्यम	2	1	3	2	5	6	3	4	-	0	0	0
प्रेषण	6	8	6	7	2	5	4	4	-	4	9	7
वेतन तथा पेंशन	7	23	8	12	5	12	8	9	-	31	4	17

B = भील क्षेत्र, G = गोंड क्षेत्र, O = अन्य आईटीडीपी ब्लॉक, T = मध्य प्रदेश कुल

तालिका 6.12: छत्तीसगढ़ क्षेत्रवार कुल आय में विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत योगदान

आय का स्रोत	आदिवासी				गैर-आदिवासी				पीवीटीजी			
	S	C	N	T	S	C	N	T	S	C	N	T
खेती	56	37	59	51	46	34	57	45	41	27	24	33
पशुपालन	-2	-8	-3	-4	-1	-3	-2	-2	1	0	-1	0
वन से उपज	6	13	4	8	6	1	1	3	4	15	30	14
मजदूरी	24	53	25	34	32	63	29	41	6	44	39	26
गैर-कृषि उद्यम	1	0	2	1	1	-1	1	0	0	1	0	0
प्रेषण	2	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0
वेतन तथा पेंशन	14	3	11	9	14	5	13	11	48	13	8	28

S= दक्षिणी छत्तीसगढ़,C= मध्य छत्तीसगढ़, N= उत्तरी छत्तीसगढ़, T= छत्तीसगढ़ कुल

6.3 फसल विविधीकरण

इन क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के परिवार बड़ी संख्या में फसलें उगाकर अपनी कृषि गतिविधियों में विविधता लाते हैं। इसे नीचे तालिका 6.13 और 6.14 में देखा जा सकता है।

तालिका 6.13: मध्य प्रदेश में परिवारों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें (ये मान मौसम के लिए एक विशेष फसल उगाने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाते हैं*)

फसल	ख़रीफ़	रबी	ग्रीष्म
मक्का	50.7	4.8	40.0
धान का खेत	45.9	0.7	3.0
सोयाबीन	16.9	0.2	2.0
अरहर	9.3	1.3	0.0
जौ	6.3	0.2	2.0
उड़द	5.5	0.4	15.0
कोदो और कुटकी	4.2	0.0	0.0
कपास	2.4	0.1	0.0
सरसों	0.5	3.5	2.0
गेहूँ	0.3	91.4	10.0
चना	0.3	7.9	4.0
तिलहन	0.3	0.0	0.0
अलसी का बीज	0.1	0.2	0.0
राजमा	0.1	0.0	0.0
कुलथ	0.1	0.0	0.0
मसूर	0.0	5.7	0.0
घरों में खेती करना	1,854	1,284	100

तालिका 6.14: छत्तीसगढ़ में परिवारों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें (ये मान मौसम के लिए एक विशेष फसल उगाने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाते हैं*)

फसल	ख़रीफ़	रबी	ग्रीष्म
मक्का	32.9	15.7	48.1
गेहूँ	0.0	19.2	3.1
धान का खेत	97.5	13.4	48.1
जौ	0.0	1.6	0.8
सिऊर मार्शा चलाई	0.0	0.3	0.0
फूलन	0.0	1.0	0.8
फफरा	0.1	0.0	1.6
गन्ना	0.1	1.6	1.6
मुहब्बत	0.0	0.3	0.0
कुलथ	1.3	4.8	0.0
सोयाबीन	0.0	0.3	0.0
मसूर	0.0	4.5	0.8
अरहर	7.8	3.5	0.8
उड़द	11.2	20.8	7.8
तिलहन	0.0	1.0	0.0
सरसों	0.6	23.0	0.0
अलसी का बीज	0.0	1.6	0.8
कोदो और कुटकी	2.6	0.0	0.0
कपास	0.0	0.0	0.0
चना	0.0	1.9	0.0
घरों में खेती करना	2,365	313	129

*कोई भी परिवार एक मौसम में एक से अधिक फसल उगा सकता है; इसलिए, कुल योग 100 तक नहीं पहुंचेगा।

मध्य प्रदेश में नमूना परिवारों ने 16 और छत्तीसगढ़ में 20 विभिन्न फसलों की सूचना दी, जिनकी वे खेती करते हैं।

मध्य प्रदेश में 65% और छत्तीसगढ़ में 79% परिवारों द्वारा ख़रीफ़ फ़सलें उगाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में ख़रीफ़ के दौरान खेती करने वाले परिवारों में से, लगभग 51% मक्के की खेती करते हैं, 46% धान की खेती करते हैं और 17% सोयाबीन की खेती करते हैं, जबकि 98% छत्तीसगढ़ में 33% परिवारों ने धान की खेती की और 33% ने मक्के की खेती की सूचना दी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 4.2% और 2.6% परिवारों द्वारा कोदो और कुटकी की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में 45% परिवार रबी की खेती करते हैं, जिनमें से 91% गेहूं की खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ में केवल 10% परिवार रबी की खेती करते हैं; प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों और दालें हैं। दोनों राज्यों में, लगभग 5% परिवार ही ग्रीष्मकालीन फसलें उगाते हैं।

काफी कम कीमतों पर मुख्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करनेवाले अच्छी तरह से क्रियान्वित पीडीएस के बावजूद अनाज फसलों की इतनी अधिकता एक ऐसा मामला है जिसे ठीक से समझने की जरूरत है।

6.4 वन पर आय एवं अन्य निर्भरता

किसी समुदाय की वन पर निर्भरता को उनकी आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और पहचान के लिए उनकी मजबूत निर्भरता से परिभाषित किया जाता है। आदिवासी ऐतिहासिक रूप से वन क्षेत्रों में बसे हुए हैं और इन पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों से उनका गहरा संबंध है।

आदिवासियों में वन पर निर्भरता कई तरीकों से प्रकट हो सकती है जैसे गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह, निर्वाह कृषि, पशुधन चराई, शिकार और संग्रह, और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रथाएं।

आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता के संबंध में प्रमुख टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

1) छत्तीसगढ़ में 90% आदिवासियों और 98% पीवीटीजी ने अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के मामले में यह बहुत कम है। मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र से आदिवासी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत वन पर निर्भरता की सूचना देता है।

2) जिन लोगों ने जंगल पर निर्भरता की सूचना दी, वे भी जंगल के करीब, औसतन 2 किमी की दूरी पर रहते हैं।

3) दोनों राज्यों में अधिकांश वन-निर्भर परिवार ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं और लगभग 98% परिवार अपने स्वयं के उपभोग के लिए ईंधन की लकड़ी का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक औसत आय महुआ बेचने से होती है।

4) कुल आय में वन आय का योगदान मध्य प्रदेश के मामले में बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में थोडा-सा कम है।

5) वन उपज से औसत आय मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक और मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में सबसे कम है।

जैसा कि तालिका 6.15 और 6.16 (नीचे) से पता चलता है, आदिवासियों और गैर-आदिवासियों में, छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश के मामले में वन पर निर्भरता बहुत कम है। मध्य प्रदेश में 62% आदिवासियों और 40% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी, जबकि छत्तीसगढ़ में 90% आदिवासियों और 64% गैर-आदिवासियों ने आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना दी। दोनों राज्यों में, 98% पीवीटीजी ने आजीविका के लिए वन पर निर्भरता की सूचना दी।

तालिका 6.15: वनों से दूरी (मध्य प्रदेश)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों की औसत दूरी (किमी)	2.0	3.2	1.8
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	62	40	98
आजीविका के लिए वन पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वन से औसत दूरी(किमी)	6.8	9.2	0.2
वे परिवार, जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	38	60	2

तालिका 6.16: वनों से दूरी (छत्तीसगढ़)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों की औसत दूरी (किमी)	1.8	2.1	0.3
आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवार (%)	90	64	98
आजीविका के लिए वन पर निर्भर नहीं रहने वाले परिवारों की वन से औसत दूरी(किमी)	2.6	9.4	0.3
वे परिवार, जो आजीविका के लिए वनों पर निर्भर नहीं हैं (%)	10	36	2

वनों पर निर्भरता में क्षेत्र-व्यापी भिन्नताएँ हैं। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में, उच्चतम प्रतिशत में आदिवासी परिवार अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भरता की सूचना देते हैं। उन क्षेत्रों में वनों पर निर्भर परिवारों से वनों की औसत दूरी उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए क्रमशः 1.8 किमी और 1.4 किमी है। सभी क्षेत्रों में लगभग सभी पीवीटीजी परिवारों ने वनों पर निर्भरता की सूचना दी है कि उनके घर जंगल के भीतर नहीं तो उसके सबसे करीब स्थित हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों की सबसे अधिक संख्या वन पर निर्भरता की है। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में, आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों का सबसे कम प्रतिशत वनों पर निर्भरता की सूचना देता है।

मध्य प्रदेश गाँव

आदिवासी	83%
गैर -आदिवासी	68%
पीवीटीजी	100%

छत्तीसगढ़ गाँव

आदिवासी	93%
गैर -आदिवासी	80%
पीवीटीजी	100%

हैं। जिन आदिवासी गांवों को जंगल के करीब बताया गया है, दोनों राज्यों में उनकी जंगल से औसत दूरी 1.4 किमी है। जिन गैर-आदिवासी गांवों को जंगल के करीब बताया गया है, उनकी दोनों राज्यों में औसत दूरी 3 किमी है। सभी पीवीटीजी गांवों के संदर्भ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समान दूरी क्रमशः 1.9 किमी और 0.6 किमी है।

तालिका 6.17.1, मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र, आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.7	1	-
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	35.8	5.0	-
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	8.1	23	-
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	64.2	95.0	-

तालिका 6.17.2, मध्य प्रदेश में गोंड क्षेत्र, आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	2.8	3.8	2.2
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	75.1	49.4	95.1
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	7	5	0
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	24.9	50.6	4.9

तालिका 6.17.3, आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवारों से वन की औसत दूरी (किमी), मध्य प्रदेश में अन्य

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.4	2.5	1.5
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	80.6	43.4	99.2
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	2	3.6	1
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	19.4	56.6	0.8

तालिका 6.18.1, छत्तीसगढ़ में दक्षिण क्षेत्र, आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	2.4	1.8	0
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	85.0	81.0	100.0
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	1.5	2.6	
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	15.0	19.0	0.0

तालिका 6.18.2. आजीविका के लिए वनों पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी), छत्तीसगढ़ में मध्य क्षेत्र

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.4	3.1	0.2
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	92.2	38.8	94.7
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	2.8	10.1	0.3
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	7.8	61.3	5.3

तालिका 6.18.3, छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में, आजीविका के लिए वन पर निर्भर परिवारों से जंगल की औसत दूरी (किमी)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आश्रित परिवारों के लिए औसत दूरी	1.8	1.9	0.4
आश्रित परिवारों का प्रतिशत	93.7	68.5	100.0
गैर-निर्भर परिवारों की औसत दूरी	4.4	12.2	
गैर-आश्रित परिवारों का प्रतिशत	6.3	31.5	0.0

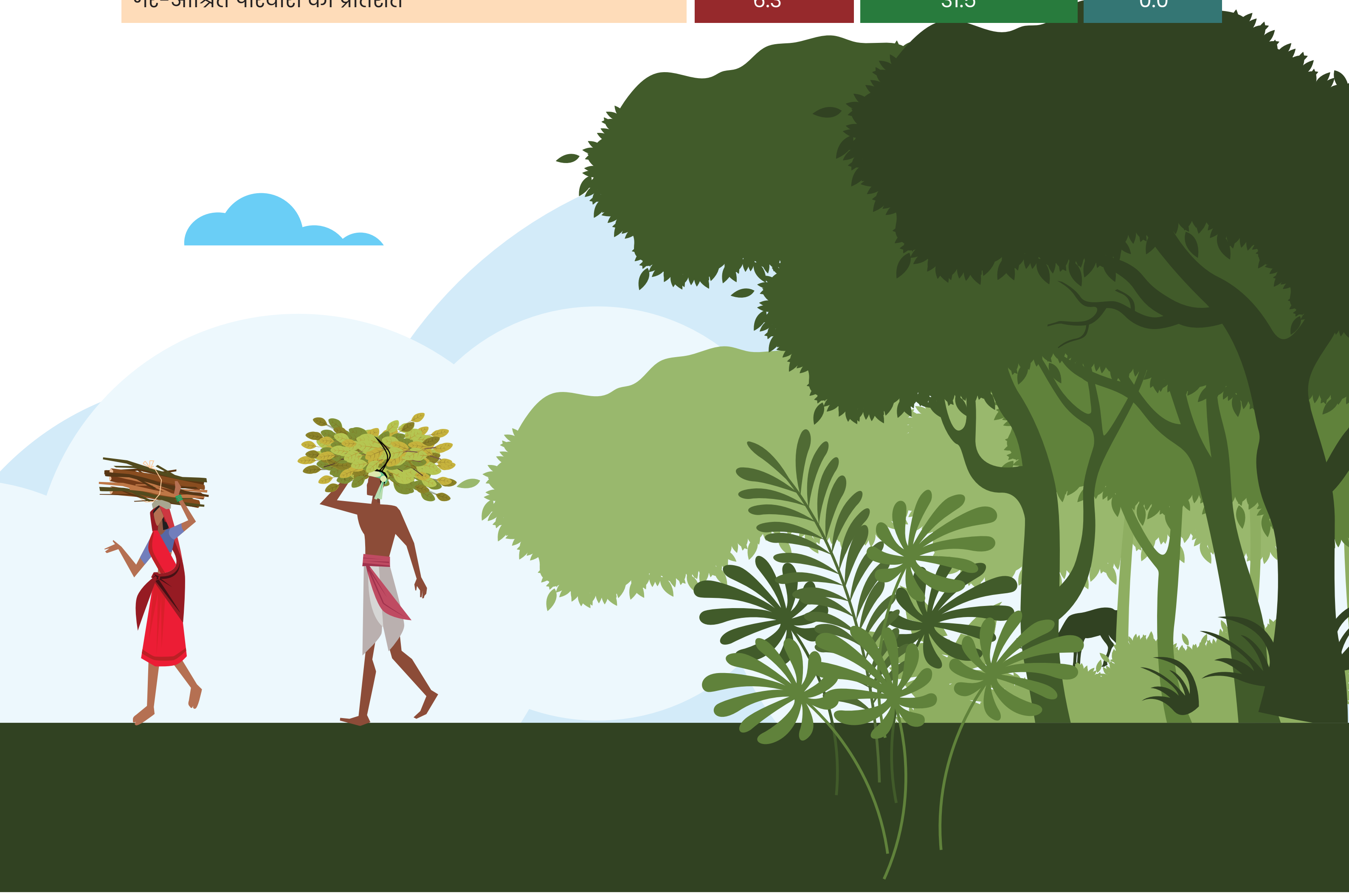

दोनों राज्यों के परिवारों ने स्वयं के उपभोग, बिक्री या दोनों के लिए चारा, ईंधन की लकड़ी, साल और तेंदू (जिसे केंदू के रूप में भी जाना जाता है)के पत्ते और महुआ एकत्र करने की सूचना दी। तालिका 6.19 और 6.20 पारिवारिक उपभोग, बिक्री या दोनों के लिए उपज का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत दर्शाती है। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में 49% परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की सूचना दी; 99.7% इसका उपयोग पारिवारिक उपभोग के लिए करते हैं और 1.1% इसे बेचते हैं। बेचने वालों ने बिक्री से प्रति वर्ष औसतन 4780 रुपये की आय दर्ज की। छत्तीसगढ़ में 68% परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने की सूचना दी; 100% इसे पारिवारिक उपभोग के लिए उपयोग करते हैं और 0.3% इसे बेचते हैं। ये तालिकाएँ उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी दर्शाती हैं जिन्होंने बिक्री मूल्य से विभिन्न स्तरों की संतुष्टि की सूचना दी। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश जहां विभिन्न उत्पादों के लिए वनों पर निर्भरता चारे, महुआ और तेंदू पत्तों के लिए क्रमशः 7%, 19% और 16% है, की तुलना में छत्तीसगढ़ में परिवार न केवल ईंधन की लकड़ी के लिए, बल्कि चारे के लिए 12% परिवार, साल - 10% परिवार, महुआ - 38% परिवार और तेंदू - 36% परिवार भी वन पर अधिक निर्भर हैं। चूँकि हमारे पास वन संग्रहण के लिए स्व-उपभोग का आरोपित मूल्य नहीं है, इससे कुछ हद तक कम आंकलन हुआ है।

मध्य प्रदेश

49%
परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा की

99.7% पारिवारिक उपभोग के लिए उपयोग

1.1% बेचते हैं

छत्तीसगढ़

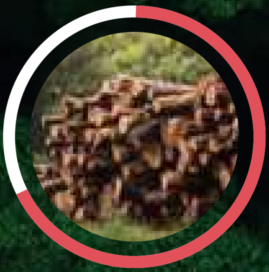

68%
परिवारों ने जंगल से ईंधन की लकड़ी इकट्ठा की

100% पारिवारिक उपभोग के लिए उपयोग

0.3% बेचते हैं

तालिका 6.19: मध्य प्रदेश की वन उपजवार आय

		जलावन (ईंधन लकड़ी)	चारा	महुआ	तेंदू
परिवारों द्वारा रिपोर्ट किया गया संग्रहण (%)		48.9	7.0	18.8	16.3
परिवारों ने केवल उपभोग की सूचना दी (%)		98.9	99.5	12.9	7.6
परिवारों ने केवल बिक्री की सूचना दी (%)		0.3	0	70.1	90.9
परिवारों ने बिक्री और खपत दोनों की सूचना दी (%)		0.8	0.5	17	1.4
पिछले वर्ष औसत बिक्री राशि (रुपये में)		4,780	3,000	4,238	2,888
बिक्री मूल्य से संतुष्टि (%)	प्रसन्न	18.8	100	51.7	47
	अधिकतर संतुष्ट	68.8	0	26.3	28.2
	अधिकतर असंतुष्ट	6.3	0	17.9	21.3
	अप्रसन्न	6.3	0	4.1	3.6

तालिका 6.20 छत्तीसगढ़ की वन उपज वार आय

		जलावन (ईंधन लकड़ी)	चारा	साल	महुआ	तेंदू
परिवारों द्वारा रिपोर्ट किया गया संग्रहण (%)		67.9	11.6	10.1	38.3	35.6
परिवारों ने केवल उपभोग की सूचना दी (%)		99.7	100	80.6	39.3	4.5
परिवारों ने केवल बिक्री की सूचना दी (%)		0	0	14.6	42.9	94.5
परिवारों ने बिक्री और खपत दोनों की सूचना दी (%)		0.3	0	4.9	17.7	1
पिछले वर्ष औसत बिक्री राशि (रुपये में)		3,929	0	2,463	5966	3,988
बिक्री मूल्य से संतुष्टि(%)	प्रसन्न	71.4		53.3	56.4	66.5
	अधिकतर संतुष्ट	0		23.3	25.2	24.8
	अधिकतर असंतुष्ट	28.6		16.7	13.5	5.7
	अप्रसन्न	0		6.7	4.8	3

6.5 वनों से आय

तालिका 6.1 और तालिका 6.2 से पता चलता है कि आय दर्ज करने वाले परिवारों की संख्या और वन संग्रहण से औसत आय दोनों के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के मामले में वनों से आय पर निर्भरता अधिक है। मध्य प्रदेश में 29% आदिवासी परिवारों और छत्तीसगढ़ में 51% आदिवासी परिवारों ने वन उपज से आय की सूचना दी। गैर-आदिवासी परिवारों में, ये आंकड़े 19% और 27% हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी परिवारों के लिए ये क्रमशः 36% और 74% हैं।

परिवारों ने विभिन्न प्रकार की वन उपज को एकत्र करने की सूचना दी। एकत्रित वन उपज तालिका 6.21 में सूचीबद्ध है।

तालिका 6.21: एनटीएफपी सूची

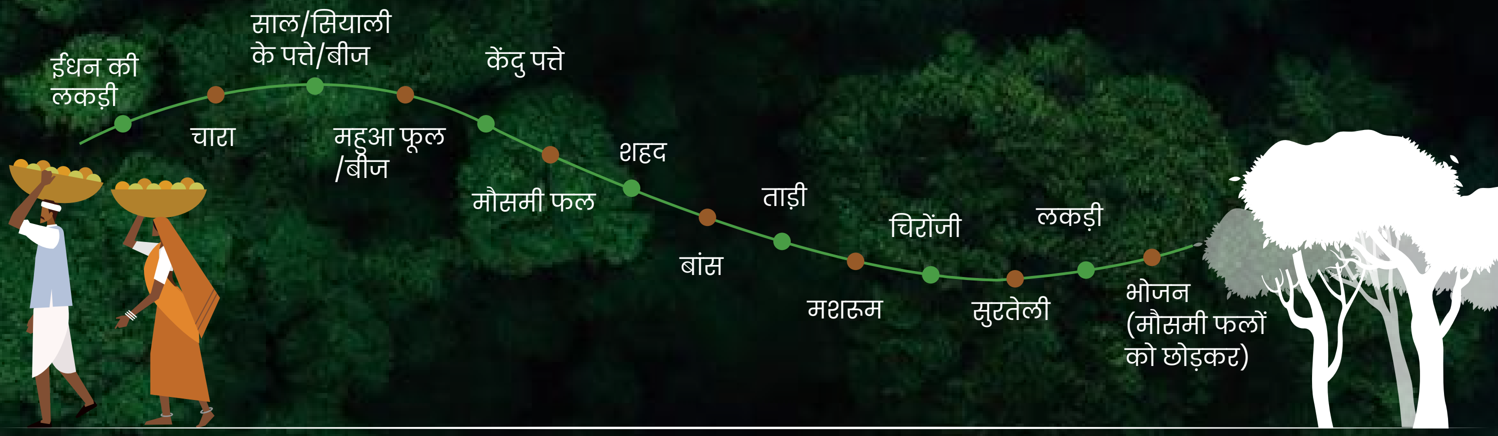

अलग-अलग बोलियों के कारण मामूली बदलावों के साथ, दोनों राज्यों में काटे गए वन उपज की सूची काफी समान है। कुछ मामलों में, उपज का एक हिस्सा परिवारों द्वारा उपभोग किया जाता था, लेकिन तेंदू पत्ते जैसी कुछ उपज मुख्य रूप से बाजार के लिए एकत्र की जाती है।

तालिकाएँ 6.22 और 6.23 वन उपज से औसत सूचित आय और वन से परिवार की दूरी के बीच संबंध दर्शाती हैं। एनटीईएफपी की बिक्री से औसत पारिवारिक आय में गिरावट आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो अपवादों के साथ जंगल से गांव की दूरी बढ़ जाती है -

1)जहां जंगल से 3 किमी की दूरी वाले गांवों में जंगल से औसत आय सबसे अधिक है, और

2)जंगल से 5 किमी दूर के गांवों के लिए औसत आय, जंगल से 4 किमी की दूरी वाले गांवों की तुलना में अधिक है।

तालिका 6.22: मध्य प्रदेश में गाँव की जंगल से दूरी और औसत वन-आधारित वार्षिक आय

दूरी (किमी)	एनटीईपी से औसत आय (रुपये)	परिवारों की संख्या
0	6,108	256
1	5,316	293
2	5,130	135
3	6,669	67
4	4,248	22
5 किमी या अधिक	4,594	95

तालिका 6.23: छत्तीसगढ़ में जंगल से गाँव की दूरी और औसत वन आधारित वार्षिक आय

दूरी (किमी)	एनटीईपी से औसत आय (रुपये)	परिवारों की संख्या
0	9,715	621
1	6,727	382
2	6,443	229
3	5,610	96
4	4,955	37
5 किमी या अधिक	4,927	94

क्षेत्रवार भी वनों से होने वाली आय में काफी भिन्नताएं हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों द्वारा वन उपज से सबसे अधिक औसत वार्षिक आय 10,000 रुपये से अधिक दर्ज की गई थी। आदिवासी परिवारों द्वारा बताई गई जंगल से सबसे कम आय मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र से है। पीवीटीजी परिवारों ने उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक औसत आय दर्ज की।

तालिका: 6.24.1, भील क्षेत्र मध्य प्रदेश में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	4928	19
गैर-आदिवासी		0
पीवीटीजी		0

तालिका 6.24.2, गोंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	5495	339
गैर-आदिवासी	5453	30
पीवीटीजी	6301	66

तालिका 6.24.3, अन्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	5495	299
गैर-आदिवासी	4106	32
पीवीटीजी	5787	83

तालिका 6.25.1, दक्षिण क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	5798	393
गैर-आदिवासी	6994	84
पीवीटीजी	4474	35

तालिका 6.25.2, मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	10083	507
गैर-आदिवासी	5605	19
पीवीटीजी	8176	49

तालिका 6.25.3, उत्तरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वन से औसत आय

	वन उपज से औसत आय	परिवार, जिन्होंने सूचित किया
आदिवासी	6704	286
गैर-आदिवासी	3920	30
पीवीटीजी	10472	56

6.6 प्रति व्यक्ति आय

तालिका 6.1 से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों की औसत वार्षिक आय रु.73,900 है। परिवार के 4.8 के औसत आकार को देखते हुए (औसत घरेलू आकार के लिए, अध्याय 5 में तालिका 5.1 और 5.2 देखें), औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय रु. 15,396 है। गैर-आदिवासी परिवारों के लिए यह संख्या रु.19,098 और पीवीटीजी परिवारों के लिए 14,622 रुपये है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय क्रमशः रु.11,930 रु.12,801, और रु. 11.028 है । यह डेटा दोनों राज्यों में आदिवासी परिवारों की समग्र आय गरीबी को प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.6 और 6.8 से पता चलता है कि केवल मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों के मामले में वन आय का योगदान 2.1% है। पीवीटीजी के संदर्भ में यह 6.5% है। छत्तीसगढ़ में यह थोड़ा अधिक है, आदिवासी परिवारों के संदर्भ में 7.5% और पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में 13.8% है।

एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय रु. 1,33,000 तक पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित रु. 1,40,000 है[2]। एसएएल- 2022 से प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और औसत प्रति व्यक्ति घरेलू प्रयोज्य आय के बीच स्पष्ट असमानता को समझाने वाला एक नोट नीचे दिया गया है।

एसएएल 2022 से प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद और औसत प्रति व्यक्ति घरेलू प्रयोज्य आय के बीच स्पष्ट असमानता पर एक नोट

सबसे पहला, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)और एसएएल सर्वेक्षण से प्रति व्यक्ति घरेलू आय, ये दोनो आंकड़े तुलनीय नहीं हैं। प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद कुल घरेलू उत्पाद को जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। कुल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन गतिविधियों में जोड़े गए मूल्य का योग है। इसमें न केवल परिवार, बल्कि कंपनियां भी शामिल हैं। घरेलू आर्थिक उत्पाद का केवल एक अंश ही परिवारों द्वारा अर्जित किया जाता है। ग्रामीण परिवारों द्वारा अर्जित अर्थव्यवस्था के घरेलू उत्पाद का अंश और भी छोटा अंश होगा। इसलिए, प्रति व्यक्ति घरेलू प्रयोज्य आय अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद से कम होगी, जब तक कि पूरी अर्थव्यवस्था उन मालिकों से न बनी हो, जिनकी आय उनकी व्यावसायिक गतिविधि में जोड़ा गया मूल्य है या फर्म का सभी मूल्यवर्धन(मुनाफा) निगमों द्वारा व्यक्तिगत शेयरधारकों को लाभांश के रूप में भुगतान किया जाता है। चूँकि बड़े निगम हैं और उनके द्वारा अर्जित सारा लाभ लाभांश के रूप में वापस नहीं किया जाता है, घरेलू प्रयोज्य आय प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद से कम होगी। वास्तव में, ओईसीडी देशों[3] के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद और डिस्पोजेबल प्रति व्यक्ति घरेलू आय के बीच अंतर को मान्यता दी गई है।

एसएएल के मामले में, सर्वेक्षण डेटा से प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी)और औसत प्रति व्यक्ति घरेलू आय का अंतर राज्य स्तर से अधिक होने की संभावना है क्योंकि सर्वेक्षण मुख्य रूप से उन ब्लॉकों के ग्रामीण आदिवासी परिवारों पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं । कोई उम्मीद कर सकता है कि ग्रामीण जनजातीय आय का औसत ग्रामीण आय की तुलना में कम होगा, जो फिर से राज्य-स्तरीय घरेलू आय की तुलना में कम होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण4 के 76वें दौर(2018) तक तालिका 1 में ऐसा विशिष्ट पैटर्न देखा जा सकता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण(एनएसएस)आय का नहीं बल्कि उपभोग का मूल्य दर्ज करता है। लेकिन गरीब परिवारों के लिए, पीडीएस जैसी सब्सिडी वाली खपत यदि अधिक नहीं है, को ध्यान में रखते हुए, व्यय आय के करीब होने की संभावना है।

तालिका 6.26: एनएसएस 76वें दौर (2018) से मासिक उपभोक्ता व्यय - रुपये में

	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़
जनजातीय	6155	5317
ग्रामीण	7000	5947
सभी	8793	7892

	खरगोन	बस्तर
जनजातीय	6125	4275
ग्रामीण	7248	4383

एनएसएस 76 वें दौर (2018) के अनुसार, मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए ग्रामीण आदिवासी परिवारों का औसत मासिक उपभोक्ता व्यय रु.6155 और रु.8793 है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में संबंधित आंकड़े रु. क्रमशः रु.5317 और 7892 हैं ।

चित्र 6.1: प्रति व्यक्ति आय का वितरण

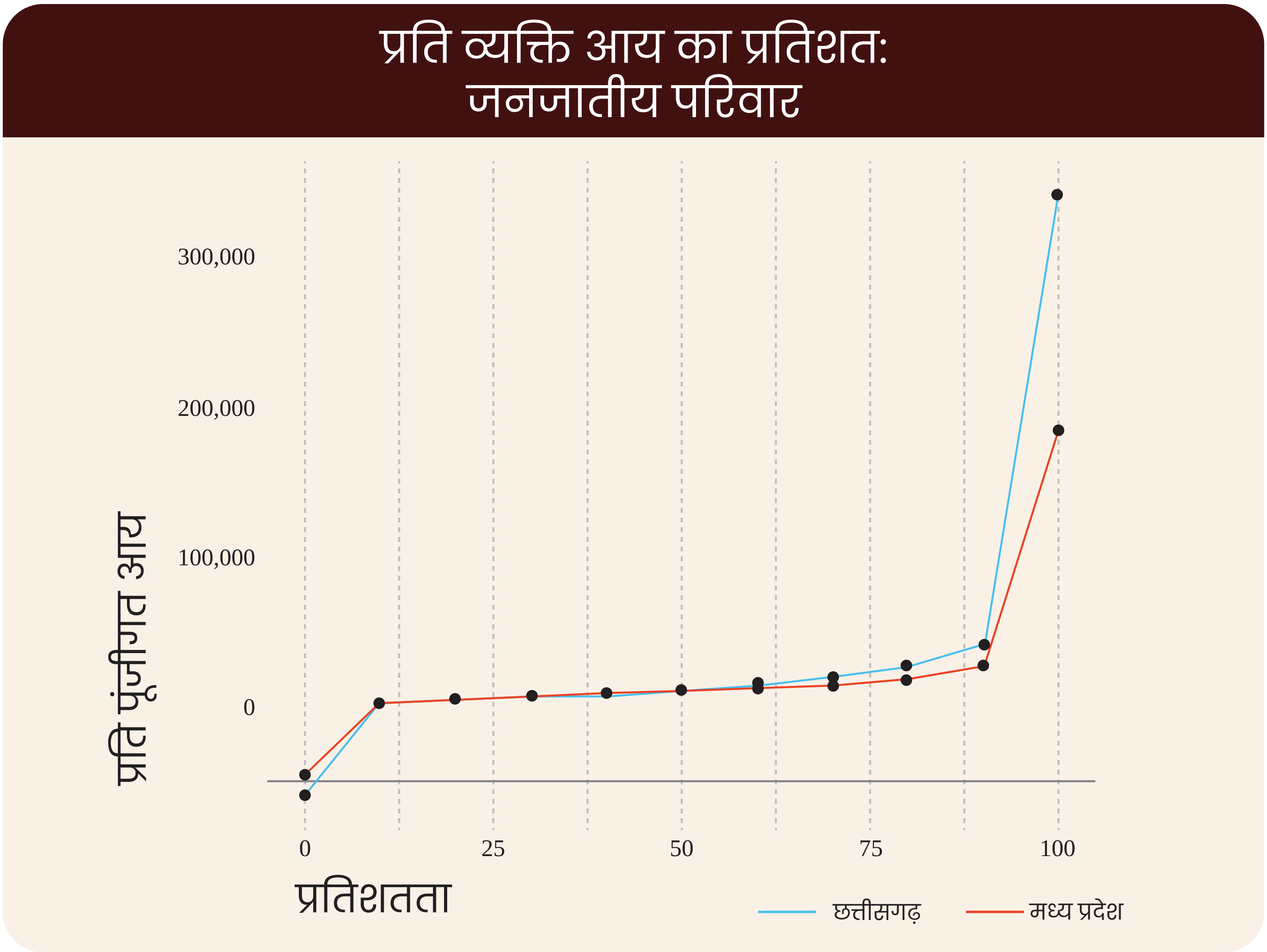

एसएएल डेटा में, हमारे पास प्रत्येक राज्य में लगभग 10% आदिवासी परिवार हैं जिन्होंने नकारात्मक या लगभग शून्य आय की सूचना दी है। दूसरे शब्दों में, उनकी आजीविका गतिविधियों में बड़ा नुकसान हुआ है। इन नकारात्मक कमाई ने औसत कमाई को कम कर दिया है। दूसरी ओर, उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले बहुत कम परिवार हैं। छत्तीसगढ़ में 90वें-100वें प्रतिशत समूह के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय 46463 रुपये है। मध्य प्रदेश के लिए रुपये 69959 है । अत: प्रति व्यक्ति औसत आय कम बनी हुई है।

चित्र 6.2: एनएसएस 76वां दौर, मासिक उपभोक्ता व्यय

चित्र 1 और चित्र 2 से पता चलता है कि एसएएल में परिवारों का वितरण पहले दशमलव को छोड़कर एनएसएस 76वें दौर में जो देखा गया है, उससे मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। चूंकि एनएसएस खपत को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसमें हमेशा इसके लिए सकारात्मक मूल्य होते हैं जबकि एसएएल कमाई को रिकॉर्ड करता है, जो तब नकारात्मक हो सकता है जब परिवारों को बड़ा नुकसान होता है।

एसएएल के दूसरे दौर के साथ एनएसएस 76वें दौर की तुलना से चिंताजनक अवलोकन यह है कि वर्ष 2021-22 में एसएएल से होने वाली आय 2018 में प्रतिशत के मुकाबले खपत से कम है। लेकिन इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि एसएएल ने पीडीएस से उत्पन्न होने वाली अनुमानित आय और प्राप्त किसी भी अन्य सहायता का हिसाब नहीं दिया है। एसएएल यह गणना करता है कि एक परिवार विभिन्न आजीविका चैनलों के माध्यम से क्या कमाता है, जबकि एनएसएस यह गणना करता है कि एक परिवार विभिन्न चैनलों के माध्यम से कितना उपभोग करता है। निम्न आय स्तर वाले परिवारों के लिए, ऐसे परिवारों के जीवन में कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका को देखते हुए उपभोग आय से अधिक हो सकता है।

एकमात्र बिंदु जिसने शायद एसएएल संख्याओं में व्यवस्थित गिरावट को प्रेरित किया है वह मूल नमूना इकाई में स्तरीकरण की अनुपस्थिति है। एसएएल सर्वेक्षण में गांव में सर्वेक्षण किए जाने वाले 20 परिवारों को इन परिवारों की आय के प्राथमिक अनुमान के आधार पर बिना किसी स्तरीकरण के यादृच्छिक रूप से चुना गया था। ग्रामीण स्तर पर एनएसएस नमूने को मकान सूचीकरण और आय के प्राथमिक अनुमान के माध्यम से आय वर्गों में उप-नमूना किया गया है।

संदर्भ

[1] https://www.business-standard.com/article/economy-policy/ch-hattisgarh-gsdp-to-grow-by-8-at-constant-prices-economic-survey-123030300692_1.html

[2] https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhopal/mp-net-per-ca-pita-income-140583-shivraj-elated/articleshow/98321930.cms?from=mdr

[3] See Nolan Brian, Roser Max, and Thewissen Stefan GDP per capita versus median household income: what gives rise to divergence over time? Social Macroeconomics: Working paper series, OECD, May 2016

[4] यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण के लिए नमूना राज्य के भीतर किसी भी उप-समूह के लिए औसत की गणना करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।

#07 आजीविका संबंधी परिणाम

यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की आजीविका की स्थिति का आकलन करने और गैर-आदिवासी परिवारों के साथ तुलना करने के लिए किया गया था। नमूनाकरण की योजना इसी उद्देश्य पर आधारित थी। हालाँकि, दोनों राज्यों के नमूने को समान रूप से तीन क्षेत्रों- छत्तीसगढ़ के मामले में दक्षिण, मध्य और उत्तरी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मामले में भील, गोंड और अन्य आईटीडीपी ब्लॉक क्षेत्र में विभाजित किया गया था। इससे हम दोनों राज्यों में क्षेत्रों के संबंध में आय, आहार विविधता और खाद्य सुरक्षा के बारे में एक सांकेतिक परिदृश्य प्रदान कर पाते हैं।

7.1 विभिन्न क्षेत्रों में आय भिन्नताएँ

इन दोनों राज्यों के सभी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का भील क्षेत्र आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों के बारे में सबसे अधिक औसत पारिवारिक आय दर्शाता है। दरअसल, यहां की औसत आय अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग 1.5 गुना या उससे अधिक है। दोनों राज्यों के बाकी पांच क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच है। भील क्षेत्र में, यह बहुत अधिक यानी 24,571 रुपये है।

तालिका-7.1.1, मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	99,211	1,45,289	
प्रति व्यक्ति आय	24,571	36,875	
परिवारों की संख्या	820	45	0

तालिका-7.1.2,मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	66,724	69,755	79,564
प्रति व्यक्ति आय	15,077	13,800	20,732
परिवारों की संख्या	758	156	81

तालिका-7.1.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	52,597	80,084	61,411
प्रति व्यक्ति आय	12,596	20,034	13,043
परिवारों की संख्या	719	134	120

तालिका-7.2.1, दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	54,961	60,092	1,06,223
प्रति व्यक्ति आय	12,137	13,944	17,366
परिवारों की संख्या	742	172	35

तालिका-7.2.2, मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	57,072	52,980	45,468
प्रति व्यक्ति आय	14,177	14,668	14,198
परिवारों की संख्या	708	159	57

तालिका-7.2.3, उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत पारिवारिक आय, भारतीय रुपये में,

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
परिवार की औसत आय	49,599	48,033	19,488
प्रति व्यक्ति आय	13,063	12,071	6,969
परिवारों की संख्या	861	168	100

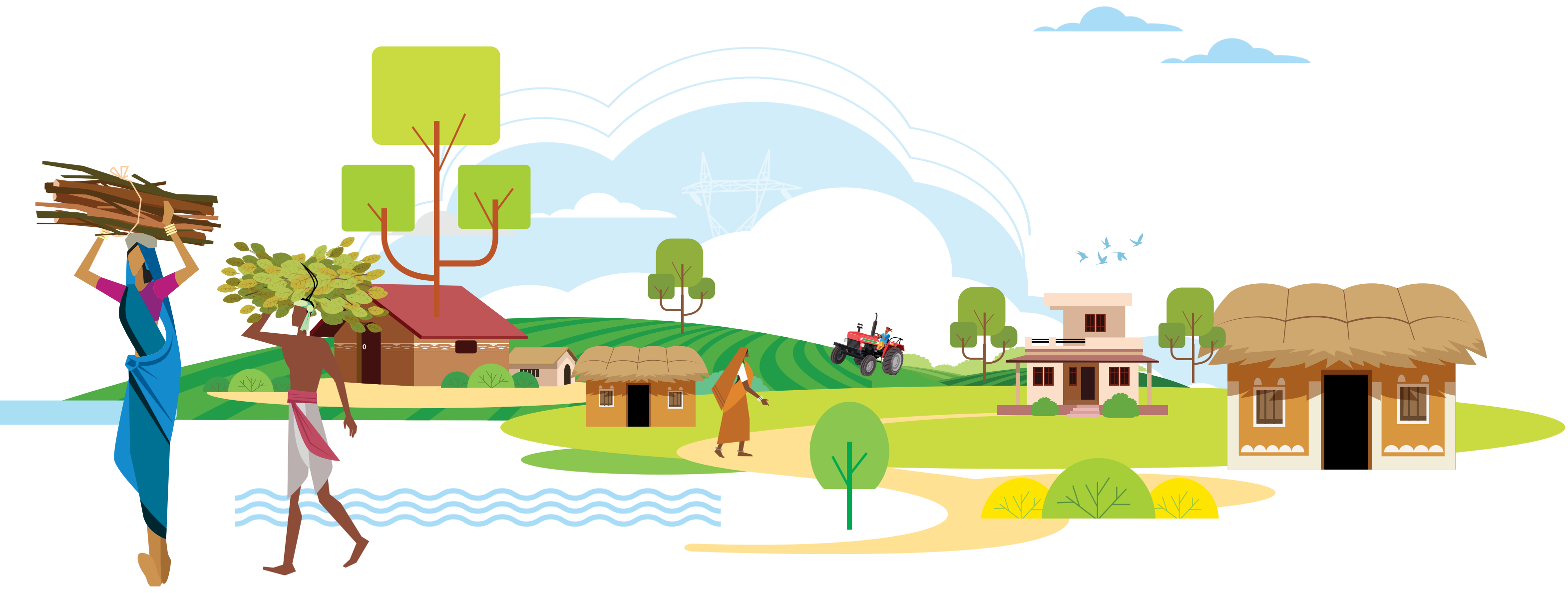

7.2 जिलों में आय में भिन्नता

तीनों श्रेणियों में से प्रत्येक में उत्तरदाता परिवारों की संख्या और जिलों में उनके प्रसार से हम जिलों में आय भिन्नता के बारे में केवल सांकेतिक विवरण दे सके हैं। मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी परिवार की सबसे अधिक औसत वार्षिक आय खरगोन (पश्चिम निमाड़) सिवनी और धार में हुई है, जो लगभग 1 लाख रुपये है। बड़वानी, हरदा और उमरिया सहित इन तीन जिलों में गैर-आदिवासी परिवारों की आय भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी परिवार की औसत वार्षिक आय गरियाबंद और बीजापुर जिलों में सबसे अधिक है, जबकि गैर-आदिवासी परिवारों की आय बस्तर और कोंडागांव जिलों में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवारों की औसत वार्षिक आय नारायणपुर में और मध्य प्रदेश में शहडोल में हुई है।

तालिका 7.3: जिलेवार आय: मध्य प्रदेश

जिलें	परिवार की औसत आय (रुपये)				परिवारों की संख्या			
	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
बड़वानी	68,572	67,052	96,875	NA	320	300	20	0
छिंदवाड़ा	51,115	47,264	70,817	NA	479	400	79	0
धार	1,00,101	92,299	1,51,999	NA	400	340	60	0
हरदा	78,268	68,330	1,27,460	NA	120	100	20	0
जबलपुर	50,041	49,090	54,697	NA	484	401	83	0
खरगोन (पश्चिम निमाड़)	1,56,403	1,65,105	1,07,384	NA	220	180	40	0
सिवनी	1,04,624	1,06,110	97,156	NA	241	201	40	0
शाहडोल	64,675	66,383	37,665	85,025	242	161	41	40
उमरिया	58,445	51,481	1,03,362	NA	300	260	40	0
श्योपुर	61,411	NA	NA	61,411	120	0	0	120
मंडला	74,236	NA	NA	74,236	41	0	0	41

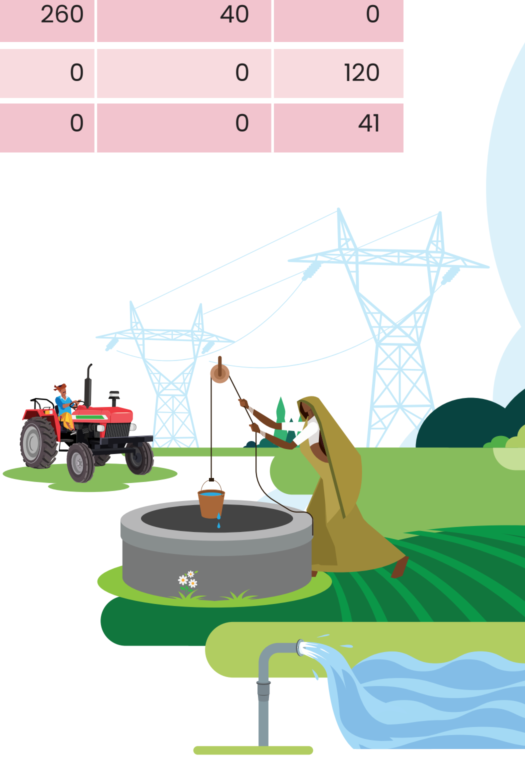

तालिका 7.4: जिलेवार आय: छत्तीसगढ़

जिलें	परिवार की औसत आय (रूपये)				परिवारों की संख्या			
	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	कुल	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
बस्तर	61,346	58,343	73,065	NA	404	322	82	0
बीजापुर	57,121	60,744	42,538	NA	201	161	40	0
बिलासपुर	55,329	56,178	51,876	NA	304	244	60	0
गरियाबंद	64,990	71,758	58,810	45,468	297	200	40	57
जशपुर	46,916	54,912	45,323	19,488	522	362	60	100
कबीरधाम	45,549	45,828	44,697	NA	81	61	20	0
कोंडागांव	48,358	45,746	61,030	NA	322	262	60	0
कोरिया	40,638	37,150	58,078	NA	240	200	40	0
सूरजपुर	50,290	51,573	44,515	NA	402	321	81	0
नारायणपुर	1,06,223	NA	NA	1,06,223	35	0	0	35
जीपीएम	48,049	47,055	53,093	NA	244	204	40	0

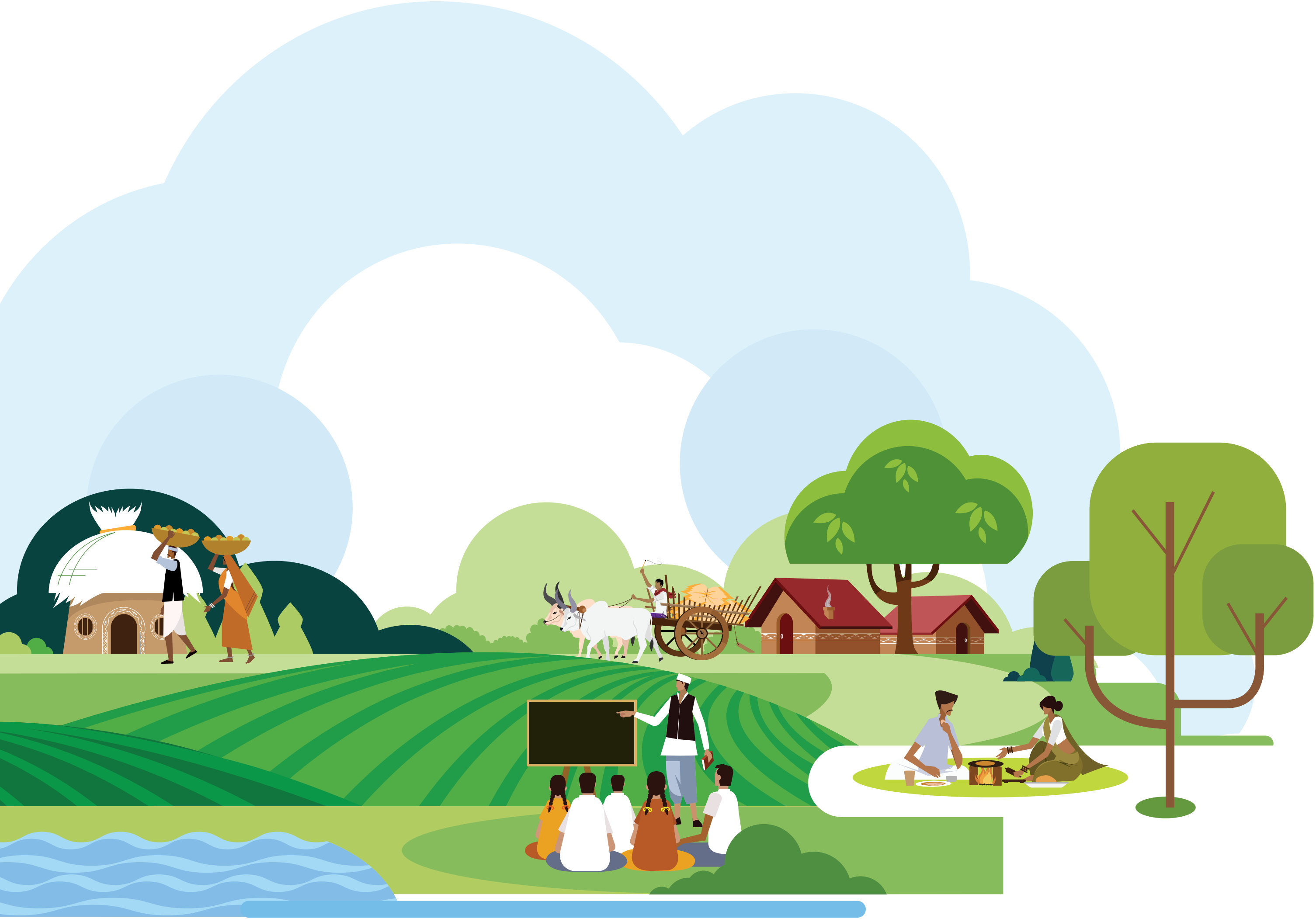

7.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) से लाभ

वर्तमान में सामाजिक कल्याण योजनाओं से मिलने वाले लाभ की गणना पारिवारिक आय के रूप में नहीं की जाती है। इन योजनाओं में, पीडीएस सबसे महत्वपूर्ण है और यह परिवारों को उनकी कमजोरी को काफी हद तक कम करने में मदद करती है। तालिका 7.5 और 7.6 में दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ के 98% आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों और 91% पीवीटीजी परिवारों को पीडीएस से चावल प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में, 91% आदिवासी परिवारों को पीडीएस से चावल और 90% को गेहूं मिला।

तालिका-7.5, मध्य प्रदेश में पीडीएस दुकान से प्राप्त वस्तुओं का प्रतिशत

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल की खपत की सूचना दी गई	91	70	87
गेहूँ की खपत की सूचना दी गई	90	69	86
दालों की खपत की सूचना दी गई	2	4	5
चीनी की खपत की सूचना दी गई	8	5	50
मिट्टी के तेल की खपत की सूचना दी गई	15	15	14
परिवारों की संख्या	2,405	361	201

तालिका- 7.6 छत्तीसगढ़ में पीडीएस दुकान से सामान प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल की खपत की सूचना दी गई	98	98	91
गेहूँ की खपत की सूचना दी गई	1	1	0
दालों की खपत की सूचना दी गई	22	22	2
चीनी की खपत की सूचना दी गई	96	98	91
मिट्टी के तेल की खपत की सूचना दी गई	24	28	6
परिवारों की संख्या	2,339	520	192

तालिकाएँ 7.7. और 7.8 पीडीएस से वस्तुओं की खरीद के लिए प्रति माह अपनी जेब से पारिवारिक खर्च दर्शाती हैं। इन तालिकाओं की अंतिम पंक्ति सभी वस्तुओं का बाजार मूल्य एक साथ दर्शाती है। छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणियों के परिवारों को मध्य प्रदेश की तुलना में पीडीएस से अधिक लाभ मिलता है। दोनों राज्यों में पीडीएस के जरिये आजीविका गतिविधियों से होनेवाली कम पारिवारिक आय की भरपाई होती है।

तालिका 7.7, मध्य प्रदेश में पीडीएस मदों पर औसत पारिवारिक व्यय (प्रति माह रु.)

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल का खर्च (जेब से)	9	11	10
गेहूं का खर्च (जेब से)	18	15	19
दालों का खर्च (जेब से)	6	1	1
चीनी व्यय (जेब से)	21	11	24
केरोसिन पर व्यय (जेब से)	94	94	71
कुल व्यय (जेब से)	43	46	55
कुल उपभोग मूल्य (बाजार मूल्य)	865	849	1,098

तालिका 7.8, छत्तीसगढ़ में पीडीएस मदों पर औसत पारिवारिक व्यय (प्रति माह रु.)

मद का नाम	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
चावल का खर्च (जेब से)	23	21	20
गेहूं का खर्च (जेब से)	4	3	#N/A
दालों का खर्च (जेब से)	11	11	10
चीनी व्यय (जेब से)	19	18	19
केरोसिन पर व्यय (जेब से)	81	101	88
कुल व्यय (जेब से)	64	70	45
कुल उपभोग मूल्य (बाजार मूल्य)	1518	1433	1340

7.4 आहार की विविधता

परिवारों में सदस्यों की आहार विविधता को समझने के लिए हमने खाद्य उपभोग स्कोर (एफसीएस) का उपयोग किया, जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा विकसित एक साधन है। इस साधन का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-जे में दिया गया है।

अपने अध्ययन में, हम प्रत्येक परिवार की महिला सदस्यों की एफसीएस और परिवार के बाकी सदस्यों की एफसीएस का अलग-अलग अध्ययन किया। तालिका 7.3 और 7.5 में, 'घर' का अर्थ महिला सदस्यों के अलावा घर के सभी सदस्यों से है। इसी प्रकार, तालिका 7.4 और 7.6 में, घरों की महिला सदस्यों की एफसीएस का मतलब उन महिला सदस्यों की एफसीएस है, जो हमारी प्रश्नावली के उत्तरदाता थे।

तालिका 7.8: परिवारों की आहार विविधता (%): मध्य प्रदेश

	ख़राब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	4.2	37.1	58.7	1,774
गैर-आदिवासी	2.4	25.4	72.2	291
पीवीटीजी	1.1	34.5	64.4	177

मध्य प्रदेश का डेटा स्वीकार्य आहार विविधता वाले परिवारों के प्रतिशत के संबंध में आदिवासी और गैर-आदिवासी के बीच व्यापक अंतर दर्शाता है। 58.7% आदिवासियों और 72.2% गैर-आदिवासी लोगों के पास स्वीकार्य आहार सेवन है। सीमावर्ती आहार विविधता वाले आदिवासी लोगों का प्रतिशत सीमावर्ती आहार विविधता वाले गैर-आदिवासी लोगों के प्रतिशत से भी अधिक है। स्वीकार्य आहार विविधता वाले पीवीटीजी का प्रतिशत आदिवासियों में अधिक है। इसके अलावा, 4.2% आदिवासी और 2.4% गैर-आदिवासी परिवारों से तुलना की जाए तो पीवीटीजी परिवारों में केवल 1.1% ही ऐसे हैं, जिनकी आहार विविधता ख़राब है।

तालिका 7.9: मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता

	ख़राब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	4.2	37.7	58.1	1,774
गैर-आदिवासी	2.7	26.5	70.8	291
पीवीटीजी	1.1	35.6	63.3	177

मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता का पैटर्न परिवार के अन्य सदस्यों के समान है। हालाँकि, स्वीकार्य आहार विविधता रखने वाली महिला सदस्यों का प्रतिशत परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में थोड़ा कम है।

छत्तीसगढ़ का डेटा मध्य प्रदेश की तुलना में स्वीकार्य आहार विविधता वाले सभी श्रेणियों के परिवारों का प्रतिशत बहुत कम दर्शाता है। केवल 36.3% आदिवासी, 42.9% गैर-आदिवासी और केवल 16.8% पीवीटीजी परिवारों के पास स्वीकार्य आहार विविधता है। 19% पीवीटीजी परिवारों में आहार संबंधी विविधता ख़राब है। सभी वर्ग के अधिकांश परिवार बोर्डरलाइन पर हैं।

तालिका 7.10: परिवार की आहार विविधता(%): छत्तीसगढ़

	ख़राब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	2.2	61.5	36.3	1,956
गैर-आदिवासी	2.5	54.6	42.9	441
पीवीटीजी	19.0	64.2	16.8	179

तालिका 7.11: छत्तीसगढ़ में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता

	ख़राब आहार विविधता	बोर्डरलाइन आहार विविधता	स्वीकार्य आहार विविधता	परिवारों द्वारा रिपोर्टिंग(एन)
आदिवासी	2.0	61.9	36.1	1,956
गैर-आदिवासी	2.0	54.2	43.8	441
पीवीटीजी	19.6	64.2	16.2	179

छत्तीसगढ़ में, परिवार की महिला सदस्यों की आहार विविधता भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही होती है।

क्षेत्र-वार भी, आहार विविधता स्कोर (एफसीएस) में भिन्नता है। भील क्षेत्र में स्वीकार्य आहार विविधता वाले आदिवासी(81%) और गैर-आदिवासी(93%)परिवारों का प्रतिशत बहुत अधिक है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ का मध्य क्षेत्र खराब आहार विविधता वाले आदिवासी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत(0.6%) दर्शाता है और छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र खराब आहार विविधता वाले पीवीटीजी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत(0%) दर्शाता है।

तालिका 7.12.1, परिवारों की आहार विविधता (%), मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.2	2.3	
बोर्डरलाइन (21-35)	16.7	4.7	
स्वीकार्य (>35)	81.1	93.0	

तालिका 7.12.2, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.7	1.5	1.5
बोर्डरलाइन (21-35)	44.6	31.1	36.4
स्वीकार्य (>35)	52.7	67.4	62.1

तालिका 7.12.3, मध्य प्रदेश में अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	7.3	3.4	0.9
बोर्डरलाइन (21-35)	46.1	26.7	33.3
स्वीकार्य (>35)	46.6	69.8	65.8

तालिका 7.13.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.2	1.4	0.0
बोर्डरलाइन (21-35)	48.9	48.6	56.0
स्वीकार्य (>35)	48.9	50.0	44.0

तालिका 7.13.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	0.6	2.1	1.8
बोर्डरलाइन (21-35)	66.7	49.3	69.1
स्वीकार्य (>35)	32.7	48.6	29.1

तालिका 7.13.3, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में परिवारों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	3.5	3.9	33.3
बोर्डरलाइन (21-35)	66.1	65.4	63.6
स्वीकार्य (>35)	30.3	30.7	3.0

7.5 पारिवारिक खाद्य सुरक्षा

एफसीएस आहार की विविधता के बारे में जानकारी देता है। यह भोजन की पहुंच और पर्याप्तता को नहीं दर्शाता है। पारिवारिक स्तर पर भोजन की पहुंच और पर्याप्तता को मापने के लिए हमने पारिवारिक खाद्य असुरक्षा पहुंच स्केल (एचएफआईएएस)साधन का उपयोग किया। इस साधन का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-के में दिया गया है।

एफसीएस के समान, प्रत्येक परिवार की महिला सदस्य का एचएफआईएएस स्कोर और परिवार के बाकी सदस्यों के एचएफआईएएस स्कोर की अलग-अलग गणना की गई। तालिका 7.7 और 7.9 में, 'परिवार' का तात्पर्य उन महिला सदस्यों के अलावा परिवार के सभी सदस्यों से है, जो उत्तरदाता थीं। इसी तरह, तालिका 7.8 और 7.10 में, परिवारों की महिला सदस्यों का एचएफआईएएस स्कोर उन महिला सदस्यों को संदर्भित करता है, जो हमारी प्रश्नावली के उत्तरदाता थे।

स्कोर से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 31.8% आदिवासी, 26.8%% गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों का एक बड़ा प्रतिशत, 60.8% गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित है। 42.8% गैर-आदिवासी परिवार भोजन सुरक्षित हैं जबकि केवल 25.9% आदिवासी और 25.6% पीवीटीजी परिवार भोजन सुरक्षित हैं।

तालिका 7.14: मध्य प्रदेश में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	25.9	42.8	25.6
कम खाद्य असुरक्षित	18.4	14.4	5.7
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	23.8	16.0	8.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.8	26.8	60.8

मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों के बारे में भी यही स्थिति है। हालाँकि, आदिवासी परिवारों में महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा अन्य सदस्यों की तुलना में थोड़ी अधिक है।

तालिका 7.15: परिवारों की महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा: मध्य प्रदेश (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	30.1	43.8	25.6
कम खाद्य असुरक्षित	15.8	14.4	7.4
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	22.5	16.3	6.3
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.7	25.5	60.8

छत्तीसगढ़ में, खाद्य सुरक्षित आदिवासी(49.7%)और पीवीटीजी(48.6%)परिवारों का प्रतिशत मध्य प्रदेश के प्रतिशत से लगभग दोगुना है। यहां गैर-आदिवासी खाद्य सुरक्षित परिवारों का प्रतिशत आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की तुलना में कम है। गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा वाले परिवारों का प्रतिशत आदिवासी में 27%, गैर-आदिवासी में 28.8% और पीवीटीजी परिवारों के संदर्भ में 41.4% है।

तालिका 7.16: छत्तीसगढ़ में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	49.7	46.4	48.6
कम खाद्य असुरक्षित	15.3	17.2	4.4
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.0	7.6	5.5
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	27.0	28.8	41.4

तालिका 7.17: छत्तीसगढ़ में परिवारों की महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा:(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	49.3	47.3	48.1
कम खाद्य असुरक्षित	15.0	17.4	4.4
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	9.6	7.4	5.5
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	26.0	27.9	42.0

महिला सदस्यों के मामले में खाद्य सुरक्षा का पैटर्न काफी हद तक छत्तीसगढ़ के परिवारों के बाकी सदस्यों के समान ही है।

क्षेत्रवार भी खाद्य सुरक्षा अलग-अलग होती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में आदिवासी परिवारों का उच्चतम प्रतिशत(58%) खाद्य सुरक्षित है और आदिवासी परिवारों का सबसे कम प्रतिशत(15%) गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित है। मध्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, 100% पीवीटीजी परिवारों ने भोजन सुरक्षा मिलने की सूचना दी। उसी समय, मध्य छत्तीसगढ़ में 44% आदिवासी परिवारों ने गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना दी; यह क्षेत्रों में सबसे अधिक है। उसी क्षेत्र में, गैर-आदिवासी परिवारों में भी गंभीर खाद्य असुरक्षा का प्रतिशत सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में भील और गोंड क्षेत्रों के बाहर अन्य आईटीडीपी ब्लॉक आदिवासी परिवारों के भोजन सुरक्षित होने का प्रतिशत सबसे कम दर्शाते हैं।

तालिका 7.18.1, मध्य प्रदेश के भील क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	33.8	45.2	
कम खाद्य असुरक्षित	28.0	21.4	
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	9.4	7.1	
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	28.9	26.2	
परिवारों की संख्या	533	42	0

तालिका 7.18.2,मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	28.2	43.9	23.1
कम खाद्य असुरक्षित	12.8	7.9	10.8
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	17.2	15.8	9.2
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	41.7	32.4	56.9
परिवारों की संख्या	662	139	65

तालिका 7.18.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	17.1	40.8	27.0
कम खाद्य असुरक्षित	16.4	19.2	2.7
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	42.4	19.2	7.2
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	24.1	20.8	63.1
परिवारों की संख्या	648	125	111

तालिका 7.19.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	57.9	61.6	92.3
कम खाद्य असुरक्षित	21.2	12.6	3.8
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	6.2	9.9	0.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	14.7	15.9	3.8
परिवारों की संख्या	585	151	26

तालिका 7.19.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	38.0	32.6	100.0
कम खाद्य असुरक्षित	9.0	12.5	0.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.5	4.2	0.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	44.4	50.7	0.0
परिवारों की संख्या	655	144	55

तालिका 7.19.3, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खाद्य सुरक्षित	53.4	44.4	9.0
कम खाद्य असुरक्षित	16.2	26.1	7.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.9	8.5	10.0
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	21.5	20.9	74.0
परिवारों की संख्या	785	153	100

7.4 पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सिर का घेरा

सिर का घेरा पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण का एक संकेतक है। किसी भी बच्चे के सिर का घेरा अनुशंसित जनसंख्या स्कोर के 3-97 प्रतिशत के भीतर होना चाहिए।

मध्य प्रदेश में, आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों में कुपोषण(3-97 प्रतिशतक के बाहर) के साथ पांच साल से कम उम्र के पुरुष बच्चों का प्रतिशतक क्रमशः 52.2%, 63.3% और 61.4% है (तालिका 7.11 देखें जिसमें बच्चे का प्रतिशतक 3-97 प्रतिशतक के भीतर दर्शाता है)। आदिवासी परिवारों में बच्चियों के बारे में स्थिति लगभग समान है, गैर-आदिवासी परिवारों में बेहतर और पीवीटीजी परिवारों में बदतर है।

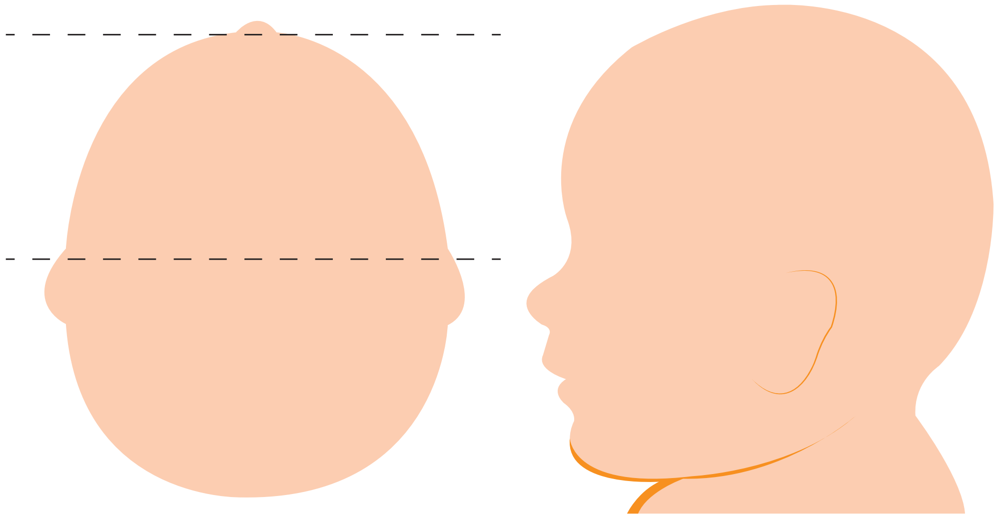

तालिका 7.20: मध्य प्रदेश में पुरुष और महिला बच्चों के सिर का घेरा(60 महीने तक की आयु)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
3-97 प्रतिशतक(%) में सिर की परिधि वाले पुरुष बच्चे	47.8	36.7	38.6
60 महीने तक की आयु वाले पुरुष बच्चों की संख्या का आकलन किया गया	276	30	44
3-97 प्रतिशतक (%) में सिर का घेरा वाली बच्चियां	48.3	51.9	27.5
60 महीने तक की आयु वाली बच्चियों की संख्या का आकलन किया गया	240	27	40

छत्तीसगढ़ में आदिवासी, गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों के पांच साल से कम उम्र के पुरुष बच्चे क्रमशः 42.7%, 41.3% और 54.2% कुपोषण से पीड़ित हैं। गैर-आदिवासी (32.6%) और पीवीटीजी (35.7%) के मामले में कुपोषण से ग्रस्त महिला बच्चों का प्रतिशत उन श्रेणियों में पुरुष बच्चों की तुलना में बहुत कम है। आदिवासियों में बच्चियों के मामले में स्थिति थोड़ी खराब है (तालिका 7.20 देखें)।

तालिका 7.21: छत्तीसगढ़ में पुरूष और महिला बच्चों के सिर का घेरा (60 महीने तक की आयु):

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
3-97 प्रतिशतक(%) में सिर की परिधि वाले पुरूष बच्चे	57.3	58.7	45.8
60 महीने तक की आयु वाले पुरुष बच्चों की संख्या का आकलन किया गया	239	46	24
3-97 प्रतिशतक (%) में सिर का घेरा वाली बच्चियां	56.0	67.4	64.3
60 महीने तक की आयु वाली बच्चियों की संख्या का आकलन किया गया	216	43	14

संदर्भ

Dietary diversity:

Dietary diversity, as defined by the World Health Organization (WHO), refers to the variety and number of different food groups consumed by individuals or households over a specific period. It measures the extent to which an individual's diet incorporates a wide range of food groups, reflecting the nutritional quality and adequacy of their food intake (for more details, see Annexure - J).

Household Food security:

Household food security is defined as the availability, adequacy, and utilization of food within a household (for more details, see Annexure -K).

#08

आदिवासी समाज में महिलाएँ और आजीविकाएँ

इस अध्ययन के दौरान आयोजित फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी)और व्यक्तिगत साक्षात्कार(पीआई)में, यह कई बार साझा किया गया कि आदिवासी समाज की आदिवासी महिलाएं गैर-आदिवासी समाज के अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। वे अधिक गतिशील और स्वायत्त हैं। उनके लिए काम के लिए बाहर निकलना और बाजार जाना कोई वर्जित नहीं है।

तथापि, यह भी साझा किया गया कि आदिवासी महिलाएँ अधिकांश घरेलू काम करती हैं, वे जंगलों में भी जाती हैं और ईंधन की लकड़ी और अन्य वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, और वे खेती में अधिकांश काम करती हैं। एफजीडी में यह साझा किया गया कि आदिवासी महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं और लगभग पूरे दिन काम करती हैं; कभी-कभी उन्हें न चाहते हुए भी बाहर मजदूरी करनी पड़ती है क्योंकि अन्यथा, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। वे सब्जियां बेचने और दैनिक उपयोग की चीजें खरीदने बाजार जाती हैं।

जब घर का कोई पुरूष सदस्य प्रवासन करता है, तो उनके पीछे घर में रुकनेवाली महिलाओं को जो पैसों की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें कुछ खरीदना हो या कहीं जाना हो तो वे ऐसा नहीं कर पाती। परिवार की महिला के काम-काज दोगुने हो जाते हैं। महिलाएं जब प्रवासन करती हैं, तो कई मामलों में, उनके बच्चे वहीं रह जाते हैं और घर के अन्य बुजुर्ग लोग उनकी देखभाल करते हैं। कई मामलों में तो पूरा परिवार ही प्रवासन करता है। दोनों ही स्थिति में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।

प्रथागत परंपराओं/कानूनों, भूमिका के विभाजन, तथा निर्णय लेने आदि में लैंगिक भेदभाव दिखाई देता है। प्रथागत कानून में महिलाओं को भूमि के अधिकार से वंचित रखा जाता है और ये कानून व्यक्तियों के सापेक्ष समुदाय को प्राथमिकता देने के अपने मान के साथ इसे उचित ठहराते हैं। बदलते समय के साथ महिलाओं की स्थिति और लैंगिक संबंध भी बदल रहे हैं। इसमें मीडिया की प्रभावशाली भूमिका है। सीएसओ और सरकार महिला संगठनों, एसएचजी और सहयोगी स्तरों को मजबूत करने और गांव में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ महिला उत्तरदाताओं, जो एसएचजी का भी हिस्सा हैं, ने साझा किया कि इससे महिलाओं को परिवार के साथ-साथ गांव में भी निर्णय लेने पर कुछ नियंत्रण रखने में मदद मिली है। भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित कुछ सुविधाजनक नीतियों ने भी आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने में मदद की है। इस अध्याय में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी आजीविका परिदृश्यों में महिलाओं की स्थिति पर डेटा प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कुछ डेटा पिछले अध्यायों की पुनरावृत्ति भी हो सकता है ।

8.1 मोबाइल और स्मार्टफोन का स्वामित्व

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

आदिवासी	66%

आदिवासी	72%

बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज है

महिला सदस्य

आदिवासी	6.9%

आदिवासी	11.2%

आदिवासी परिवारों की महिला सदस्यों के पास अपना मोबाइल फोन है

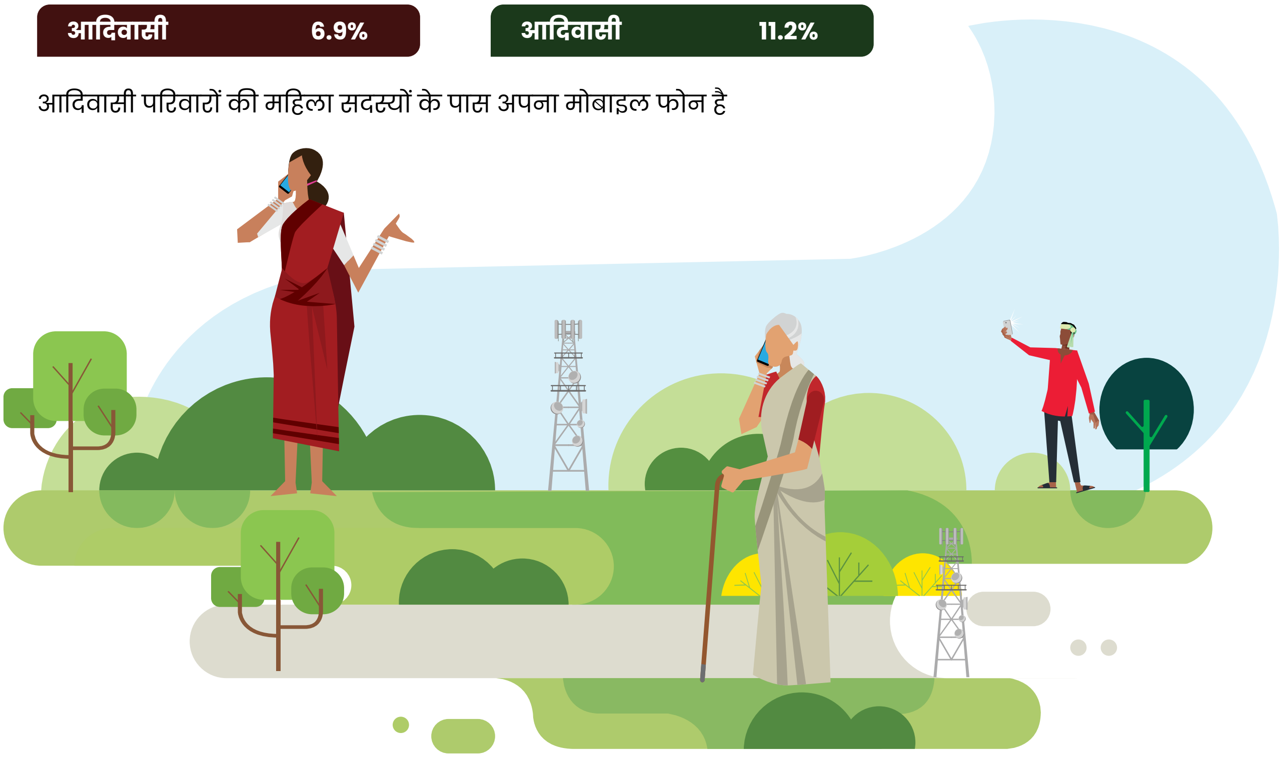

तालिका 8.1: मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों में मोबाइल फोन का स्वामित्व(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
जिन परिवारों की महिला सदस्यों के पास मोबाइल फोन है	6.9	13.5	6.5
महिलाएं, जिनके पास स्मार्ट फ़ोन है	4.0	8.9	3.9

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
जिन परिवारों की महिला सदस्यों के पास मोबाइल फोन है	11.2	17.6	4.4
महिलाएं, जिनके पास स्मार्ट फ़ोन है	7.2	12.7	2.6

8.2 क्षेत्रवार कार्यात्मक साक्षरता

क्षेत्र-वार कार्यात्मक साक्षरता परिणाम से पता चलता है कि साक्षरता परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक है। 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली गैर-आदिवासी महिलाओं का प्रतिशत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छह क्षेत्रों में से दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है।

आदिवासी परिवारों की महिलाओं का औसत साक्षरता स्कोर उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। गैर-आदिवासी परिवारों की महिलाओं का औसत साक्षरता स्कोर दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है और पीवीटीजी परिवारों की महिलाओं का औसत साक्षरता स्कोर मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में सबसे अधिक है।

तालिका 8.3.1, भील क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	1.5	2.8	
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	1.6	4.3	
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.6	2.5	
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	4.7	9.7	
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	521	42	
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	10.7	11.9	
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	12.9	38.1	
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	2.3	2.4	
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	4.2	9.5	

तालिका 8.3.2, गोंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	2.5	3.0	2.4
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	3.0	3.9	2.2
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.9	2.6	1.6
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	7.4	9.6	6.1
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	652	136	67
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	15.8	17.6	22.4
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	25.2	32.4	17.9
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	14.3	20.6	11.9
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	14.3	21.3	13.4

तालिका 8.3.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	1.7	2.8	0.3
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	2.3	4.6	0.5
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.3	2.8	1.2
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	5.3	10.2	2.0
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	633	119	109
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	8.4	10.9	0.0
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	14.7	36.1	1.8
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	5.7	12.6	2.8
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	6.6	10.1	1.8

तालिका 8.4.1, दक्षिण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	2.0	3.6	0.4
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	2.4	3.7	0.4
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.7	3.2	0.4
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	6.1	10.5	1.1
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	561	151	26
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	13.0	32.5	3.8
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	17.6	30.5	3.8
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	10.7	23.2	3.8
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	12.5	26.5	3.8

तालिका 8.4.2, मध्य क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	2.4	3.7	0.7
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	2.6	3.9	0.8
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	1.8	2.9	0.3
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	6.8	10.5	1.8
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	647	140	54
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	16.7	27.9	1.9
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	19.2	29.3	5.6
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	10.5	18.6	0.0
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	13.3	22.1	0.0

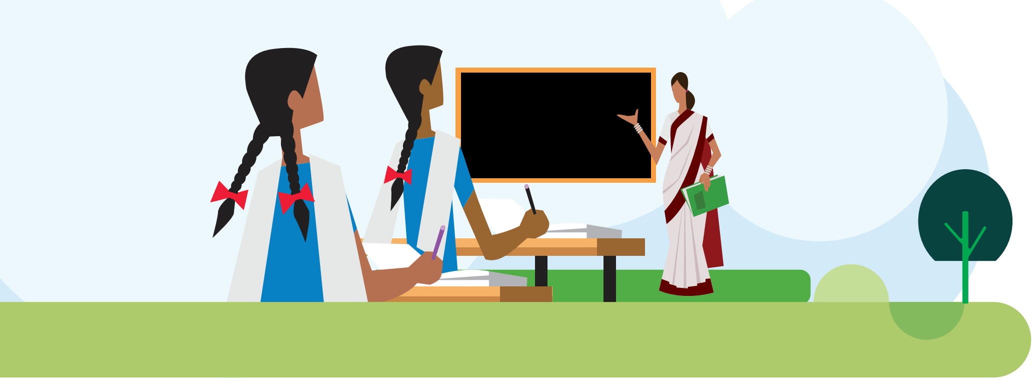

तालिका 8.4.3, उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
औसत पढ़ने का स्कोर (10 में से)	3.4	3.4	0.5
औसत लेखन स्कोर (10 में से)	3.9	3.7	0.5
औसत संख्यात्मक अंक (10 में से)	3.1	2.9	0.7
औसत कार्यात्मक साक्षरता स्कोर (30 में से)	10.3	10.1	1.6
कार्यात्मक साक्षरता परीक्षा देने वाली परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या	779	150	100
पढ़ने में 80% से अधिक अंक पाने वाली महिलाओं का प्रतिशत	21.8	28.0	2.0
लेखन में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	34.8	33.3	4.0
अंकगणित परीक्षण में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत	23.0	22.0	3.0
80% से अधिक समग्र कार्यात्मक साक्षरता स्कोर वाली महिलाओं की कुल संख्या का प्रतिशत	22.8	23.3	3.0

8.3 आहार विविधता

महिला सदस्य

मध्य प्रदेश

आदिवासी	**58%**
पीवीटीजी	**63%**

परिवारों की महिलाओं में स्वीकार्य आहार विविधता है। यहां स्वीकार्य आहार विविधता वाले गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत अधिक है।

छत्तीसगढ़

आदिवासी	**36%**
गैर-आदिवासी	**44%**
पीवीटीजी	**16%**

परिवारों में स्वीकार्य आहार विविधता है

तालिका 8.5: मध्य प्रदेश में परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	4.2	2.7	1.1
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	37.7	26.5	35.6
स्वीकार्य (>35)	58.1	70.8	63.3
सूचित करनेवाले परिवार (N)	1,774	291	177

तालिका 8.6: छत्तीसगढ़ में महिला सदस्यों की आहार विविधता(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.0	2.0	19.6
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	61.9	54.2	64.2
स्वीकार्य (>35)	36.1	43.8	16.2
सूचित करनेवाले परिवार (N)	1,956	441	179

महिला आहार विविधता के संबंध में अलग-अलग क्षेत्र-वार डेटा से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भील क्षेत्र में स्वीकार्य आहार विविधता वाले आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तथापि, जहां महिलाओं ने खराब आहार विविधता की सूचना दी है उन आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत मध्य छत्तीसगढ़ के मामले में सबसे कम है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में, पीवीटीजी परिवारों की किसी भी महिला ने खराब आहार विविधता की सूचना नहीं दी।

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.0	2.3	0
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	17.5	9.3	0
स्वीकार्य (>35)	80.5	88.4	0

तालिका 8.7.2, मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.5	1.5	1.5
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	45.9	29.5	34.8
स्वीकार्य (>35)	51.6	68.9	63.6

तालिका 8.7.3, मध्य प्रदेश में अन्य आईटीडीपी ब्लॉक के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%),

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	7.8	4.3	0.9
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	45.8	29.3	36.0
स्वीकार्य (>35)	46.4	66.4	63.1

तालिका 8.8.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	2.4	2.7	0.0
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	50.2	47.9	48.0
स्वीकार्य (>35)	47.4	49.3	52.0

तालिका 8.8.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	0.5	0.7	1.8
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	65.6	49.3	74.5
स्वीकार्य (>35)	34.0	50.0	23.6

तालिका 8.8.3, छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्र के परिवारों की महिला सदस्यों की आहार विविधता (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
खराब (<=21)	3.0	2.6	34.3
बॉर्डरलाइन (21.5-35)	67.2	64.7	62.6
स्वीकार्य (>35)	29.8	32.7	3.0

8.4 खाद्य सुरक्षा

मध्य प्रदेश में 32% आदिवासी परिवारों और 61% पीवीटीजी परिवारों की महिलाओं ने बताया कि वे गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत 26 और 48 है। गैर-आदिवासी परिवारों के मामले में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए यही आंकड़े क्रमशः 26% और 28% हैं।

तालिका 8.9: मध्य प्रदेश में महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.7	25.5	60.8
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	22.5	16.3	6.3
कम खाद्य असुरक्षित	15.8	14.4	7.4
खाद्य सुरक्षित	30.1	43.8	25.6
परिवारों की संख्या	1,843	306	176

तालिका 8.10: छत्तीसगढ़ में महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	26.0	27.9	42.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	9.6	7.4	5.5
कम खाद्य असुरक्षित	15.0	17.4	4.4
खाद्य सुरक्षित	49.3	47.3	48.1
परिवारों की संख्या	2,025	448	181

क्षेत्र-वार अलग-अलग आंकड़ों से पता चलता है कि जहां महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा मिलने की सूचना दी है, ऐसे आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों का प्रतिशत, दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। पीवीटीजी परिवारों का प्रतिशत, जहां महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा मिलने की सूचना दी है, मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है।

तालिका 8.11.1, भील क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%),

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	39.4	47.6	
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	23.8	14.3	
कम खाद्य असुरक्षित	9.4	11.9	
खाद्य सुरक्षित	27.4	26.2	
परिवारों की संख्या	533	42	

तालिका 8.11.2, गोंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	31.9	46.0	23.1
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	11.6	10.1	10.8
कम खाद्य असुरक्षित	14.5	14.4	7.7
खाद्य सुरक्षित	42.0	29.5	58.5
परिवारों की संख्या	662	139	65

तालिका 8.11.3, मध्य प्रदेश के अन्य आईटीडीपी ब्लॉक में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	20.5	40.0	27.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	13.4	19.2	5.4
कम खाद्य असुरक्षित	41.4	20.0	5.4
खाद्य सुरक्षित	24.7	20.8	62.2
परिवारों की संख्या	648	125	111

तालिका 8.12.1, छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	58.1	61.6	88.5
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	19.7	16.6	7.7
कम खाद्य असुरक्षित	8.4	7.3	0.0
खाद्य सुरक्षित	13.8	14.6	3.8
परिवारों की संख्या	585	151	26

तालिका 8.12.2, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा (%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	37.1	35.4	100.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	8.9	11.8	0.0
कम खाद्य असुरक्षित	10.2	3.5	0.0
खाद्य सुरक्षित	43.8	49.3	0.0
परिवारों की संख्या	655	144	55

तालिका 8.12.3, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में महिला सदस्य परिवारों की खाद्य सुरक्षा(%)

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित	53.0	44.4	9.0
मध्यम रूप से खाद्य असुरक्षित	16.7	23.5	6.0
कम खाद्य असुरक्षित	10.1	11.1	10.0
खाद्य सुरक्षित	20.3	20.9	75.0
परिवारों की संख्या	785	153	100

8.5 विभिन्न स्रोतों से आय

तालिका 8.13: मध्य प्रदेश में महिला-प्रधान परिवारों का औसत वार्षिक पारिवारिक आय स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन से उपज	मजदूरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रु.)	**40,847**	**-2,827**	**6,320**	**35,712**	**4,009**	**11,974**	**22,142**	**79,108**
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	240	195	165	273	174	118	32	386
गैर-आदिवासी (रु.)	**64,094**	**-4,249**	**7,522**	**26,137**	**1,640**	**12,000**	**29,125**	**74,904**
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	40	29	9	40	30	16	8	61
पीवीटीजी (रु.)	**64,094**	**-4,249**	**7,522**	**26,137**	**1,640**	**12,000**	**29,125**	**74,904**
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	55	20	51	41	27	16	1	66

तालिका 8.14: छत्तीसगढ़ में महिला-प्रधान परिवारों का औसत वार्षिक पारिवारिक आय स्रोत

	खेती	पशुपालन	वन से उपज	मजदूरी	वेतन/ पेंशन	प्रेषण	गैर-कृषि	परिवार की आय
आदिवासी (रु.)	**29,962**	**-2,934**	**5,723**	**28,366**	**1,424**	**13,867**	**12,250**	**52,109**
आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	335	312	215	318	163	30	22	439
गैर-आदिवासी (रु.)	**29,121**	**-2,807**	**4,904**	**32,246**	**1,330**	**25,000**	**10,314**	**45,994**
गैर-आदिवासी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	54	58	26	77	53	3	7	109
पीवीटीजी (रु.)	**27,645**	**747**	**6,852**	**14,680**	**1,186**		**3,000**	**34,223**
पीवीटीजी परिवार, जिन्होंने स्रोत से आय की सूचना दी (संख्या)	18	15	30	26	31	0	1	45

8.6 निर्णय लेना

सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं से पूछा गया कि परिवार से संबंधित विभिन्न मामलों पर "परिवार में निर्णय कौन लेता है"। यह डेटा आदिवासी, पीवीटीजी और गैर-आदिवासी गांवों के बारे में तालिका 8.8 से 8.12 में दर्शाया गया है। 'दादा' शब्द पुरुष उत्तरदाता (या उसके पति, यदि उत्तरदाताएक महिला थी) को संदर्भित करता है; 'दीदी' का तात्पर्य महिला उत्तरदाता(या उसकी पत्नी, यदि उत्तरदाता पुरुष था)से है और 'संयुक्त' का तात्पर्य परिवार के उस दावे से है, जिस पर युगल या परिवार के सभी सदस्य संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं। अन्य शर्तें स्व-व्याख्यात्मक हैं।

मध्य प्रदेश में अधिकांश विषयों पर आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों में निर्णय "संयुक्त रूप से" लिए जाते हैं। गैर-आदिवासी परिवारों में भी अधिकांश निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं, तथापि, आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों की तुलना में संयुक्त रूप से लिए गए निर्णयों का प्रतिशत कम है। गैर-आदिवासी परिवारों में पिता/ससुर द्वारा लिए गए निर्णय का प्रतिशत अन्य दो श्रेणियों की तुलना में अधिक है। छत्तीसगढ़ में, सभी श्रेणियों में लगभग सभी मामलों में संयुक्त निर्णय लिए गए हैं और इसका प्रतिशत भी मध्य प्रदेश से अधिक है।

अधिकांश मामलों में, मध्य प्रदेश में निर्णय लेने वाली महिलाओं का अनुपात निर्णय लेने वाले पुरुषों के अनुपात से बहुत कम था, जबकि छत्तीसगढ़ में निर्णय लेने वाली महिलाओं का अनुपात आदिवासी और गैर-आदिवासियों के मामले में थोड़ा अधिक है और महत्वपूर्ण रूप से पीवीटीजी परिवारों के मामले में अधिक है।

तालिका 8.15: मध्य प्रदेश के आदिवासियों (%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	8.0	17.2	47.8	4.7	0.1	0.5	0.1	1.4	4.3	12.3	0.0	0.0
आजीविका	6.8	18.2	46.6	4.1	0.1	0.3	0.2	1.6	4.4	11.5	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	12.1	15.2	43.9	3.8	0.2	0.5	0.2	1.6	5.9	10.6	0.0	0.0
संपत्ति	6.6	17.8	47.2	3.6	0.2	0.4	0.2	1.7	3.4	12.9	0.0	0.0
ऋण	6.4	17.3	47.6	4.1	0.1	0.5	0.1	1.8	3.2	12.9	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	9.9	14.6	47.8	4.5	0.2	0.7	0.1	0.7	6.0	9.5	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	8.8	15.2	50.2	3.2	0.1	0.4	0.2	0.8	7.9	7.8	0.0	0.0
परिवार का आकार	6.2	14.7	52.1	3.5	0.1	0.7	0.1	0.9	7.4	7.6	0.0	0.0

तालिका 8.16: मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासियों (%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	5.6	14.7	39.3	4.4	0.4	0.8	0.4	1.6	8.7	23.8	0.0	0.0
आजीविका	5.1	13.6	37.4	4.8	0.4	0.4	0.0	1.5	5.5	25.6	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	6.9	12.4	36.7	5.1	0.4	1.5	0.0	1.1	12.0	18.5	0.0	0.0
संपत्ति	5.1	12.0	39.6	5.1	0.0	0.0	0.4	0.7	2.9	28.7	0.0	0.0
ऋृण	5.4	12.3	40.0	5.4	0.0	0.0	0.4	2.3	4.6	23.8	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	7.1	10.9	41.0	4.2	0.0	0.4	0.0	1.7	7.1	20.5	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	6.3	11.5	40.9	4.8	0.0	0.0	0.0	0.4	13.4	16.7	0.0	0.0
परिवार का आकार	5.1	11.0	41.6	5.1	0.0	1.2	0.0	1.2	11.0	17.6	0.0	0.0

तालिका 8.17: मध्य प्रदेश में पीवीटीजी (%)परिवारों द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	11.1	20.4	53.1	0.6	0	2.5	0	1.2	1.9	8.6	0.6	0
आजीविका	9.7	20.6	54.5	0.6	0	0.6	0	1.8	0.6	10.9	0.6	0
दैनिक खरीदारी	26.3	18	41.3	0.6	0	0.6	0	1.8	2.4	8.4	0.6	0
संपत्ति	10.9	21.2	53.3	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.7	0.6	0
ऋृण	10.4	21.5	54	0.6	0	0	0	1.8	0.6	10.4	0.6	0
एसएचजी ऋृण	10.6	17	55.3	0.7	0	0	0	2.1	0.7	12.8	0.7	0
मायके जाना (मयका)	9.5	19	56.5	0.6	0	1.2	0	1.2	2.4	8.3	0.6	0
परिवार का आकार	8.5	15.8	61.8	0.6	0	0	0	1.8	1.2	9.1	0.6	0

तालिका 8.18: छत्तीसगढ़ में आदिवासियों द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना (%)

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहू	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	6.7	2.1	72.4	5.0	0.3	0.3	0.1	0.8	2.8	7.9	0.1	0.0
आजीविका	6.9	2.8	72.7	4.4	0.4	0.3	0.3	0.7	2.4	7.7	0.1	0.0
दैनिक खरीदारी	8.3	1.2	70.6	5.4	0.3	0.6	0.2	0.8	5.6	5.6	0.1	0.0
संपत्ति	6.8	2.8	71.7	4.8	0.2	0.3	0.2	0.9	2.9	7.9	0.1	0.0
ऋृण	6.7	2.6	71.4	5.4	0.3	0.4	0.3	0.8	2.6	7.8	0.1	0.0
एसएचजी ऋण	13.9	1.6	67.7	3.6	0.3	1.9	0.3	0.6	4.7	3.3	0.1	0.0
मायके जाना (मयका)	7.8	3.0	72.0	3.6	0.4	0.7	0.3	1.1	3.6	5.8	0.0	0.0
परिवार का आकार	5.3	2.0	75.3	5.8	0.2	0.4	0.2	0.8	1.6	5.8	0.1	0.0

तालिका 8.19: छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासियों(%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	7.2	6.7	71.7	1.7	0.2	0.2	0.7	1.0	3.7	5.2	0.0	0.0
आजीविका	7.9	7.4	70.9	2.6	0.5	0.2	0.5	0.7	2.6	5.3	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	8.5	3.1	68.5	3.1	0.5	0.5	0.5	0.7	9.9	3.5	0.0	0.0
संपत्ति	7.6	7.2	70.6	2.9	0.7	0.2	0.5	0.5	3.1	5.3	0.0	0.0
ऋण	7.5	6.8	71.0	2.4	0.5	0.2	0.5	0.7	3.3	5.4	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	11.6	6.9	69.9	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	5.4	0.8	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	8.1	6.9	70.0	2.2	0.5	0.7	1.0	0.5	5.9	2.7	0.0	0.0
परिवार का आकार	5.4	6.2	75.8	3.0	0.0	0.8	0.3	0.5	1.9	2.4	0.0	0.0

तालिका 8.20: छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी (%) द्वारा पारिवारिक निर्णय लेना

निर्णय	महिला उत्तरदाता /पुरुष उत्तरदाता का पति/पत्नी	पुरुष उत्तरदाता / महिला उत्तरदाता का पति/पत्नी	संयुक्त	वयस्क पुत्र	वयस्क पुत्री	बहु	युवा पुत्री	युवा पुत्र	माँ/सास भाई/देवर अन्य	पिता/ ससुर	भाई/देवर	अन्य
बाल शिक्षा	10.6	1.4	81.6	2.8	0.7	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0
आजीविका	15.1	2.8	76.5	2.2	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	1.7	0.0	0.0
दैनिक खरीदारी	16.7	0.6	78.3	2.2	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.1	0.0	0.0
संपत्ति	15.3	1.7	77.3	2.3	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0
ऋृण	15.7	1.8	77.1	2.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	0.0	0.0
एसएचजी ऋण	36.9	0.0	59.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
मायके जाना (मयका)	15.9	3.4	77.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0
परिवार का आकार	4.4	2.2	89.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0

#09

विश्लेषण:

संसाधनों और आजीविका परिणामों के बीच का संबंध

हमने इस अध्याय में यह समझने की कोशिश की है कि संपत्ति का स्वामित्व और संसाधनों तक पहुंच आदिवासी परिवारों के आजीविका परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। इस अध्याय में आदिवासियों के भूमिजोत के आकार, सिंचाई तक पहुंच और जंगलों से दूरी के आय, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और आहार विविधता पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

बहुआयामी विश्लेषण से पता चलता है कि आदिवासी परिवारों की तीन विशेषताएं उनकी आजीविका की स्थितियों और परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। पहला है उनका भूमि का स्वामित्व। यह भोजन, चारा और अन्य आवश्यकताओं का उत्पादन करने हेतु एक संपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण है। यह समुदाय में आदिवासी परिवार की स्थिति को भी परिभाषित करता है। इससे उन्हें सिंचाई जैसे अन्य संसाधनों तक पहुंच मिलती है। उनके घरों का स्थान वनों के संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण प्रभावशाली कारक है। मध्य प्रदेश में, उच्चतम आय वर्ग से संबंधित आदिवासी परिवार जंगल से 6 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल उलट है। तीसरा प्रभावशाली कारक शिक्षा यानी अधिक सटीक रूप से कार्यात्मक साक्षरता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की आय अधिक होती है।

विकास के परिणामों के साथ इन मापदंडों(भूमि स्वामित्व, आय और स्थान)के जुड़ाव का विश्लेषण भूमि के बारे में अनुलग्नक-ई में एंकर के रूप में, जंगलों से दूरी के संदर्भ में अनुलग्नक-एफ में एंकर के रूप में और आय के बारे में अनुलग्नक-जी में एंकर के रूप में तालिकाओं में दिया गया है। इन अनुलग्नकों में तालिकाओं का एक पूरा सेट शामिल है। निम्नलिखित खंड में उनका उल्लेख बार-बार किया गया है। तथापि, इन अनुलग्नकों में में केवल महत्वपूर्ण (और सभी तालिकाएँ नहीं) को ही नीचे के पाठ में शामिल किया गया है। पाठकों से निवेदन रहेगा कि वे अनुलग्नकों में दिए गए विवरणों को देखें।

9.1 भूमि जोत, स्थान और आय का विकास के साथ संबंध

सर्वेक्षण में शामिल आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों को उनके भूमि स्वामित्व[1] के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। मध्य प्रदेश में भूमिहीनता अधिक है। मध्य प्रदेश में लगभग 36.1% आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं और 50.3% छोटे और सीमांत किसान हैं। छत्तीसगढ़ में 15.2% आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं और 70.6% छोटे और सीमांत किसान हैं। फिर भी, इन दोनों राज्यों में भूमिहीन या छोटे सीमांत किसानों वाले आदिवासी परिवारों का प्रतिशत लगभग 86% है। दोनों राज्यों में पीवीटीजी परिवारों में भूमिहीनता अधिक है। छत्तीसगढ़ के मामले में यह लगभग 48% है और मध्य प्रदेश के मामले में यह 36.3% है। इस क्षेत्र में गैर-आदिवासियों में भी भूमिहीनता अधिक है। मध्य प्रदेश में 42.7% और छत्तीसगढ़ में 32.1% गैर-आदिवासी परिवार भूमिहीन हैं।

सामान्य तौर पर, कृषि आय भूमि जोत के साथ बढ़ती प्रतीत होती है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासी परिवारों की औसत आय सीमांत आदिवासी किसानों की तुलना में अधिक है। मध्य प्रदेश में गैर-आदिवासी परिवारों में, हालांकि भूमिहीन परिवारों की औसत आय सीमांत भूमि-धारक परिवारों की तुलना में कम है, फिर भी इन दोनों श्रेणियों के बीच औसत वार्षिक पारिवारिक आय में अंतर बहुत अधिक नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों का भी यही हाल है। यह इस कारक के कारण हो सकता है कि सीमांत किसानों के पास जो भूमि होती है वह निम्न गुणवत्ता की होती है या हो सकता है कि गांव के बाहर काम के लिए सदस्यों के प्रवासन के कारण वे भूमि पर खेती करने में असमर्थ हों। इसकी और जांच किये जाने की जरूरत है। हालाँकि, पीवीटीजी परिवारों के मामले में, भूमिहीन और सीमांत भूमि-धारक परिवारों के बीच औसत वार्षिक आय में अंतर काफी बड़ा है। तालिका 9.1 और 9.2 में, आंकड़े प्रति वर्ष रुपये में आय दर्शाते हैं।

9.2 भूमि जोत और आय का सह-संबंध

तालिका 9.1: मध्य प्रदेश में भूमि जोत के आकार और आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	61,298	54,565	44,037
सीमांत	55,543	55,568	66,690
छोटे	78,193	1,26,315	1,09,339
अर्ध-मध्यम और उससे ऊपर	1,56,680	2,01,247	99,915

तालिका 9.2: छत्तीसगढ़ में भूमि जोत के आकार और आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	43,127	43,723	22,014
सीमांत	46,189	44,883	34,942
छोटे	63,228	83,611	66,863
अर्ध-मध्यम और उससे ऊपर	78,816	1,09,988	1,66,765

9.3 वन के संबंध में आय और घर के स्थान के बीच संबंध

हमने आय वितरण डेटा में प्रतिशत के आधार पर परिवारों को 5 आय-समूहों में विभाजित किया है। फिर एक आय-समूह में परिवारों के अनुपात को वन से दूरी के आधार पर विभाजित किया गया और रिपोर्ट किया गया। ये आंकड़े मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में क्रमशः तालिका 9.3 और 9.4 में दिखाए गए हैं।

दोनों राज्यों में पीवीटीजी परिवार, यदि जंगल के भीतर नहीं हैं तो, जंगल के बहुत करीब स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में, उच्च आय वाले पीवीटीजी परिवार जंगल के करीब या जंगल में रहते हैं। मध्य प्रदेश में पैटर्न कुल मिलाकर इसके विपरीत है।

मध्य प्रदेश में, उच्चतम आय वर्ग से संबंधित आदिवासी परिवार जंगल से 6 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल उलट है; सबसे अधिक आय वाले आदिवासी परिवार 1.8 किमी की औसत दूरी के साथ जंगल के सबसे नजदीक स्थित हैं।

आदिवासी या पीवीटीजी परिवारों की तुलना में गैर-आदिवासी परिवार जंगल से अधिक दूर हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आय वर्ग जंगल से सबसे दूर हैं; हालाँकि, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है।

तालिका 9.3: मध्य प्रदेश में आय-समूह और वनों से उनकी दूरी

आय समूह (प्रतिशतक)	जंगल से परिवार की औसत दूरी			परिवारों की संख्या		
	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
0-20	3.7	4.9	1.3	462	63	42
20-40	2.3	4.8	0.8	450	66	50
40-60	2.7	4.0	1.0	465	67	35
60-80	4.0	4.7	2.7	469	58	39
80-100	6.1	11.6	3.0	451	81	35

तालिका 9.4: छत्तीसगढ़ में आय-समूह और वनों से उनकी दूरी

आय समूह (प्रतिशतक)	जंगल से परिवार की औसत दूरी			परिवारों की संख्या		
	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
0-20	2.2	4.7	0.4	428	109	64
20-40	2.0	5.2	0.2	461	91	48
40-60	1.9	4.8	0.2	468	92	40
60-80	1.8	4.3	0.3	483	100	17
80-100	1.8	5.1	0.0	471	107	23

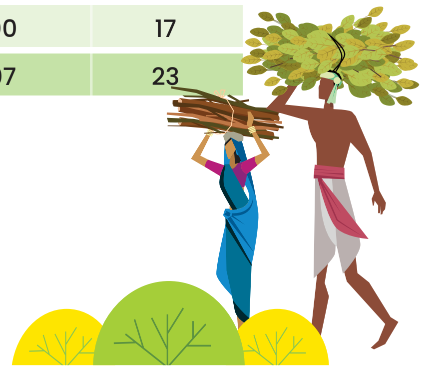

9.4 कार्यात्मक साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक

आदिवासी, पीवीटीजी और गैर-आदिवासी परिवारों में नमूना उत्तरदाताओं के लिए मानक परीक्षण आयोजित करके पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक स्तर का मूल्यांकन किया गया। इनमें से प्रत्येक स्तर का मूल्यांकन 1-10 के पैमाने पर किया गया था। 1-30 के पैमाने पर कुल तीन विशेषताओं का मूल्यांकन किया गया है। इन तीनों विशेषताओं के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में आदिवासी और गैर-आदिवासी- दोनों परिवारों में, परिवार /उत्तरदाताओं के बीच पुरुषों का स्कोर महिलाओं के स्कोर से काफी अधिक था। आदिवासी परिवारों में पुरुष स्कोर को छोड़कर, जहाँ यह विपरीत है, भूमि जोत के आकार में वृद्धि के साथ स्कोर में बड़े पैमाने पर सुधार होता दिख रहा है(अनुलग्नक-ई में तालिका 36.1 से 37.4 देखें)।

नमूना परिवारों को प्रतिशतक आय के आधार पर 5 श्रेणियों में बांटा गया था। 0-20% आय प्रतिशतक में वर्गीकृत समूह सबसे गरीब परिवारों को दर्शाता है जबकि 80 -100% प्रतिशतक में वर्गीकृत लोग सर्वेक्षण में दर्ज की गई सबसे अधिक आय दर्शाते हैं। दोनों राज्यों में, साक्षरता स्कोर आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों परिवारों और न्यूनतम से उच्चतम आय वर्ग तक लगभग एक समान वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, जब प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा जाता है तो आदिवासी परिवारों में पुरुषों के मामले में पैटर्न बहुत स्पष्ट नहीं है। (अनुलग्नक-जी में तालिकाएँ 63.1 से 66.4 देखें)।

संक्षेप में, पुरुष, आय और भूमि-स्वामित्व का साक्षरता स्कोर के साथ सकारात्मक संबंध है।

9.5 शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

अध्ययन में यह भी मूल्यांकन किया गया कि परिवार के मुखिया (होहो) की शिक्षा भूमि-स्वामित्व, वनों से दूरी और पारिवारिक आय के इन प्रमुख कारकों के साथ कैसे भिन्न होती है। नमूना परिवारों को होहो की स्कूली शिक्षा न होने से लेकर कॉलेज की डिग्री तक कई स्तरों पर समूहीकृत किया गया था। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी को सीधे जुड़ाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई हस्तक्षेप करने वाले कारक हैं जैसे कि होहो की आयु, स्थान और वह वर्ष जब से स्कूल या कॉलेज यथोचित रूप से सुलभ हो गए, शैक्षिक प्राप्ति को प्रभावित करते हैं।

मध्य प्रदेश में, सीमांत भूमि जोत वाले 62.3% आदिवासी परिवारों की स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। हालाँकि यह भूमि-स्वामित्व वाले वर्गों में सबसे अधिक है, अन्य वर्गों में भी 50% से अधिक होहो की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में, अधिक भूमि वाले आदिवासी परिवारों में बिना स्कूली शिक्षा के 'होहो' होते हैं । मध्य प्रदेश में पीवीटीजी परिवारों में, 'होहो' के एक बड़े प्रतिशत की कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में, भूमिहीन पीवीटीजी परिवारों के 'होहो' अधिकतर स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। दोनों राज्यों में, गैर-आदिवासी परिवारों में, बिना स्कूली शिक्षा वाले परिवारों का प्रतिशत बहुत कम है (अनुलग्नक-एफ में तालिका 42.1 से 43.4 देखें)।

तथापि, दोनों राज्यों में, सबसे कम आय प्रतिशतक समूह में 'होहो' वाले परिवारों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी कोई स्कूली शिक्षा नहीं हुई है। यह छत्तीसगढ़ के गैर-आदिवासी परिवारों और मध्य प्रदेश के पीवीटीजी परिवारों को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए सच है (अनुलग्नक-जी में तालिका 55.1 से 56.4 देखें)।

9.6 खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

विभिन्न भूमि-जोत वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा के स्तर पर टिप्पणियाँ अनुलग्नक-ई की तालिका 38.1 से 39.4 में प्रस्तुत की गई हैं। दोनों राज्यों में सामान्य तौर पर, सभी श्रेणियों के बीच, खाद्य सुरक्षा बढ़ती है और भूमि जोत में वृद्धि के साथ गंभीर खाद्य असुरक्षा कम हो जाती है। मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदायों में अर्ध-मध्यम और उससे ऊपर के भूमिधारकों के एक उच्च अनुपात ने गंभीर खाद्य असुरक्षा की सूचना दी है। जरूरी नहीं कि बड़ी भूमि का स्वामित्व लाभकारी परिणाम दे; कोई आदिवासी परिवार ऐसी ऐसी एक पूरी पहाड़ी का "मालिक" हो सकता है जिसमें वस्तुतः कुछ भी उपज नहीं होती।

जंगल के संबंध में स्थान और खाद्य सुरक्षा के स्तर के बीच संबंध का कोई विशिष्ट पैटर्न डेटा से सामने नहीं आता है (अनुलग्नक-एफ में तालिका 49.1 से 50.4 देखें)।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आदिवासी परिवार पारिवारिक आय और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध में कोई पैटर्न नहीं दर्शाते हैं। हालाँकि, दोनों राज्यों में गैर-आदिवासी परिवार और छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी परिवार अधिक खाद्य सुरक्षित हैं और बढ़ती आय के साथ कम गंभीर खाद्य असुरक्षा होती है (तालिका 62.1 से 63.4 देखें)।

9.7 आहार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक

मध्य प्रदेश के आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में, आहार की गुणवत्ता भूमि जोत के आकार के साथ सकारात्मक संबंध दर्शाती है। भूमि जोत में वृद्धि के साथ, परिवारों के पास स्वीकार्य आहार होने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा, भूमि का आकार बढ़ने के साथ-साथ खराब आहार विविधता वाले परिवारों का प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। (अनुलग्नक ई में तालिकाएँ 40.1 और 42.4 देखें)।

दोनों राज्यों में आदिवासी या गैर-आदिवासी परिवारों के लिए स्थान (वनों से दूरी) और आहार की गुणवत्ता के बीच संबंध का कोई विशिष्ट पैटर्न रिपोर्ट नहीं किया गया है (अनुलग्नक-एफ में तालिका 51.1 से 52.4 देखें)।

जैसे-जैसे कोई व्यक्ति सभी श्रेणियों में निम्न-आय प्रतिशत समूहों के परिवारों से उच्च-आय प्रतिशतक समूहों की ओर बढ़ता है, आहार की गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से सुधार होता है (तालिकाएँ 59.1 से 60.4 देखें)।

9.8 सरकार/गैर-सरकारी संगठन की राय और मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक

मध्य प्रदेश में, 60% से अधिक आदिवासी और लगभग 69% गैर-आदिवासी परिवारों ने अपने जीवन और आजीविका में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों से संतुष्टि व्यक्त की। छत्तीसगढ़ में, लगभग 69% आदिवासी परिवारों ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। दोनों राज्यों में पीवीटीजी के बीच संतुष्टि का स्तर अन्य दो श्रेणियों की तुलना में कम है।

मध्य प्रदेश में सरकार के प्रयासों की तुलना में विभिन्न श्रेणियों के कम प्रतिशत परिवार गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों से संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में ठीक इसके विपरीत है।

दोनों राज्यों में आदिवासी परिवारों की आय में वृद्धि के साथ सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों से संतुष्टि का स्तर भी बढ़ रहा है। गैर-आदिवासी और पीवीटीजी परिवारों में ऐसा सह-संबंध देखा गया है।

सभी श्रेणियों में उत्तरदाताओं के एक छोटे प्रतिशत ने दावा किया कि पिछले वर्ष में जीवन में सुधार हुआ है। कुल मिलाकर, उच्च आय प्रतिशत वाले परिवारों ने बताया कि पिछले वर्ष उनके जीवन में सुधार हुआ है (तालिका 65.1 से 66.4 देखें)।

संदर्भ

[1]यहां केवल कानूनी रूप से धारित भूमि स्वामित्व पर विचार किया गया है और यह परिचालित स्वामित्व से भिन्न हो सकता है।

Dietary diversity, as defined by the World Health Organization (WHO), refers to the variety and number of different food groups consumed by individuals or households over a specific period. It measures the extent to which an individual's diet incorporates a wide range of food groups, reflecting the nutritional quality and adequacy of their food intake (for more details, see Annexure - J).

#10
निष्कर्ष

इस रिपोर्ट में आजीविका के परिणामों के मामले में देश के बाकी हिस्सों की तुलना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अभाव को परिलक्षित होते हैं। यदि उनकी आजीविका की स्थिति की तुलना उसी क्षेत्र में रहने वाले गैर-आदिवासियों से की जाए तो भी कुल मिलाकर, उसी क्षेत्र के भीतर के आदिवासी और पीवीटीजी परिवार अधिक वंचित हैं।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों की पारिवारिक स्तर की वार्षिक औसत आय छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है। वार्षिक पारिवारिक आय के मामले में मध्य प्रदेश का भील क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से काफी आगे है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि यह कम वन क्षेत्र वाला सूखा-प्रवण क्षेत्र है। हालाँकि, औद्योगिक बेल्ट से इसकी निकटता उच्च पारिवारिक स्तर की आय का कारण हो सकती है। इसके पीछे के कारकों की जानकारी एक और गहन अध्ययन से मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ राज्य पारिवारिक स्तर पर मध्य प्रदेश की तुलना में बेहतर खाद्य सुरक्षा दर्शाता है। क्षेत्र-वार विश्लेषण से पता चलता है कि दक्षिण और उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पारिवारिक स्तर की खाद्य सुरक्षा काफी अधिक है। इसका कारण छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बहुत कम आदिवासी परिवारों के पास पीडीएस कार्ड नहीं है। इसके अलावा, पीडीएस आउटलेट वाले गांवों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है।

पीडीएस के माध्यम से मिलनेवाली खाद्य सब्सिडी ने कम आय के कारण परिवारों को होने वाले तनाव को भी कम कर दिया है। छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी परिवार द्वारा एक वर्ष में उपभोग किए जाने वाले भोजन और अन्य वस्तुओं की बाजार कीमत लगभग 18000 रुपये है। इस राशि का लगभग 13% हिस्सा ही उन सामानों को खरीदने के लिए परिवारों द्वारा खर्च किया जाता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की शेष 87% राशि, परिवारों के आय तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यदि यह सब्सिडी नहीं होती, तो परिवार अधिक संकटग्रस्त स्थिति में होते। मध्य प्रदेश में भी, आदिवासी परिवार एक वर्ष में पीडीएस के माध्यम से 10,000 रुपये के बाजार मूल्य का सामान खरीदता है। इन्हें खरीदने के लिए केवल 22% राशि खर्च की जाती है।

मध्य प्रदेश में पारिवारिक स्तर पर छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक आहार विविधता दिखाई देती है। क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का भील क्षेत्र

सर्वोत्तम आहार विविधता दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में पारिवारिक स्तर पर दिखनेवाली कम आहार विविधता पीडीएस से खरीदे गए चावल पर उनकी अत्यधिक निर्भरता के कारण हो सकती है। उचित कारण समझने के लिए आगे गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

कुल आय में वन संग्रहण से होने वाली आय का योगदान मध्य प्रदेश के मामले में बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में मामूली रूप से कम है। वन पर निर्भर आदिवासी परिवारों का प्रतिशत मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। हालाँकि, दोनों राज्यों में अधिकांश वन-निर्भर परिवार ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करते हैं और लगभग 98% परिवार अपने स्वयं के उपभोग के लिए ईंधन की लकड़ी का उपयोग करते हैं। कम आय विभिन्न कारणों से छोटे वन उत्पादों की कम उपलब्धता के कारण हो सकती है जैसे कि वन विभाग का विशेष ध्यान लकड़ी की प्रजातियों पर केंद्रित होना और उनके द्वारा अन्य प्रजातियों खरपतवार माना जाना या जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है। इस पर भी और अन्वेषण की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। इसका कारण समझना जरूरी है। लेकिन, यह पता लगाना अधिक महत्वपूर्ण होगा कि क्या पिछले एक दशक के दौरान भूमिहीनता बढ़ रही है और यदि बढ़ रही है, तो कौन से कारक जिम्मेदार हैं। आम तौर पर मध्य भारतीय बेल्ट के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में लोगों की- विशेषकर आदिवासियों की भूमिहीनता का प्रमुख कारण, विकास परियोजनाओं के लिए उनका विस्थापन और भूमि से बेदखली को माना जाता है। हालाँकि, अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसका उचित कारण जानने के लिए आगे गहन अध्ययन की आवश्यकता है।

दोनों राज्यों में कुपोषण से पीड़ित पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत अधिक है; हालाँकि, इन दोनों राज्यों में देखा जाए तो, मध्य प्रदेश की स्थिति बदतर है। यह चिंता का विषय है। इस अध्ययन में बच्चों के सिर के घेरे का उपयोग कुपोषण के एक संकेतक के रूप में किया गया है। इस डेटा को अन्य विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके प्राप्त अन्य डेटा के साथ क्रॉस-चेक किया जा सकता है। इसके अलावा, माप में त्रुटियों की कुछ संभावना है।

इस रिपोर्ट का उद्देश्य आदिवासी आजीविका की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करना है। इसका उद्देश्य आदिवासी या पीवीटीजी की स्थिति में सुधार के लिए कोई सिफारिश करना नहीं है।हालाँकि, व्यक्तिगत साक्षात्कार के दौरान, कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने संभावित सुधारों के लिए सुझाव दिए, जिनके बारे में उनका मानना है कि इससे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर आदिवासियों और पीवीटीजी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहां कई साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा साझा किए गए कुछ सुझाव दिए गए हैं:

1. आदिवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना जाता है जिस पर महत्वपूर्ण ध्यान और प्रयास की आवश्यकता है।

2. विकास की प्राथमिकताएं ग्राम सभा स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें स्थानीय लोगों की राय और सहमति सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिन्हें उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं की गहरी समझ हो। यह दृष्टिकोण उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय थोपने से बेहतर है।

3. वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 (एफआरए 2006) सामुदायिक वन संसाधनों (सीएफआर) को "रक्षा, पुनर्जीवित या संरक्षण या प्रबंधन" करने का अधिकार देता है। कई साक्षात्कारकर्ताओं ने एफआरए 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इससे आदिवासी लोगों को जंगलों को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है।

4. आदिवासी पहचान, परंपरा, संस्कृति और रीति-रिवाज उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में उभरे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा, संस्कृति, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के संरक्षण और प्रचार को सुनिश्चित करते हुए, आदिवासी विश्वदृष्टि और ज्ञान को शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकता है।

SAL के डेटा से संकेत मिलता है कि आजीविका के परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होते हैं। इसके अलावा, दोनों राज्यों के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका का संदर्भ अलग-अलग है। इसलिए, प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए संदर्भ-विशिष्ट समाधान तैयार करना आवश्यक है।

#11
अनुलग्नक

अनुलग्नक ए

आदिवासी नेताओं, कार्यकर्ताओं, विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों का परिप्रेक्ष्य

इस खंड के बारे में:

यह खंड उन प्रतिष्ठित हस्तियों के साक्षात्कारों पर आधारित है, जो अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध हैं और आदिवासियों के मुद्दों पर गहन विचार रखते हैं। वे या तो आदिवासी समाज से हैं या आदिवासियों के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और सक्रिय रूप से अपने तरीके से मुद्दों को उठाने में लगे हुए हैं। विविधता को उम्र, लिंग, जनजाति, पेशेवर पृष्ठभूमि, राजनीतिक विश्वास आदि जैसे लक्षणों के प्रारंभिक सेट के माध्यम से निर्धारित किया गया है। एक अंतर्निहित परिकल्पना यह थी कि इन लक्षणों में कई और अक्सर परस्पर विरोधी धारणाएं, राय और अनुभव हो सकते हैं।

कुल मिलाकर 28 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया – इनमें 17 छत्तीसगढ़ से और 11 मध्य प्रदेश से थे; 22 आदिवासी हैं। वे गोंड, बैगा, ओरांव, भील, अगरिया और प्रधान जनजातियों से थे। 11 महिला उत्तरदाता थीं। उत्तरदाता विभिन्न व्यावसायिक समूहों से थे। हालाँकि, उनमें से अधिकांश सामुदायिक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता थे। साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्तियों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है।

साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति का नाम	पेशा/विशेषज्ञता/व्यवसाय
ऐलिस लाकड़ा	सीओओ, सीजीएसआरएलएम-बिहान, छत्तीसगढ़
अनुसुइया मरावी	जनपद सदस्य मध्य प्रदेश
अर्जुन सिंह धुर्वे	शिक्षक और पद्म पुरस्कार विजेता, मध्य प्रदेश
अरविन्द नेताम	पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री (कृषि) एवं सांसद कांकेर निर्वाचन क्षेत्र, कांकेर, छत्तीसगढ़
अश्विनी कांगे	संस्थापक केबीकेएस (कोया भूमकाल क्रांति सेना), संयुक्त सचिव-सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़
बलवंत रहांगडाले	सीएसओ (एनआईडब्ल्यूसीवाईडी), प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश
भूरी बाई	भारतीय भील कलाकार, पद्म पुरस्कार विजेता, मध्य प्रदेश
चंद्रकली मरकाम	पूर्व अध्यक्ष कुक्कुट सहकारी समिति और सामुदायिक नेता, जागृति यात्रा में भाग लिया और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित
धर्मपाल सैनी	शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, माता रुक्मणी देवी आश्रम स्कूल श्रृंखला, बस्तर, छत्तीसगढ़ के प्रणेता
डॉ सैबल जाना	शहीद अस्पताल के मुख्य चिकित्सक, दल्ली राजहरा, कांकेर, छत्तीसगढ़
एतवारी मचिया बैगा	प्रदेश अध्यक्ष, आदिम जाति बैगा समाज कविधर्म छत्तीसगढ़
गंगाराम पैकरा	अध्यक्ष, चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़
गोदावरी मरावी	सामुदायिक नेता (जेंडर मास्टर सीआरपी), मध्य प्रदेश
हरिवंश सिंह मिरी	डिप्टी कलेक्टर-ड्रग, अध्यक्ष-कंवर समाज छत्तीसगढ़
इंदिरा मंडावी	सामाजिक कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष-सहभागी समाज, सेवी संस्था, कांकेर, छत्तीसगढ़
कलावती कश्यप	सचिव, सहभागी समाज, सेवी, संस्था, कांकेर, छत्तीसगढ़
केशव शोरी	सचिव, संस्थापक-दिशा समाज सेवी संस्थान, कांकेर, छत्तीसगढ़

साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्ति का नाम	पेशा/विशेषज्ञता/व्यवसाय
लता नेताम	अध्यक्ष, लोक आस्था सेवा संस्थान, गरियाबंद, छत्तीसगढ़
लता उसेंडी	सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, कोंडागांव निर्वाचन क्षेत्र
ममता कुंजूर	सचिव, जशपुर जन विकास संस्था, जशपुर, छत्तीसगढ़
मानक दरपट्टी	जिला अध्यक्ष-सर्व आदिवासी समिति, कांकेर, छत्तीसगढ़
मोहन मंडावी	लोकसभा सदस्य, कांकेर निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़
निखिल देसाई	सह-संस्थापक, आइडियाज़ अनबाउंड इनोवेशन्स, बैंगलोर
पल्लवी जैन गोविल	प्रमुख सचिव, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण, मध्य प्रदेश सरकार
संपतिया उइके	पूर्व राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश
शेर सिंह अचला	अध्यापक-गोंडी विद्वान, भानुप्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़
वेंकट रामानुजम रमानी	पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण में अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट (एटीआरईई), बेंगलुरु
विजय धुर्वे	सामुदायिक नेता, मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़ में अधिकांश साक्षात्कार रायपुर, कांकेर, केशकाल और चारामा में आमने-सामने आयोजित किए गए; और मध्य प्रदेश के मामले में जबलपुर और डिंडोरी के विभिन्न ब्लॉकों में प्रत्येक उत्तरदाता से एक घंटे से डेढ़ घंटे तक का साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्तियों की पूर्व सहमति से, साक्षात्कार रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद, इन साक्षात्कारों का अनुवाद और प्रतिलेखन किया गया और सामग्री विश्लेषण के अधीन किया गया। प्रतिलेखन को साक्षात्कारों से उभरी विभिन्न विश्लेषणात्मक श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया और एक समग्र प्रवृत्ति, इन श्रेणियों के भीतर समानताओं और अंतर का विश्लेषण किया गया। इस खंड में, हमने साक्षात्कार लिए जाने वाले व्यक्तियों के कुछ उद्धरणों का उपयोग किया है जो हमें एक से अधिक उत्तरदाताओं से मिले भाव को उपयुक्त रूप से सारांशित करते प्रतीत होते हैं।

वे आदिवासीयत के बारे में क्या सोचते हैं और वे गैर-आदिवासियों से कैसे भिन्न हैं?

हालाँकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 42 और 46 अलग-अलग जनजातियाँ हैं, फिर भी कुछ ऐसे व्यापक मूल्य हैं जो 'आदिवासीयत' को परिभाषित करते हैं और गैर-आदिवासियों के जीवन के तरीके से अलग करते हैं। प्रत्येक उत्तरदाता द्वारा साझा की गई सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सामूहिक लोकाचार और प्रकृति के साथ गैर-श्रेणीबद्ध और गैर-दोहन संबंध थे। उनके सभी रिश्ते, भाषाएँ, कला रूप, जीवन कौशल, अनुष्ठान, सामाजिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।

उदाहरण के लिए, नृत्य और गीत के सभी रूपों में सामूहिक लोकाचार दिखाई देता है। ऐसा कोई आदिवासी नृत्य रूप नहीं है जो व्यक्तिगत रूप से किया जाता हो, वे समूह में किए जाते हैं। किसी भी परिवार के जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी नहीं है, उन्हें समुदाय द्वारा साझा किया जाता है। पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ मजदूरों और बीजों के बंटवारे पर आधारित थीं। समुदाय में जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और आश्रय उपलब्ध कराने के रूप में भी पारस्परिक मदद देखी जा सकती है।

"आदिवासी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक-दूसरे की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा एक पड़ोसी अकेला था और बुरी तरह बीमार था। सभी आदिवासी पड़ोसी एक साथ आए, उसके इलाज में मदद की, पैसे भी इकट्ठा किए और उसे अस्पताल में भर्ती कराने में मदद की। जब उनकी मृत्यु हुई तो लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में मदद की, कुछ लोगों ने पैसे दिये, कुछ ने राशन दिया। आदिवासी आम तौर पर संकट के समय भोजन/पैसे के लिए एक-दूसरे की मदद करते हैं, जरूरत पड़ने पर वे ऋण के रूप में पैसा उधार देते हैं", सक्रिय सामुदायिक नेताओं में से एक और पूर्व जनपद सदस्या अनुसूया मरावी कहती हैं।

प्रकृति के साथ गैर-श्रेणीबद्ध संबंध उनके चित्रों में दिखाई देता है। उनकी सभी पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ लालच के बजाय आवश्यकता पर आधारित हैं; इसलिए, वे अनुचित दोहन नहीं करते हैं और उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। हालाँकि यह पहलू अधिकांश साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा बताया गया है, लेकिन इसे संपतिया उइके, जो कि पूर्व संसद सदस्य भी थीं, ने जो कहा, उससे अच्छी तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, "आदिवासी धन संचय नहीं करते हैं। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं। आदिवासियों में उच्च स्तर का आत्म-सम्मान होता है, वे कभी भीख नहीं मांगते।" जंगल से आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने के तरीके जैव-विविधता के कायाकल्प और रखरखाव को भी सुनिश्चित करते हैं और इसलिए पारिस्थितिक रूप से अधिक टिकाऊ होते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता और आदिवासी नेता अश्विनी कांगे ने कहा, *"आदिवासी समाज टोटेम प्रणालियों में विभाजित है और ज्यादातर मामलों में ये टोटेम स्थानीय वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां हैं। किसी विशेष कुलदेवता के लोग अपने कुलदेवता की रक्षा करते हैं और यदि किसी क्षेत्र में 500 कुलदेवता हैं, तो 500 प्रजातियाँ संरक्षित की जाएंगी।"* इसलिए, प्राकृतिक विविधता की रक्षा करना उनकी प्रणाली में अंतर्निहित है। इसके विपरीत, गैर-आदिवासी समाजों में मनुष्य को केंद्र में रखा जाता है और प्रकृति के अन्य सभी घटकों को मानव जाति की सेवा के लिए एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसलिए, सभी प्रथाओं को प्राकृतिक संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पारिस्थितिक अस्थिरता पैदा होती है। अधिकांश गैर-आदिवासी समुदायों के विपरीत, आदिवासी व्यक्तिगत समृद्धि से अधिक सामुदायिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं। वे आम तौर पर ईमानदार और भरोसेमंद होते हैं और दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, अश्विनी कांगे ने संक्षेप में कहा है- *"हम कहते हैं कि हम आदिवासी भीतरवाले हैं और गैर-आदिवासी पितरवाले हैं। इसका मतलब है कि आदिवासी दिखावे में विश्वास नहीं करते हैं, उनके सभी त्योहार और अनुष्ठान सरल होते हैं और एक साथ मनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरी ओर, गैर-आदिवासी अधिकांश मामलों में,अपने त्योहार यह दिखाने के लिए मनाते हैं कि कौन किससे बेहतर कर रहा है।"* ज्यादातर मामलों में, आदिवासी एक मजबूत सांप्रदायिक पहचान भी साझा करते हैं

अंतर-जनजातीय संबंध और विविधता:

छत्तीसगढ़ में 42 विभिन्न आदिवासी समूह हैं; और मध्य प्रदेश में 46 हैं। प्रमुख समूह अपनी आजीविका के लिए अधिकतर स्थायी कृषि और वन संग्रह पर निर्भर हैं। जबकि छोटे समूह अधिकतर कारीगर हैं।

हालाँकि ऐसे सामान्य मूल्य और विश्व-दृष्टिकोण हैं जिनका सभी जनजातियों द्वारा समर्थन किया जाता है, लेकिन वे सजातीय नहीं हैं। सबसे पहले, वे खुद को एक-दूसरे से अलग मानते हैं और इसलिए अंतर-जनजाति विवाह स्वीकार्य नहीं है। अंतर-जनजाति विवाह के मामले में, दोनों पक्षों को जुर्माना देना पड़ता है और, कई मामलों में, उन्हें समुदाय से बाहर कर दिया जाता है। उन्हें किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

कुछ जनजातियाँ; जैसे गोंड, प्रधान; स्वयं को सामाजिक पदानुक्रम की ऊँची सीढ़ी पर रखते हैं। *"हालाँकि आदिवासी जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन यह पदानुक्रम से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आदिवासी समुदायों के भीतर रीति-रिवाजों और प्रथाओं में कुछ पदानुक्रम और अंतर हैं*", एक सरकारी कर्मचारी ऐलिस लाकरा कहती हैं। *"संपतिया उइकले ने इस पदानुक्रम की ओर भी संकेत किया, "मध्यप्रदेश में गोंड को जनजातियों के बीच जाति पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान माना जाता है। गोंड अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। अन्य जनजातियाँ नर्मदा नदी से दूर जाकर बस गयी हैं।"*

गाने, नृत्य रूप और पेंटिंग सामूहिकता के मूल्य और प्रकृति के साथ सहजीवी संबंध को दर्शा सकते हैं, लेकिन वे सभी जनजातियों के लिए बिल्कुल समान नहीं हैं। लोक कलाकार और कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता अर्जुन धुर्वे ने बताया, *"बैगा और अन्य आदिवासी समूहों के बीच मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, बैगा नृत्य के चार प्रमुख रूप हैं- बैगा प्रभुमी, बैगा कर्मा, बैगा फाग और घोड़ी पेठाई। जबकि गोंड नृत्य शैलियाँ हैं- सैला, रीना और डंडा। इनके भी कर्मा होते हैं जो बैगा कर्मा से भिन्न होते हैं। बैगा टैटू और गोंड टैटू भी दृष्टिगत रूप से भिन्न हैं।"*

सभी आदिवासी समूहों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, हालाँकि, उनमें से कुछ लुप्त हो रही हैं क्योंकि युवा पीढ़ी अब उनकी भाषा नहीं बोलती है। गोंड जैसे कुछ प्रमुख आदिवासी समाज अपनी भाषा को प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करके उनकी रक्षा के प्रयास कर रहे हैं। ये भाषाएँ अलग-अलग भाषा समूहों से संबंधित हैं, जैसे बैगाओं द्वारा बोली जाने वाली बैगानी भाषा इंडो-आर्यन भाषा से संबंधित है; गोंडी, धुरवा, कुरुख द्रविड़ियन से संबंधित हैं; कोरकू, हो एस्ट्रो एशियाई भाषा समूहों से संबंधित है।

आदिवासियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया है। आबादी का एक वर्ग पुरानी परंपराओं का पालन करता है, दूसरा वर्ग ईसाई है और तीसरा वर्ग हिंदू धर्म की ओर झुका हुआ है। एक ओर, कुछ साक्षात्कारकर्ताओं ने कहा कि वे हिंदू धर्म का पालन करते हैं और हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं; कुछ लोगों ने दृढ़ता से कहा कि आदिवासियों के अलग-अलग धर्म हैं और इसलिए उनकी धार्मिक प्रथाएं और रीति-रिवाज भी अलग-अलग हैं। दोनों राज्यों में कुछ प्रमुख जनजातियों ने खुद को 'समाज' में संगठित कर लिया है और अपने धार्मिक मानदंडों और अनुष्ठानों को संहिताबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी समाज सदस्य द्वारा उल्लंघन के मामले में दंड की व्यवस्था भी विकसित की है। सभी आदिवासी समाज ने मिलकर सर्व आदिवासी समाज का गठन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, "जब मैं उत्तर बस्तर जाता था तो बुजुर्ग कहते थे कि गैर-आदिवासी हिंदू हैं और हमारे रीति-रिवाज और उनके रीति-रिवाज अलग हैं। हमारे रीति-रिवाजों का सनातन या हिंदू धर्म से कोई समानता नहीं थी; हमने हिंदुओं के विपरीत शवों को अंतिम संस्कार के लिए दफनाया; हमने देवताओं की पूजा नहीं की, बल्कि हमने प्रकृति की पूजा की। हालाँकि, पिछले 3 दशकों में, कई चीजें समान हो गई हैं, आदिवासियों ने गणेशजी, दुर्गा जी की पूजा करना शुरू कर दिया है और अंतर धुंधला होता जा रहा है।"

दिलचस्प बात यह है कि गोंडों में, जो दोनों राज्यों की एक प्रमुख जनजाति है, यह विभाजन दिखाई देता है। जनजाति के एक वर्ग ने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों और प्रथाओं को आत्मसात कर लिया है, जैसे कि वे मंदिर बनाते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं; महिलाएं अपनी वैवाहिक स्थिति को बेहतर बताने के लिए सिन्दूर लगाती थीं। एक ओर संपतिया उइकेल ने कहा, "आदिवासियों की पोशाक (पहनावा), रीति-रिवाज और संस्कृति गैर-आदिवासियों से अलग है. हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। 500 साल पहले भी, आदिवासियों द्वारा हिंदू देवी-देवताओं जैसे दुर्गा, गणेश आदि की पूजा की जाती थी "। दूसरी ओर गोंड समाज प्रमुख आदिवासी समाज में से एक है जो दावा कर रहा है कि उनका धर्म और धार्मिक प्रथाएं हिंदुओं से अलग हैं। भूरी बाई ने कहा, "हमारे पास पूजा-प्रार्थना के लिए कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है. हमारा मानना है कि एक पेड़ या एक पत्थर भी हमारा भगवान हो सकता है"

आदिवासी समाज में महिलाएँ:

एक व्यापक धारणा है कि आदिवासी समाज में आदिवासी महिलाओं की स्थिति गैर-आदिवासी समाज में उनके समकक्षों की तुलना में बेहतर है। विभिन्न उत्तरदाताओं ने इसके अलग-अलग उदाहरण साझा किए, जैसा कि ऐलिस लाकरा ने कहा, *"अधिकांश आदिवासी समुदायों में लड़कियां अपने साथी चुनती हैं और समुदाय उनकी पसंद का सम्मान करता है और मिलन प्रक्रिया में भाग लेता है। उन्हें सबसे अच्छे कपड़े पहनकर हाट बाज़ार में जाने और यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनके साथी कौन हो सकते हैं। मैं हमारे तथाकथित आधुनिक, शहरी संभ्रांत परिवारों में ऐसा होने की कल्पना नहीं करता। वर्तमान में आधुनिक शहरी मध्यवर्गीय समाज लिव-इन रिलेशनशिप, कामुकता की खोज आदि जैसी 'वर्जनाओं' के बारे में खुलने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन ये शुरुआत से ही कई आदिवासी समाजों का हिस्सा हैं।"* उत्तरदाताओं में से एक, गोदावरी मरावी, जो कि जनपद सदस्या हैं, ने बताया कि विधवा पुनर्विवाह एक स्वीकृत प्रथा है- *"विधवा पुनर्विवाह के बारे में कोई वर्जना नहीं है। गैर-आदिवासी समाज के विपरीत, जो महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह करती हैं, उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता।"* आदिवासी महिलाएँ घर का अधिकांश काम करती हैं, वे जंगल भी जाती हैं और वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, वे कृषि का अधिकांश काम करती हैं, और काम के लिए बाहर जाने और बाज़ार जाने में कोई रुकावट नहीं है। जाहिर तौर पर, इससे अधिक गतिशीलता और स्वायत्तता मिलती है, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय मामलों की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन ने बताय, *"मैंने लगभग अपने पूरे करियर में आदिवासी क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है, और मैंने हमेशा महसूस किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं पर काम का बोझ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। मुख्य रूप से वे फसल की खेती के लिए कड़ी मेहनत करती हैं लेकिन साथ ही, वे अन्य समाजों में अपने समकक्षों की तुलना में अपने समाज में कहीं अधिक समतावादी स्थिति का भी आनंद लेती हैं।"* हालाँकि, करीब से देखने पर, उनकी पारंपरिक प्रथाओं/कानूनों, भूमिका विभाजन, निर्णय लेने आदि में भेदभाव दिखाई देता है। अनुसूया मरावी ने काम के बोझ के बारे में बताया, *"आदिवासी महिलाएं आदिवासी पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करती हैं। यदि वे हल चलाना या छतें खोदना शुरु कर देंगी, तो पुरुषों के पास कोई काम नहीं रह जाएगा और वे पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर हो जाएंगे।"* परंपरागत कानून महिलाओं को भूमि के अधिकार से वंचित करता है और वे व्यक्तियों पर समुदाय को प्राथमिकता देने के अपने मूल्य के साथ इसे उचित ठहराते हैं। अश्विनी कांगे द्वारा साझा किए गए स्पष्टीकरणों में से एक यह था कि *"आदिवासी में, समाज की भूमि को एक विशेष गोत्र की संपत्ति माना जाता है, भले ही उन पर व्यक्तिगत परिवारों द्वारा खेती की जाती हो। चूँकि एक ही गोत्र में शादी संभव नहीं है, इसलिए परिवार की बेटियों को ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता है।"*

बदलते समय के साथ महिलाओं की स्थिति और लैंगिक संबंध भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार से बदल रहे हैं। बाहरी दुनिया, मीडिया आदि का संपर्क एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। *"टीवी धारावाहिकों और फिल्मों का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा है। आपने कभी आदिवासी महिलाओं को करवा चौथ मनाते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अब टीवी ने महिलाओं को सजने-संवरने और जीवनसाथी के लिए व्रत रखने का प्रतीक बना दिया है। आदिवासी लड़कियों ने भी इन प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया है"*, ऐलिस लाकरा ने कहा। दहेज की कोई व्यवस्था नहीं थी, शादी बिना किसी दिखावे के एक साधारण मामला हुआ करती थी और महिलाएं अपना साथी चुनने के लिए स्वतंत्र थीं। हालाँकि, धीरे-धीरे सोना, कार/बाइक, नकदी आदि के रूप में दहेज देना शुरू कर दिया गया है। अनुसूया मरावी ने बताया, *"हमें अपनी शादियों में दहेज देने की आदत नहीं थी, अब हमारे लोगों ने दहेज देना शुरू कर दिया है जैसा कि वे अन्य समाजों में देखते हैं, लोगों ने आभूषण देना शुरू कर दिया है।"* दूसरी ओर, सीबीओ और सरकार ने महिला संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और संबद्ध स्तरों को मजबूत करने के लिए काम किया और उन्हें गाँव की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा प्रदान की। कुछ महिला उत्तरदाताओं, जो स्वयं सहायता समूह का भी हिस्सा हैं, ने बताया कि इससे महिलाओं को परिवार के साथ-साथ गांव में भी निर्णय लेने पर कुछ नियंत्रण रखने में मदद मिली है। हालाँकि, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। भूमि स्वामित्व सहित संपत्ति पर महिलाओं के स्वामित्व से संबंधित कुछ सुविधाजनक नीतियों ने भी कुछ क्रमिक परिवर्तनों में मदद की। हरवंश सिंह मिरी, सरकारी कर्मचारी ने कहा, *"छत्तीसगढ़ में भूमि कानून के अनुसार, कोई भी महिलाओं को भूमि अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। बेटियों को विरासत में समान अधिकार है।"*

पहुंच और आजीविका में बदलाव:

वन:

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में सभी उत्तरदाताओं ने बताया कि वन आदिवासी जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि हाल तक, 30-40 साल पहले तक, आदिवासियों को लगभग सब कुछ वनों से मिलता था। कई उत्तरदाताओं ने एक कहावत बताई कि आदिवासी केवल नमक और कपड़ों के लिए बाजार पर निर्भर थे, बाकी सब कुछ जंगल में उपलब्ध था। एक सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत रहांगडाले ने बताया, *"बैगा जंगल से विभिन्न मौसमों में लगभग 43 प्रकार की साग-सब्जियाँ, 15 से अधिक प्रकार की जड़ें, 20 से अधिक प्रकार के फल इकट्ठा करते थे। इनका उपयोग विभिन्न मौसमों में उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।"* इस निर्भरता के कारण, उनकी पारंपरिक एनटीएफपी संग्रह विधियां यह सुनिश्चित करती हैं कि क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान न पहुंचे; जैसे कि भोजन इस तरह से एकत्र किया जाता है कि यह पुनर्विकास/कायाकल्प सुनिश्चित करे। पेड़ों को काटने के तरीके के साथ-साथ उन्हें लगाने के भी और मौसम/महीने निर्धारित हैं ताकि वनों की निरंतरता सुनिश्चित रह सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि वे केवल वही एकत्र करें जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आदिवासी परंपरा में वे अधिक मात्रा में संचय करने में विश्वास नहीं करते, चाहे वह भोजन हो या धन या कोई अन्य उत्पाद। हालाँकि, परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। सरकार और वन विभाग जंगल को आय के संसाधन के रूप में देखते हैं, इसलिए सभी परियोजनाएं और योजनाएं ज्यादातर बाजार की मांग वाली लकड़ी, लकड़ी के पेड़ों और पौधों की रक्षा करती हैं। यह आदिवासियों के अपने जंगलों के साथ सहजीवी संबंध पर विचार नहीं करती है। यह जैव विविधता को कम करने के कारणों में से एक है, जैसा कि कई उत्तरदाताओं ने साझा किया है। इसके अलावा, बाजार धीरे-धीरे मानसिकता को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आदिवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी ने भविष्य की सुरक्षा के लिए 'अतिरिक्त' संग्रह करने में विश्वास करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जंगल से जरूरत से ज्यादा संग्रह करना पड़ता है और कई मामलों में तो यह जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे बैगा चक से मलिहान लगभग गायब हो रहा है क्योंकि लोगों ने बाजार की भारी मांग के अनुसार पत्तियां एकत्र कीं, लेकिन दूसरी ओर, इसे वन विभाग द्वारा एक खरपतवार के रूप में माना गया और इसलिए इस बेल का कोई नया रोपण नहीं किया गया है। अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार, यदि एफआरए को इसकी वास्तविक भावना से लागू किया जाए, तो यह मददगार हो सकता है। कई क्षेत्रों में सरकार सीएसओ के साथ मिलकर आईएफआर और सीएफआर के माध्यम से एफआरए सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है; लेकिन इसमें कमियां हैं। *"एफआरए को लागू करने की जिम्मेदारी आदिवासी विभाग को दी गई थी और जो कर्मचारी जिम्मेदार हैं उनमें से अधिकांश को संदर्भ के साथ-साथ अधिनियम की कोई स्पष्ट समझ नहीं है। यदि अधिनियम को उसकी वास्तविक भावना में लागू किया जाना है, तो जो लोग इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को नेक इरादे और उचित रूप से सुसज्जित होने की आवश्यकता है"*, बलवंत रहांगडाले ने कहा। कुछ उत्तरदाताओं ने सोचा कि आईएफआर आदिवासी मूल्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि यह सामुदायिक मूल्यों पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है।

कृषि:

आदिवासियों के दो समूह हैं, एक, जो परंपरागत रूप से कई पीढ़ियों से खेती पर निर्भर थे; दो, जो मुख्यतः कारीगर हैं। दूसरे समूह में अभी भी कई भूमिहीन परिवार हैं।

परंपरागत रूप से आदिवासियों को प्राकृतिक चक्रों और ऋतुओं का गहरा ज्ञान था, वे वनस्पतियों और जीवों को पुनर्जीवित करने के प्रति सचेत थे और वे कृषि के पुनर्योजी तरीकों का पालन करते थे जिसमें फसल का चयन, बीज का चयन और खेती के तरीके शामिल थे। खेती से संबंधित इन तरीकों और अनुष्ठानों में एकजुटता का मूल्य भी अंतर्निहित था; जैसे बीज-साझाकरण/विनिमय; श्रम बँटवारा; एक साथ फसल का जश्न मनाना 'नवाखाई'। वन उत्पादों के समान, परंपरागत रूप से, आदिवासियों की खेती उनके जीवन यापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती थी; अतिरिक्त उपज को बाज़ार में बेचकर अतिरिक्त भोजन या आय जमा करने के लिए नहीं। कई अन्य कृषक समुदायों की तरह, अधिकांश कृषि कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जबकि पुरुष बुआई के लिए भूमि तैयार करते हैं।

इन क्षेत्रों में धीरे-धीरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 10-15 वर्षों में लोगों ने देशी बीजों के स्थान पर अधिक उपज देने वाले किस्म के बीजों को अपनाना शुरू कर दिया है; उन्होंने गैर-जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है; कई मामलों में बाजरा जैसी फसलों को भी धान/गेहूं से बदल दिया जाता है। "पहले हम बाजरा की खेती करते थे, लेकिन इन दिनों हम धान की अधिक खेती करते हैं। हमने धान के लिए अपनी जमीन समतल कर ली है। हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल हम करते हैं", गोदावरी मरावी ने साझा किया। खान-पान की बदलती आदत ने फसल विकल्पों में बदलाव को भी बढ़ावा दिया। गोदावरी ने आगे कहा, "बच्चे अब कोदो कुटकी खाना पसंद नहीं करते। पीडीएस में भी धान का वितरण किया जाता है. चावल बनाने में कम समय और मेहनत लगती है इसलिए महिलाओं के लिए इसे बनाना आसान होता है। आपको चावल-मिलें हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन कोदो-कुटकी को संसाधित करने के लिए कोई मशीनीकृत सुविधा उपलब्ध नहीं है।" इस बदलाव में सीएसओ और सरकार के विस्तार विभागों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिवासी किसानों को प्रशिक्षण, हैंड होल्डिंग सहायता, बीज वितरण आदि के माध्यम से उपज बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों और बीज कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पैकेज का पालन करने में मदद की। एक अनुभवी शिक्षक शेरसिंह अचला सोचते हैं, *"पहले हम बाजरा, अरहर आदि जैसी फसलों की खेती करते थे जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। जंगल से हमें साग-सब्जियां, कंद-मूल, फल और खाने योग्य फूल मिलते थे। धीरे-धीरे, बाहर से लोग हमारे पास आने लगे और उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने बीजों और खेती के तौर-तरीकों को आधुनिक बीजों और उर्वरकों के साथ बदलें। हमने उनकी सलाह मानना शुरू कर दिया।"* इस प्रक्रिया में, आदिवासियों की खेत और जंगल से संबंधित ज्ञान प्रणाली भी निरर्थक होती गई और वे लाभार्थी बन गए और कृषि के बारे में अपने ज्ञान और निर्णय पर नियंत्रण खो बैठे। विभिन्न अन्य कारकों के साथ-साथ, रचनात्मकता के नियंत्रण और दायरे की कमी ने आदिवासी युवाओं की कृषि में रुचि कम कर दी।

प्रवासन:

कुछ उत्तरदाताओं ने बताया कि आदिवासियों का एक वर्ग आय के लिए केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अन्य स्थानों पर पलायन करता है, जिसका मुख्य कारण कम कृषि उत्पादन, जंगलों तक पहुंच में कमी और उन पर बढ़ते दबाव तथा आय के लिए अन्य विकल्पों की कमी है। चूँकि उनकी शिक्षा का स्तर निम्न है इसलिए अधिकांश आदिवासी युवा कम वेतन वाले आकस्मिक छोटे-मोटे काम के लिए पलायन कर जाते हैं। कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि वर्तमान में कम लोग काम के लिए पलायन कर रहे हैं। गोदावरी मरावी ने कहा, *"आजकल लोग कम पलायन कर रहे हैं। वे गांव में ही मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मजदूरी का काम पा सकते हैं।"*

कारीगरी:

दोनों राज्यों में विभिन्न छोटे कारीगर समूह हैं जो पारंपरिक रूप से चित्रकार या नर्तक या धातुकार हैं। उत्तरदाताओं में कुछ प्रसिद्ध कलाकार शामिल हैं जिनमें गोंड और भील चित्रकार, लुहार, बैगा नर्तक आदि शामिल हैं। उन सभी के अनुसार, परंपरागत रूप से उनकी जनजाति में हर किसी के पास उस विशेष कला का कौशल होगा; हालाँकि, युवा पीढ़ी में अब रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है। इसलिए, केवल कुछ ही, जो या तो बाहरी लोगों द्वारा पहचाने जाते हैं या बाजार में अपनी प्रतिभा बेचकर आजीविका कमाने में सक्षम होते हैं; अपनी कला को जारी रख रहे हैं। सरकार द्वारा मान्यता मिलने से उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बनाने में भी मदद मिली। उन्हें बाज़ार की माँग के अनुसार उत्पादों में संशोधन करने की भी आवश्यकता थी। जैसे कि गोंड चित्रकारी पारंपरिक रूप से दीवारों, दरवाजों आदि पर की जाती थी। हालांकि, शहरी बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए चित्रकार अब कपड़े, कटलरी, फ्रेम वाली चित्रकारी आदि लेकर आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सामान्य मार्केटिंग चैनल बाधित हो गए थे और इसके कारण मार्केटिंग प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी के कारण, कारीगरों को उत्पाद बेचने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। विजय धुर्वे, जो खुद एक प्रसिद्ध लुहार कलाकार हैं, ने कहा, *"कोविड-19 अवधि के दौरान मार्केटिंग का दायरा कम हो गया। वस्तुओं और सामानों का ऑर्डर भी कम हो गया है और मेलों और प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने की संभावना भी कम हो गई है।"* कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकार. युवाओं में रुचि दोबारा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भूरी बाई, एक भील कलाकार, जो पद्म पुरस्कार विजेता भी हैं, ने सुझाव दिया, *"यह अच्छा है कि हममें से कुछ को शहरी अभिजात वर्ग द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवा इस कौशल को कैसे अपनाएं"।*

बाज़ार और उद्यम:

लगभग सभी उत्तरदाताओं ने कहा कि आम तौर पर आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं होते हैं और यही कारण है कि आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के बाजारों पर भी गैर-आदिवासियों का वर्चस्व है। *"मुझे लगता है कि आदिवासियों को गैर-आदिवासियों से जो एक चीज़ सीखनी चाहिए वह है थोड़ा अधिक व्यवसायिक मानसिकता वाला होना। आदिवासी उद्यमी के रूप में अच्छे नहीं हैं, उनके पास जो कुछ भी है उससे वे खुश हैं।"* गोदावरी मरावी ने कहा। लेकिन इस पहलू में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। सरकार और सीएसओ, एफपीओ को बढ़ावा देने जैसी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने और उन्हें लागू कर के उद्यमशीलता ऊर्जा पैदा करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ताकि आदिवासी बाजार में अपनी जगह बना सकें। आदिवासी युवाओं को सहायता देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसा कि संपतिया उइके ने साझा किया, *"युवा पीढ़ी का झुकाव धीरे-धीरे व्यवसाय की ओर हो रहा है। प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया कार्यक्रम कई आदिवासी युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।" स्वयं सहायता समूह और उससे जुड़े स्तरों के बारे में उनका कुछ अन्य उत्तरदाताओं का विचार था कि यह प्रक्रिया मजबूत हो रही है।"* स्वयं सहायता समूहों ने बचत, ऋण लेने और व्यवसाय करने के माध्यम से महिलाओं को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है।" बाजार की प्रकृति भी बहुत बदल गई है जैसा कि अरविंद नेताम ने बताया, *"बाजार बहुत बदल गया है। पहले का बाज़ार स्थानीय तक ही सीमित था, कोई सड़क नेटवर्क नहीं था, कोई वेब नेटवर्क नहीं था। जो कुछ भी उत्पादित किया जाता था, उसमें शायद ही कोई बच पाता था और इसका अधिकांश भाग स्थानीय स्तर पर उपभोग कर लिया जाता था। जरूरत का एहसास भी कम था। अब हम दुनिया से जुड़ गये हैं, बस्तर से उत्पादित जंगल और कृषि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकते है। युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं भी कई मायनों में बाजार द्वारा आकार लेती हैं। चिप्स और मैगी जैसी चीज़ें हर स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध हैं।"*

सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम:

एक सामाजिक कार्यकर्ता, इंद्रावती मंडावी का मानना है कि कुछ योजनाएं ग्रामीण स्तर पर लागू की गई हैं और इससे आदिवासी समुदाय को लाभ हुआ है *"अधिकांश आदिवासी गांवों में लोगों के पास एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) तक पहुंच है। चूंकि आईसीडीएस मध्याह्न भोजन प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन मिल पाता है।"* ऐसे अधिनियम और प्रावधान विद्यमान हैं जो सूक्ष्म अंतरों को अंगीकार करते हैं और

आदिवासियों के विकास के मुद्दों को हल करने में बेहद सहायक हो सकते हैं। ऐलिस लाकरा एक उदाहरण देती हैं, *"आदिवासी समुदायों के अपने रीति-रिवाज हैं और उन्हें पेसा के माध्यम से मान्यता दी गई है। यह अधिनियम बहुत स्पष्ट रूप से परंपरागत कानूनों का सम्मान करने और उन्हें स्वीकार करने के बारे में कहता है। यह अधिनियम आदिवासी समुदायों की ताकत बन सकता है और उन्हें बाकी मुख्यधारा समाज से अलग कर सकता है।"* कुछ लोगों के इस बारे में भी कुछ विचार हैं कि सरकार को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए; जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ममता कुजूर ने कहा, *"हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत करके कृषि भूमि बनाई और हमें सौंपी। लेकिन कमाने के लिए पलायन कर रहे युवा अपनी जमीन से विमुख हो रहे हैं। धीरे-धीरे उनकी ज़मीन पर कोई और कब्ज़ा कर लेगा और अगली पीढ़ी के पास कोई ज़मीन नहीं बचेगी।*

यदि सरकार मौजूदा भूमि और अन्य संसाधनों का उपयोग करके गांव में ही अधिक आय सृजन के विकल्प तैयार करती है तो यह मददगार होगा। आदिवासी मूल्यों और संस्कृति की रक्षा करने का यही एकमात्र तरीका है।" अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सैबल जाना ने कहा, *"लोगों के लिए कुछ भी डिजाइन करने से पहले हमें उन लोगों की सांस्कृतिक विरासत को समझने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे दृष्टिकोण और विचार उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाएं। और इस विसंगति के कारण, कई योजनाएं और परियोजनाएं इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय उन्हें दी गई किसी भी चीज़ को स्वीकार करे इसलिए कार्यक्रम नियोजकों और नीति निर्माताओं को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।"* बैगा समाज के राज्य नेता एतवारी बैगा इस बात का अधिक विशिष्ट उदाहरण देते हैं कि कैसे सरकार की परियोजनाएं पीवीटीजी और आदिवासियों के लिए अधिक प्रभावी हो सकती हैं, *"सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों और पीवीटीजी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हालाँकि, कई मामलों में इससे उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, पुराने मिट्टी के घरों को कंक्रीट ढ़ांचों से बदला जा रहा है। लेकिन इससे, अपनी ज़रूरतों और मौसम के अनुकूल घर कैसे बनाएं, इसके बारे में उनका ज्ञान भी बेमानी होता जा रहा है। उन पारंपरिक घरों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाल घास और लंबी पत्तियों को उगाने और संसाधित करने का ज्ञान लुप्त हो रहा है। यदि इन योजनाओं का मसौदा तैयार करते समय पारंपरिक ज्ञान को ध्यान में रखा जाए तो यह सहायक होगा। इस उदाहरण में पारंपरिक सामग्री और तरीकों का उपयोग करके घरों को बेहतर बनाने में कंक्रीट के घरों की तुलना में कम लागत आएगी।"*

कुल मिलाकर, साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जो आदिवासी परिवारों में आजीविका की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कुछ मामलों में, उन्होंने समान विचार साझा किए। ऐसे मामले भी हैं जहां हमें परस्पर विरोधी विचार भी मिले। उनके द्वारा साझा की गई कुछ गहन अंतर्दृष्टि और सुझाव हैं। किसी भी कार्यक्रम को डिजाइन करते समय या कोई नीति बनाते समय हितधारकों द्वारा इन्हें ध्यान में रखा जा सकता है।

अनुलग्नक बी

फोकस समूह चर्चा का सारांश

50 गांवों में फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई। आंकड़ों में विसंगतियों के कारण चार एफजीडी विश्लेषण हेतु विचार नहीं किए गए। एफजीडी की एक विस्तृत सूची नीचे तालिका 1.1 और 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.1: मध्य प्रदेश में एफजीडी के लिए नमूने लिए गए ब्लॉक

महिलाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	बड़वानी, जामई (जुन्नारदेव), बदनावर, खिरकिया, पनागर, काहनापास (घंसौर) सोहागपुर	7
गैर-आदिवासी गांव	तामिया	1
पीवीटीजी गांव	–	–
कुल		8

युवाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	मझोली, महेश्वर, पाटी, परासिया, डही	5
गैर-आदिवासी गांव	–	–
पीवीटीजी गांव	मवई	1
कुल		6

मिश्रित समूह के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	निवाली, बाग, झिरन्या, सिवनी, मानपुर', पांढुर्ना	6
गैर-आदिवासी गांव	शाहपुरा	1
पीवीटीजी गांव	कराहल	1
कुल		8

कुल एफजीडी 22

आदिवासी गांव 18

गैर-आदिवासी गांव 02

पीवीटीजी गांव 02

तालिका 1.2: छत्तीसगढ़ में एफजीडी के लिए नमूने लिए गए ब्लॉक

महिलाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	बकबंद, भोपालपटनम मरवाही, छुरा, जशपुरनगर, पंडरिया, फरसगांव, भैयाथेन	8
गैर-आदिवासी गांव	टोंकापाल	1
पीवीटीजी गांव	गरियाबंद	1
कुल		10

युवाओं के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	लोहानंदीगुड़ा, गौरेला नंबर 2, कोंडागांव, भरतपुर (जनकपुर), प्रेमनगर	5
गैर-आदिवासी गांव	सूरजपुर	1
पीवीटीजी गांव	–	–
कुल		5

मिश्रित समूह के साथ एफजीडी		
ग्राम प्रकार	ब्लॉकों के नाम	एफजीडी की संख्या
आदिवासी गांव	केशकाल, बैकुंठपुर, मस्तूरी, मैनपुर, प्रतापपुर, जगदलपुर,	6
गैर-आदिवासी गांव	कोटा	1
पीवीटीजी गांव	बागीचा	1
कुल		9

कुल एफजीडी 24

आदिवासी गांव 19

गैर-आदिवासी गांव 03

पीवीटीजी गांव 02

विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों के अलग-अलग समूहों द्वारा बताए गए विचार निम्नवत हैं।

ए. आदिवासी सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रथाएं

ए1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों के लगभग सभी युवा वर्गों ने साझा किया कि आदिवासी संस्कृति गैर-आदिवासियों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। वे दियारी, अमुश, नवाखानी आदि जैसे त्योहार मनाते हैं। सभी ग्रामीण, पुरुष और महिलाएं शाम को इकट्ठा होते हैं और मांदर की ध्वनि पर नृत्य करते हैं। इसी प्रकार विवाह के मामले में जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है। उनके लिए विवाह एक त्योहार है कोई रस्म नहीं।

आदिवासी संस्कृति में जब किसी आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ढोल बजाने की परंपरा है। कुछ युवाओं ने बताया कि वे इस परंपरा को बदलना चाहते हैं क्योंकि किसी के मरने पर ड्रम बजाना अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है मानो वे जश्न मना रहे हों। कई युवा समूहों ने साझा किया कि आदिवासियों द्वारा शराब के सेवन से उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है और इसे रोका जाना चाहिए।

कुछ युवा समूहों ने बताया कि उनके गाँवों में लड़कियाँ अब अधिक शिक्षित हो रही हैं। एक गांव में युवकों ने बताया कि उनकी जनजाति में प्रेम विवाह को मान्यता दी जाती है। वे विभिन्न जनजातियों/जातियों में भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समाज को भुगतान करना होगा।

गैर-आदिवासी गांव में भी युवा समूह ने साझा किया कि आदिवासी समाज थोड़ा अलग है क्योंकि वे गैर-आदिवासियों के विपरीत थोड़ा अलग तरीके से नृत्य और पूजा करते हैं।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश में, आदिवासी गांवों के कई युवा समूहों ने बताया कि आदिवासी और गैर-आदिवासी संस्कृति के बीच बहुत अंतर नहीं है। कुछ समूहों ने साझा किया कि उन्हें अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व है।

ए2. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

इस संबंध में मिश्रित समूह ने जो साझा किया वह युवा समूहों द्वारा कही गई बातों से बहुत अलग नहीं था। अधिकांश ग्रामीणों ने बताया कि आदिवासियों की जीवनशैली और संस्कृति के अपने अनूठे तरीके हैं। उनके पास ग्रामीण स्तर पर सामाजिक मुद्दों को हल करने के अधिकार और तंत्र हैं और गाँव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानदंड हैं।

एक समूह ने साझा किया कि वे गैर-आदिवासी समाज (गांव के ही सुंडी समाज) का पालन कर रहे हैं और किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में चिकन और मटन नहीं खा रहे हैं।

गैर आदिवासी गांव में समूह चर्चा के दौरान यह साझा किया गया कि गांव में केवल दो आदिवासी परिवार थे और इसलिए उन्होंने गैर आदिवासी जीवन शैली के तरीकों को अपना लिया है।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में यह बताया गया कि कोरवा समझते हैं कि उन्होंने अभी भी अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है, वे अभी भी अपनी भाषा बोलते हैं और अपने स्वयं के सांस्कृतिक त्योहार बनाते हैं। यह अपनी संस्कृति और विचारधारा को लेकर बहुत कट्टर है।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में, अधिकांश ग्रामीणों ने साझा किया कि आदिवासी लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं और साथ ही प्रकृति की पूजा भी करते हैं। कुल मिलाकर, उन्होंने युवा समूह जैसी ही बातें साझा कीं।

बी. अच्छे जीवन का विचार

बी1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों में युवाओं के लिए, अच्छे जीवन का विचार तब है जब सम्मानजनक और लाभकारी रोजगार हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त भोजन मिले, घर के सभी सदस्य एक साथ हों, उनके पास कपड़े और अन्य आवश्यक सामान खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा हो, घर के सदस्य शिक्षित हों और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही हो। उनमें से कुछ लोग नौकरी पाने के लिए गाँव से दूर जाना भी पसंद नहीं करते हैं। वे अच्छी तरह से खेती करना चाहते हैं ताकि उन्हें अधिक आमदनी हो सके।

कुछ समूहों ने अच्छे जीवन के संकेतक के रूप में कंक्रीट के घरों का भी उल्लेख किया। एक समूह के प्रतिभागियों ने कहा कि मोटरसाइकिल रखने से अच्छा जीवन आता है। एक समूह में प्रतिभागियों ने कहा कि अच्छे जीवन के लिए गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाना होगा।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवा समूहों ने साझा किया कि यदि उन्हें सम्मानजनक और पारिश्रमिक रोजगार मिलेगा, तो वे अच्छा जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। कुछ युवाओं ने बताया कि वे अधिक पैसा कमाने के लिए छोटा काम या सुंदर व्यवसाय भी करने को इच्छुक हैं। संक्षेप में, युवाओं ने बताया कि अच्छा जीवन बेहतर रोजगार और अधिक पैसे के साथ आता है। एक गांव में कुछ युवाओं ने बताया कि परिवार के साथ रहने से ही अच्छी जिंदगी मिलती है।

पीवीटीजी (बैगा) गांव में समूह चर्चा के दौरान युवाओं ने बताया कि अच्छा जीवन सिंचित कृषि, स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए उचित शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से आता है। साथ ही अगर उन्हें मौका मिले तो वे गांव में ही रहकर काम करना पसंद करेंगे।

बी2. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कुछ महिलाओं ने अपनी पर्याप्त जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी अधिक आय के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में बताया, जबकि कुछ महिलाओं ने गांव परिसर में बेहतर स्कूलों, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, पीने के पानी, सड़कों, बिजली और अस्पतालों की एक प्रणाली विकसित करने की कल्पना की, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने शराब के सेवन से मुक्त वातावरण; महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी मिलने और बच्चों को अच्छी शिक्षा और भोजन मिलने की परिकल्पना की। गाँव में एक सार्वजनिक स्थान हो जहाँ हर किसी को गाँव के विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में बोलने के लिए जगह मिले। चूँकि आदिवासियों का वन से गहरा रिश्ता है, इसलिए उन्होंने वन संरक्षण के लिए की जाने वाली पहल के बारे में जानकारी साझा की। गैर-आदिवासी गांवों की महिलाओं ने अच्छी आय और रोजगार के साथ अच्छा जीवन जीने के अपने विचार साझा किए; परिवार के सभी सदस्य शिक्षा प्राप्त कर सकें और स्वस्थ रह सकें।

पीवीटीजी महिलाओं ने एक घर, पानी की व्यवस्था और परिवार में सामंजस्य के बारे में बताया।

मध्य प्रदेश:

कुछ आदिवासी गांवों में महिलाओं ने बताया कि वे शांतिपूर्ण और सुखी जीवन और अपने बच्चों के पास सार्थक जीवन मूल्य होने की कल्पना करती हैं। बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए। वे अच्छे रोजगार और आय के अवसरों की आकांक्षा रखती हैं जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। कुछ महिलाओं ने शिक्षा, नौकरी और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के मामले में महिलाओं के स्वतंत्र होने के बारे में भी जानकारी साझा की। वे पर्याप्त भूमि जोत रखने की कल्पना करती हैं ताकि मजदूरी पर उनकी निर्भरता कम हो जाए। उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके ताकि उन्हें स्थायी जीवन के लिए बेहतर अवसर मिल सकें।

बी3. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

कई आदिवासी गांवों में मिश्रित समूहों के लोगों ने कहा कि परिवार के साथ समृद्ध जीवन बिताना ही उनकी खुशी है। इसके अलावा अन्य घटक हैं सिंचाई का बुनियादी ढांचा, कृषि से उच्च आय, अच्छी सड़कें और नेटवर्क, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय के साथ पक्का घर, चिकित्सा सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन, साक्षर परिवार के सदस्य, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, आदि।

एक गांव में लोगों ने कहा कि अच्छा जीवन वह है जहां परिवार के सदस्य शराब न पियें और घरेलू हिंसा न करें। दूसरे गांव में लोगों ने लाभकारी रोजगार की बात की।

एक गैर आदिवासी गांव में, यह साझा किया गया कि अच्छे जीवन का विचार वह होगा जब वे पूरे दिन काम करें और रात में अच्छी नींद लें। उन्होंने बेहतर स्कूलों, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छ और ताजी हवा, पानी, चिकित्सा सुविधाओं, अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों आदि के बारे में भी बात की।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में मिश्रित समूह द्वारा यह बात रखी गयी कि जमीन पर अधिकार होना चाहिए। सरकार को इनके विकास के लिए विशेष परियोजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए और उचित पोषण समर्थन मिलना चाहिए। गांव में हैंडपंप, कुआं, तालाब होना चाहिए।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में, लोगों ने साझा किया कि अच्छा जीवन लाभकारी रोजगार के साथ आता है जिसके लिए अच्छा घर, अच्छे कपड़े, शिक्षा, दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुएं होना आवश्यक है।

एक समूह में लोगों ने साझा किया कि अच्छे जीवन के लिए अच्छी मूल्य प्रणाली आवश्यक है। दूसरे समूह में लोगों ने अच्छे जीवन के लिए घर में शांति को आवश्यक शर्त बताया।

गैर आदिवासी मिश्रित समूह के लिए, अच्छे जीवन का विचार शौचालय, पानी की उपलब्धता, पारिश्रमिक रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा आदि के साथ बेहतर घर होना है।

सी. वन एवं वन अधिकार

सी1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों की लगभग हर महिला ने जंगलों को अपनी जीविका का अभिन्न अंग बताया और बताया कि वे मुख्य रूप से जंगल पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि वनोपज संग्रह करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं की है। लघु वन उत्पाद (एमएफपी) जैसे फल, जड़ी-बूटियाँ, मशरुम, इमली, साल बीज (*शोरिया रोबस्टा*), दातुन, *तेंदूपत्ता* (डायस्पायरोस मेलानोक्सिलीन पत्तियां), सरगी पान, आदि उनकी आजीविका में पूरक आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विकासात्मक गतिविधियों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वनों की कमी के कारण वनों का घनत्व नष्ट हो गया है। वन उत्पाद अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। आदिवासियों का जीवन प्रभावित हुआ है जिससे असुरक्षा पैदा हुई है। गाँव के सदस्य भी वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि कृषि कार्य और घरेलू उपयोग के लिए जंगलों को साफ किया जाता है।

जंगलों में जंगली सूअर, सियार और जंगली हिरण जैसे कई जंगली जानवरों का घर बढ़ गया है। जंगली जानवरों ने घरेलू पशुओं और पक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया; जिससे इंसानों को खतरा है और ऐसे हमलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा गया है।

मध्य प्रदेश:

गाँव की कुछ महिलाओं ने लकड़ी की कमी के डर से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने वाले लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में बताया। इस प्रकार, वे गैस आपूर्ति की मांग करते हैं परंतु उन्हें आशंका है कि इसके बहुत महंगी होने के कारण रीफिल करा सकेंगे या नहीं। कई महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे घरेलू जरूरतों के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं; सिर पर लकड़ी लादने का कष्ट उठाते हुए उन्हें उबड़-खाबड़ रास्तों पर मीलों चलना पड़ता है। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता घट रही है और वनों की कटाई वहां रहने वाले जानवरों और पक्षियों के लिए एक बड़ा खतरा है।

पहले जंगलों के भीतर कई जानवर और पक्षी देखे जाते थे जो अब धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जंगल से लकड़ी प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति के कारण वनों की कटाई हो रही है, इसके लिए ग्रामीण भी जिम्मेदार हैं।

तेंदू के पत्ते (डायस्पायरोस मेलेनोक्सिलोन), महुआ (मधुका लोंगिफोलिया), टेमरू, काई और अचार के पत्ते पांच प्रमुख लघु वन उत्पाद (एमएफपी) हैं जिनका वे दोहन करते हैं। एक समय, जंगल आजीविका और भोजन की खपत के मामले में बहुत कुछ प्रदान करते थे, जबकि जंगलो का दायरा अब सीमित हो गया है जिससे उन्हें कुछ नकदी प्राप्त करने और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए दैनिक मजदूरी के काम की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गांवों की महिलाओं ने वनों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा और अधिक पहल और कार्यक्रम चलाने का आग्रह किया।

सी2. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

आम तौर पर मिश्रित समूह में आदिवासी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उनमें से लगभग सभी जलाऊ लकड़ी के लिए इस पर निर्भर हैं। उन्हें अपना घर बनाने के लिए लकड़ी और निर्माण के लिए मिट्टी मिलती है। जंगल उनके जीवन का अभिन्न अंग है। जंगल में बहुत सारे पत्तेदार पौधे और कंद वाली फसलें उपलब्ध हैं जिन्हें वे पकाते हैं। कई ग्रामीणों की शिकायत है कि जंगलों से उनके द्वारा खाए जाने वाले कंद, लताओं की उपलब्धता गायब होती जा रही है।

कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें आईएफआर मिला है जबकि अन्य ने कहा कि उन्होंने भी जंगल में खेती की थी लेकिन उन्हें आईएफआर नहीं मिला। उनमें से कई को बीएलसीसी और डीएलसीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ग्राम सभा में आईएफआर के अपने दस्तावेजों का अनुमोदन किया है और उन्हें ब्लॉक स्तर के सीईओ को सौंप दिया है। उन्हें प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और उन्हें नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं, लेकिन उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुसार आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। वे सीएफआर के बारे में जानते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। यदि उन्हें प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया जाए तो वे अधिकारों का दावा करने को तैयार हैं।

हालाँकि, कई गाँवों में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें वन अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले जाया जाता था, तो वन रक्षकों द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जाता था।

कुछ ने कहा कि हालांकि उन्हें सीएफआर और आईएफआर अधिनियमों के बारे में नहीं पता था लेकिन उनमें से कुछ के पास जंगल में जमीन थी और उन्हें जमीन का पट्टा मिल गया। कुछ लोगों ने बताया कि पट्टे मुख्यमंत्री द्वारा वितरित किये गये।

एक आदिवासी गाँव में, यह साझा किया गया कि उनका गाँव वन अधिकार प्रावधानों के अंतर्गत आता है, गाँव के सभी ग्रामीण पात्र हैं, और गाँव में एक वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है जो जंगलों में पेड़ों की कटाई को रोकती है। छोटे वन क्षेत्र का सामुदायिक वन पट्टा गांव में आसानी से मिल जाता है, लेकिन बड़े क्षेत्र का वन पट्टा गांव के सदस्यों को नहीं मिल पाता है. जिन आदिवासी ग्रामीणों ने व्यक्तिगत वन पट्टा के लिए आवेदन किया था, उन्हें तो यह मिल गया है, लेकिन गैर-आदिवासियों को यह नहीं मिल रहा है।

एक गैर आदिवासी गांव में जंगल गांव से 7 किमी दूर है। इसलिए ग्रामीण जंगल पर ज्यादा निर्भर नहीं हैं।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में मिश्रित समूहों के बीच समूह चर्चा के दौरान यह साझा किया गया कि इस गांव में सामुदायिक वन अधिकार नहीं दिए गए हैं, केवल एक या दो परिवारों को ही पट्टा प्राप्त है।

मध्य प्रदेश:

अधिकांश आदिवासी गांवों में लोगों ने बताया कि उनके पास आईएफआर या सीएफआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालाँकि, जो गाँव जंगल के करीब हैं, उन्होंने बताया कि वे जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करते हैं।

एक गैर आदविासी गांव में लोगों ने बताया कि वे वन अधकिारों के बारे में जानते हैं और उनका गांव वन अधकिारों के अंतर्गत आता है, हालांक‍ि, प्रतभिागयिों में से एक ने बताया क‍ि उन्हें सरकार से पट्टा प्राप्त करने में बहुत कठनिाई का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

डी. जंगल, कृषि, मजदूरी और प्रवासन पर निर्भरता के संदर्भ में आजीविका संदर्भों को बदलना।

डी1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने बताया कि पहले वनों पर निर्भरता अधिक थी, जबकि वनों की कटाई में वृद्धि के साथ निर्भरता कम हो रही है। विभिन्न वन उत्पादों की उपलब्धता में कमी देखी गई है और इस प्रकार ग्रामीण गैस सिलेंडर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ गांवों में, ग्रामीण आय सृजन के लिए ज्यादातर जंगलों पर निर्भर हैं। उनमें से कुछ ने बताया कि वे कृषि उत्पादों के बजाय एमएफपी से अधिक कमाते हैं। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि बैलों से खेत की जुताई करना आसान था और अब इसकी जगह ट्रैक्टर खेती ने ले ली है। खेती के तौर-तरीके बदल गए हैं; जैविक खेती से लेकर पारंपरिक तक-गहन रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग ने कई बीमारियों के साथ मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

मौसम में बदलाव और सिंचाई के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, ग्रामीण पलायन का विकल्प चुनते हैं। कुछ गाँवों में, महिलाओं को गाँव में महिलाओं के लिए मजदूरी रु.120 और पुरुषों के लिए रु. 150. मिलती है। गांवों में मनरेगा के अलावा किसी काम की मांग नहीं है। उन्हें बाहर जाना उपयुक्त लगता है क्योंकि वहां काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी की पेशकश की जाती है।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने अपर्याप्त वर्षा और लकड़ी की कमी के कारण पेड़ों के कम होने के खतरे के बारे में बताया। जंगल आदिवासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महिलाएं जंगल से वन उपज इकट्ठा करती हैं जिससे उन्हें अपनी आजीविका के लिए नकदी मिलती है। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियाँ फसलों की मात्रा और गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाती हैं। कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि हर साल उन्हें अपनी उपज से घाटा होता है। गाँव की परिधि में काम के कोई अवसर नहीं होने के कारण, उन्हें अपने परिवार की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। महिलाओं ने अपने बच्चों को घर पर अकेले छोड़ने की महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया।

डी2. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

कुछ ग्रामीणों ने साझा किया कि गांव के आसपास कोई जंगल नहीं है या बेहद ख़राब जंगल है। उन गांवों को अपने ही गांव से नगण्य एनटीपीएफ मिलता है और वे जलाऊ लकड़ी के लिए पड़ोसी जंगलों में जाते हैं।

सामान्य तौर पर भी, ग्रामीणों ने बताया कि पेड़ों की कटाई के कारण पिछले कुछ वर्षों की तुलना में जंगलों में संसाधन कम हो रहे हैं। पहले जंगलों में लघु वन उत्पाद कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में होते थे। अब वनोपज की उपलब्धता कम हो गयी है। ज्यादातर मामलों में, जंगलों में ज्यादातर बॉक्साइट चट्टानों का प्रभुत्व होता है। ग्रामीणों ने साझा किया कि भले ही उन्हें रोजगार मिले पर वे उद्योगों का आना पसंद नहीं करेंगे।

कई गांवों ने साझा किया कि लकड़बग्घा, भालू और तेंदुए जैसे जंगली जानवरों से खतरा है लेकिन उन जानवरों की संख्या भी कम हो रही थी। कुल मिलाकर, कई समूहों ने साझा किया कि जंगलों पर उनकी निर्भरता कम हो रही है।

गांव में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण पलायन बढ़ा है। बहुत सारे युवा आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में जाते हैं और वर्षों तक वहीं रह जाते हैं। मनरेगा द्वारा प्रदान किया गया रोजगार युवाओं द्वारा पसंद नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें प्रदान किया जाने वाला काम कम है। कृषि लाभदायक नहीं है क्योंकि इसमें पारंपरिक तरीकों का पालन किया जाता है और सिंचाई का कोई साधन नहीं है।

हालाँकि, कुछ गाँवों में लोगों ने बताया कि अब उन्हें गाँव में ही मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है और कई अन्य सहायक सरकारी कार्यक्रम भी हैं, जिसके कारण पलायन कम हुआ है। एक गांव ने बताया कि उन्हें वन विभाग से भी काम मिल रहा है।

एक गांव में सर्दियों में नई तकनीक आने से भारी मात्रा में फसल पैदा हो रही है और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है. जो किसान पहले 10,000 कमाते थे अब 2-3 फसल लेकर 1 लाख तक की कमाई कर रहे हैं।

एक गैर आदिवासी गांव में समूह चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पहले वे पलायन करते थे। खेती महंगी और घाटे का सौदा हो गयी है। 80% ग्रामीण बिना श्रम के हैं। केवल 20% कृषक हैं।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में बताया गया कि आजीविका के साधन नहीं होने के कारण युवा पलायन कर रहे हैं, उन्हें वन अधिकार नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश:

अधिकांश ग्रामीणों ने साझा किया कि पिछले कुछ वर्षों में जो मुख्य अंतर आया है वह जंगल और प्रवासन से संबंधित आजीविका विकल्पों में है। पेड़ों का गिरना और गाँव में जैव विविधता का कम होना जंगल पर निर्भरता और उनसे रिटर्न कम होने का प्रमुख कारण रहा है। यहां तक कि पास का जंगल भी तेजी से गायब हो रहा है। इससे जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, तेंदू पत्ते और अन्य वन उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

एक मामले में गाँव के पास के जंगल को राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित कर दिया गया और इससे वन संग्रहण से होने वाली आय में भी गिरावट आई।

एक समूह ने साझा किया कि मिट्टी के काम के लिए मशीनों की शुरुआत ने हाथों से किए जाने वाले काम के अवसर को कम कर दिया है और इसलिए गांवों में मजदूरी के अवसर कम हो रहे हैं।

अधिकांश गांवों के लोगों ने बताया कि वे अब अधिक संख्या में पलायन कर रहे हैं क्योंकि गांव में काम के अवसर कम हैं।

एक समूह ने बताया कि वे पहले से ही अच्छी खेती कर रहे हैं, कोदो कुटकी मोटे अनाज को छोड़ कर धान और मक्का की खेती कर रहे हैं। सर्दियों के दौरान वे सब्जियाँ बोते हैं। लेकिन फिर भी, उनमें से कई अधिक कमाने के लिए केरल और महाराष्ट्र जाते हैं।

ई. कृषि और घरों में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने पर प्रवासन का प्रभाव

ई 1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों प्रकार के गांवों की महिलाओं ने कहा कि पुरुष आमतौर पर काम के लिए पलायन करते हैं; यदि महिलाएं पलायन करती हैं, तो इससे घरेलू ज़िम्मेदारियों- बच्चों की देखभाल, किराना और राशन की वस्तुओं का रखरखाव, और अन्य ज़रूरतों में कठिनाइयाँ पैदा होंगी। निर्णय आमतौर पर पति-पत्नी की आपसी सहमति से लिए जाते हैं। यदि महिलाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो वे कृषि क्षेत्रों में मजदूर के रूप में काम करने का विकल्प चुनती हैं।

कुछ महिलाओं ने प्रवासन में आने वाली चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तत्काल घरेलू जरूरतों को पूरा करना और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के बारे में भी साझा किया। परिवार की स्थिति सुधारने के लिए पूरा परिवार पलायन करने को मजबूर है। प्रवासन अक्सर उनकी भूमि पर खेती की गतिविधियों के प्रबंधन के बाद होता हैं। वे कृषि मौसम में फसलें उगाने हेतु लिए गए ऋण को चुकाने के लिए पलायन करते हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि महिलाएं खेती में योगदान देती हैं और निर्णय भी लेती हैं। निर्णय परिवार के आकार पर निर्भर करता है; एकल परिवारों में महिलाओं के लिए निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश होती है। पीवीटीजी गांवों की महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र से कोई भी पलायन नहीं करता है।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने काम के लिए गांव से दूर जाने, बच्चों को घर पर छोड़ने और 6 महीने बाद घर लौटने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। महिलाएं खेती की जिम्मेदारी नहीं लेतीं, आमतौर पर पुरुष खेती का काम संभालते हैं। कई महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन वाली मजदूरी मिलने की चिंता अधिक रहती है, इसलिए वे बेहतर मजदूरी की तलाश में पलायन करती हैं। कुछ महिलाओं ने घरेलू और कृषि दोनों क्षेत्रों के प्रबंधन में महिलाओं की माँग के बारे में साझा किया। कृषि अवधि के दौरान, बच्चों को आमतौर पर उनके घरों में छोड़ दिया जाता है और महिलाएं अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाती हैं।

अधिकांश महिलाओं ने बताया कि उन्हें खेतों में काम करना पड़ता है और घर लौटने के बाद घरेलू जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। वे शारीरिक काम से थकावट महसूस करती हैं और कभी-कभी, बिना खाना खाए ही सो जाती हैं। महिलाओं को घर और खेत दोनों जगहों पर समय पर काम करने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उन्हें आजीविका की जरूरतों के कारण ऐसा करना पड़ता है।

एफ. आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति

एफ 1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गाँवों के अधिकांश युवा समूहों ने साझा किया कि आदिवासी महिलाएँ कहीं भी खुलकर बात करने में सक्षम नहीं हैं; वे गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में कम शिक्षित हैं। आदिवासी महिलाएँ हर तरह का काम करती हैं, जैसे खेत जोतना, धान बोना आदि। वे काम करने में शर्माती नहीं हैं। कुछ समूहों ने साझा किया कि आदिवासी महिलाएं गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में अधिक कठिनाई सहन कर सकती हैं। एक युवा समूह ने साझा किया कि आदिवासी महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है।

आदिवासी गांवों के युवाओं ने आगे कहा कि कुछ महिलाएं आगे आ रही हैं और पुरुषों की मानसिकता भी बदल रही है। एक व्यक्ति ने कहा, 'हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं।

गैर आदिवासी गांव में, एक युवा समूह ने साझा किया कि गैर-आदिवासी समाज में महिलाएं अच्छे कपड़े पहनती हैं क्योंकि अधिकांश गैर आदिवासी शिक्षित हैं।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के युवा समूहों ने साझा किया कि आदिवासी समाज में महिलाएं कम पढ़ी-लिखी हैं, उनमें से कई अशिक्षित हैं, वे घर का काम करती हैं और दूसरों के खेतों में भी काम करती हैं, वे पीने का पानी लाने के लिए दूर जाती हैं, उनकी जल्दी शादी हो जाती है, वे सामाजिक कार्यक्रम या विवाह जैसे समारोहों में शामिल हो कर आनंद नहीं ले सकतीं, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और वे घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के साथिया के पीवीटीजी (बैगा) गांव में, यह साझा किया गया कि उनके गांव में, गौड़ आदिवासी समाज में महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सभी खेती करतीं हैं, और गैर-आदिवासी और आदिवासी दोनों महिलाएं नरेगा में काम करने के लिए जाती हैं।

एफ 2. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कुछ आदिवासी गांवों में जनजातीय महिलाओं ने बताया कि उनमें कृषि क्षेत्रों और अतिरिक्त घरों का प्रबंधन, मजदूरी कमाई और दूसरों के घरों पर श्रम करने जैसी सभी प्रकार की गतिविधियों को करने की क्षमता है। जबकि गैर-जनजातीय महिलाओं की ऐसे श्रमसाध्य कार्य करने में कोई भूमिका नहीं थी। आदिवासी महिलाएँ अपनी सोच-विचार कम ही व्यक्त करती हैं। आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति गैर-आदिवासी महिलाओं की तुलना में काफी भिन्न रही है। अच्छी आय, शिक्षा और रोजगार के कारण गैर-आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है; आदिवासी समुदाय भूमि स्वामित्व, बेरोजगारी और शिक्षा से संघर्ष करते हैं। जनजातीय समाजों में शराब पीना और कम उम्र में विवाह की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है। आदिवासी महिलाएँ खेती और जंगल में लगी रहती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ जनजातीय महिलाओं ने बताया कि उनमें अन्य महिलाओं की तुलना में अधिक गतिशीलता और बाहरी दुनिया का अनुभव है। पीवीटीजी महिलाओं ने अपनी शिक्षा की कमी के बारे में बताया और इस तरह वे अपने तक ही सीमित रहीं।

मध्य प्रदेश:

अधिकतर, आदिवासी महिलाओं को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और वे गरीबी महसूस करती हैं। आदिवासी महिलाओं के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव एक आम समस्या है और इस कारण उन्हें मजदूरी के काम में लगे रहना पड़ता है। शराब पीने की दर ऊंची है; आदिवासी महिलाओं ने बेहतर कपड़े पाने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के बारे में अपनी परेशानी साझा की। आदिवासी समुदायों को अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक बहिष्कार आदि जैसी अनेक भेदभावपूर्ण प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। आदिवासी समुदायों के पास कम जमीन है और वे विभिन्न संपत्तियों और अवसरों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

जी. बाजार में महिलाओं की भागीदारी

जी1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कई महिलाओं ने कहा कि बाजार में महिलाओं की भागीदारी में बदलाव आया है; परिवहन की सुविधा के कारण वे बाज़ारों तक पहुँचने में सक्षम हैं। आदिवासी महिलाएं ज्यादातर घरेलू मांगों के आधार पर धान और अन्य फसल उत्पाद बेचने के लिए बाजारों में जाती हैं। यहां तक कि व्यापारी उत्पादित फसल को खरीदने के लिए गांवों में आते हैं और व्यापारियों द्वारा कीमतों की पेशकश की जाती है। पुरुष आमतौर पर उत्पादित फसल को सीधे बेचने के लिए बड़े बाजारों में जाते हैं जबकि महिलाएं कपड़े खरीदने के लिए बाजारों में जाती हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि वन उत्पादों को बेचने से मिलने वाले पैसे का प्रबंधन वे स्वयं करती हैं। कुछ महिलाओं ने यहां तक कहा कि वे जो सब्जियां उगाते हैं वह पर्याप्त नहीं होती इसलिए बाजार से खरीदते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है। कुछ आदिवासी महिलाओं ने कहा कि महिलाएं अब सामान खरीदने या बेचने के मामले में बाजारों तक पहुंचने में आगे बढ़ रही हैं, जिससे सौदेबाजी संभव हो रही है।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की कुछ महिलाओं ने परिवार के सदस्यों की सभी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बाजारों तक पहुंच की आवश्यकता के बारे में बात की है। वे सब्जियाँ बेचने, कपड़े, बर्तन और यहाँ तक कि कृषि संबंधी वस्तुएँ खरीदने जाती हैं। नकदी फसलों की मार्केटिंग के संदर्भ में, वे बाजार की कीमतों से परिचित नहीं हैं क्योंकि उनके पास बाजार के बारे में जानकारी का अभाव है। महिलाएं अब पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं क्योंकि उनकी बाजार में अच्छी पकड़ है, जिससे उन्हें बाजार में अधिक आवाज और शक्ति मिलती है। कुछ महिलाओं ने ऐसे घरों का उदाहरण दिया जहां महिलाएं घर संभाल रही हैं, जिनके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है। गांव की महिलाओं को रोजगार विकल्पों के साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ा है। महिलाएं अब गांव में हो रहे बदलावों को लेकर आश्वस्त हैं।

एच. ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी एवं भूमिका

एच 1. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों की महिलाओं ने ग्राम सभा के उद्देश्य के बारे में पर्याप्त जानकारी की कमी के बारे में बताया। ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने में महिलाओं की भागीदारी कम है और ग्राम सभा में अपनी आवाज़ उठाने की संभावना सीमित है। हालांकि ग्राम सभा में कुछ महिलाएं आती हैं, लेकिन वे महिलाओं से जुड़े विषयों पर अपनी बात कहने में झिझकती हैं। निर्णय अधिकतर सरपंच और सचिव द्वारा लिया जाता है। कुछ आदिवासी गांवों में, गांव का कोतवाल (पारंपरिक दूत) घर-घर जाकर दोनों पति-पत्नी के नाम बताता है जो बैठकों में भाग ले सकते हैं। कुछ महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होती है जहां वे अपनी चिंताओं को व्यक्त कर सकती हैं और आगे उठाए जाने वाली समस्याओं को साझा कर सकती हैं।

गैर-आदिवासी गांवों में महिलाओं ने बताया कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि ग्राम सभा की बैठकें कब होती हैं। वे आमतौर पर घर संभालने की जिम्मेदारी उठाती हैं और इस प्रकार ऐसी बैठकों के महत्व पर ध्यान नहीं देते हैं।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों की महिलाओं को ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने का अनुभव है। वे अपनी राय ग्राम सभाओं में रख सकती हैं जहां उनकी आवाज़ सुनी जाती है और चर्चा की जाती है। जबकि कुछ महिलाओं ने साझा किया कि उनकी बातों पर विचार नहीं किया जाता है जिससे महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में कमी आती है। अधिकांश महिलाओं ने साझा किया कि ग्राम सभा की बैठकों में आम तौर पर अच्छी वित्तीय स्थिति या शक्तिशाली पदों पर बैठे पुरुषों और व्यक्तियों को बुलाया जाता है; निर्णय लेने में सरपंच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश महिलाओं ने इन बैठकों में शामिल होने, अपने विचार साझा करने और अपनी चिंताओं को हल करने में भागीदार बनने की आवश्यकता और रुचि व्यक्त की।

आई. घरेलू उपयोग के लिए पानी

II. महिला समूह

छत्तीसगढ़:

कई गांवों की महिलाओं ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी की कमी की शिकायत की। वे आमतौर पर घरेलू उपयोग के लिए पानी के लिए कुओं, बोरवेल और हैंडपंप पर निर्भर रहती हैं। कुछ गांवों में महिलाओं ने बताया कि उन्हें पूरे साल पर्याप्त पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि जल वितरण हेतु सरकार द्वारा पहल की जाती है; कुछ मामलों में, पाइपों में पानी ख़त्म हो जाता है, और अन्य मामलों में, पीने का पानी सुरक्षित नहीं होता है। कुछ महिलाओं ने पाइप के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पानी में आयरन की मात्रा बढ़ने और संदूषण की सूचना दी। एक समूह ने कहा कि पानी की गुणवत्ता इतनी खराब है कि यह खाना पकाने, सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए अनुपयुक्त है। बिजली की अनियमित आपूर्ति चिंता का विषय रही है। एक महिला को साफ पानी लाने के लिए कम से कम 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें गर्मियों के दौरान लगभग 3-4 घंटे लगते हैं जबकि अन्य मौसमों में 15-20 मिनट लगते हैं। उनके लिए कृषि गतिविधियों में योगदान देना और दैनिक मजदूरी का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है। मानसून के दौरान दूषित पानी के सेवन से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

मध्य प्रदेश:

मध्य प्रदेश में भी, कई गांवों की आदिवासी महिलाओं ने गर्मियों के दौरान पानी की कमी की शिकायत की। नल, बोरवेल और नदी की सतह का पानी सूख जाता है, जिससे महिलाओं को दूर-दूर से पानी इकट्ठा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गर्मी के महीनों में कुछ गांवों में कई बार कुओं को भरने के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है ताकि सभी को पानी मिल सके।

जे. युवा किस तरह से नियोजित हैं

जे1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवाओं ने बताया कि उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वे बेरोजगार हैं। कई लोग मनरेगा में काम कर रहे थे लेकिन समय पर मजदूरी नहीं मिलने के कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अधिकतर युवा कृषि कार्य में लगे हुए हैं। एक गांव में युवाओं ने बताया कि वे महुआ, तेंदू पत्ता आदि इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं।

अधिकांश आदिवासी गांवों से, युवा समूहों ने बताया कि वे काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। वहां उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर भोजन और धन नहीं मिल पाता है। यदि वे या उनके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज कराने के लिए आने में असमर्थ है। पलायन करने वाले युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवाओं ने बताया कि वे मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं और यहां तक कि काम पाने के लिए पलायन भी करते हैं। उनमें से कुछ दैनिक आधार पर काम पाने के लिए गाँव से बाहर जाते हैं। वे दूसरों के खेतों में काम करते हैं - गन्ना काटते हैं या कंद खोदते हैं। वे सुबह-सुबह अपने गांव से निकल जाते हैं और रात होने पर वापस लौटते हैं। उन्हें आमतौर पर वाहन नहीं मिलता और उन्हें आने-जाने में दिक्कत होती है। ऐसे भी दिन होते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता और घर पर ही रहना पड़ता है। जब वे काम के लिए बाहर जाते हैं तो समय पर वापस नहीं आते। अगर कोई आपात स्थिति हो तो वे समय पर नहीं पहुंच पाते।

आदिवासी गाँवों के युवा समूहों ने भी बताया कि वहाँ बहुत अधिक बेरोजगारी है। गाँव में रहकर शिक्षा प्राप्त करना कठिन है। दूसरी ओर, वे शिक्षा के लिए शहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। कुछ युवाओं ने कहा कि पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, वे बेरोजगार ही रह जायेंगे। एक समूह के युवाओं ने बताया कि उनके गांव में बुनियादी ढांचा इतना खराब है कि बारिश के दौरान उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं।

एक पीवीटीजी (बैगा) गांव में, युवाओं ने बताया कि उनमें से अधिकांश लोग गांव में ही खेती और नरेगा के काम में लगे हुए हैं और कभी-कभी वे काम के लिए केरल जाते हैं।

के. पेसा (पीईएसए)

के 1. मिश्रित समूह

छत्तीसगढ़:

अधिकांश ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पेसा के बारे में कुछ नहीं पता और यह अभी तक उनके गांव में नहीं है. हालांकि, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह उनके गांव में लागू हो जाए तो उन्हें काफी लाभ मिलेगा। कुछ गांवों में लोगों ने बताया कि वे ग्राम सभा में नहीं जाते हैं। उन्होंने साझा किया कि ग्राम सभा में उनके दिये गये आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बिलासपुर जिले के गैर आदिवासी गांव रानी सागर में यह बताया गया कि उनका गांव पेसा अधिनियम के तहत नहीं आता है।

पीवीटीजी (पहाड़ी कोरवा) गांव में यह बात साझा की गई कि इस गांव के लोग न तो पेसा के बारे में जानते हैं और न ही अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

मध्य प्रदेश:

धार, खरगोन, सिवनी के आदिवासी गांव में एफजीडी के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पेसा के बारे में कोई सूचना और जानकारी नहीं है। अन्य जिलों में यह प्रश्न लागू नहीं था।

एल. विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

एल 1. युवा समूह

छत्तीसगढ़:

कुल मिलाकर आदिवासी गांवों के युवा समूहों ने साझा किया कि विकास की प्राथमिकताएं युवाओं के लाभकारी रोजगार, बेहतर कृषि, उच्च शिक्षा सहित अच्छी शिक्षा, उचित चिकित्सा सुविधाएं, उचित आवास, शांतिपूर्ण वातावरण, सिंचाई और स्वच्छ पेयजल को दी जानी चाहिए। कुछ युवा समूहों ने बिजली, परिवहन सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टिविटी के बारे में भी बात की। एक समूह ने मनरेगा के तहत काम और भुगतान की उपलब्धता, अपने गांव में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति और सरकारी पेंशन योजनाओं के उचित कामकाज के बारे में कहा।

गैर-आदिवासी गांव में, युवा समूह ने साझा किया कि उनके जीवन की प्रमुख प्राथमिकताएं बेहतर आवास, कृषि, पैसा, बेहतर नौकरियां और अंत में, दूसरों से उनका सम्मान हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार की पांच प्राथमिकताओं में बिजली, नल का पानी, बेहतर सड़कें, राशन और अंत में सरकारी नौकरी पाने के अवसर शामिल हैं।

मध्य प्रदेश:

आदिवासी गांवों के अधिकांश युवा समूहों ने साझा किया कि सरकार को आवास, पेयजल, सीवेज प्रणाली, सड़क, स्कूल एचे पेंशन और अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पीवीटीजी (बैगा) गांव में युवा समूह ने कहा कि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, नरेगा कार्य और आदिवासी रीति-रिवाज प्राथमिकता होनी चाहिए।

अनुलग्नक सी

आदिवासी आजीविका की स्थिति: सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 के माध्यम से देखना

1. अनुसूचित जनजाति परिवार

2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के अनुसार, भारत में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 10.98% था, जिसमें से उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह संख्या बहुत अधिक थी और मिजोरम में 98.79% के साथ अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। मध्य और पूर्वी भारत में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति परिवारों के उच्च अनुपात वाले राज्यों में से हैं। SECC 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत राज्य के भीतर काफी भिन्नता के साथ 36.83% है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़ के मध्य जिलों में अपेक्षाकृत कम संख्या है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में 86.64% के साथ अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद निकटवर्ती जिले बीजापुर में 84.64% है, जबकि जांजगीर चांपा में 13.02% के साथ सबसे कम प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 25.29% है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे जिलों में इसकी सघनता अधिक है। गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या सबसे अधिक अर्थात 94.36% है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ झाबुआ जिला है, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 91.64% है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सभी दक्षिणी जिले एक अलग पट्टी बनाते हैं, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात अधिक है, डिंडौरी में 64.32% अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, इसके बाद मंडला में 62.44% अनुसूचित जनजाति परिवार हैं।

2. आजीविका नियोजन

SECC 2011 के आंकड़ों में ग्रामीण परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के आजीविका स्रोत शामिल हैं। बताया गया है कि ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आजीविका का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कृषि और और उसके बाद घरेलू काम और शारीरिक आकस्मिक श्रम है। आजीविका के अन्य प्रकार के स्रोतों को भी गैर-कृषि उद्यमों, चारागाह और गैर-वर्णनात्मक अन्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया है।

2.1. आजीविका नियोजन: शारीरिक आकस्मिक श्रम, कृषि और घरेलू कार्य

भारत में 51.18% ग्रामीण परिवार और 51.28% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अन्य परेशानियों के अलावा अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। इसके बाद कृषि का स्थान आता है क्योंकि भारत में 30.1% ग्रामीण परिवारों ने कृषि को आय का मुख्य स्रोत बताया है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में, कृषि पर निर्भरता औसत से अधिक है तथा ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में से 37.98% परिवार खेती को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताते हैं। मध्य भारत क्षेत्र में भारत-स्तरीय प्रवृत्ति ही देखी जाती हैं, जहां 55.56% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम की सूचना देते हैं, इसके बाद 39.23% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार कृषि पर निर्भर हैं। इसके विपरीत, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों (54.59%) ने कृषि को अपना प्राथमिक स्रोत बताया और इसके बाद शारीरिक आकस्मिक श्रम (24.56%) को बताया। यही प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है, जो मध्य भारत क्षेत्र के आंकड़ों के विपरीत है, जहां 51.97% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने कृषि को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताया, इसके बाद 42.54% ने शारीरिक आकस्मिक श्रम को अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत बताया। हालाँकि, मध्य प्रदेश के आंकड़ों से पता चलता है कि 63.58% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने शारीरिक आकस्मिक श्रम को अपनी मुख्य आजीविका बताया, जो भारत में सर्वाधिक में से एक है । इसके बाद 31.95% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों द्वारा कृषि को प्रमुख स्रोत बताया गया है। बताया गया है कि शारीरिक आकस्मिक श्रम और खेती के अलावा, अंशकालिक या पूर्णकालिक घरेलू काम ग्रामीण परिवारों के लिए आय का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लक्षद्वीप में 11.42% ग्रामीण परिवारों और 11.21% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने घरेलू काम की सूचना दी क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के भारतीय राज्यों के बाद सभी जिलों में सबसे अधिक है। मध्य भारत क्षेत्र में, 2.13% ग्रामीण परिवारों और 1.19% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने घरेलू काम को अपनी आय का मुख्य स्रोत बताया, जो कि भारत के ग्रामीण परिवारों में 2.5% और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में 2% के आंकड़े से कम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मध्य भारत क्षेत्र के समान प्रवृत्ति देखी

[1]The SECC website, https://secc.gov.in/

जाती है, जहां 1.19% और 1.07% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार घरेलू काम को अपनी आय का मुख्य स्रोत बताते हैं। आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में घरेलू काम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के औसत ग्रामीण परिवारों में क्रमशः 1.66% और 1.62% के आंकड़ों के साथ थोड़ा अधिक है।

2.2. आजीविका संलग्नता: गैर-कृषि क्षेत्र

SECC 2011 में गैर-कृषि क्षेत्र में दो संकेतक शामिल हैं:
(ए) गैर-कृषि स्वयं के उद्यम वाले परिवारों की संख्या।
(बी) सरकार के साथ पंजीकृत उद्यम का स्वामित्व/संचालन करने वाले परिवारों की संख्या।

भारत में 1.61% ग्रामीण परिवारों के पास गैर-कृषि स्वयं के उद्यम होने की सूचना है। लेकिन गैर-कृषि ग्रामीण उद्यमों पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की निर्भरता काफी कम मात्र 0.64% है। 3.64% के साथ तमिलनाडु में गैर-कृषि ग्रामीण उद्यमों पर निर्भर ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद तेलंगाना, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र में यह प्रतिशत काफी कम है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 0.34% और 0.4% है। जब ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की बात आती है तो इन दोनों राज्यों में यह प्रतिशत क्रमशः 0.14% और 0.12% है।

भारत में 2.72% ग्रामीण परिवार और 2.05% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार सरकार के साथ पंजीकृत उद्यमों के मालिक हैं या उन्हें संचालित करते हैं। पंजीकृत उद्यमों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में सबसे अधिक 19.54% है, इसके बाद दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान है। यह उच्च निर्भरता गुजरात, हरियाणा, गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देखी जा सकती है। दमन और दीव में सरकार के साथ पंजीकृत उद्यमों वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 16.49% है, इसके बाद 15.99% के साथ हरियाणा का स्थान है। मध्य भारत क्षेत्र में पंजीकृत उद्यमों पर ग्रामीण और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की निर्भरता काफी कम है। छत्तीसगढ़ के मामले में 0.57% ग्रामीण परिवार और 0.55% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार और मध्य प्रदेश के मामले में 0.82% और 0.54% यह दर्शाता है कि इन राज्यों की स्थिति इस क्षेत्र में सबसे कम है।

2.3. अन्य आजीविका संबंधी गतिविधियाँ

SECC 2011 ने 0.6% ग्रामीण परिवारों और 0.46% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आय के स्रोत के रूप में चारागाह, कचरा बीनना, भीख मांगना, दान और भिक्षा संग्रह की व्यापकता को भी शामिल किया है। इस प्रकार की गतिविधियों पर ग्रामीण परिवारों की निर्भरता पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 1.49% है, इसके बाद कर्नाटक में 1.38% है। गतिविधियों के इस समूह में मध्य भारतीय क्षेत्र के ग्रामीण परिवार सबसे निचले स्तर पर हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की चारा, कचरा बीनने और दान पर निर्भरता का प्रतिशत क्रमशः 0.65% और 0.69% है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में, गतिविधियों के इस सेट पर निर्भरता कर्नाटक में सबसे अधिक 1.21% बताई गई है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 0.83% है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की निर्भरता सबसे कम 0.13% है, इसके बाद मध्य भारत क्षेत्र में 0.46% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह निर्भरता अपेक्षाकृत कम क्रमशः 0.41% और 0.43% है।

शब्द "अन्य आय स्रोत” किसी परिवार की आय के किसी भी स्रोत को संदर्भित करता है जो उपरोक्त स्रोतों में शामिल नहीं है। भारत में 13.97% ग्रामीण परिवारों और 7.56% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने अन्य स्रोतों को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताया। छत्तीसगढ़ में 4.99% ग्रामीण परिवारों और मध्य प्रदेश में 5.80% ग्रामीण परिवारों ने अन्य स्रोतों को अपनी आय का प्राथमिक स्रोत बताया। हालाँकि, अन्य स्रोतों को अपनी प्राथमिक आय बताने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्रमशः 3.64% और 2.85% के साथ अपेक्षाकृत कम है। इसलिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच, शारीरिक आकस्मिक श्रम और कृषि आय के दो सबसे बड़े स्रोत हैं, जो कम सुनिश्चित परिणामों के साथ अनौपचारिक असंगठित कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, भारत के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच आय के स्रोतों में भिन्नता को संसाधन आधार और भूमि स्वामित्व प्रतिशत को मिला कर समझने की आवश्यकता है जैसा कि धारा 5 में बताया गया है।

3. आय स्लैब

SECC 2011 में परिवार के सबसे अधिक कमाई करने वाले सदस्य की विभिन्न आय स्लैब के आधार पर परिवारों की संख्या की गणना की गई। उपयोग किए गए तीन आय स्लैब थे: <5000, 5000-10000, और >10000। इन मेट्रिक्स का उपयोग ग्रामीण परिवारों की आर्थिक भेद्यता को समझने के उपाय के रूप में, जनसंख्या में अंतर आय सीमा को समझने के लिए किया जा सकता है।

भारत में लगभग 75% ग्रामीण परिवारों और 87% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि सबसे अधिक कमाई करने वाले परिवार के सदस्य की मासिक आय 5,000 रुपये से कम है। ग्रामीण परिवारों के मामले में यह प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक 79% है और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 36% है । छत्तीसगढ़ के मामले में यह 91% है और मध्य प्रदेश में यह 83% है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में ओडिशा में 96% के साथ सबसे अधिक और लक्षद्वीप में 44% के साथ सबसे कम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में यह 93% है।

भारत में 17% ग्रामीण परिवारों और 9% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि सबसे अधिक कमाई करने वाले परिवार के सदस्य की मासिक आय 5,000-10,000 रुपये के बीच है। इस आंकड़े को रिपोर्ट करने वाले परिवारों का प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 38% है और भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सबसे कम 15% है। हालाँकि, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के मामले में पंजाब

में 44% के साथ सबसे अधिक और ओडिशा में 3% के साथ सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में 6% ग्रामीण परिवारों और 5% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने इस आय स्लैब की सूचना दी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए यह क्रमशः 11% और 5% है।

भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक बताने वाले ग्रामीण परिवारों और ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 8% और 4% है। यह प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 26% है, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों के लिए 18% है, जबकि पूर्वी भारत क्षेत्र में 6% के साथ ग्रामीण परिवारों का प्रदर्शन खराब है। लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 42% है और सबसे कम प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ-साथ ओडिशा और तमिलनाडु में दर्ज किया गया है, जहां केवल 2% अनुसूचित जनजाति परिवारों ने सबसे अधिक कमाई वाले सदस्य द्वारा 10,000 रुपये से अधिक की मासिक आय की सूचना दी है।

4. वेतनभोगी नौकरी बाजार में स्थान

वेतनभोगी रोजगार के लिए बाजार में ग्रामीण परिवारों की उपस्थिति SECC 2011 के आंकड़ों द्वारा निर्धारित की गई थी। वेतनभोगी रोज़गार की तीन उपश्रेणियाँ सूचीबद्ध की गईं: (i) सरकारी नौकरियाँ, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियाँ, और (iii) निजी क्षेत्र की नौकरियाँ। वेतनभोगी श्रम बाजार के विस्तार के कई प्रभाव हैं, जिनमें श्रम बल को औपचारिक करने में वृद्धि, आय का अधिक आश्वासन और, परिणामस्वरूप, कम जोखिम और अधिक समृद्धि शामिल है।

भारत में ऐसे ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत, जिनमें कोई भी सदस्य वेतनभोगी नौकरी में है, 9.65% है, केंद्र शासित प्रदेशों में वेतनभोगी नौकरियों में ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 59.14% है। सबसे कम प्रतिशत भारत के पूर्वी क्षेत्र में 7.18% बताया गया है, उसके बाद मध्य भारत क्षेत्र में 7.86% है। वेतनभोगी नौकरियों पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवारों की निर्भरता क्रमशः 5.34% और 5.05% से भी कम है जोकि आंध्र प्रदेश के 4.57% के ठीक बाद आता है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए, वेतनभोगी नौकरियों में एक सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम 6.43% है, लेकिन भारत में SECC 2011 में एक बड़ा बदलाव दर्ज किया गया था, जो ओडिशा में 2.72% से लेकर दमन और दीव में 70.18% की रेंज में था। कुल मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में औसत प्रतिशत सबसे अधिक 32.11% है, और सबसे कम औसत भारत के मध्य क्षेत्र में 3.92% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वेतनभोगी नौकरियों वाले एक सदस्य वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का संबंधित प्रतिशत 4.61% और 3.08% है।

5. संसाधन की स्थिति

अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार जिनकी अधिकांश बस्तियाँ बहती जलधाराओं और नदियों वाले वन सीमांत क्षेत्रों के पास हैं, अपनी भूमि और जल संसाधनों से गहरा लगाव रखते हैं। यह ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले सभी कृषक समुदायों में समान रूप से देखा जाता है। उत्पादन का प्राथमिक साधन और ग्रामीण (कृषि) आजीविका का आधार (प्राकृतिक पूंजी आधार) 'भूमि' है। ग्रामीण स्थानों में (शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित/पुनर्विकसित क्षेत्रों की परिधि में भी) भूमि पहचान का आधार बन जाती है। भारत का आंतरिक क्षेत्र लंबे समय से भूमि हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण, भूमि विवादों और संघर्षों से प्रभावित रहा है। जल संसाधनों के दावों, उपयोग और बंटवारे के मामले में विवादों और संघर्षों की यही प्रकृति बढ़ रही है।

5.1. संसाधन स्थिति: भूमि जोत

SECC 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि 43.59% ग्रामीण परिवारों के पास जमीन है। चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश) में भूमि रखने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत सबसे कम 2.31% है, जबकि हिमाचल प्रदेश 78% भूमि वाले ग्रामीण परिवारों के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। ग्रामीण परिवारों के मामले में भारत का मध्य क्षेत्र 52.48% के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, इसके बाद भारत का उत्तरी क्षेत्र 51.58% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, भूमि वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 53.27% और 45.28% है, जो फिर से राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

भारत में, ग्रामीण भूमिहीनता का अनुपात केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे अधिक 91.51% है, इसके बाद भारत के दक्षिणी क्षेत्र में 65.50% है। अनुसूचित जनजाति आबादी में, 35.65% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार भूमिहीन हैं और अपनी आय के लिए मैन्युअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। पंजाब में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 69.38% है जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता का प्रतिशत सबसे कम 2.30% है, जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में, शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमिहीनता का प्रतिशत 28.47% है जो राष्ट्रीय औसत से कम है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ में व्यापक भिन्नता है, जहाँ छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी स्थलाकृति और घने जंगलों वाले उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास बेहतर भूमि है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में नारायणपुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले उन जिलों में से हैं, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों में सबसे कम भूमिहीनता है, जो क्रमशः 6.61% और 8.78%% पर मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। मध्य मैदानी क्षेत्र में बिलासपुर और महासमुंद जिले उन क्षेत्रों में से हैं, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता का प्रतिशत क्रमशः 45.82% और 46.19% है, जो मैन्युअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर है, जो राष्ट्रीय और राज्य के औसत से काफी अधिक है। मध्य प्रदेश भारत के उन शीर्ष 10 राज्यों में से एक है, जहां अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमिहीनता का उच्च अनुपात 48.78% है, जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर है। मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में 4 जिलों को छोड़कर, मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता के उच्च अनुपात 40% या उससे अधिक के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में, अलीराजपुर जिले का प्रदर्शन बेहतर है, जहां केवल 7.88% अनुसूचित जनजाति परिवार भूमिहीन हैं और अपनी आय के लिए मैन्युअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं, इसके बाद

झाबुआ जिले का स्थान है, जहां यह प्रतिशत 18.45% है। मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में, अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच मैनुअल आकस्मिक श्रम पर निर्भर भूमिहीनता के निम्न स्तर वाले जिले अनूपपुर में 26.11% और डिंडोरी में 36.86% हैं।

5.2. संसाधन स्थिति: जल पर नियंत्रण

जब ग्रामीण परिवारों की आजीविका और खुशहाली की बात आती है तो जल संसाधन सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं, खासकर उस संदर्भ में जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान है। इसलिए, सिंचाई जल संसाधनों पर नियंत्रण को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेतक है। SECC 2011 के अनुसार, भारत में कुल कृषि क्षेत्र का 40.46% असिंचित है। इसका तात्पर्य यह है कि लगभग 60% क्षेत्र में ही किसी प्रकार की सिंचाई है और शेष वर्षा पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र के केवल 36.79% हिस्से पर ही कम से कम दो फसलों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यह भारत में सामान्य वर्षा ऋतु से परे फसल उत्पादन की अनिश्चितता को भी दर्शाता है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक 60.10% है और केवल 22.94% सिंचित क्षेत्र में दो फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध है। भारत का मध्य क्षेत्र भारत के औसत की तुलना में बेहतर स्थिति में है जहां 32.57% असिंचित क्षेत्र है और 47.94% सिंचित क्षेत्र में दो मौसमों के लिए सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का प्रदर्शन ख़राब है और असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्रमशः 68.74% और 42.70% है। दो मौसमों के लिए सुनिश्चित सिंचाई वाले सिंचित क्षेत्रों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में काफी कम 12.59% है, लेकिन मध्य प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बेहतर 39.12% है।

भारत में, असिंचित भूमि के मालिक अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 42.59% है और केवल 18.05% के पास सिंचित भूमि है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच सिंचित भूमि के सबसे कम प्रतिशत 3.36% के साथ त्रिपुरा सबसे निचले स्थान पर है, जबकि 46.72% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचित भूमि होने के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ में सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे कम 4.56% है। राज्य-व्यापी भिन्नता है, लेकिन यह प्रतिशत जशपुर जिले में 2.35% (सबसे कम) और धमतरी जिले में 9.63% (उच्चतम) के बीच है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचित भूमि के मामले में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन काफी बेहतर है, जो कि 15% यानी छत्तीसगढ़ से 3 गुना अधिक है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के भीतर व्यापक भिन्नता है, दक्षिण-पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश की ओर सिंचाई की स्थिति बेहतर है। सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत रीवा जिले में सबसे कम 3.10% है, इसके बाद बालाघाट में 4% है। जबकि सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत भिंड जिले में सबसे अधिक 28.12% है, इसके बाद धार जिले में 27.40% है।

इसके अलावा, भारत में कृषि सिंचाई उपकरण रखने वाले या स्वामित्व रखने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 5.10% है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भिन्नता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 0.49% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास और राजस्थान में 13.70% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरणों का स्वामित्व है। छत्तीसगढ़ में केवल 2.13% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं। कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरणों की पहुंच और स्वामित्व कम है, जिसमें दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में 0.25% (छत्तीसगढ़ में सबसे कम) और धमतरी जिले में 4.88% (छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक) है। मध्य प्रदेश में, स्थिति थोड़ी बेहतर है, 6.82% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं, जो छत्तीसगढ़ से लगभग 3 गुना अधिक है। हालाँकि, विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उपकरणों की पहुंच और स्वामित्व में बहुत बड़ी असमानता है, बालाघाट जिले में यह न्यूनतम 1.24% और मंदसौर जिले में 18.57% तक है।

6. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति परिवारों का वंचित होना: भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में

SECC डेटा में अभाव के सात मानदंड रेखांकित किए गए हैं, जिसके आधार पर ग्रामीण परिवारों की भेद्यता का मानचित्रण किया गया है। मानदंडों में से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने की स्थिति भी रही है। यह भारत के ग्रामीण हिस्सों के मामले में और भी अधिक है जहां बस्तियां और सामाजिक संबंध आम तौर पर जाति और जातीय स्तरीकरण पर आधारित होते हैं। भारत में लगभग 22% ग्रामीण परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत पाए जाते हैं। यह प्रतिशत मेघालय में सबसे अधिक 63% और दमन और दीव में सबसे कम 2.4% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वंचित परिवारों में क्षेत्रीय भिन्नता है, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में कुल प्रतिशत सबसे अधिक 26% और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में सबसे कम 5% है। 42% के साथ छत्तीसगढ़ और 31% के साथ मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग में जनसंख्या के उच्चतम अनुपात वाले राज्यों में से एक हैं, जो राष्ट्रीय औसत और मध्य भारत क्षेत्र के राज्यों के औसत से अधिक है। मानदंड और अभाव के संबंधित प्रतिशत नीचे उप-बिंदुओं में उल्लिखित हैं।

6.1. अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचित माना गया।

74% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचित माना गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, वंचित माने जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का उच्चतम प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में 83% है, ओडिशा 89% के साथ सबसे ऊपर है। वंचित माने जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का सबसे कम प्रतिशत 55% केंद्र शासित प्रदेशों में है, सबसे कम 13% लक्षद्वीप में है। मध्य भारत क्षेत्र में, वंचित माने जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का औसत प्रतिशत 77% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वंचित के रूप में वर्गीकृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 82% और 76% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और भारत के पूर्वी क्षेत्र की स्थिति के बराबर है।

6.2. आवासन

भारत में अभाव मानदंड अर्थात कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले केवल एक कमरे वाले ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत लगभग 13% पाया जाता है। यह अभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे कम 0.3% है। कुल मिलाकर अगर हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों को देखें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में यह सबसे कम प्रतिशत 2% दर्ज किया गया है, जबकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक 21% दर्ज किया गया है। भारत में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच, यह अभाव प्रतिशत 22% है, जिसमें राजस्थान में सबसे अधिक 44% और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम 0.16% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में, उचित आवास से वंचित ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 27% है। यह छत्तीसगढ़ में उचित आवास से वंचित ग्रामीण परिवारों के कुल प्रतिशत 29% से कम है। मध्य प्रदेश में, उचित आवास स्थितियों से वंचित ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 32% है, जो ग्रामीण परिवारों के आवास अभाव के प्रतिशत यानी 25% से लगभग 7% अधिक है।

6.3. 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं

भारत में अभाव मानदंड - 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है वाले ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत, 4% है। यह अभाव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सबसे कम 0.34% है, इसके बाद चंडीगढ़ में 0.42% है। हालाँकि, क्षेत्रीय भिन्नता दर्शाती है कि यह अभाव केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लगभग 1% है, और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 5% है। भारत में सबसे अधिक, छत्तीसगढ़ में 6.47% ग्रामीण परिवारों ने यह रिपोर्ट दी। ग्रामीण मध्य प्रदेश में अभाव का प्रतिशत 5.18% है, जो भारत और मध्य भारत क्षेत्र के औसत से अधिक है। भारत में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति आबादी में, यह प्रतिशत लगभग 4% है, जो भारत में कुल ग्रामीण आबादी के बीच अभाव के बराबर है। लगभग 1% के अभाव प्रतिशत के साथ, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जैसे राज्य और दमन और दीव और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी के तहत सबसे कम अभाव प्रतिशत वाले क्षेत्रों में से हैं। इस श्रेणी के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में सबसे अधिक अभाव छत्तीसगढ़ में 5.58% दर्ज किया गया है, जो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों के औसत 6.47% से कम है। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, इस श्रेणी के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में अभाव प्रतिशत 4.66% है, जो मध्य प्रदेश के औसत ग्रामीण परिवारों के 5.18% से कम है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि इस श्रेणी के तहत औसत ग्रामीण परिवारों के लिए अभाव का प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की तुलना में अधिक है।

6.4. महिला मुखिया परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है

भारत में अभाव मानदंड – जिन महिला मुखिया परिवारों में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच के कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, में ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत लगभग 4% है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे कम 0.4% बताया गया है, जबकि तमिलनाडु में सबसे अधिक 6.84% है। इस मानदंड में क्षेत्रीय भिन्नता दर्शाती है कि बिना वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला मुखिया ग्रामीण परिवार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लगभग 1% हैं, जबकि यह अभाव दक्षिणी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 5.64% है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति आबादी में, यह लगभग 5% है, जो राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। क्षेत्रीय भिन्नता के अनुसार यह अभाव भारत के उत्तरी क्षेत्र में सबसे कम 2.59% है, जबकि भारत में सबसे कम पंजाब में 1.25% है। इस मानदंड में भारत का दक्षिणी क्षेत्र 5.56% के साथ अत्यधिक वंचित है, उसके बाद मध्य भारत क्षेत्र में 5.47% है, छत्तीसगढ़ में अभाव भारत में सबसे अधिक 6.61% है। मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 4.46% है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होने वाले महिला मुखिया परिवारों के अभाव मानदंड वाले ग्रामीण वंचित परिवारों का प्रतिशत 6.79% है, जो राज्य के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रतिशत से अधिक है। जबकि मध्य प्रदेश में, इस मानदंड के तहत 3.6% वंचित ग्रामीण परिवार राज्य के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की तुलना में थोड़े कम वंचित हैं।

6.5. विकलांग सदस्य और कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं

भारत में वंचित मानदंड - विकलांग सदस्य और कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है वाले वंचित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 0.40% है। केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में यह अभाव लगभग समान स्तर पर है, जहां ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत लगभग 0.08% है, पंजाब में अभाव का सबसे कम स्तर 0.04% दर्ज किया गया है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0.05% है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां इस मानदंड के तहत ग्रामीण परिवारों की वंचितता का स्तर क्रमशः 0.81% और 0.73% है जो सबसे अधिक है।

अनुसूचित जनजाति आबादी में, यह 0.50% है, जो औसत ग्रामीण परिवारों के प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच यह अभाव केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम और मध्य भारत क्षेत्र में सबसे अधिक 0.60% दर्ज किया गया है। मध्य भारत क्षेत्र के राज्यों के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में, सिक्किम को छोड़कर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस मानदंड के तहत वंचितता का स्तर उच्च (0.80%) है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वंचित मानदंड वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में विकलांग सदस्यों और कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं होने के कारण वंचितों का संबंधित प्रतिशत 0.70% और 0.60% है।

6.6. 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं

भारत में 24% ग्रामीण परिवारों को 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी साक्षर वयस्क नहीं वाले अभाव मानदंड से वंचित बताया गया है। अभाव का यह प्रतिशत पूर्वी भारत क्षेत्र के ग्रामीण परिवारों में सबसे अधिक 30% और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम 6% है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, बिहार में 25 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी साक्षर वयस्क वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत (34.12%) सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जबकि लक्षद्वीप में यह सबसे कम 0.64% दर्ज किया गया है। मध्य भारत क्षेत्र में, 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर न होने वाले ग्रामीण परिवारों का औसत प्रतिशत 25% है। हालाँकि, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्रमशः 34% और 33% के साथ उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में से हैं।

25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर वयस्क नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 39% है, जो इस अभाव मानदंड के तहत ग्रामीण परिवारों के औसत से काफी अधिक है। भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 21% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात सबसे कम है, जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर सदस्य हैं। यह प्रतिशत मध्य भारत क्षेत्र में सबसे अधिक 46% है, इसके बाद पूर्वी भारत क्षेत्र में 43% है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप में वयस्क निरक्षरों का अनुपात सबसे कम है, जबकि 0.63% ऐसे ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार हैं जिनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं है। जबकि राजस्थान में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत (51.01%) सबसे अधिक है, जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है। छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर सदस्य नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 41% है। छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में 25 वर्ष से अधिक उम्र के साक्षर नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात अधिक है, जो लगभग 50% है।

6.7. भूमिहीन परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं

लगभग 30% ग्रामीण परिवार अभाव मानदंड यानि भूमिहीन परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं, के तहत वंचित हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 3% से 47% तक की व्यापक भिन्नता है। इस मानदंड के तहत अभाव का औसत न्यूनतम स्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में 7% है, लक्षद्वीप में सबसे कम 3.1% है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 3.68% है। हालाँकि, भूमिहीन होने के कारण शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भरता भारत के पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक 41% है, जिसमें बिहार सबसे अधिक वंचित है, जहाँ 47% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं। भारत के मध्य क्षेत्र में, अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करने वाले ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का प्रतिशत 27% है। हालाँकि, इस मानदंड के तहत अभाव मध्य भारत क्षेत्र के औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिक है जो क्रमशः 34% और 38% है।

औसत ग्रामीण परिवारों की तुलना में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में अभाव में बहुत अंतर नहीं है और लगभग 30% ने इसकी सूचना दी है। हालाँकि, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भिन्नता काफी है, जो 1% से 50% के बीच है। इस मानदंड के तहत अभाव का औसत न्यूनतम स्तर भारत के उत्तरी क्षेत्र में 5% है। हालाँकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस मानदंड के तहत अभाव का स्तर सबसे कम 1.09% है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 1.54% है। इसके अलावा, इस मानदंड के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार पश्चिम बंगाल में 50.28% के साथ सबसे अधिक वंचित हैं, इसके बाद बिहार में 49.68% हैं। क्षेत्रीय विविधताओं के बीच, तुलनात्मक रूप से, भारत के मध्य क्षेत्र में भूमिहीन होने और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करने की सूचना देने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे अधिक 34% है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इस मानदंड के तहत अभाव का स्तर लगभग 25% कम है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में अभाव छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के औसत से बहुत अधिक है, जहाँ 40% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने भूमिहीन होने की सूचना दी है, जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

7. अभाव की गणना हेतु अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण: भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में

अभाव के विश्लेषण में भूमि और सिंचाई के स्वामित्व, आवास के प्रकार, घरों में सुविधाएं, मोटर चालित वाहनों और उपकरणों के स्वामित्व, ऋण तक पहुंच, व्यवसाय और कर भुगतान की स्थिति से संबंधित मानदंडों के आधार पर परिवारों को शामिल नहीं किया गया है। बहिष्करण का आधार 14 मानदंड हैं (7.1 से 7.14 तक उप-बिंदुओं में उल्लिखित), जो दर्शाते हैं कि लगभग 21.51% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों (भारत) को SECC 2011 डेटा विश्लेषण के तहत 14 बहिष्करण मानदंडों में से कम से कम एक के अनुसार बाहर रखा गया है। ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में बाहर रखा जाना भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से अलग-अलग है, लक्षद्वीप में 86.60% है जबकि ओडिशा में 8.97% तक कम है। अभाव के लिए SECC डेटा विश्लेषण से बाहर रखे गए ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की क्षेत्रीय भिन्नता भी है। केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में बहिष्करण के लिए विचार किए जाने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का उच्चतम औसत प्रतिशत 44.50% है, जबकि सबसे कम औसत मध्य भारत क्षेत्र में 14.88% है। मध्य भारत क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 12.44% और 14.43% है।

छत्तीसगढ़ में, अभाव की गणना के लिए कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण के प्रतिशत में व्यापक भिन्नता है, जो 8.16% (नारायणपुर जिला) और 22.35% (दुर्ग जिला) की सीमा में है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय भिन्नता यह भी दर्शाती है कि ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के निम्न स्तर के बहिष्करण (कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में) वाले अधिकांश जिले नारायणपुर (8.16%) और बीजापुर (10.48%) को छोड़कर मध्य क्षेत्र में हैं। छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में, दुर्ग (22.35%) और धमतरी (17.54%) को छोड़कर, अभाव की गणना के लिए ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण (कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में) समान स्तर पर है। छत्तीसगढ़ की तुलना में, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण में क्षेत्रीय भिन्नताएं (कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में) मध्य प्रदेश में बहुत अधिक हैं, सबसे अधिक भिंड जिले में 69.71% और सबसे कम 7.55% ग्वालियर में दर्ज की गई है। पूरे मध्य प्रदेश में, कम से कम एक बहिष्करण मानदंड में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण का निम्न स्तर वहां दर्ज किया गया है जहां अनुसूचित

जनजाति आबादी का प्रतिशत अधिक है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में। मानदंड-वार बहिष्करण पर नीचे चर्चा की गई है:

7.1 'मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाली नौकाओं वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाले घरों के आधार पर भारत में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रतिशत को अभाव की गणना से बाहर रखा गया है। नावों की संख्या 9.88% बताई गई है। इस मानदंड के आधार पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण में उच्च भिन्नता है, गोवा में सबसे अधिक 54.75% और पश्चिम बंगाल में सबसे कम 3.35% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए ये आंकड़े 6.58% और 6.77% हैं, जो भारत के औसत से कम है।

7.2 'मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में 1.61% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को इस मानदंड के आधार पर अभाव की गणना से बाहर रखा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, इस मानदंड के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का का बहिष्करण उत्तराखंड में सबसे अधिक 6.55% है, जबकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0 दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 0.62% और 1.02% है, जो दर्शाता है कि इस मानदंड के आधार पर बहिष्करण भारत और मध्य भारत क्षेत्र के औसत की तुलना में इन दोनों राज्यों में कम है।

7.3 '50,000 रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वाले परिवार'बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या: इस बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत भारत में 1.64% है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे अधिक प्रतिशत उत्तराखंड में 11.93% दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0 दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया प्रतिशत क्रमशः 1.27% और 1.90% है।

7.4 'ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में इस बहिष्करण मानदंड के साथ बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 4.36% है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, ओडिशा में सबसे कम 2.01% बहिष्करण दर्ज किया गया, और लक्षद्वीप में सबसे अधिक 40.50% दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए यह क्रमशः 4.19% और 2.35% दर्ज किया गया है।

7.5 'सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

इस बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत भारत में 2.05% है। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, दमन और दीव में सबसे अधिक 16.49% और केरल में सबसे कम 0.43% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस बहिष्करण मानदंड के तहत क्रमशः 0.55% और 0.54% के साथ कम आंकड़े दर्ज किए गए हैं।

7.6 'ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य रुपये 10,000 प्रति माह से अधिक कमाता है' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में इस आधार पर बाहर किए गए ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 4.48% है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे अधिक दर्ज किया गया बहिष्करण लक्षद्वीप में 42.49% है, जबकि सबसे कम 1.63% ओडिशा में दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस बहिष्करण का प्रतिशत क्रमशः 2.38% और 1.89% है।

7.7 'आयकर का भुगतान करने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

आयकर देने वाले परिवार अभाव की गणना से परिवारों को बाहर करने के मानदंडों में से एक है और SECC 2011 के अनुसार, भारत में 3.35% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का यह बहिष्करण लक्षद्वीप में सबसे अधिक 18.93% और ओडिशा में सबसे कम 1.12% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत क्रमशः 1.54% और 1.15% है।

7.8 'व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

अभाव की गणना में, व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले परिवार भी बहिष्करण के मानदंडों में से एक है, और भारत में 3.35% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार इस श्रेणी में आते हैं। आयकर और व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत समान पाया गया है। इसलिए, इस

मानदंड के तहत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्कार लक्षद्वीप में सबसे अधिक 18.93% और ओडिशा में सबसे कम 1.12% दर्ज किया गया है, जैसा कि कर भुगतान करने वाले परिवारों में रिपोर्ट किया गया प्रतिशत है (धारा 7.7 देखें)। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्रमशः 1.54% और 1.15% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार आयकर का भुगतान करने के लिए बहिष्करण मानदंडों को पूरा करते हैं।

7.9 'पक्की दीवारों और पक्की छत वाले तीन या अधिक कमरों वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

इस मानदंड के अनुसार भारत में 6.34% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, त्रिपुरा में इस मानदंड के आधार पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का सबसे कम 1.21% बहिष्करण दर्ज किया गया है, जबकि लक्षद्वीप में सबसे अधिक 49.30% दर्ज किया गया है। पक्की दीवारों और पक्की छत वाले तीन या अधिक कमरों के मानदंड के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का बहिष्करण प्रतिशत क्रमशः 2.28% और 1.99% है।

7.10 'रेफ्रिजरेटर रखने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

3.43% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को इस मानदंड के तहत बाहर रखा गया है और ओडिशा में दर्ज सबसे कम प्रतिशत 1.18% एवं पंजाब में 78.75% के उच्चतम प्रतिशत के बड़ा अंतर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इस मानदंड के आधार पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण का प्रतिशत क्रमशः 1.90% और 1.72% है।

7.11 'लैंडलाइन फोन रखने वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में, इस मानदंड के आधार पर 1.24% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, लैंडलाइन फोन रखने के मानदंड पर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बहिष्करण का उच्चतम प्रतिशत लक्षद्वीप में 35.28% दर्ज किया गया है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 0 दर्ज किया गया है। बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में 0.44% दर्ज किया गया है।

7.12 'कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि वाले परिवारों के आधार पर बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 1.70% दर्ज किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, इस श्रेणी के तहत सबसे अधिक बहिष्करण उत्तराखंड में 6.67% दर्ज किया गया है, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 0 दर्ज किया गया है। यह बहिष्करण प्रतिशत छत्तीसगढ़ में 0.58% दर्ज किया गया है, जबकि इस मानदंड के आधार पर मध्य प्रदेश में 2.76% के उच्च प्रतिशत के साथ ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों को बाहर रखा गया है।

7.13 'दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामित्व रखने वाला परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि रखने वाले परिवारों के आधार पर बहिष्कृत ग्रामीण

अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 1.32% दर्ज किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे कम बहिष्करण प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 0 दर्ज किया गया है, इसके बाद लक्षद्वीप में 0.02% दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक बहिष्कृत प्रतिशत उत्तराखंड में 4.59% दर्ज किया गया है, इसके बाद असम में 3.64% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, इस मानदंड के तहत बहिष्करण का दर्ज प्रतिशत क्रमशः 0.36% और 1.46% है।

7.14 'कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ या अधिक भूमि वाले परिवार' बहिष्करण मानदंड वाले बहिष्कृत परिवारों की संख्या:

भारत में इस मानदंड के आधार पर बहिष्कृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 0.90% दर्ज किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे कम बहिष्कृत प्रतिशत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और लक्षद्वीप में 0 दर्ज किया गया है, इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 0.01% दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक बहिष्करण प्रतिशत उत्तराखंड में 3.34% दर्ज किया गया है, इसके बाद हरियाणा में 3.23% दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह प्रतिशत 0.49% और 1.43% है।

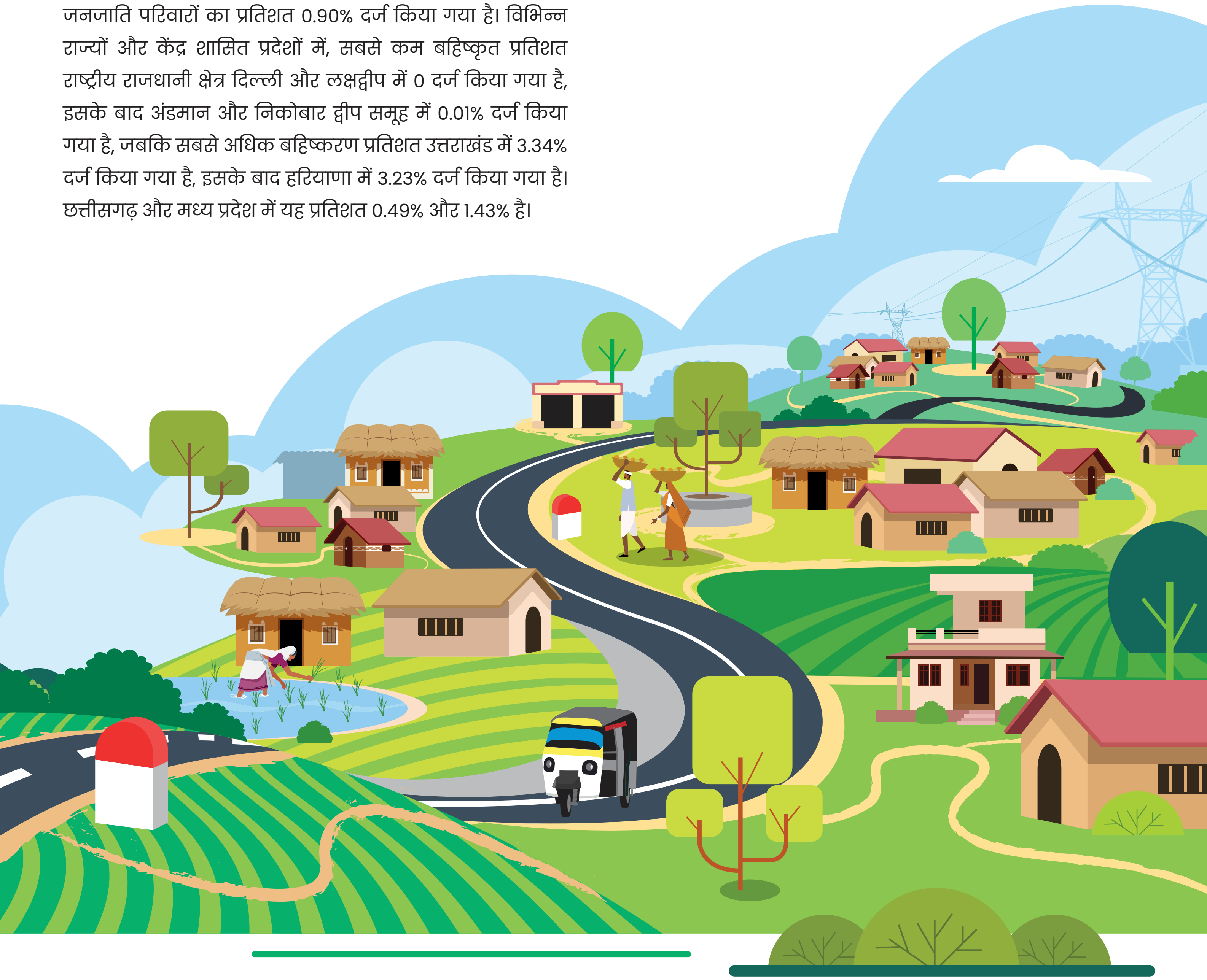

8. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवार: एक तुलनात्मक विश्लेषण

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 36.83% और 25.29% है। दोनों राज्यों के अनुसूचित जनजाति परिवार बड़े पैमाने पर वन सीमांत क्षेत्रों में बसे हुए हैं और प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं इससे जुड़ी हुई गतिविधियों और वन-आधारित गतिविधियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। हालाँकि, दोनों राज्यों में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय के स्रोतों में थोड़ा अंतर है। छत्तीसगढ़ में, 51.97 प्रतिशत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने संकेत दिया कि कृषि उनकी आय का मुख्य स्रोत है, जबकि 42.54% ने संकेत दिया कि उनके लिए यह स्रोत शारीरिक आकस्मिक श्रम है। हालाँकि, मध्य प्रदेश के आंकड़ों से पता चलता है कि 63.58% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए शारीरिक आकस्मिक श्रम आय का प्राथमिक स्रोत है, इसके बाद 31.95 परिवारों के लिए कृषि यह स्रोत है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गैर-कृषि स्वयं के खाते वाले उद्यमों को अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में रिपोर्ट करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत समान स्तर अर्थात क्रमशः 0.14% और 0.12% है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, भीख मांगने, कूड़ा उठाने और धर्मार्थ दान पर निर्भर ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात क्रमशः 0.41% और 0.43% है। इसलिए, इन दोनों राज्यों में कृषि और शारीरिक आकस्मिक श्रम प्रमुख स्रोत हैं, जहां छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अपनी आय के लिए मध्य प्रदेश की तुलना में कृषि पर अधिक निर्भर हैं।

यदि विशेष रूप से कमाई करने वाले सदस्यों की आय सीमा के रिकॉर्ड पर विचार किया जाए तो इन दोनों राज्यों में आय का स्तर लगभग समान है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, 93% अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि उनके परिवार का सबसे अधिक कमाई करने वाला सदस्य प्रति माह 5,000 रुपये से कम कमाता है। मध्य प्रदेश में, 5% अनुसूचित जनजाति परिवारों ने अपने परिवार के सबसे अधिक कमाई वाले सदस्य से 5,000-10,000 रुपये की मासिक आय की सूचना दी, जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 4% है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल 2% ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों ने बताया कि उनके परिवारों में सबसे अधिक कमाई करने वाले सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक है। यहां तक कि दोनों राज्यों में नौकरी बाजार में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की उपस्थिति काफी कम है, हालांकि, वेतनभोगी नौकरियों में एक सदस्य के साथ ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में में अधिक यानि 4.61% है, जबकि मध्य प्रदेश के लिए यह प्रतिशत 3.08% है। इसके अलावा, सरकार के लिए काम कर रहे एक सदस्य वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात मध्य प्रदेश में 2.35% की तुलना में छत्तीसगढ़ में 4.19% के रूप में अधिक है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले एक सदस्य के साथ ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे कम (0.19%) है, जबकि मध्य प्रदेश में यह स्तर थोड़ा अधिक (0.27%) है। फिर से, छत्तीसगढ़ में एक सदस्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत सबसे कम 0.23% है जबकि मध्य प्रदेश यह प्रतिशत 0.46% है, जो छत्तीसगढ़ से तुलनात्मक रूप से दोगुना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में श्रम बल में भाग लेने वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रक्षेपवक्र से पता चलता है कि गारंटीकृत मासिक आय प्रदान करने वाली नौकरियों पर निर्भरता कम है।

छत्तीसगढ़ में, वंचित के रूप में वर्गीकृत ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 82% है, जबकि मध्य प्रदेश के लिए यह प्रतिशत 76% है। आवासन की स्थिति में भी अभाव देखा जा सकता है, जहां छत्तीसगढ़ में पर्याप्त आवास की कमी वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 27% है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त आवास स्थितियों की कमी वाले अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत 32% है, जो छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक है। साक्षर वयस्कों वाले परिवारों में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर है। छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर सदस्य नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का प्रतिशत 41% है। छत्तीसगढ़ की तुलना में मध्य प्रदेश में 25 वर्ष से अधिक उम्र के साक्षर सदस्य नहीं वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों का अनुपात अधिक है, जो लगभग 50% है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमिहीनता का प्रतिशत 28.47% है, जो शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भर हैं। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच भूमिहीनता की दर काफी अधिक यानी 48.78% है, जो कि आकस्मिक शारीरिक रोजगार पर निर्भर हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचित भूमि वाले अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों का अनुपात सबसे कम यानि 4.56% पर है। सिंचित भूमि वाले ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों के प्रतिशत के मामले में, मध्य प्रदेश 15% के साथ काफी बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ में केवल 2.13% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति थोड़ी बेहतर है, जहां 6.82% अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास सिंचाई उपकरण हैं।

9. निष्कर्ष

SECC 2011 का डेटा स्वामित्व और संसाधनों (भूमि और पानी) तक पहुंच, निवेश और पूंजी तक पहुंच और सरकारी योजनाओं और सिंचाई प्रणालियों तक पहुंच के निम्न स्तर को दर्शाता है, जो गरीबी के दुष्चक्र के स्पष्ट संकेत हैं जो अनुसूचित जनजाति आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं। इसका इक्विटी परिणामों पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे कम वयस्क साक्षरता दर, आय के स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम (तदर्थ और बिना आश्वासन) पर बड़ी निर्भरता और बुनियादी सुविधाओं की कमी। आंकड़ों से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवार अभी भी मध्य प्रदेश की तुलना में प्रचुर वन संसाधनों वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जो आय के स्रोतों में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के बाद वन संसाधनों पर अनुसूचित जनजाति आबादी की निर्भरता मध्य प्रदेश की तुलना में अधिक है। हालाँकि, एक क्षेत्र के रूप में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ-साथ भारत के पूर्वी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषि के बाद शारीरिक आकस्मिक श्रम पर निर्भरता अधिक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में, गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी की तुलना में अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच ऋण, सिंचाई, योजनाओं आदि की पहुंच कम है, लेकिन अनुसूचित जाति (एससी) जैसे अन्य समुदायों के साथ अलग-अलग डेटा की तुलना नहीं की गई है। यह पुष्टि करना कठिन होगा कि अनुसूचित जनजाति सबसे कमजोर स्थिति में है। इसके अलावा, इन दोनों राज्यों में क्षेत्रीय भिन्नता भी है और समान निवास या क्षेत्र साझा करने वाले अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति परिवारों के बीच राष्ट्रीय स्तर का अंतर जिला या उप-जिला स्तर पर प्रतिबिंबित नहीं होता है। इसमें क्षेत्रीय असमानता को समझने और बेहतर तुलना के लिए यह समझने की आवश्यकता है कि यह अनुसूचित जनजाति और गैर-अनुसूचित जनजाति परिवारों सहित अन्य कमजोर समुदायों के जीवन और आजीविका को कैसे आकार देता है।

तालिका 2: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति परिवारों की विकास प्रोफ़ाइल

संकेतक	मध्य प्रदेश (मूल्य प्रतिशत में)	छत्तीसगढ़ (मूल्य प्रतिशत में)
कुल ग्रामीण परिवारों में अनुसूचित जनजाति परिवार	25.3	36.8
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय <5000 है	92.7	93.3
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय 5000 - 10000 है	5.4	4.2
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनमें सबसे अधिक कमाई करने वाले घरेलू सदस्य की मासिक आय > 10000 है	1.9	2.4
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी आय का एकमात्र स्रोत कृषि है	31.9	52.0
आय स्रोत के रूप में शारीरिक आकस्मिक श्रम वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	63.6	42.6
आय के स्रोत के रूप में अंशकालिक या पूर्णकालिक घरेलू नौकर वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	1.0	1.2
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी आय का स्रोत चारा ढूंढना या कूड़ा बीनना है	0.1	0.1
आय स्रोत के रूप में गैर-कृषि स्वयं के खाते वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.1	0.1
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनकी आय का स्रोत भीख मांगना /दान/भिक्षा संग्रह है	0.3	0.3
अन्य आय स्रोत वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	2.9	3.6
सरकार में वेतनभोगी नौकरियों वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	2.3	4.2
निजी क्षेत्र में वेतनभोगी नौकरियों वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.5	0.2
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/ मछली पकड़ने वाली नावें हैं	6.8	6.6
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण हैं	1.0	0.6
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास 50,000 रुपये और उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है	1.9	1.3
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी हो	2.6	4.4
सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.5	0.6
अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनका कोई भी सदस्य प्रति माह रु. 10,000 से अधिक कमाता है।	1.9	2.4
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास पक्की दीवारों और पक्की छत वाले तीन या अधिक कमरे हैं	2.0	2.3
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर है	1.7	1.9
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है	0.4	0.3
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि है	0.2	0.2

अनुसूचित जनजाति परिवार जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ या अधिक भूमि है	0.2	0.3
अनुसूचित जनजाति परिवारों के पास कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाला केवल एक कमरा है	32	27
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है	4.7	5.6
अनुसूचित जनजाति महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है	4.5	6.6
वंचित मानदंड : एक विकलांग सदस्य या कोई शारीरिक सक्षम वयस्क सदस्य नहीं वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	0.6	0.7
अनुसूचित जनजाति परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक उम्र का कोई साक्षर वयस्क नहीं है	49.9	40.7
अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं	40.2	25.3
भूमि सहित परिवार	45.3	53.3
असिंचित भूमि	42.7	68.7
सुनिश्चित दो मौसम सिंचाई वाली भूमि	39.1	12.6
अन्य सिंचित भूमि	18.2	18.7
भूमि स्वामी परिवार जिनके पास यंत्रीकृत तिपहिया/चार पहिया कृषि उपकरण भी हैं	4.16	1.17
भूस्वामी परिवार जिनके पास सिंचाई उपकरण (डीजल/केरोसिन/इलेक्ट्रिक पंपसेट, स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि शामिल हैं) हैं	15.2	3.6
50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार	6.7	2.2
अनुसूचित जनजाति परिवारों को वंचित माना गया	76	82
मानदंड 1 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	2.07	7.98
मानदंड 2 वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	6.04	11.43
मानदंड 3 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	6.72	6.8
मानदंड 4 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	3.54	2.95
मानदंड 5 वाले वंचित अनुसूचित जनजाति परिवार	0.58	0.9
मानदंड 6 वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.16	0.28
मानदंड 7 वाले अनुसूचित जनजाति परिवार	0.01	0.02

अनुलग्नक डी

ग्राम स्तरीय डेटा

मध्य प्रदेश

तालिका 3: ग्राम पहुंच और संचार, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
ब्लॉक मुख्यालय से औसत दूरी (किमी)	25.0	22.0	26.0
ब्लॉक मुख्यालय तक बारहमासी उपयुक्त सड़क वाले गाँव का प्रतिशत	78.0	79.0	80.0
सर्वेक्षण के समय पक्की संपर्क सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	79.0	68.0	80.0
सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े गांवों का प्रतिशत	42.0	63.0	80.0
सभी मौसमों के लिए उपयुक्त गाँवों की अंत:-ग्राम सड़क वाले गाँवों का प्रतिशत	53.0	79.0	80.0
मोटर योग्य अंत:-ग्राम सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	67.0	74.0	90.0
सभी बस्तियों में बिजली कनेक्शन वाले गांवों का प्रतिशत	80.0	95.0	100.0
मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता वाले गांवों का प्रतिशत	66.0	84.0	90.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 4: गांव के स्कूल और कॉलेज तक पहुंच, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
प्राथमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
गांव में न होने पर निकटतम प्राथमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	4.0		
माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	11.0	16.0	30.0
गांव में न होने पर निकटतम माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	7.0	6.0	10.0
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	9.0	26.0	0.0
गांव में न होने पर निकटतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	9.0	6.0	16.0
कॉलेज वाले गांवों का प्रतिशत	1.0	0.0	0.0
गांव में न होने पर निकटतम कॉलेज की औसत दूरी (किमी)	23.0	17.0	21.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 5: मध्य प्रदेश में खदानों के नजदीक के गांव

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास खदानों वाले गांवों का प्रतिशत	4.0	11.0	30.0
खदानों की उपस्थिति के कारण दूषित जल निकायों वाले गांवों का प्रतिशत	0.0	50.0	33.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 6: ग्राम शौचालय-उपयोग और स्वच्छता, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
शौचालय उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति वाले गांवों का प्रतिशत	52.0	63.0	10.0
जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	41.0	53.0	0.0
बंद जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	96.0	70.0	-
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 7: जल स्रोत वाले गाँव, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/तालाब/जलाशय वाले गाँवों का प्रतिशत	19.0	16.0	40.0
सार्वजनिक पेयजल स्रोतों वाले गाँव	97.0	95.0	100.0
निजी पेयजल स्रोतों वाले गाँव	25.0	63.0	10.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 8: गाँव की जंगल से निकटता और सीएफआर पहुंच, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास जंगल वाले गांवों का प्रतिशत	83.0	68.0	100.0
पास न होने पर गाँव से जंगल की औसत दूरी	1.4	3.2	1.9
सीएफआर के लिए आवेदन करने वाले गांवों का प्रतिशत	11.0	0.0	30.0
सीएफआर प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	3.0	0.0	10.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 9: ग्राम परिवार कल्याण आउटरीच, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र वाले गांवों का प्रतिशत	98.0	95.0	100.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी में नियमित बाल टीकाकरण प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	95.0	100.0
आशा दीदी वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	95.0	100.0
उन गांवों का प्रतिशत जहां आशा दीदी के पास आवश्यक दवा किट है	92.0	95.0	90.0
आशा दीदी से दवा प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	98.0	100.0	100.0
पीएचसी से गांव की औसत दूरी - किमी	7.5	5.5	8.7
सीएचसी से गांव की औसत दूरी - किमी	16.9	13.8	18.0
निकटतम फार्मेसी दुकान से औसत दूरी - किमी	10.0	4.9	11.6
एनजीओ से जुड़े गाँव के परिवारों का प्रतिशत	36.0	42.0	80.0
पीडीएस दुकान वाले गांवों का प्रतिशत	51.0	63.0	50.0
कार्यात्मक टीएचआर कार्यक्रम वाले गांवों का प्रतिशत	29.0	53.0	80.0
कार्यात्मक मध्याह्न भोजन योजना वाले गांवों का प्रतिशत	75.0	84.0	100.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

तालिका 10: जानवरों के हमले से फसल को नुकसान, मध्य प्रदेश

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले के कारण फसल क्षति की सूचना देने वाले गांवों का प्रतिशत	47.0	42.0	40.0
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले का सामना करने वाले गांवों का प्रतिशत	57.0	75.0	75.0
गांवों की कुल संख्या	118	19	10

छत्तीसगढ़

तालिका 11: गांव तक पहुंच और संचार, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
ब्लॉक मुख्यालय से औसत दूरी (किमी)	20.0	14.0	32.0
ब्लॉक मुख्यालय तक बारहमासी सड़क वाले गाँव का प्रतिशत	80.0	100.0	82.0
सर्वेक्षण के समय पक्की संपर्क सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	78.0	88.0	64.0
सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालयों से जुड़े गांवों का प्रतिशत	30.0	40.0	9.0
सभी मौसमों के लिए उपयुक्त गाँवों की अंत:-ग्राम सड़क वाले गाँवों का प्रतिशत	62.0	84.0	55.0
मोटर योग्य अंत:-ग्राम सड़क वाले गांवों का प्रतिशत	66.0	80.0	55.0
सभी बस्तियों में बिजली कनेक्शन वाले गांवों का प्रतिशत	87.0	96.0	91.0
मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता वाले गांवों का प्रतिशत	72.0	100.0	64.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 12: गांव के स्कूल और कॉलेज तक पहुंच, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
प्राथमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	98.0	100.0	100.0
गांव में न होने पर निकटतम प्राथमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	4.0		
माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	21.0	24.0	27.0
गांव में न होने पर निकटतम माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	6.0	4.0	8.0
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाले गांवों का प्रतिशत	13.0	20.0	36.0
गांव में न होने पर निकटतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की औसत दूरी (किमी)	9.0	4.0	7.0
कॉलेज वाले गांवों का प्रतिशत	1.0	12.0	0.0
गांव में न होने पर निकटतम कॉलेज की औसत दूरी (किमी)	19.0	14.0	15.0
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 13: छत्तीसगढ़ में खदानों के नजदीक के गांव

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास खदानों वाले गांवों का प्रतिशत	5.0	4.0	0.0
खदानों की उपस्थिति के कारण दूषित जल निकायों वाले गांवों का प्रतिशत	33.0	100.0	
गांवों की कुल संख्या	116	25	11

तालिका 14: गावों में शौचालय-उपयोग और स्वच्छता, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
शौचालय उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति वाले गांवों का प्रतिशत-	53.0	68.0	27.0
जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	20.0	16.0	9.0
बंद जल निकासी व्यवस्था वाले गांवों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
गांवों की कुल संख्या	**116**	**25**	**11**

तालिका 15: जल स्रोत वाले गाँव, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
टैंक/तालाब/जलाशय वाले गाँवों का प्रतिशत	41.0	40.0	27.0
सार्वजनिक पेयजल स्रोतों वाले गाँव	99.0	92.0	100.0
निजी पेयजल स्रोतों वाले गाँव	22.0	48.0	9.0
गांवों की कुल संख्या	**116**	**25**	**11**

तालिका 16: गांव की जंगल से निकटता और सीएफआर पहुंच, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आसपास जंगल वाले गांवों का प्रतिशत	93.0	80.0	100.0
पास न होने पर गाँव से जंगल की औसत दूरी	1.4	2.9	0.6
सीएफआर के लिए आवेदन करने वाले गांवों का प्रतिशत	29.0	0.0	18.0
सीएफआर प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	22.0	0.0	9.0
गांवों की कुल संख्या	**116**	**25**	**11**

तालिका 17: ग्राम परिवार कल्याण आउटरीच, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र वाले गांवों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी में नियमित बाल टीकाकरण प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत -	100.0	100.0	100.0
आशा दीदी वाले गांवों का प्रतिशत	99.0	100.0	100.0
उन गांवों का प्रतिशत जहां आशा दीदी के पास आवश्यक दवा किट है	100.0	100.0	91.0
आशा दीदी से दवा प्राप्त करने वाले गांवों का प्रतिशत	100.0	100.0	100.0
पीएचसी से गांव की औसत दूरी - किमी	6.8	15.6	5.8
सीएचसी से गांव की औसत दूरी-किमी	14.9	20.8	17.7
निकटतम फार्मेसी दुकान से औसत दूरी - किमी	12.7	6.6	10.6
एनजीओ से जुड़े गाँव के परिवारों का प्रतिशत	59.0	56.0	45.0
पीडीएस दुकान वाले गांवों का प्रतिशत	63.0	88.0	36.0
कार्यात्मक टीएचआर कार्यक्रम वाले गांवों का प्रतिशत	18.0	24.0	18.0
कार्यात्मक मध्याह्न भोजन योजना वाले गांवों का प्रतिशत	97.0	100.0	100.0
गांवों की कुल संख्या	**116**	**25**	**11**

तालिका 18: जानवरों के हमले से फसल क्षति, छत्तीसगढ़

संकेतक	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले के कारण फसल क्षति की सूचना देने वाले गांवों का प्रतिशत	45.0	40.0	73.0
पिछले 12 महीनों में जानवरों के हमले का सामना करने वाले गांवों का प्रतिशत	57.0	62.0	150.0
गांवों की कुल संख्या	**116**	**25**	**11**

अनुलग्नक ई

भूमि के आकार के आधार पर सर्वेक्षण निष्कर्ष

तालिका 19: भूमि जोत वर्गीकरण की परिभाषाएँ

भूमिहीन	कोई स्वामित्व वाली भूमि नहीं
सीमांत	2.47 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
छोटा	2.47 एकड़ से अधिक और 4.94 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
छोटा मध्यम	4.94 एकड़ से अधिक और 9.88 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
मध्यम	9.88 एकड़ से अधिक और 24.70 एकड़ तक की भूमि का स्वामित्व
बड़ा	24.7 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व

तालिका 20.1: परिवार का भूमि स्वामित्व, मध्य प्रदेश

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	36.1	42.7	36.3
सीमांत	38.3	32.4	36.3
छोटा	12.9	12.7	12.4
छोटा मध्यम	11.4	9.1	10.9
मध्यम	0.9	1.9	3.5
बड़ा	0.4	1.1	0.5
परिवारों का सर्वेक्षण किया गया	2,405	361	201

तालिका 20.2: परिवार का भूमि स्वामित्व, छत्तीसगढ़

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	15.2	32.1	48.4
सीमांत	51.8	48.3	34.4
छोटा	18.8	12.7	8.3
छोटा मध्यम	12.4	6.5	6.8
मध्यम	1.3	0.4	2.1
बड़ा	0.5	0.0	0.0
परिवारों का सर्वेक्षण किया गया	2,340	520	192

तालिका 21.1: मध्य प्रदेश में महिला मुखिया वाले परिवार के बीच भूमि स्वामित्व

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	40.6	42.4	25.8
सीमांत	39.5	34.8	54.5
छोटा	10.8	10.6	7.6
छोटा मध्यम	8.1	4.5	10.6
मध्यम	0.5	1.5	1.5
बड़ा	0.5	6.1	0.0
महिला मुखिया परिवार	397	66	66

तालिका 21.2: छत्तीसगढ़ में महिला मुखिया वाले परिवार के बीच भूमि स्वामित्व

भूमि का आकार	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	23.0	49.6	57.8
सीमांत	53.3	40.9	24.4
छोटा	13.5	8.7	11.1
छोटा मध्यम	9.0	0.9	4.4
मध्यम	0.7	0.0	2.2
बड़ा	0.5	0.0	0.0
महिला मुखिया परिवार	443	115	45

तालिका 22.1: औसत भूमि जोत, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	2.7	32.8	2.4
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	4.2	3.2	4.0
कुल	3.9	8.6	3.4
स्वामित्व वाली भूमि के साथ कुल परिवार	1,537	207	128

तालिका 22.2: औसत भूमि जोत, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	3.5	1.5	3.5
महिला मुखिया वाले परिवारों के लिए औसत भूमि जोत	3.1	2.1	2.2
कुल	3.2	2.0	2.5
स्वामित्व वाली भूमि के साथ कुल परिवार	1,984	353	99

तालिका 23.1: सिंचाई और कृषि आय के बीच संबंध, मध्य प्रदेश

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
सिंचाई सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत	17.5	28.0	30.2
गैर-सिंचाई वाले परिवारों का प्रतिशत	82.5	72.0	69.8
सिंचाई सुविधा वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	71,473	1,11,048	63,459
गैर-सिंचाई वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	45,068	57,968	25,881
स्वामित्व वाली भूमि वाले परिवारों की संख्या	1,547	207	129

तालिका 23.2: सिंचाई और कृषि आय के बीच संबंध, छत्तीसगढ़

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
सिंचाई सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत	12.4	17.2	2.0
गैर-सिंचाई वाले परिवारों का प्रतिशत	87.6	82.8	98.0
सिंचाई सुविधा वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	57,724	60,783	66,937
गैर-सिंचाई वाले लोगों के लिए औसत आय (रु.)	29,173	31,944	26,744
स्वामित्व वाली भूमि वाले परिवारों की संख्या	2,004	360	99

तालिका 24.1: मध्य प्रदेश में सभी भूमि जोत वर्गों में सिंचाई की पहुंच

	आदिवासी(%)	गैर-आदिवासी(%)	पीवीटीजी(%)
सीमांत	17.4	23.9	30.1
छोटा	18.3	21.7	32.0
छोटा मध्यम	16.1	39.4	27.3
मध्यम	28.6	71.4	42.9
बड़ा	30.0	50.0	0.0

तालिका 24.2: छत्तीसगढ़ में सभी भूमि जोत वर्गों में सिंचाई की पहुंच

	आदिवासी(%)	गैर-आदिवासी(%)	पीवीटीजी(%)
सीमांत	11.0	12.0	1.5
छोटा	15.5	31.8	0.0
छोटा मध्यम	14.1	26.5	7.7
मध्यम	19.4	50.0	0.0
बड़ा	8.3	#N/A	#N/A

तालिका 25.1: मध्य प्रदेश में भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	61,298	54,565	44,037
सीमांत	55,543	55,568	66,690
छोटा	78,193	1,26,315	1,09,339
अर्ध-मध्यम और ऊपर	1,56,680	2,01,247	99,915

तालिका 25.2: छत्तीसगढ़ में भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध

	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	43,127	43,723	22,014
सीमांत	46,189	44,883	34,942
छोटा	63,228	83,611	66,863
अर्ध-मध्यम और ऊपर	78,816	1,09,988	1,66,765

तालिका 26.1: कुल आय के प्रतिशत के रूप में भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध, मध्य प्रदेश

	आदिवासी(%)	गैर-आदिवासी(%)	पीवीटीजी(%)
भूमिहीन	49.0	38.0	12.0
सीमांत	54.0	55.0	40.0
छोटा	69.0	77.0	68.0
अर्ध-मध्यम और ऊपर	70.0	74.0	61.0

तालिका 27.1: भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध (मूल्य भारतीय रुपये में), मध्य प्रदेश

भूमि जोत	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	25,862	18,377	14,382
सीमांत	21,096	21,890	15,142
छोटा	45,079	95,198	58,183
अर्ध-मध्यम और ऊपर	1,40,152	1,84,151	73,511

तालिका 27.2: भूमि जोत और कृषि आय के बीच संबंध (मूल्य भारतीय रुपये में), छत्तीसगढ़

भूमि जोत	आदिवासी	गैर-आदिवासी	पीवीटीजी
भूमिहीन	19,602	18,065	3,340
सीमांत	22,400	25,667	13,641
छोटा	43,244	60,469	45,733
अर्ध-मध्यम और ऊपर	56,813	76,275	62,930

तालिका 28.1: मध्य प्रदेश में आदिवासी परिवारों का भूमि स्वामित्व और एचएच आय प्रतिशत के बीच संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	23.6	20.8	13.2	7.9
20-40	13.9	26.0	19.9	8.9
40-60	16.9	23.1	20.3	13.8
60-80	21.4	19.0	20.9	14.1
80-100	12.6	10.4	25.1	55.3

तालिका 28.2: छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवार के भूमि जोत और परिवार आय प्रतिशत के बीच संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	27.0	19.3	12.3	13.2
20-40	20.8	23.8	14.1	10.8
40-60	19.9	22.7	18.2	12.6
60-80	17.4	19.4	27.1	20.1
80-100	12.1	13.8	26.9	42.9

तालिका 29.1: गैर-आदिवासी परिवार के भूमि जोत और परिवार आय प्रतिशत के बीच संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	22.7	17.1	8.7	9.1
20-40	15.6	28.2	13.0	6.8
40-60	15.6	29.1	10.9	9.1
60-80	16.9	17.1	15.2	11.4
80-100	12.3	8.5	52.2	63.6

तालिका 29.2: छत्तीसगढ़ में गैर-आदिवासी भूमि जोत स्वामित्व और परिवार आय प्रतिशत के बीच संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	27.5	21.9	3.0	16.7
20-40	17.4	21.1	12.1	2.8
40-60	18.6	18.3	19.7	5.6
60-80	17.4	20.3	19.7	19.4
80-100	13.2	16.3	39.4	50.0

तालिका 30.1: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ आदिवासी परिवार भूमि जोत का संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	16.9	24.8	16.7	10.5
20-40	16.8	25.3	21.5	9.9
40-60	13.9	23.4	24.1	17.1
60-80	20.4	18.1	18.3	14.5
80-100	20.4	7.7	18.3	48
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	868	922	311	304
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	100	6	3	0

तालिका 30.2: छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ आदिवासी घरेलू भूमि का संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	22.5	20.4	14.6	16.2
20-40	21.1	21.5	18.7	15.0
40-60	19.1	23.0	18.9	16.2
60-80	19.7	18.9	22.6	18.3
80-100	14.9	15.2	23.9	33.9
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	356	1,212	439	333
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	10	12	6	1

तालिका 31.1: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ गैर-आदिवासी परिवार जोत का संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	24.7	16.2	4.3	9.1
20-40	10.4	21.4	10.9	6.8
40-60	8.4	30.8	23.9	6.8
60-80	24.0	21.4	13.0	25.0
80-100	15.6	10.3	47.8	52.3
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	154	117	46	44
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	26	0	0	0

तालिका.2: छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ गैर-आदिवासी परिवार भूमि जोत का संबंध

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	21.0	23.9	9.1	19.4
20-40	15.6	17.9	9.1	8.3
40-60	16.8	20.7	13.6	0.0
60-80	22.2	19.5	27.3	16.7
80-100	18.6	15.9	34.8	50.0
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	167	251	66	36
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	10	5	4	2

तालिका 31.3: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ पीवीटीजी परिवार भूमि जोत का संबंध, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	37.0	15.1	16.0	3.3
20-40	24.7	21.9	16.0	10.0
40-60	15.1	21.9	12.0	33.3
60-80	15.1	23.3	24.0	26.7
80-100	8.2	17.8	32.0	26.7
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	73	73	25	30
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	0	0	0	0

तालिका 31.4: प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत के साथ पीवीटीजी परिवार जोत का संबंध, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	भूमिहीन	सीमांत	छोटा	अर्ध-मध्यम और ऊपर
0-20	25.8	33.3	6.2	5.9
20-40	31.2	30.3	6.2	11.8
40-60	20.4	6.1	18.8	5.9
60-80	12.9	19.7	18.8	17.6
80-100	9.7	10.6	50	58.8
भूमि आकार समूह में परिवारों की संख्या	93	66	16	17
प्रति व्यक्ति आय को रिपोर्ट नहीं कर रहे परिवार	0	0	0	0

तालिका 32.1: मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए लिंग आधारित आय प्रतिशत

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	20.7	20.2
20-40	22.0	19.0
40-60	18.7	20.3
60-80	18.4	20.8
80-100	20.2	19.7

तालिका 32.2: छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए लिंग आधारित आय प्रतिशत

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	23.2	16.6
20-40	19.4	20.1
40-60	21.2	20.3
60-80	18.5	21.8
80-100	17.8	21.3

तालिका 33.1: गैर-आदिवासियों के बीच लिंग आधारित आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	21.3	16.8
20-40	26.2	17.6
40-60	23.0	20.2
60-80	9.8	19.5
80-100	19.7	26.0

तालिका 33.2: गैर-आदिवासियों के बीच लिंग आधारित आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	26.6	20.4
20-40	20.2	17.8
40-60	15.6	19.3
60-80	19.3	20.1
80-100	18.3	22.4

तालिका 33.3: पीवीटीजी के बीच लिंग आधारित आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरुष मुखिया परिवार (% में)
0-20	12.1	25.4
20-40	25.8	24.6
40-60	18.2	16.4
60-80	21.2	18.7
80-100	22.7	14.9

तालिका 33.4: पीवीटीजी के बीच लिंग आधारित आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	35.6	32.7
20-40	33.3	22.4
40-60	11.1	23.8
60-80	6.7	9.5
80-100	13.3	11.6

तालिका 34.1: आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	14.2	21.4
20-40	21.0	20.7
40-60	21.0	19.9
60-80	22.8	18.4
80-100	21.0	19.7

तालिका 34.2: आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	17.5	19.1
20-40	23.7	19.2
40-60	18.0	22.0
60-80	19.6	20.1
80-100	21.2	19.6

तालिका 35.1: गैर-आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	19.7	17.2
20-40	24.6	12.6
40-60	11.5	20.2
60-80	29.5	22.9
80-100	14.8	27.1

तालिका 35.2: गैर-आदिवासी परिवार मुखियावार आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	17.4	22.7
20-40	16.5	16.0
40-60	16.5	18.3
60-80	27.5	20.4
80-100	22.0	22.7

तालिका 35.3: पीवीटीजी परिवार मुखियावार आय समूह, मध्य प्रदेश

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	13.6	25.4
20-40	16.7	22.4
40-60	19.7	19.4
60-80	24.2	19.4
80-100	25.8	13.4

तालिका 35.4: पीवीटीजी परिवार प्रमुख के अनुरूप आय समूह, छत्तीसगढ़

आय समूह (प्रतिशत)	महिला मुखिया परिवार (% में)	पुरूष मुखिया परिवार (% में)
0-20	24.4	25.2
20-40	24.4	27.9
40-60	22.2	11.6
60-80	6.7	19.0
80-100	22.2	16.3

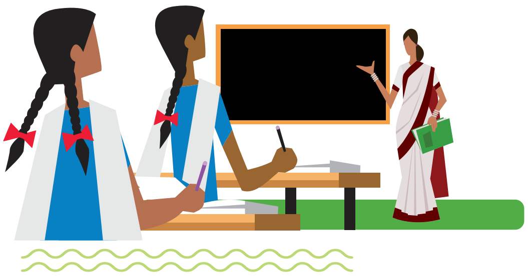

तालिका 36.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरूष पाठन	पुरूष लेखन	पुरूष अंकज्ञान	पुरूष कुल
भूमिहीन	2.0	2.6	1.4	6.0	2.8	3.8	2.1	8.7
सीमांत	1.7	2.0	1.5	5.2	2.8	3.5	2.4	8.7
छोटे	2.0	2.4	1.9	6.3	3.2	3.9	2.4	9.5
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	2.9	3.1	2.3	8.3	3.3	3.7	2.5	9.5

तालिका 36.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरूष पाठन	पुरूष लेखन	पुरूष अंकज्ञान	पुरूष कुल
भूमिहीन	2.4	2.6	1.8	6.9	4.6	4.8	3.5	12.9
सीमांत	2.7	3.2	2.3	8.3	4.1	4.6	3.5	12.2
छोटे	2.9	3.2	2.5	8.5	4	4.5	3.2	11.8
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	2.6	2.7	2.2	7.6	4	4.3	3.1	11.4

तालिका 37.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरूष पाठन	पुरूष लेखन	पुरूष अंकज्ञान	पुरूष कुल
भूमिहीन	3.2	5.0	3.0	11.2	4.7	7.4	4.5	16.7
सीमांत	1.8	2.8	2.2	6.8	3.9	5.2	3.4	12.5
छोटे	4.1	5.6	2.5	12.2	5.6	6.3	4.1	16.0
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	4.1	4.5	3.5	12.2	6.4	7.5	4.4	18.3

तालिका 37.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरूष पाठन	पुरूष लेखन	पुरूष अंकज्ञान	पुरूष कुल
भूमिहीन	3.6	3.8	3.0	10.3	5.3	5.9	4.7	15.9
सीमांत	3.2	3.4	2.7	9.3	4.5	4.7	3.8	13.1
छोटे	4.7	4.7	3.4	12.7	7.0	7.3	6.2	20.5
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	4.7	5.0	4.5	14.2	5.7	6.1	4.2	15.9

तालिका 37.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरूष पाठन	पुरूष लेखन	पुरूष अंकज्ञान	पुरूष कुल
भूमिहीन	0.6	0.7	1.0	2.4	1.2	2.3	2.3	5.9
सीमांत	1.2	1.3	1.1	3.6	1.9	3.0	1.9	6.9
छोटे	1.8	1.9	2.5	6.3	1.3	2.0	2.1	5.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	1.3	1.2	1.6	4.2	1.4	2.8	2.5	6.7

तालिका 37.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और साक्षरता स्कोर के मध्य संबंध (मदवार साक्षरता संकेतक कुल 10 में दिए गए हैं, जबकि कुल का अंकन 30 में किया गया है।), छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरूष पाठन	पुरूष लेखन	पुरूष अंकज्ञान	पुरूष कुल
भूमिहीन	0.3	0.3	0.4	1.0	1.6	1.4	0.5	3.5
सीमांत	0.9	1.0	0.8	2.6	2.2	1.8	1.4	5.3
छोटे	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.3	1.1	7.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.9	1.0	1.0	3.0	4.5	4.3	3.7	12.5

तालिका 38.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य सुरक्षित(% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	25.5	17.2	24.3	33.0
सीमांत	23.5	17.6	24.1	34.7
छोटे	29.5	24.0	24.0	22.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	34.1	18.3	20.1	27.4

तालिका 38.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	39.1	8.3	6.8	45.8
सीमांत	47.5	15.5	9.2	27.8
छोटे	54.0	18.8	7.4	19.9
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	65.3	18.4	5.8	10.5

तालिका 39.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	39.1	8.3	6.8	45.8
सीमांत	47.5	15.5	9.2	27.8
छोटे	54.0	18.8	7.4	19.9
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	65.3	18.4	5.8	10.5

तालिका 39.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	37.3	12.0	8.0	42.7
सीमांत	47.7	18.8	7.3	26.1
छोटे	58.5	24.5	3.8	13.2
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	63.0	18.5	14.8	3.7

तालिका 39.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	15.9	1.4	7.2	75.4
सीमांत	25.4	11.9	10.2	52.5
छोटे	50.0	9.1	4.5	36.4
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	30.8	0.0	7.7	61.5

तालिका 39.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और खाद्य सुरक्षा के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खाद्य (% में)	आंशिक खाद्य असुरक्षित (% में)	मध्यम खाद्य असुरक्षित (% में)	गंभीर खाद्य असुरक्षित (% में)
भूमिहीन	36.3	4.4	3.3	56.0
सीमांत	48.4	4.7	9.4	37.5
छोटे	86.7	6.7	6.7	0.0
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	100.0	0.0	0.0	0.0

तालिका 40.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	5.3	34.8	60.0	587
सीमांत	3.4	39.9	56.7	789
छोटे	4.5	38.0	57.4	242
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	3.8	37.2	59.0	156

तालिका 40.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	4.1	66.2	29.6	314
सीमांत	1.7	64.7	33.6	1,043
छोटे	0.9	56.3	42.8	332
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	1.9	52.8	45.3	267

तालिका 41.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	4.2	27.1	68.6	118
सीमांत	1.0	33.0	66.0	100
छोटे	5.0	17.5	77.5	40
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.0	15.2	84.8	33

तालिका 41.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	2.7	58.5	38.8	147
सीमांत	2.3	57.2	40.5	215
छोटे	0.0	37.3	62.7	51
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.0	39.3	60.7	28

तालिका 41.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	0.0	36.2	63.8	69
सीमांत	1.7	36.7	61.7	60
छोटे	0.0	36.4	63.6	22
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	3.8	30.8	65.4	26

तालिका 41.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और आहार गुणवत्ता के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

भूमि आकार श्रेणी	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
भूमिहीन	25.8	67.4	6.7	89
सीमांत	16.9	63.1	20.0	65
छोटे	7.1	64.3	28.6	14
अर्ध-मध्यम एवं ऊपर	0.0	45.5	54.5	11

तालिका 42.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	54.8	62.3	60.3	54.2
प्राथमिक स्तर से कम	10.1	5.0	10.1	15.4
प्राथमिक स्तर	9.6	8.1	8.4	12.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	14.7	16.7	14.1	12.7
मैट्रिक स्तर	6.0	4.7	4.7	3.0
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	2.5	0.8	1.3	0.7
उच्च माध्यमिक	1.1	0.8	0.0	0.3
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.2	0.1	0.3	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.7	0.9	0.7	1.0
पोस्ट ग्रेजुएट	0.2	0.2	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.1	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.2	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	834	896	297	299

तालिका 42.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	42.8	47.1	52.4	59.0
प्राथमिक स्तर से कम	6.2	7.4	7.2	4.7
प्राथमिक स्तर	14.7	10.7	10.2	12.5
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	23.5	20.6	19.9	15.9
मैट्रिक स्तर	5.9	7.2	4.8	4.7
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	2.0	2.8	0.9	1.0
उच्च माध्यमिक	2.8	3.0	2.3	1.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.6	0.3	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.8	0.3	0.9	0.3
पोस्ट ग्रेजुएट	0.3	0.2	0.2	0.3
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.5	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.3	0.6	0.7	0.3
कुल	353	1196	433	295

तालिका 43.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	29.7	41.8	19.6	22.7
प्राथमिक स्तर से कम	2.1	4.5	15.2	4.5
प्राथमिक स्तर	17.9	14.5	21.7	27.3
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	32.4	22.7	30.4	27.3
मैट्रिक स्तर	11.7	10.0	6.5	6.8
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	3.4	1.8	4.3	4.5
उच्च माध्यमिक	0.0	0.9	0.0	2.3
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	1.4	0.9	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.7	2.7	2.2	2.3
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.7	0.0	0.0	2.3
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	145	110	46	44

तालिका 43.2: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	40.4	42.0	28.8	19.4
प्राथमिक स्तर से कम	7.8	9.6	10.6	13.9
प्राथमिक स्तर	10.8	13.6	10.6	11.1
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	28.3	19.6	31.8	33.3
मैट्रिक स्तर	4.8	7.2	6.1	5.6
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	4.2	2.4	0.0	5.6
उच्च माध्यमिक	1.2	2.4	7.6	2.8
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.4	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	1.2	1.2	3.0	2.8
पोस्ट ग्रेजुएट	0.6	0.4	1.5	2.8
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.8	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.6	0.4	0.0	2.8
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	166	250	66	36

तालिका 43.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	72.6	63.9	72.0	70.0
प्राथमिक स्तर से कम	1.4	5.6	4.0	6.7
प्राथमिक स्तर	4.1	15.3	12.0	6.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	16.4	11.1	12.0	13.3
मैट्रिक स्तर	2.7	4.2	0.0	3.3
मैट्रिक से अधिक और उच्च माध्यमिक से कम	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	1.4	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	1.4	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	73	72	25	30

तालिका 43.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और परिवार प्रमुख की शिक्षा प्राप्ति के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

शिक्षा प्राप्ति	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	74.2	59.1	56.2	52.9
प्राथमिक स्तर से कम	12.9	15.2	6.2	0.0
प्राथमिक स्तर	7.5	13.6	25.0	17.6
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	4.3	10.6	12.5	17.6
मैट्रिक स्तर	0.0	1.5	0.0	5.9
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	1.1	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट और अधूरी पी.जी	0.0	0.0	0.0	5.9
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0
भूमि आकार वर्ग में परिवारों की संख्या	93	66	16	17

तालिका 44.1 आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	47.4	50.5	50.0	39.1
कुल बालिकाएँ	76	103	38	23
बालक %	45.5	51.3	52.4	33.3
कुल बालक	88	119	42	27

तालिका 44.2 आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	54.5	60.7	61.5	37.8
कुल बालिकाएँ	33	107	39	37
बालक %	61.5	59.1	48.8	57.1
कुल बालक	39	115	43	42

तालिका 45.1 गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	61.5	33.3	33.3	100.0
कुल बालिकाएँ	13	9	3	2
बालक %	42.9	25.0	100.0	33.3
कुल बालक	14	12	1	3

तालिका 45.2 गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	58.3	75.0	50.0	80.0
कुल बालिकाएँ	12	20	6	5
बालक %	45.5	65.2	50.0	75.0
कुल बालक	11	23	8	4

तालिका 45.3 पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	29.4	36.4	25	12.5
कुल बालिकाएँ	17	11	4	8
बालक %	22.2	61.5	60.0	25.0
कुल बालक	18	13	5	8

तालिका 45.4 पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता और बच्चों के सिर की परिधि के मध्य संबंध, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
बालिका %	50.0	100.0	0.0	50.0
कुल बालिकाएँ	6	5	1	2
बालक %	71.4	27.3	50.0	50.0
कुल बालक	7	11	2	4

तालिका 46.1: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, मध्य प्रदेश

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	4.8	2.7	2.5	5.8
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	51.0	76.7	68.8	45.4
परिवारों की संख्या	868	922	311	304

तालिका 46.2: आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, छत्तीसगढ़

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	1.9	1.9	1.7	2.3
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	87.6	90.8	89.7	93.4
परिवारों की संख्या	356	1212	439	333

तालिका 47.1: गैर-आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, मध्य प्रदेश

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	7.1	3.6	10.8	10.1
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	30.5	64.1	26.1	20.5
परिवारों की संख्या	154	117	46	44

तालिका 47.2: गैर- आदिवासी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, छत्तीसगढ़

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	5.0	4.5	4.5	5.7
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	54.5	70.1	63.6	61.1
परिवारों की संख्या	167	251	66	36

तालिका 47.3: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, मध्य प्रदेश

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	2.7	1.2	0.9	1.3
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	100.0	97.3	92.0	96.7
परिवारों की संख्या	73	73	25	30

तालिका 47.4: पीवीटीजी परिवारों के भूमि धारिता प्रकार और जंगल सापेक्ष दूरी, छत्तीसगढ़

वन तक पहुँच	भूमिहीन	सीमांत	छोटे	अर्ध-मध्यम एवं ऊपर
औसत दूरी (किमी)	0.20	0.40	0.20	0.00
आजीविका के लिए जंगल पर निर्भरता (%)	97.80	98.50	100.00	100.00
परिवारों की संख्या	93	66	16	17

अनुलग्नक एफ

जंगल से दूरी आधारित परिणाम

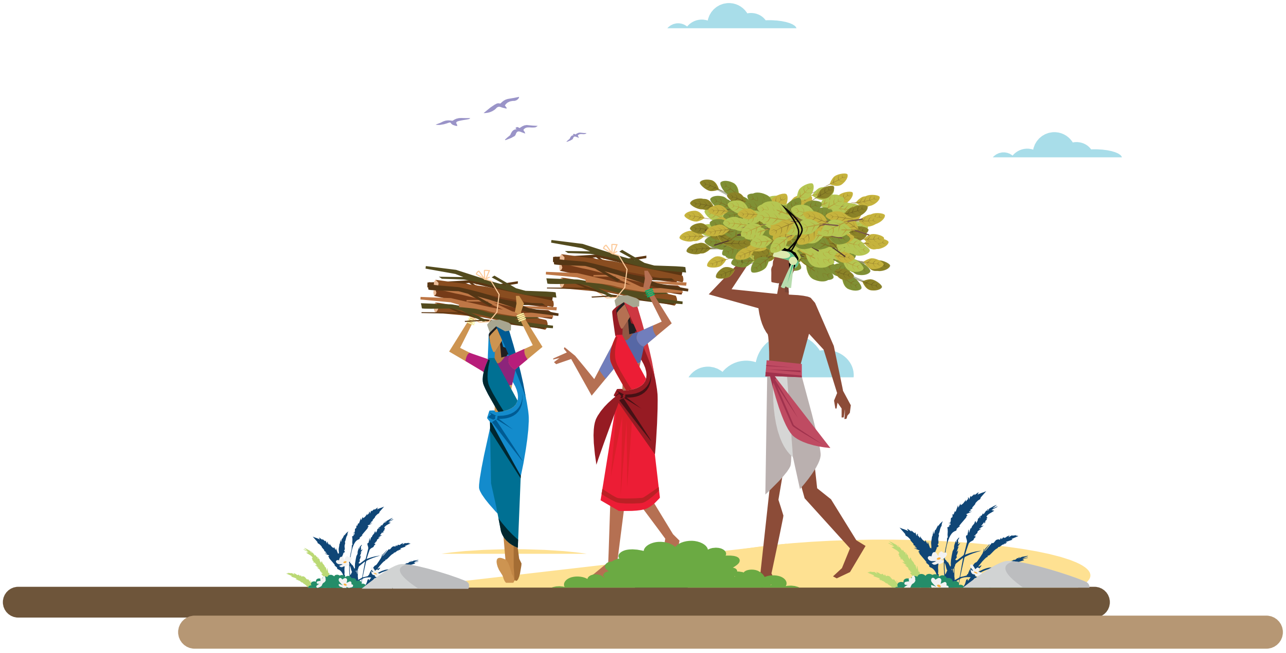

तालिका 48.1: जंगल से दूरी के आधार पर आदिवासी आय समूह का वितरण, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	20.1	20.1	21.1	19.6	19.0
2-3 किमी	18.1	24.9	24.1	22.2	10.7
4-5 किमी	23.0	25.1	18.7	18.7	14.4
6 किमी अथवा अधिक	20.5	9.9	14.3	22.6	32.7

तालिका 48.2: जंगल से दूरी के आधार पर आदिवासी आय समूह का वितरण, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	18.0	20.0	19.8	21.0	21.1
2-3 किमी	17.8	18.0	21.6	22.5	20.2
4-5 किमी	17.9	25.4	21.4	17.9	17.3
6 किमी अथवा अधिक	26.5	20.5	17.9	17.2	17.9

तालिका 48.3: जंगल से दूरी के आधार पर गैर-आदिवासी आय समूह का वितरण, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	32.6	20.7	17.4	14.1	15.2
2-3 किमी	10.7	21.4	27.4	28.6	11.9
4-5 किमी	10.9	12.5	29.7	10.9	35.9
6 किमी अथवा अधिक	17.9	22.1	9.5	14.7	35.8

तालिका 48.4: जंगल से दूरी के आधार पर गैर-आदिवासी आय समूह का वितरण, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	22.9	16.6	20.0	21.1	19.4
2-3 किमी	20.4	24.8	18.6	18.6	17.7
4-5 किमी	25.3	13.2	16.5	19.8	25.3
6 किमी अथवा अधिक	19.2	18.3	17.5	20.0	25.0

तालिका 48.5: जंगल से दूरी के आधार पर पीवीटीजी आय समूह का वितरण, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	17.2	30.3	20.0	16.6	15.9
2-3 किमी	34.0	12.8	10.6	27.7	14.9
4-5 किमी	20.0	0.0	20.0	0.0	60.0
6 किमी अथवा अधिक	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0

तालिका 48.6: जंगल से दूरी के आधार पर पीवीटीजी आय समूह का वितरण, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
0-1 किमी	32.0	24.9	21.5	8.8	12.7
2-3 किमी	54.5	27.3	9.1	9.1	0.0
4-5 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

तालिका 48.7: दिए गए आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, मध्य प्रदेश

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	59.3	14.3	9.3	17.1
20-40	60.9	20.2	10.4	8.4
40-60	61.7	18.9	7.5	11.8
60-80	56.7	17.3	7.5	18.6
80-100	57.4	8.6	6.0	27.9

तालिका 48.8: दिए गए आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, छत्तीसगढ़

	0-1किमी	2-3किमी	4-5किमी	5 किमी से अधिक
0-20	59.3	24.1	7.2	9.3
20-40	61.2	22.6	9.5	6.7
40-60	59.6	26.7	7.9	5.8
60-80	61.3	26.9	6.4	5.4
80-100	63.1	24.8	6.4	5.7

तालिका 48.9: दिए गए गैर-आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण , मध्य प्रदेश

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	47.6	14.3	11.1	27.0
20-40	28.8	27.3	12.1	31.8
40-60	23.9	34.3	28.4	13.4
60-80	22.4	41.4	12.1	24.1
80-100	17.3	12.3	28.4	42.0

तालिका 48.10: दिए गए गैर-आदिवासी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, छत्तीसगढ़

	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	36.7	21.1	21.1	21.1
20-40	31.9	30.8	13.2	24.2
40-60	38.0	22.8	16.3	22.8
60-80	37.0	21.0	18.0	24.0
80-100	31.8	18.7	21.5	28.0

तालिका 48.11: दिए गए पीवीटीजी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, मध्य प्रदेश

आय समूह	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	59.5	38.1	2.4	0.0
20-40	88.0	12.0	0.0	0.0
40-60	82.9	14.3	2.9	0.0
60-80	61.5	33.3	0.0	5.1
80-100	65.7	20.0	8.6	5.7

तालिका 48.12: दिए गए पीवीटीजी आय समूह हेतु दूरी का वितरण, छत्तीसगढ़

आय समूह	0-1 किमी	2-3 किमी	4-5 किमी	5 किमी से अधिक
0-20	90.6	9.4	0.0	0.0
20-40	93.8	6.2	0.0	0.0
40-60	97.5	2.5	0.0	0.0
60-80	94.1	5.9	0.0	0.0
80-100	100.0	0.0	0.0	0.0

तालिका 49.1: आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	22.5	21.4	29.1	27
2-3 किमी	27.9	17.2	19.7	35.1
4-5 किमी	28.4	11.9	15.9	43.8
6 किमी अथवा अधिक	35.4	12.4	13.1	39.1

तालिका 49.2: आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	53.9	14.7	8.3	23.1
2-3 किमी	34.8	19.7	9.7	35.8
4-5 किमी	57.0	11.4	4.4	27.2
6 किमी अथवा अधिक	64.6	7.1	2.4	26.0

तालिका 50.1: गैर-आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	36.9	14.3	15.5	33.3
2-3 किमी	42.5	10	21.2	26.2
4-5 किमी	47.5	20.3	18.6	13.6
6 किमी अथवा अधिक	45.8	14.5	9.6	30.1

तालिका 50.2: गैर-आदिवासी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	59.9	12.5	7.2	20.4
2-3 किमी	45.5	17.3	12.7	24.5
4-5 किमी	32.2	21.1	5.6	41.1
6 किमी अथवा अधिक	39.6	20.8	4.2	35.4

तालिका 50.3: पीवीटीजी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, मध्य प्रदेश

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	26.8	6.5	8.9	57.7
2-3 किमी	26.1	4.3	6.5	63.0
4-5 किमी	0.0	0.0	0.0	100.0
6 किमी अथवा अधिक	0.0	0.0	0.0	100.0

तालिका 50.4: पीवीटीजी परिवारों की खाद्य सुरक्षा स्थिति और जंगल से दूरी, छत्तीसगढ़

जंगल से दूरी	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-1 किमी	50.0	2.9	5.9	41.2
2-3 किमी	27.3	27.3	0.0	45.5
4-5 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

तालिका 51.1: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	4.5	36.3	59.2	672
1 किमी	4.6	41.3	54.1	351
2 किमी	4.1	44.2	51.6	217
3 किमी	4.1	33.0	62.9	97
4 किमी	10.2	42.9	46.9	49
5 किमी अथवा अधिक	2.8	33.8	63.4	388

तालिका 51.2: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	65.1	32.7	602
1 किमी	1.6	64.8	33.6	571
2 किमी	1.7	53.4	44.9	350
3 किमी	1.2	61.8	37.0	165
4 किमी	4.0	48.0	48.0	75
5 किमी अथवा अधिक	3.1	64.2	32.6	193

तालिका 52.1: गैर-आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	12.0	24.0	64.0	25
1 किमी	1.9	36.5	61.5	52
2 किमी	0.0	31.2	68.8	48
3 किमी	3.6	21.4	75.0	28
4 किमी	0.0	0.0	100.0	6
5 किमी अथवा अधिक	2.3	23.5	74.2	132

तालिका 52.2: गैर- आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	44.4	53.3	90
1 किमी	0.0	60.0	40.0	60
2 किमी	3.8	66.2	30.0	80
3 किमी	3.6	53.6	42.9	28
4 किमी	6.1	54.5	39.4	33
5 किमी अथवा अधिक	0.7	51.3	48.0	150

तालिका 52.3: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.4	23.8	73.8	42
1 किमी	0.0	44.0	56.0	84
2 किमी	3.1	31.2	65.6	32
3 किमी	0.0	15.4	84.6	13
4 किमी	0.0	0.0	100.0	1
5 किमी अथवा अधिक	0.0	80.0	20.0	5

तालिका 52.4: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी का आहार गुणवत्ता पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	19.4	63.2	17.4	144
1 किमी	8.3	75.0	16.7	24
2 किमी	16.7	83.3	0.0	6
3 किमी	80.0	20.0	0.0	5
4 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
5 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0

तालिका 53.1: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	4.5	36.3	59.2	672
1 किमी	4.6	41.3	54.1	351
2 किमी	4.1	44.2	51.6	217
3 किमी	4.1	33.0	62.9	97
4 किमी	10.2	42.9	46.9	49
5 किमी अथवा अधिक	2.8	33.8	63.4	388

तालिका 53.2: आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	65.1	32.7	602
1 किमी	1.6	64.8	33.6	571
2 किमी	1.7	53.4	44.9	350
3 किमी	1.2	61.8	37.0	165
4 किमी	4.0	48.0	48.0	75
5 किमी अथवा अधिक	3.1	64.2	32.6	193

तालिका 54.1: गैर- आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	12.0	24.0	64.0	25
1 किमी	1.9	36.5	61.5	52
2 किमी	0.0	31.2	68.8	48
3 किमी	3.6	21.4	75.0	28
4 किमी	0.0	0.0	100.0	6
5 किमी अथवा अधिक	2.3	23.5	74.2	132

तालिका 54.2: गैर-आदिवासी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.2	44.4	53.3	90
1 किमी	0.0	60.0	40.0	60
2 किमी	3.8	66.2	30.0	80
3 किमी	3.6	53.6	42.9	28
4 किमी	6.1	54.5	39.4	33
5 किमी अथवा अधिक	0.7	51.3	48.0	150

तालिका 54.3: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	2.4	23.8	73.8	42
1 किमी	0.0	44.0	56.0	84
2 किमी	3.1	31.2	65.6	32
3 किमी	0.0	15.4	84.6	13
4 किमी	0.0	0.0	100.0	1
5 किमी अथवा अधिक	0.0	80.0	20.0	5

तालिका 54.4: पीवीटीजी परिवारों की जंगल से दूरी और महिलाओं की आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आहार विविधता	खराब	सीमित	स्वीकार योग्य	सं.
0 किमी	19.4	63.2	17.4	144.0
1 किमी	8.3	75.0	16.7	24.0
2 किमी	16.7	83.3	0.0	6.0
3 किमी	80.0	20.0	0.0	5.0
4 किमी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0
5 किमी अथवा अधिक	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0

अनुलग्नक जी

आय आधारित परिणाम

तालिका 55.1: आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	64.0	62.8	56.8	56.8	55.7
प्राथमिक स्तर से कम	4.6	4.8	6.9	9.9	18.1
प्राथमिक स्तर	6.8	8.9	6.9	12.1	11.3
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	13.2	16.1	21.3	14.5	10.2
मैट्रिक स्तर	6.0	4.4	4.9	5.0	2.3
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	1.8	1.6	1.6	0.9	0.7
उच्च माध्यमिक	1.1	0.5	0.7	0.2	0.2
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	1.3	0.7	0.7	0.2	1.4
पोस्ट ग्रेजुएट	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	453	436	447	456	442

तालिका 55.2: आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	58.1	46.7	45.9	46.5	49.7
प्राथमिक स्तर से कम	4.7	9.2	7.2	8.2	4.3
प्राथमिक स्तर	7.4	11.2	12.2	12.6	12.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	18.1	20.5	23.5	20.0	19.2
मैट्रिक स्तर	4.7	7.1	6.1	6.7	6.7
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	2.0	2.0	2.4	2.1	1.9
उच्च माध्यमिक	2.7	2.0	2.0	2.5	3.7
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	0.2	0.9	0.2	0.2	0.9
पोस्ट ग्रेजुएट	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
प्रोफेशनल डिप्लोमा	1.7	0.2	0.2	0.2	0.2
आय समूह में परिवारों की संख्या	403	448	460	475	463

तालिका 56.1: गैर- आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	42.1	37.1	35.8	21.1	20.0
प्राथमिक स्तर से कम	1.8	1.6	3.0	7.0	11.2
प्राथमिक स्तर	21.1	17.7	16.4	19.3	21.2
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	21.1	29.0	37.3	26.3	28.7
मैट्रिक स्तर	5.3	9.7	6.0	17.5	7.5
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	5.3	1.6	1.5	3.5	3.8
उच्च माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	1.8	0.0	0.0	3.5	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	1.8	1.6	0.0	1.8	3.8
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	1.6	0.0	0.0	1.2
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	57	62	67	57	80

तालिका 56.2: गैर- आदिवासी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	45.4	46.2	30.4	42.4	29.9
प्राथमिक स्तर से कम	8.3	5.5	6.5	11.1	15.0
प्राथमिक स्तर	9.3	12.1	17.4	13.1	8.4
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	26.9	25.3	27.2	17.2	25.2
मैट्रिक स्तर	3.7	5.5	4.3	11.1	7.5
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	0.9	0.0	8.7	1.0	4.7
उच्च माध्यमिक	2.8	1.1	2.2	3.0	3.7
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	1.9	2.2	1.1	0.0	2.8
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	1.1	0.0	1.0	1.9
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9
आय समूह में परिवारों की संख्या	108	91	92	99	107

तालिका 56.3: पीवीटीजी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, मध्य प्रदेश

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	71.4	72.0	58.8	69.2	71.4
प्राथमिक स्तर से कम	0.0	6.0	11.8	0.0	2.9
प्राथमिक स्तर	11.9	4.0	8.8	17.9	5.7
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	9.5	14.0	17.6	12.8	14.3
मैट्रिक स्तर	2.4	4.0	2.9	0.0	5.7
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	42	50	34	39	35

तालिका 56.4: पीवीटीजी परिवारों की आय का उनकी शिक्षा पर प्रभाव, छत्तीसगढ़

परिवार प्रमुख की शिक्षा	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
कोई स्कूली शिक्षा नहीं	82.8	54.2	67.5	35.3	60.9
प्राथमिक स्तर से कम	12.5	20.8	5.0	17.6	0.0
प्राथमिक स्तर	1.6	12.5	15.0	23.5	26.1
प्राथमिक स्तर से ऊपर और मैट्रिक से कम	3.1	6.2	12.5	23.5	8.7
मैट्रिक स्तर	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
मैट्रिक से ऊपर और उच्च माध्यमिक से कम	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
उच्च माध्यमिक	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज में नामांकन, लेकिन डिग्री पूरी नहीं की	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉलेज ग्रेजुएट लेकिन अधूरी पीजी	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
पोस्ट ग्रेजुएट	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
प्रोफेशनल डिप्लोमा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आय समूह में परिवारों की संख्या	64	48	40	17	23

तालिका 57.1 : आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	56.9	33.3	49.1	55.4	34.4
कुल बालिकाएँ	51	39	57	56	32
बालक %	47.2	46.3	45.7	46.7	46.5
कुल बालक	53	41	70	60	43

तालिका 57.2 : आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	48.5	51.2	61.4	68.6	53.3
कुल बालिकाएँ	33	43	44	35	60
बालक %	60.5	56.5	59.3	52.9	55.8
कुल बालक	43	46	54	51	43

तालिका 58.1: गैर- आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	75.0	75.0	0.0	उपलब्ध नहीं	40.0
कुल बालिकाएँ	8	8	3	0	5
बालक %	66.7	22.2	40	37.5	40
कुल बालक	3	9	5	8	5

तालिका 58.2: गैर- आदिवासी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	90.0	75.0	70.0	57.1	42.9
कुल बालिकाएँ	10	8	10	7	7
बालक %	66.7	71.4	57.1	55.6	50.0
कुल बालक	6	7	14	9	8

तालिका 58.3: पीवीटीजी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, मध्य प्रदेश

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	33.3	22.2	22.2	0.0	75.0
कुल बालिकाएँ	12	9	9	6	4
बालक %	36.4	35.3	25	44.4	66.7
कुल बालक	11	17	4	9	3

तालिका 58.4: पीवीटीजी परिवारों की आय और बच्चों के सिर की परिधि, छत्तीसगढ़

बच्चे, जिनके सिर की परिधि 3-97 पर्सेंटाइल के बीच नहीं है	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
बालिका %	66.7	50	100	100	33.3
कुल बालिकाएँ	3	4	3	1	3
बालक %	66.7	50.0	14.3	50.0	60.0
कुल बालक	6	4	7	2	5

तालिका 59.1 : आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आय समूह	खराब (<=21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	4.9	45.0	50.1	367
20-40	4.6	47.0	48.4	372
40-60	4.6	35.3	60.1	388
60-80	3.7	32.8	63.5	348
80-100	3.6	25.9	70.4	247

तालिका 59.2 : आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आय समूह	खराब (<=21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	3.8	62.8	33.4	317
20-40	2.9	61.5	35.7	384
40-60	1.5	64.2	34.2	400
60-80	1.2	65.2	33.6	420
80-100	0.7	55.1	44.1	410

तालिका 60.1: गैर-आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आय समूह	खराब (<=21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	0.0	39.1	60.9	46
20-40	8.6	46.6	44.8	58
40-60	0.0	27.9	72.1	61
60-80	2.1	19.1	78.7	47
80-100	1.5	7.5	91.0	67

तालिका 60.2: गैर- आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आय समूह	खराब (<=21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	3.4	61.4	35.2	88
20-40	4.1	62.2	33.8	74
40-60	1.3	56.4	42.3	78
60-80	1.1	52.7	46.2	91
80-100	0.0	38.3	61.7	94

तालिका 60.3: पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, मध्य प्रदेश

आय समूह	खराब (<=21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	0.0	27.5	72.5	40
20-40	4.3	34.8	60.9	46
40-60	0.0	42.4	57.6	33
60-80	0.0	36.4	63.6	33
80-100	0.0	40.0	60.0	25

तालिका 60.4: पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और आहार गुणवत्ता, छत्तीसगढ़

आय समूह	खराब (<=21)	सीमित (21-35)	स्वीकार योग्य (>35)	कुल
0-20	41.0	55.7	3.3	61
20-40	13.3	73.3	13.3	45
40-60	7.9	73.7	18.4	38
60-80	6.2	62.5	31.2	16
80-100	0.0	52.6	47.4	19

तालिका 61.1 : आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	26.5	12.3	19.4	41.7
20-40	18.9	16.3	31.8	33.1
40-60	23.1	19.0	25.8	32.1
60-80	22.2	26.7	26.7	24.4
80-100	40.5	19.3	15.1	25.1

तालिका 61.2 : आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	52.6	14.9	7.8	24.7
20-40	45.4	16.4	10.3	27.9
40-60	45.9	16.1	9.5	28.5
60-80	49.0	15.1	7.2	28.8
80-100	54.8	14.6	5.7	24.9

तालिका 62.1 : गैर- आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	38.0	8.0	14.0	40.0
20-40	25.0	18.3	16.7	40.0
40-60	38.3	13.3	21.7	26.7
60-80	44.2	15.4	23.1	17.3
80-100	67.1	11.4	7.1	14.3

तालिका 62.2 : गैर- आदिवासी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	16.1	6.5	6.5	71.0
20-40	44.4	2.2	2.2	51.1
40-60	71.8	5.1	2.6	20.5
60-80	75.0	6.2	18.8	0.0
80-100	94.7	0.0	5.3	0.0

तालिका 62.3 : पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, मध्य प्रदेश

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	15.8	2.6	13.2	68.4
20-40	19.6	8.7	10.9	60.9
40-60	21.2	6.1	12.1	60.6
60-80	41.2	5.9	0.0	52.9
80-100	36.0	4.0	0.0	60.0

तालिका 62.4 : पीवीटीजी परिवारों का आय वर्ग और खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

आय समूह	खाद्य सुरक्षित	आंशिक खाद्य असुरक्षित	मध्यम खाद्य असुरक्षित	गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित
0-20	16.1	6.5	6.5	71.0
20-40	44.4	2.2	2.2	51.1
40-60	71.8	5.1	2.6	20.5
60-80	75.0	6.2	18.8	0.0
80-100	94.7	0.0	5.3	0.0

तालिका 63.1: आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.7	2.1	1.4	5.3	2.8	3.4	2.2	8.4
20-40	1.8	2.0	1.6	5.4	2.8	3.4	2.1	8.3
40-60	2.1	2.5	1.6	6.2	3.2	3.9	2.3	9.5
60-80	1.8	2.3	1.5	5.6	2.8	3.6	2.2	8.7
80-100	2.3	2.7	2.0	7.0	3.1	3.8	2.4	9.3

तालिका 63.2: आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.3	2.8	2.2	7.2	3.6	4.1	3.0	10.7
20-40	2.5	2.8	2.0	7.3	3.6	4.3	2.8	10.8
40-60	2.6	3.1	2.2	7.9	4.1	4.4	3.3	11.8
60-80	2.8	3.1	2.2	8.0	4.4	4.9	3.6	12.9
80-100	3.1	3.3	2.5	9.0	4.8	5.0	3.8	13.6

तालिका 64.1: गैर- आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.6	2.4	1.7	5.8	3.8	4.8	3.1	11.8
20-40	3.1	3.5	2.8	9.3	3.6	4.6	3.5	11.7
40-60	3.0	4.6	2.8	10.4	4.6	6.5	3.9	15.0
60-80	3.1	5.2	3.5	11.8	5.3	7.9	4.4	17.5
80-100	3.6	5.6	3.0	12.1	6.0	7.8	5.0	18.8

तालिका 64.2: गैर- आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.5	2.6	2.2	7.3	4.6	5.0	3.8	13.5
20-40	2.7	2.6	2.1	7.4	4.3	4.2	3.1	11.6
40-60	3.7	3.8	3.1	10.7	5.7	6.2	4.8	16.8
60-80	3.6	4.1	3.0	10.8	4.6	5.2	4.3	14.1
80-100	4.7	5.1	3.9	13.7	6.2	6.7	5.5	18.4

तालिका 64.3: पीवीटीजी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	1.9	2.0	1.2	5.2	1.1	1.8	1.6	4.5
20-40	0.5	0.5	1.0	2.0	1.0	1.6	2.1	4.7
40-60	1.1	1.3	1.7	4.1	1.8	3.6	2.9	8.3
60-80	0.4	0.3	1.1	1.8	1.7	2.8	2.1	6.6
80-100	1.8	1.9	1.8	5.6	1.8	3.7	2.5	8.0

तालिका 64.4: पीवीटीजी आदिवासी परिवारों का आय समूह और विविध साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

आय समूह	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	0.2	0.2	0.4	0.8	0.8	0.7	0.5	2.0
20-40	0.7	0.7	0.6	2.0	2.5	1.8	0.6	4.9
40-60	0.5	0.7	0.3	1.5	1.6	1.4	0.7	3.8
60-80	1.2	1.3	1.3	3.8	3.8	3.4	2.1	9.3
80-100	0.5	0.6	0.6	1.6	4.3	4.6	3.6	12.5

तालिका 65.1: आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.0	2.4	1.7	6.1	3.1	3.7	2.4	9.3
20-40	1.7	2.0	1.4	5.1	2.5	3.1	1.9	7.5
40-60	2.0	2.3	1.6	5.9	3.0	3.7	2.4	9.2
60-80	2.0	2.6	1.7	6.3	3.1	3.9	2.5	9.5
80-100	1.9	2.4	1.4	5.8	3.0	3.7	1.9	8.6

तालिका 65.2: आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज्ञान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज्ञान	पुरुष कुल
0-20	2.8	3.3	2.5	8.6	3.8	4.4	3.1	11.2
20-40	2.3	2.7	2.0	7.0	3.9	4.4	3.0	11.2
40-60	2.6	2.9	2.2	7.7	4.0	4.4	3.2	11.6
60-80	2.6	3.0	2.1	7.7	4.1	4.6	3.4	12.1
80-100	3.0	3.2	2.5	8.7	4.9	5.2	4.1	14.2

तालिका 66.1: गैर- आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज़ान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज़ान	पुरुष कुल
0-20	1.8	2.7	1.9	6.4	3.5	4.3	3.1	10.9
20-40	3.6	4.1	2.8	10.5	4.4	5.4	3.6	13.3
40-60	2.1	2.9	2.1	7.2	4.7	5.6	3.6	13.9
60-80	3.5	5.6	3.6	12.7	5.1	7.7	4.5	17.3
80-100	3.6	5.6	2.9	12.1	5.6	7.8	4.8	18.2

तालिका 66.2: गैर- आदिवासी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज़ान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज़ान	पुरुष कुल
0-20	2.7	2.9	2.4	8.0	4.2	4.6	3.4	12.3
20-40	3.3	3.3	2.8	9.5	5.4	5.6	4.1	15.1
40-60	3.5	3.4	2.8	9.7	4.8	5.1	4.2	14.1
60-80	3.5	3.8	2.8	10.1	5.0	5.4	4.3	14.7
80-100	4.3	4.8	3.5	12.6	6.2	6.8	5.5	18.5

तालिका 66.3: पीवीटीजी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज़ान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज़ान	पुरुष कुल
0-20	1.6	1.6	1.2	4.4	0.9	1.6	2.1	4.7
20-40	0.9	0.9	1.3	3.0	1.5	2.4	2.2	6.1
40-60	0.7	0.8	1.5	3.0	1.6	3.2	2.2	7.0
60-80	0.8	0.9	1.4	3.1	1.6	2.7	2.3	6.6
80-100	1.5	1.5	1.3	4.3	1.6	3.4	2.3	7.3

तालिका 66.4: पीवीटीजी परिवारों में प्रति व्यक्ति आय आधारित साक्षरता स्तर, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	महिला पाठन	महिला लेखन	महिला अंकज़ान	महिला कुल	पुरुष पाठन	पुरुष लेखन	पुरुष अंकज़ान	पुरुष कुल
0-20	0.3	0.4	0.4	1.0	0.9	1.0	0.5	2.4
20-40	0.5	0.5	0.6	1.7	2.2	1.6	1.2	5.1
40-60	0.7	0.7	0.7	2.2	2.2	1.4	0.3	3.9
60-80	0.4	0.6	0.2	1.2	2.7	2.5	1.7	6.8
80-100	0.7	0.7	0.7	2.1	3.4	3.7	2.2	9.2

अनुलग्नक एच

सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के फीडबैक

तालिका 65.1: आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, मध्य प्रदेश

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	53.5	46.5	10.6
20-40	59.3	52.9	6.4
40-60	60.9	55.1	5.4
60-80	67.2	60.8	6.6
80-100	61.2	55.4	6.9

तालिका 65.2: आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, छत्तीसगढ़

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	60.0	65.9	9.8
20-40	71.4	73.5	9.3
40-60	72.4	71.2	7.1
60-80	71.2	67.9	8.1
80-100	71.8	66.7	10.0

तालिका 66.1: गैर-आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, मध्य प्रदेश

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	77.8	73.0	23.8
20-40	59.1	62.1	10.6
40-60	70.1	65.7	7.5
60-80	77.6	74.1	15.5
80-100	61.7	58.0	19.8

तालिका 66.2: गैर-आदिवासी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, छत्तीसगढ़

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	43.1	50.5	0.9
20-40	61.5	62.6	4.4
40-60	57.6	63.0	8.7
60-80	56.0	66.0	6.0
80-100	57.0	51.4	20.6

तालिका 66.3: पीवीटीजी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, मध्य प्रदेश

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	31.0	40.5	23.8
20-40	26.0	42.0	14.0
40-60	28.6	45.7	0.0
60-80	48.7	56.4	10.3
80-100	28.6	42.9	11.4

तालिका 66.4: पीवीटीजी परिवारों की आय और जीवन विकास संतुष्टि, छत्तीसगढ़

आय पर्सेंटाइल	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	28.1	71.9	0.0
20-40	39.6	79.2	0.0
40-60	77.5	62.5	2.5
60-80	64.7	47.1	5.9
80-100	73.9	65.2	17.4

तालिका 67.1: आय वर्ग के आधार पर आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	59.3	52.2	11.7
20-40	57.1	52.7	6.1
40-60	64.0	57.5	5.4
60-80	64.5	53.0	5.8
80-100	57.2	55.2	6.9

तालिका 67.2: आय वर्ग के आधार पर आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	60.9	65.2	9.4
20-40	73.3	71.2	10.0
40-60	74.2	70.9	8.1
60-80	70.6	70.4	7.0
80-100	68.1	67.5	9.7

तालिका 68.1: आय वर्ग के आधार पर गैर-आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	71.4	69.8	23.8
20-40	65.3	63.3	10.2
40-60	74.6	71.4	11.1
60-80	64.6	62.0	12.7
80-100	67.9	64.2	18.5

तालिका 68.2: आय वर्ग के आधार पर गैर-आदिवासी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	52.8	55.6	1.9
20-40	55.0	58.8	6.2
40-60	51.7	57.3	6.7
60-80	61.8	67.3	8.2
80-100	51.8	52.7	17.0

तालिका 68.3: आय वर्ग के आधार पर पीवीटीजी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, मध्य प्रदेश

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	23.3	32.6	18.6
20-40	26.8	41.5	14.6
40-60	35.0	55.0	5.0
60-80	40.5	54.8	9.5
80-100	37.1	42.9	14.3

तालिका 68.4: आय वर्ग के आधार पर पीवीटीजी परिवारों के जीवन विकास संबंधी विचारों में परिवर्तन, छत्तीसगढ़

पीसीआई ग्रुप	सरकारी प्रयासों से संतुष्ट	गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट	विगत वर्ष में विकसित जीवन
0-20	27.1	58.3	0.0
20-40	38.5	84.6	0.0
40-60	44.4	66.7	0.0
60-80	77.4	58.1	6.5
80-100	79.4	70.6	11.8

अनुलग्नक आई

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम

छत्तीसगढ

राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति):
आश्रम शाला योजना, छात्रावास योजना, आशासाकी संस्थान को अनुदान, पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना, छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण, शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोटे आदिवासी सेवा सम्मान, छात्र भोजन सहाय योजना, विशेष शिक्षण केंद्र त्योषण योजना, खाद्य सुरक्षा आधुनिनियान के अंतर्गत छत्रवासियों को खाद्यान्न, युवा करियर निर्माण योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, आर्यभट्ट वाणीज्य/विज्ञान विकास केंद्र

केंद्र प्रवर्तित योजना:
नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार-प्रसार, अस्पृश्यता निवारणार्थ योजना, एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास एवं संरक्षण अनुदान, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्याक बहुउद्देश्यीय विकास, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एसटी पोस्ट मैट्रिक, छात्रवृति, एससी पोस्ट मैट्रिक, छात्रवृति

विभाग के द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएं:
छात्रावास आश्रम योजना, ऑनलाइन छात्रवृति वितरण, छात्रवृति विद्यार्थी वितरण, छात्रवृति विद्यार्थी के लिए विशेष शिक्षण केंद्र योजना, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, खाद्यान सुरक्षा योजना, गुरुकुल आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचलित विशेष छात्रावास , एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, विशेष पिछड़े जनजातियों (प्राइवेट) हेतु आवासी विद्यालय, क्रीड़ा परिसर योजना, ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति

रोजगार मूलक योजनाएं:
बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में निशुल्क अध्ययन सुविधा योजना, निशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, रविदास चर्मीशिल्प योजना, हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मेनेजमेंट प्रशिक्षण योजना

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएं:
आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना, देवगुंडी निर्माण/मरम्मत योजना, एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 तथा संशोधित अधिनियम -2018 अंतर्गत राहत योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव,

फ़्लैगशिप योजनायें:
राजीव युवा उत्थान योजना एवं आदिवासी युवा होस्टल, नई दिल्ली, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री-मेडिकल तथा प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना,

अन्य योजनाएं:
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन

मध्य प्रदेश

राज्य योजना:
जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत अनुदान, लाड़ली लक्ष्मी योजना, बैगा महापंचायत, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री तेंदू पत्ता संग्रहण बोनस योजना, सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्याक कल्याण विभाग, आश्रम शाला योजना, गोंडवाना संग्रहालय, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2023

प्रोत्साहन योजना:
आवास सहायता योजना, छात्रावृत्ति योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, साइकल प्रोत्साहन योजना, विद्यार्थी कल्याण योजना, प्रतिभा योजना, आकांक्षा योजना, शैक्षणिक विकास योजना

हितग्राही मूलक योजना:
आहार अनुदान योजना, वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत हितग्राही एवं सामुदायिक योजना, विशेष केंद्रेय सहायता अंतर्गत परियोजनाएँ

रोज़गार मूलक:
मुख्यमंत्री कौशल एवं कौशल योजना, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थान द्वारा कोचिंग, नागरिक सेवा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना

केंद्रीय योजना:
जनजातीय उप-योजना (एससीए से टीएसपी), वन धन योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), आश्रम विद्यालय, अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त और विकास निगम (टीआरआईएफईडी), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी), वन अधिकार अधिनियम (वन अधिकारों की मान्यता), आवास योजना, छात्र कल्याण योजना, एससी/एसटी राहत योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम-2016 योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता

अनुलग्नक जे

आहार विविधता

एफसीएस विभिन्न खाद्य समूहों की आहार विविधता, भोजन आवृत्ति और सापेक्ष पोषण महत्व पर आधारित एक समग्र मूल्यांकन स्कोर है। (संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा विश्लेषण (वीएएम)। खाद्य उपभोग स्कोर पोषण गुणवत्ता मूल्यांकन दिशानिर्देश (एफसीएस-एन)। वीएएम मूल्यांकन टीम, डब्ल्यूएफपी मुख्यालय, जुलाई 2015)

एफसीएस निर्माण दिशानिर्देश के अनुसार, हमने उन खाद्य पदार्थों और खाद्य समूहों की सूची पर जानकारी इकट्ठा की है जो आमतौर पर झारखंड और ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में खाए जाते हैं।

साक्षात्कारकर्ताओं से पिछले 7 दिनों की स्मरण अवधि में उन खाद्य पदार्थों की खपत की आवृत्ति (दिनों में) के बारे में पूछा गया।

खाद्य पदार्थों को 8 मानक खाद्य समूहों में बांटा गया था। प्रत्येक खाद्य समूह को उसकी पोषक मान के आधार पर एक निश्चित मात्रा (वजन) दिया गया था। हमने डब्ल्यूएफपी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का अनुपालन किया है।

खाद्य समूह	वजन	स्पष्टीकरण
अनाज एवं कद मूल	2	ऊर्जा सघन, फलियों की तुलना में प्रोटीन की मात्रा कम और निम्न गुणवत्ता युक्त (प्रति कम), सूक्ष्म पोषक तत्व (फाइटेट्स युक्त)
दालें	3	ऊर्जा सघन, उच्च मात्रा में प्रोटीन लेकिन मांस की तुलना में कम गुणवत्ता वाला (प्रति कम), सूक्ष्म पोषक तत्व (फाइटेट्स से बंधे)
सब्जियाँ	1	कम ऊर्जा, कम प्रोटीन, वसा नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व
फल	1	कम ऊर्जा, कम प्रोटीन, वसा नहीं, सूक्ष्म पोषक तत्व
मांस एवं मछली	4	उच गुणवत्ता युक्त प्रोटीन, आसानी से घुलनशील सूक्ष्म पोषक तत्व, (फाइटेट्स नहीं), ऊर्जा सघन, वसा कम मात्रा में भी खाने पर आहार गुणवत्ता पर व्यापक प्रभाव
दूध	4	उच्च गुणवत्ता प्रोटीन, सूक्ष्म पोशाक तत्व, विटामिन ए, ऊर्जा हालांकि, दूध को काफी कम मात्रा में सेवन किया जा सकता है, इस प्रकार इसे मसाले के रुप में देखा जाना चाहिए और इस कारण ऐसे मामले में पुनर्वर्गीकरण करने की जरुरत है।
चीनी	0.5	सिर्फ केलोरी, समान्यतः इसे अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है।
तेल	0.5	ऊर्जा सघन लेकिन आमतौर पर कोई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं। आमतौर पर कम मात्रा में सेवन किया जाता है।
मसाले	0	

प्रत्येक खाद्य समूह के उपभोग आवृति को निर्धारित वजन से गुना कर जोड़ने के उपरांत हम फूड कंजम्पशन स्कोर (FCS) प्राप्त कर सकते हैं।

प्राप्त स्कोर के आधार पर, प्रत्येक परिवार के प्रोफाइल को नीचे दर्शाया गया है।

एफ़सीएस	प्रोफाइल
0 – 21 (0 – 28)	खराब खाद्य उपभोग
21.5 – 35 (28.5 – 42)	सीमित खाद्य उपभोग
>35 (>42)	स्वीकार योग्य खाद्य उपभोग

कोष्ठक में दिए गए एफ़सीएस के आंकड़े उन्हीं परिवारों के हैं, जो चीनी और तेल का सेवन नियमित रूप से करते हैं।

अनुलग्नक के

परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा

(कोट्स, जेनिफर, एने स्विंडले और पौला बिलिन्स्की । हाउसहोल्ड फूड इन्सेक्यूरिटी एक्सेस स्केल (HFIAS) का उपयोग हाउसहोल्ड फूड एक्सेस के लिए: संकेतक निर्देश (v. 2). वाशिंगटन, डी.सी.: फूड एंड न्यूट्रिशन टेक्निकल एसिस्टेंस प्रोजेक्ट, एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवेलपमेंट, जुलाई 2006.)

इस उपकरण में, खाद्य सुरक्षा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें "सभी लोगों को उत्पादनशील और स्वस्थ जीवन हेतु अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धता शारीरिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर हो।"

इस टूल में प्रत्येक प्रश्न 30 दिनों की रिकॉल अवधि के साथ पूछा जाता है। उत्तरदाता से सबसे पहले एक घटना संबंधी प्रश्न पूछा जाता है - अर्थात, जो पिछले 30 दिनों में घटित हुई थी (हाँ या नहीं)।

टूल में नौ घटना आधारित प्रश्न हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. क्या आपको चिंता थी कि आपके परिवार के पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा?
2. क्या आप या परिवार का कोई सदस्य संसाधनों की कमी के कारण आपकी पसंद का भोजन नहीं खा पा रहा है?
3. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?
4. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने वह खाना खाया जिसे आप अन्य प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नहीं खाना पसंद करते थे?
5. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने ज़रूरत से बहुत कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?
6. क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?
7. क्या आपके घर में कभी भोजन नहीं था क्योंकि अधिक पाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे?
8. क्या आप या परिवार का कोई सदस्य रात को भूखा सो गया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं मिला?
9. क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने पूरा दिन बिना कुछ खाए बिताया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं था?

यदि उत्तरदाता किसी घटना के प्रश्न का उत्तर "हां" में देता है, तो यह निर्धारित करने के लिए आवृत्ति-की-आवृत्ति प्रश्न पूछा जाता है कि क्या स्थिति शायद ही कभी (एक या दो बार), कभी-कभी (तीन से दस बार) या अक्सर (दस से अधिक बार) होती है। पिछले 30 दिन. 'दुर्लभ' घटनाओं के लिए संबंधित स्कोर 1 है, 'कभी-कभी' घटनाओं के लिए स्कोर 2 है और 'अक्सर' के लिए यह 3 है। यदि उत्तरदाता किसी घटना के प्रश्न का उत्तर "नहीं" देता है, तो संबंधित स्कोर 0 है।

अन्य टूल की तरह, हमने स्थानीय भाषा में प्रश्नों का अनुवाद करने के बाद इस टूल का भी संचालन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्तरदाता प्रश्नों को ठीक से समझ रहे हैं।

प्रत्येक परिवार के लिए कुल एचएफआईएएस स्कोर प्राप्त करने के लिए प्रत्येक घटना-आवृत्ति प्रश्न के स्कोर का योग किया जाता है। एक परिवार के लिए अधिकतम स्कोर 27 हो सकता है यदि परिवार की सभी नौ बारंबारता वाले प्रश्नों का उत्तर "अक्सर" है। जब परिवार सभी घटनाओं के प्रश्नों का उत्तर "नहीं" में देता है तो न्यूनतम स्कोर 0 होता है। स्कोर जितना अधिक होगा, परिवार को उतनी ही अधिक खाद्य असुरक्षा (पहुँच) का अनुभव होगा। स्कोर जितना कम होगा, परिवार में खाद्य असुरक्षा (पहुँच) उतनी ही कम होगी।

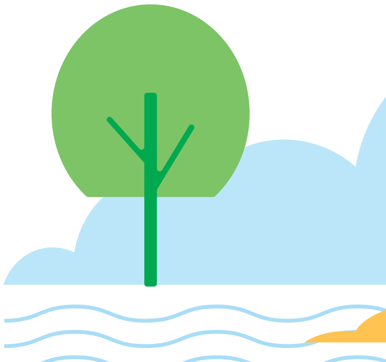

परिवारों को घरेलू खाद्य असुरक्षा (पहुंच) के चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है: खाद्य सुरक्षा, सामान्य, मध्यम और गंभीर खाद्य असुरक्षा। एक खाद्य-सुरक्षित परिवार किसी भी खाद्य असुरक्षा (पहुँच) की स्थिति का अनुभव नहीं करता है, या केवल चिंता का अनुभव करता है, लेकिन शायद ही कभी। हल्के खाद्य असुरक्षित (पहुँच वाले) परिवार को कभी-कभी या अक्सर पर्याप्त भोजन न मिलने की चिंता होती है, और/या पसंदीदा भोजन खाने में असमर्थ होता है, और/या नीरस आहार या कम-पसंदीदा भोजन खाता है, लेकिन केवल कभी-कभार ही। लेकिन यह मात्रा में कटौती नहीं करता है। और न ही तीन सबसे गंभीर स्थितियों (बिना खाए पूरा दिन गुजारना, भूखे पेट सोना, या भोजन खत्म हो जाना) में से किसी का अनुभव नहीं करता है। एक मध्यम खाद्य असुरक्षित परिवार नीरस आहार या कभी-कभी कम पसंदीदा खाद्य पदार्थ खाकर गुणवत्ता का अधिक त्याग करता है, और/या भोजन के आकार या भोजन की संख्या को कम करके, शायद ही कभी या कभी-कभी मात्रा में कटौती करना शुरु कर देता है। लेकिन यह तीन सबसे गंभीर स्थितियों में से किसी का भी अनुभव नहीं करता है। एक गंभीर खाद्य-अजनबी परिवार अक्सर भोजन के आकार या भोजन की संख्या में कटौती करने का आदी हो गया है, और/या तीन सबसे गंभीर स्थितियों में से किसी एक का अनुभव करता है (बिना खाए पूरा दिन गुजारना, भूखे पेट सो जाना, या भोजन खत्म हो जाना), यहाँ तक कि कभी-कभार भी। दूसरे शब्दों में, कोई भी परिवार, जो पिछले 30 दिनों में एक बार भी इन तीन स्थितियों में से एक का अनुभव करता है तो उसे गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित माना गया है।

अनुलग्नक एल

एल 1 अध्ययन के दौरान उपयोग किए गए उपकरण -

(इस अनुलग्नक की तालिका संख्या 1 से शुरू होकर अंतिम परिशिष्ट की तालिकाओं से क्रमबद्ध नहीं है।)

- **केंद्रीय भारतीय पठार क्षेत्र के आदिवासियों की वैकासिक स्थिति**
- **परिवार सर्वेक्षण हेतु अनुसूची**
- **सर्वे के उद्देश्यों और सहमति के उपरांत व्यक्ति/परिवार संबंधी सूचना**

तालिका 1: सर्वे हेतु सहमति, तिथि और लोकेशन

दिनांक:			
राज्य:	जिला:	खण्ड:	गाँव:
परिवार संख्या:			
सर्वेकर्ता का नाम:			
सहमति प्राप्त:	हस्ताक्षर:	अंगूठा का निशान:	
परिवार का प्रकार / क्या परिवार आदिवासी या गैर आदिवासी है? परिवार की जाति/ट्राइब	1- आदिवासी 2- पीवीटीजी 3- गैर-आदिवासी अगर कोड 1 और 2 है, तो "यह एमपी और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लिए है। अगर कोड 3" है तो यह एससी/ओबीसी और सामान्य है।	ड्रॉप डाउन	

- उत्तरदाता का नाम -
- उत्तरदाता का लिंग-
- उत्तरदाता की आयु -
- वैवाहिक स्थिति -
- उच्चतम शैक्षिक योग्यता -
- पिछले वर्ष के दौरान संलग्न प्राथमिक स्तर की गतिविधि -

1. सामान्य जानकारी

तालिका 2: परिवार सूचना रोस्टर

क्रम/ परिवार आईडी	नाम	परिवार प्रमुख से संबंध	लिंग	आयु	विवाह स्थिति	सर्वे के समय उच्चतम शैक्षिक योग्यता	पिछले वर्ष (365 दिन) के दौरान संलग्न प्राथमिक स्तर की गतिविधि-कोड	क्या उनके पास मोबाइल फोन है? (1- हाँ, 0- नहीं)	अगर हाँ, तो क्या स्मार्टफोन है? (1- हाँ, 0- नहीं)	क्या व्यक्ति दिव्यांग है? (1- हाँ, 0- नहीं)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

परिवार प्रमुख के साथ संबंध हेतु कोड

1- स्वयं, 2 – पति, 3 – पत्नी, 4 – माता, 5 – पिता, 6 – बेटा, 7 –बेटी, 8 – बहू, 9 – दामाद, 10- दादा, 11 – दादी, 12- पोती, 13 – पोता, 14 – चाचा, 15 – चाची, 99 – अन्य

लिंग कोड

1- महिला, 2 – पुरुष, 3 – अन्य

वैवाहिक स्थिति हेतु कोड

1-शादी नहीं 2- शादीशुदा 3- तलाक़शुदा, 4 – अलग्योझा, 5- विधवा, 9-अन्य

औपचारिक शिक्षा प्राप्ति हेतु कोड :

0 – कोई स्कूली शिक्षा नहीं, 1- प्राथमिक स्तर से कम, 2 – प्राथमिक स्तर (कक्षा 4), 3- मैट्रिक स्तर से कम लेकिन प्राथमिक स्तर से अधिक, (कक्षा 4 से 10) 4-मैट्रिक स्तर, 5 – मैट्रिक स्तर से अधिक उच्च माध्यमिक से कम, 6 – उच्च माध्यमिक, 7 – कॉलेज में नामांकन लेकिन डिग्री पूरी नहीं की, 8 – कॉलेज ग्रेजुएट एवं ऊपर परंतु पीजी नहीं, 9 – पोस्ट ग्रेजुएट , 10- पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर, 11- 10वीं/12वीं के बाद प्रोफेशनल डिप्लोमा

प्राथमिक स्तर के रोजगार/गतिविधि हेतु कोड :

1- कृषि श्रम, 2-गैर-कृषि कार्य, 3-सेवानिवृत्त, 4-सरकारी नौकरी, 5-निजी नौकरी (औपचारिक एवं अनौपचारिक), 6-कार्यरत नहीं, 7- पशुपालन, 8- कृषि इंटरप्राइज़, 9 – गैर-कृषि इंटरप्राइज़, 10- जुताई, 11-गृह पत्नी, 12 – छात्र, 13-अन्य, बताएं

खाद्य सुरक्षा (HFIAS प्रश्नावली) –
परिवार के महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा।

तालिका 3: परिवार की खाद्य सुरक्षा

			परिवार हेतु कोड
1	पिछले चार सप्ताह में, आप अपने परिवार में पर्याप्त भोजन न होने के लिए चिंतित रहीं ? ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	0 = नहीं (Q2 पर जाएँ) 1 = हाँ	
1.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
2	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?	0 = नहीं (Q3 पर जाएँ) 1 = हाँ	
2.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
3	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?	0 = नहीं (Q4 पर जाएँ) 1 = हाँ	
3.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
4	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने वह खाना खाया जिसे आप अन्य प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नहीं खाना पसंद करते थे	0 = नहीं (Q5 पर जाएँ) 1 = हाँ	
4.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	

[2] Questions in this section are adopted from Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 (2007) by USAID

			परिवार हेतु कोड
5	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q6 पर जाएँ) 1 = हाँ	
5.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
6	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q7 पर जाएँ) 1 = हाँ	
6.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
7	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपके परिवार में कभी भोजन नहीं था क्योंकि अधिक पाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे?	0 = नहीं (Q8 पर जाएँ) 1 = हाँ	
7.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
8	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य रात को भूखा सो गया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं मिला?	0 = नहीं (Q9 पर जाएँ) 1 = हाँ	
8.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
9	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने पूरा दिन रात बिना कुछ खाए बिताया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं था?	0 = नहीं (प्रश्नावली समाप्त) 1 = हाँ	
9.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	

खाद्य सुरक्षा (HFIAS प्रश्नावली) –
परिवार के महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा।

तालिका 4: परिवार की महिला सदस्यों की खाद्य सुरक्षा हेतु

			परिवार के महिला सदस्यों हेतु कोड
1	पिछले चार सप्ताह में, आप अपने परिवार में पर्याप्त भोजन न होने के लिए चिंतित रहीं ?	0 = नहीं (Q2 पर जाएँ) 1 = हाँ	
1.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
2	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य संसाधनों की कमी के कारण अपनी पसंद का भोजन नहीं खा पा रहा है?	0 = नहीं (Q3 पर जाएँ) 1 = हाँ	
2.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1= कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
3	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने संसाधनों की कमी के कारण सीमित प्रकार का भोजन खाया?	0 = नहीं (Q4 पर जाएँ) 1 = हाँ	
3.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
4	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने वह खाना खाया जिसे आप अन्य प्रकार का भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण नहीं खाना पसंद करते थे	0 = नहीं (Q5 पर जाएँ) 1 = हाँ	
4.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	

[2] Questions in this section are adopted from Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 (2007) by USAID

			परिवार हेतु कोड
5	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q6 पर जाएँ) 1 = हाँ	
5.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
6	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एक दिन में कम भोजन खाया क्योंकि पर्याप्त भोजन नहीं था?	0 = नहीं (Q7 पर जाएँ) 1 = हाँ	
6.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
7	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में क्या आपके परिवार में कभी भोजन नहीं था क्योंकि अधिक पाने के लिए कोई संसाधन नहीं थे?	0 = नहीं (Q8 पर जाएँ) 1 = हाँ	
7.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
8	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य रात को भूखा सो गया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं मिला?	0 = नहीं (Q9 पर जाएँ) 1 = हाँ	
8.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	
9	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में, क्या आपने या परिवार के किसी सदस्य ने पूरा दिन रात बिना कुछ खाए बिताया क्योंकि पर्याप्त खाना नहीं था?	0 = नहीं (प्रश्नावली समाप्त) 1 = हाँ	
9.a	ऐसा प्रायः कितनी बार होता है?	1 = कभी कभार (पिछले चार सप्ताह में एक या दो बार) 2 = कभी कभी (पिछले चार सप्ताह में 3 से 10 बार) 3 = प्रायः (पिछले चार सप्ताह (एक माह) में दस बार से अधिक	

आहार विविधता :-
(परिवार की महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा)

तालिका 5: परिवार की आहार विविधता

क्रम	खाद्य समूह	पिछले सात दिनों में कितने दिनों में खपत किया गया ?	स्रोत (परिवार के लिए) 1- स्व-उत्पादन, 2- खरीदा गया, 3- उधारी, 4-साझीदारी, श्रम के बदले में, 5- मित्रों/परिजनों से उपहार के रूप में 6- सरकार से खाद्य सहायता, 7- अन्य
1	अनाज एवं कंद		
2	दालें		
3	सब्जियाँ		
4	फल		
5	मांस, अंडे और मछली		
6	दूध, दही		
7	चीनी		
8	तेल, मक्खन		
9	मसालें		
10	गरिष्ठ (फोर्टिफाइड) खाद्य पदार्थ		

तालिका 6: परिवार के महिला सदस्यों में आहार विविधता

क्रम	खाद्य समूह	पिछले सात दिनों में कितने दिनों में खपत किया गया ?	स्रोत (परिवार के लिए) 1- स्व-उत्पादन, 2- खरीदा गया, 3- उधारी, 4-साझीदारी, श्रम के बदले में, 5- मित्रों/परिजनों से उपहार के रूप में 6- सरकार से खाद्य सहायता, 7- अन्य
1	अनाज एवं कंद		
2	दालें		
3	सब्जियाँ		
4	फल		
5	मांस, अंडे और मछली		
6	दूध, दही		
7	चीनी		
8	तेल, मक्खन		
9	मसालें		
10	गरिष्ठ (फोर्टिफाइड) खाद्य पदार्थ		

[3] इस खंड में प्रश्न जीना कैनेडी, टेरी बैलार्ड और मैरीक्लाउड डोप, पोषण और उपभोक्ता संरक्षण प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 'घरेलू और व्यक्तिगत आहार विविधता को मापने के लिए दिशानिर्देश' से अपनाए गए हैं। (http://www.fao.org/3/a-i1983e.pdf)

स्वास्थ्य एवं बीमारी

तालिका 7: 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की आयु और उनके सिर की परिधि

क्रम (परिवार के रोस्टर से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे)	आयु (वर्ष एवं माह)	सिर की परिधि (सेमी में)

तालिका 8: परिवार के सदस्यों के बीमारियों का विवरण

क्रम (परिवार रोस्टर के समान तालिका 2)	पिछले चार सप्ताह (एक माह) में व्यक्ति कब बीमार हुआ ?	बीमारी का कारण (कोड)	उपचार का प्रकार (कोड)	उपचार का खर्चा (₹)	क्या उपचार के लिए पैसे उधार लेने पड़े ?	किसी कल्याणकारी योजना जैसे आयुष्मान भारत का लाभ (हाँ/नहीं)

कोड

1-डायरिया/दस्त/पेट संबंधी बीमारी, 2—मलेरिया, 3-अन्य बुखार, 4- मेजल्स, 5-टीबी, 6- अस्थमा, 7-जौंडिस, 8- डायबिटीज़, 9-कैंसर, 10-हृदय रोग, 11- कोविड-19, 12-बीपी, 13 – अन्य कोई हो तो बताएं

चिकित्सा परामर्श कोड

1. सरकारी अस्पताल, 2-प्राइवेट अस्पताल, 3- आयुर्वेद, 4-आशा, 5-एएनएम, 6-परंपरागत औषधि, 7- झोलाछाप डॉक्टर, 8- अपने से दवा दुकान से दवा लेना, 9- कोई परामर्श और कोई दवा का प्रयोग नहीं, 10- अन्य कोई

क्या पिछले वर्ष (12 महीने) के दौरान किसी की मृत्यु हुई है? 0 – नहीं, 1 – हाँ

कार्यात्मक साक्षरता
पैराग्राफ पाठन

लोहारदगा जिले के सितारामपूर गाँव मे 20 दीदी लोगों ने एक महिला समिति बनाई| सभी दीदी ने प्रति सप्ताह 10 रुपये जमा कर के कुल 1 लाख रुपये के करीब की बचत की| करीब करीब सभी दीदी को बैंक से लोन(कर्ज) मिला| इस कर्ज से सभी दीदी ने आजीविका के लिए कुछ न कुछ काम चालू किया |

तालिका 9: लेखन प्रतिक्रिया

	शब्द (साक्षात्कार लेने वाले द्वारा स्पष्ट, धीरे धीरे और ज़ोर से बोला जाएगा)	उत्तर
1	बाजार	
2	प्रधान मंत्री	
3	महुआ	
4	सरना	
5	परिवार	

अंकज्ञान परीक्षण :

1. 10 + 15 =
2. 45 - 23 =
3. 85 - 39 =
4. 13 X 26 =
5. 98 ÷ 7 =

तालिका 10: परिवार के वयस्क स्त्री और पुरुष के साक्षरता संबंधी विवरण

क्रम (परिवार के रोस्टर से)	शब्दों को शुद्ध रूप से पढ़ना (पैराग्राफ में केवल रेखांकित पंक्तियों को पढ़ना)	शुद्धता से लिखना	सही से गणित के प्रश्न हल करना

जल, जंगल और जमीन तक पहुँच

तालिका 11

	अपनी भूमि डिसिमल (100 डिसिमल = 1 एकड़	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर ली गयी भूमि -डिसिमल में	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर दी गयी भूमि -डिसिमल में	बटाईदारी में मिलने वाला हिस्सा - डिसिमल में	बटाईदारी में देने वाला हिस्सा- डिसिमल में
कुल भूमि					
पिछले 365 दिनों में खरीफ खेती योग्य क्षेत्र					
पिछले 365 दिनों में रबी खेती योग्य क्षेत्र					
पिछले 365 दिनों में गर्मी के मौसम में खेती योग्य क्षेत्र					
क्या सभी मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी ? 1-हाँ, 2-नहीं					
अगर नहीं, तो किस मौसम में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ? 1. खरीफ 2. रबी 3. गर्मी					
अगर हाँ, तो खरीफ में सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है? 1. पूरी भूमि 2. अधिकांश भूमि 3. आधी भूमि 4. आधे से कम 5. उपलब्ध नहीं					
खरीफ में सिंचाई के स्रोत (जो लागू हो उसपर टिक करें) 1. कुएं 2. तालाब 3. नदी 4. बांध 5. ट्यूबेल / बोर वेल 6. अन्य यदि कोई					
अगर हाँ, तो गर्मी में सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है? 1. पूरी भूमि 2. अधिकांश भूमि 3. आधी भूमि 4. आधे से कम 5. उपलब्ध नहीं					

	अपनी भूमि डिसिमल (100 डिसिमल = 1 एकड़	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर ली गयी भूमि -डिसिमल में	लीज पर/ किराए पर/ गिरवी पर दी गयी भूमि -डिसिमल में	बटाईदारी में मिलने वाला हिस्सा - डिसिमल में	बटाईदारी में देने वाला हिस्सा- डिसिमल में
गर्मी में सिंचाई के स्रोत (जो लागू हो उसपर टिक करें) 1. कुएं 2. तालाब 3. नदी 4. बांध 5. ट्यूबेल / बोर वेल 6. अन्य यदि कोई					
अगर हाँ, तो रबी में सिंचाई की सुविधा कितनी उपलब्ध है? 1. पूरी भूमि 2. अधिकांश भूमि 3. आधी भूमि 4. आधे से कम 5. उपलब्ध नहीं					
रबी में सिंचाई के स्रोत (जो लागू हो उसपर टिक करें) 1. कुएं 2. तालाब 3. नदी 4. बांध 5. ट्यूबेल / बोर वेल 6. अन्य यदि कोई					

अनाज कोड (तालिका 12, तालिका 13, और तालिका 14 के लिए)

अनाज

1. मक्का
2. गेंहू
3. धान
4. जौं
5. सिउर/मार्सा/चौलाई
6. फूलन
7. ओग्ला
8. फापड़ा
9. कोदरा/मड़ुआ
10. गंगराई
11. गन्ना
12. अन्य, उल्लेख करें

दालें

13. राजमा
14. माश
15. कुलथी
16. सोयाबीन
17. मसूर
18. अरहर
19. उड़द
20. अन्य, उल्लेख कीजिए______

सब्जियाँ

21. आलू
22. मटर
23. बीन्स
24. पत्तागोभी
25. टमाटर
26. लहसुन
27. कच्चा आलू
28. मिर्च
29. प्याज
30. मटर
31. चना
32. हरा चना
33. कच्चू
34. कांदा
35. गोभी
36. भिण्डी
37. खीरा
38. लहसुन, धनिया, अदरक
39. करेला
40. अन्य तोरई
41. बैंगन
42. अन्य, उल्लेख कीजिए______

तेल बीज

44. सरसो
45. अलसी
46. अन्य बीज, बताएं ______

तालिका 12: खरीफ खेती विवरण

	अनाज/दालें/तिलहन				सब्जियाँ			
	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	सब्जी 1	सब्जी 2	सब्जी 3	सब्जी 4
1. अनाज का नाम								
2. फसल कोड								
3. उक्त फसल हेतु क्षेत्र (बीघा)								
4. कुल उत्पादन क्विंटल								
5. इस फसल का आप क्या करते हैं? 1-केवल उपभोग 2-केवल बिक्री 3-दोनों								
6. अगर कोड 2और 3, है, तो परिवार कितनी बिक्री करता है? (क्विंटल में)								
7. बिक्री से कुल सकल आय (₹ में)								
8. खेती की लागत (₹ में)								
9. कुल आय (बिक्री से कुल आय – खेती की लागत) (₹ में)								
10. खरीफ से कुल आय (₹ में)								

तालिका 13: रबी खेती का विवरण

	अनाज/दालें/तिलहन				सब्जियाँ			
	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	सब्जी 1	सब्जी 2	सब्जी 3	सब्जी 4
11. अनाज का नाम								
12. फसल कोड								
13. फसल में खेती की कुल भूमि (बीघा में)								
14. कुल उत्पादन क्विंटल								
15. इस फसल का आप क्या करते हैं? 1-केवल उपभोग 2-केवल बिक्री 3-दोनों								
16. अगर कोड 2 और 3, है, तो परिवार कितनी बिक्री करता है? (क्विंटल में)								
17. बिक्री से कुल सकल आय (₹ में)								
18. खेती की लागत (₹ में)								
19. कुल आय (बिक्री से कुल आय – खेती की लागत) (₹ में)								
20. रबी से कुल आय (₹ में)								

तालिका 14: गर्मी की फसलों (गरमा) का विवरण

	अनाज/दालें/तिलहन				सब्जियाँ			
	फसल 1	फसल 2	फसल 3	फसल 4	सब्जी 1	सब्जी 2	सब्जी 3	सब्जी 4
21. अनाज का नाम								
22. फसल कोड								
23. उक्त फसल हेतु क्षेत्र (बीघा)								
24. कुल उत्पादन क्विंटल								
25. इस फसल का आप क्या करते हैं? 1-केवल उपभोग 2-केवल बिक्री 3-दोनों								
26. अगर कोड 2 और 3, है, तो परिवार कितनी बिक्री करता है? (क्विंटल में)								
27. बिक्री से कुल सकल आय (₹ में)								
28. खेती की लागत (₹ में)								
29. कुल आय (बिक्री से कुल आय – खेती की लागत) (₹ में)								
20. गरमा से कुल आय (₹ में)								

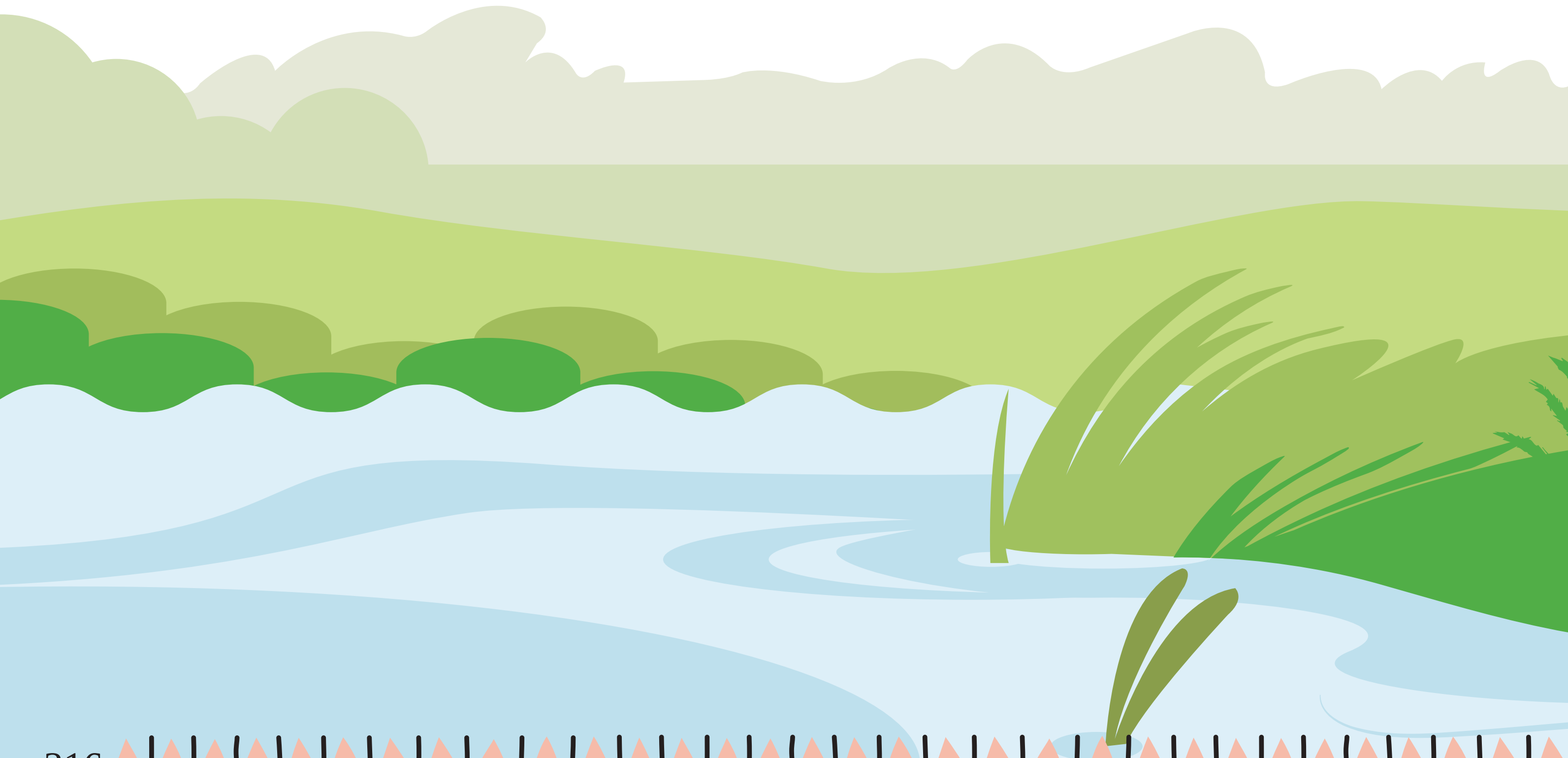

तालिका 15: रबी, खरीफ और गरमा के अतिरिक्त अन्य कोई फसल

	फसल नाम	कोड	क्या इसे स्वयं के उपभोग हेतु उत्पादन करते हैं ?	पिछले 12 महीनों में कितनी बार बेचा गया?	अंतिम बार बिक्री से आय (₹)	अंतिम खेती का लागत (₹)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कोड

1- आम, 2 – नींबू, 3 – पपीता, 4 – लीची, 5 – अमरुद, 6 – कटहल, 7 – अनार, 8 – गन्ना, 9 – फूल, 10 –अन्य

खेती से कुल आय (खरीफ+रबी+गरमा एवं अन्य फसलों से कुल आय) ₹ में -_______________________

तालिका 16: पशुधन/मवेशी पालन का विवरण

	भैंस	गाय	बकरी	मुर्गी/पक्षी पालन	सुअर	मछली	अन्य 2
वयस्क मादा की संख्या							
वयस्क नर की संख्या							
युवा की संख्या							
क्या आप मवेशी/मवेशी से बने उत्पाद बेचते हैं? (1 -हाँ, 0 – नहीं)							
बिक्री से कुल आय (₹ में)							
पशुपालन की लागत (₹ में)							
पशुपालन से कुल आय (₹ में)							

2. जंगल से शहर कितना दूर है? ___________किमी
3. क्या आप अपने आजीविका के लिए जंगल पर आश्रित हैं? हाँ/नहीं
4. अगर हाँ, कृपया तालिका 16 के अनुरूप विवरण दें

तालिका 17: वनोपज का विवरण

वनोपज (वन से उपज)	परिवार के उपयोग/ बिक्री दोनों हेतु	अगर बिक्री तो पिछले वर्ष की राशि (रु. में)	आप बिक्री मूल्य से कितने संतुष्ट हैं? (1= खुश 2=प्रायः संतुष्ट 3= प्रायः असंतुष्ट 4= खुश नहीं)	अगर बिक्री के लिए है, तो किसे बेचते हैं? स्थानीय बाजार/ विभाग/ प्राइवेट ठेकेदार/ निजी ऋणदाता/ कुछ सामुदायिक संस्थाएं/निजी कंपनी/ अन्य (बताएं)	अगर बिक्री है तो, क्या आप इसमें कुछ मूल्य संवर्धन करते हैं, या उसी रूप में बेचते हैं?	क्या आपके कमाई में पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई कमी आई है? बढ़ी/ घटी/ कोई बदलाव नहीं
जलावन लकड़ी						
चारा						
साल/सियाली पत्ते/ बीज						
महुआ फूल/ बीज						
केंदु पत्ता						
मौसमी फल						
शहद						
बांस						
ताड़ी						
मशरुम						
चिरौंजी						
सुतेंली						
इमारती लकड़ी						
खाद्यान्न (मौसमी फल के अतिरिक्त)						
कुल आय (₹ में)						

5. क्या आपने वन अधिकार अधिनियम के बारे में सुना है? हां/नहीं
6. आपके गांव में कोई भूमि है, जिसके लिए आपने आईएफआर के लिए आवेदन किया है? हां/नहीं
7. यदि हाँ, तो क्या आपको उस भूमि के लिए आईएफ़आर प्राप्त हुआ है? हां/नहीं
8. पिछले वर्ष कितनी ग्राम सभा हुई?
9. यदि कोई हो, तो क्या आप उपस्थित हुए?
10. यदि उपस्थित हुए, तो क्या आपने कोई मुद्दा/मांग/दावा उठाया?
11. आपके घर में पीने के पानी का स्रोत क्या है?

तालिका 18: पीने के पानी के स्रोत संबंधी विवरण

पीने के पानी का स्रोत	हाँ/नहीं	क्या गर्मी में इन स्रोत से पर्याप्त पानी मिलता है? (1 -हाँ, 0 – नहीं)	क्या मानसून में इन स्रोत से पर्याप्त पानी मिलता है? (1 -हाँ, 0 – नहीं)	क्या जाड़े में इन स्रोत से पर्याप्त पानी मिलता है? (1 -हाँ, 0 – नहीं)	आपके अनुसार क्या ये जगह साफ और सुरक्षित पीने के पानी के अनुकूल है? (हाँ/नहीं)	पानी मिलने का समय (जब पानी का स्रोत घर के बाहर हो, मिनट में)
नल (घर के अंदर)						
हैंडपंप (घर के अंदर)						
कुआं (घर के अंदर)						
सार्वजनिक नल (स्टैंड पोस्ट)						
सार्वजनिक हैंड पंप						
सार्वजनिक कुआं						
तालाब						
नदी						
झरना						
टैंकर						

12. क्या आपके घर में शौचालय की सुविधा है? शौचालय/निर्माणाधीन/ उपलब्ध नहीं

अपने अधिकार और पात्रता तक पहुँच

तालिका 19: अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और पात्रता संबंधी विवरण

क्रम	योजना का नाम	क्या आप योजना से परिचित हैं? 0-नहीं, 1-हाँ	अगर हाँ, तो आपका परिवार इसके योग्य है? 0-नहीं, 1-हाँ	अगर हाँ, तो क्या आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है ?	अगर हाँ, तो क्या इसका लाभ मिला है? 0-नहीं, 1-हाँ	अगर लाभस्वरूप पैसे मिलने हैं, तो कितने पैसे मिले हैं?	अगर लाभ किसी दूसरे रूप में मिला है, तो कैसे मिला है?	क्या आप योजना से संतुष्ट हैं? (अगर आपका परिवार इसके योग्य है तो हाँ-1, नहीं-0
	आरटीई							
	उज्ज्वला							
	स्वच्छ भारत (शौचालय)							
	आयुष्मान भारत (हेल्थ कार्ड)							
	पीएम आवास योजना							
	पीएम किसान							
	जननी सुरक्षा योजना							

परिवार के अनुसार पीडीएस कार्ड प्रकार क्या है?

1-एपीएल, 2-बीपीएल, 3-अंत्योदय, 4-कोई पीडीएस कार्ड नहीं

कार्डधारी का लिंग -

1- पुरुष, 2-महिला, 3-अन्य

तालिका 20: पीडीएस उपयोग संबंधी विवरण

क्रम	मद का नाम	पिछले 30 दिनों (माह) में प्राप्त मात्रा	खर्चा
1	चावल		
2	गेंहू		
3	दाल		
4	चीनी		
5	तेल		
6	किरोसिन तेल		
7			

प्रवासन

1. क्या गाँव के किसी सदस्य ने पिछले एक साल के भीतर काम करने के लिए गाँव छोड़ा हो?________,
   1-हाँ, 2-नहीं,

2. अगर नहीं, तो अगले खंड में जाएँ

तालिका 21: प्रवासन संबंधी विवरण

परिवार रोस्टर आईडी	महीने जब प्रवासन हुआ हो (यह एक से अधिक हो सकता है।) महीने	कितने दिनों के कोई भी गाँव से बाहर गया? # दिनों की संख्या	अप्रवासन के बाद किस कार्य से जुड़ाव हुआ? व्यवसाय कोड	प्रवासन के दौरान कुल कमाई रुपए :	उसने परिवार को कितनी राशि भेजी? रुपए :	बाहर जाने वाली जगह/राज्य का नाम ड्रॉप डाउन में राज्य नाम चुने

प्रवासन के बाद व्यवसाय संबंधी कोड

1. दैनिक मजदूरी
2. मासिक वेतन पर मजदूरी (फैक्ट्री/कुटीर उद्योग)
3. छोटे व्यापारी (उदाहरण फल/सब्जी ठेला)
4. सेवा प्रदान में नियोजित (घरेलू नौकर को छोड़कर – जैसे नाई, धोबी, वेटर, ब्यूटी पार्लर)
5. सेवा प्रदाता उद्यमी (घरेलू नौकर को छोड़कर – जैसे नाई, धोबी)
6. घरेलू नौकर/परिवार के नौकर
7. वेतनभोगी कर्मचारी –बाहरी कार्य हेतु (जैसे सेल्स कार्यकारी, कमीशन एजेंट, सीएसओ, सेक्यूरिटी)
8. वेतनभोगी कर्मचारी- सरकारी कार्यालयों में कार्यालयी कार्य
9. वेतनभोगी कर्मचारी - निजी कार्यालयों में कार्यालयी कार्य

गैर-कृषि गतिविधियां

तालिका 22: गैर-कृषि गतिविधियां विवरण

	गैर-कृषि गतिविधि 1	गैर-कृषि गतिविधि 2	गैर-कृषि गतिविधि 3
गतिविधि का प्रकार			
पिछले 365 दिनों में परिवार के कितने सदस्य कब से इस कार्य में लगे हुए हैं ?			
कुल प्राप्तियाँ (₹ में)			
प्रचालन लागत (₹ में)			

मजदूरी, वेतन और पेंशन से कमाई

तालिका 23

परिवार रोस्टर आईडी	पिछले 365 दिनों में परिवार के कितने सदस्य कितने दिन से इस कार्य में लगे हुए हैं ?	गतिविधि का प्रकार	पिछले 365 दिन में कुल मजदूरी की कमाई (₹ में)

तालिका 24 : वेतन और पेंशन से आय

परिवार रोस्टर की आईडी	पिछले माह वेतन/पेंशन से आय (₹ में)

ऋण

तालिका 25: ऋण का विवरण

क्रम	ऋण स्रोत	पिछले एक वर्ष में लोन लिया (हाँ/नहीं)	एक साल में कितनी बार लोन लिया	गत वर्ष ऋण की अधिकतम राशि (रु.)	ऋण की वार्षिक दर (%)	ऋण लेने का कारण (स्वास्थ्य/ व्यापार/शिक्षा/ घर मरम्मत/ अन्य कोई तो बताए)	कोई बकाया लोन (हाँ/नहीं)	बकाया राशि (₹ में)
1	बैंक (प्राइवेट/ व्यवसायिक)							
2	बैंक (सरकारी व्यवसायिक)							
3	बैंक (क्षेत्रीय/ग्रामीण)							
4	बैंक (कॉपरेटिव)							
5	एमएफ़आई							
6	एसएचजी							
7	दोस्त एवं रिश्तेदार							
8	महाजन							

परिवार में निर्णय निर्धारण
(परिवार की महिला सदस्यों द्वारा जवाब दिया जाएगा)

तालिका 26

	निर्णय	**कोड : अंतिम निर्णय लेने हेतु कोड** 1= दीदी 2- दादा 3=संयुक्त (दीदी और दादा) 4=बड़ा बेटा 5=बड़ी बेटी 6=बहू 7=छोटी बेटी 8=छोटा बेटा 9=माँ/सास 10= पिता/ससुर 11=भाई/साला 12=अन्य कोई हो 99=लागू नहीं
1.	बच्चों की शिक्षा	
2.	आजीविका हेतु निवेश (फसल चयन आदि)	
3.	दैनिक घरेलू समान खरीद	
4.	संपत्ति क्रय/विक्रय	
5.	ऋण लेना	
6.	एसएचजी लोन का उपयोग	
7.	(विवाहिता से ही पूछें) उत्तरदाता अपने मायके जाती है?	
8.	(विवाहिता से ही पूछें) परिवार का आकार	

रिपोर्ट कार्ड/ पूर्वानुमान रेटिंग

1. **क्या आप आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका के विकास के लिए सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं?**
   1- हां, 0- नहीं

2. **क्या आप आदिवासी समुदायों के जीवन और आजीविका के विकास के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों के प्रयासों से संतुष्ट हैं?**
   1- हां, 0- नहीं

3. **निम्नलिखित पैमाने पर, आपको क्या लगता है कि पिछले वर्ष के दौरान आपके जीवन में कितना सुधार हुआ है?**
   1- बहुत अच्छा सुधार, 2- कुछ हद तक सुधार, 3- कोई सुधार नहीं, 4- कुछ हद तक खराब, 5- बहुत ज्यादा खराब

एल 2 गाँव सूचना पत्रक

(इस परिशिष्ट में शैक्षिक संख्याएं, अंतिम परिशिष्ट में शैक्षिक संख्याओं के क्रम में नहीं हैं, और 1 से शुरु होती हैं)

सैंपलिंग रणनीति: प्रत्येक चयनित गांव/टोले में क्षेत्र अन्वेषक को गांव के पांच या छह प्रमुख सूचना प्रदाता/निवासियों के साथ बैठना होगा और गांव सूचना पत्रक भरना होगा। इसे घरेलू सर्वेक्षण के समानांतर किया जाना है।

विधि: गांव के पांच या छह निवासियों के साथ संयुक्त चर्चा के माध्यम से भरी जाने वाली एक अंतिम ग्राम स्तरीय प्रश्नावली

तालिका 1: गाँव/आदिवासी मुहल्ले की जनसांख्यिकी

1. गाँव:	2. ब्लॉक:	3. जिला:	4. राज्य:
5. गाँव में कस्बों की संख्या:		6. आदिवासी कस्बों की संख्या:	
7. आदिवासी गाँव/कस्बों में परिवारों की संख्या:			

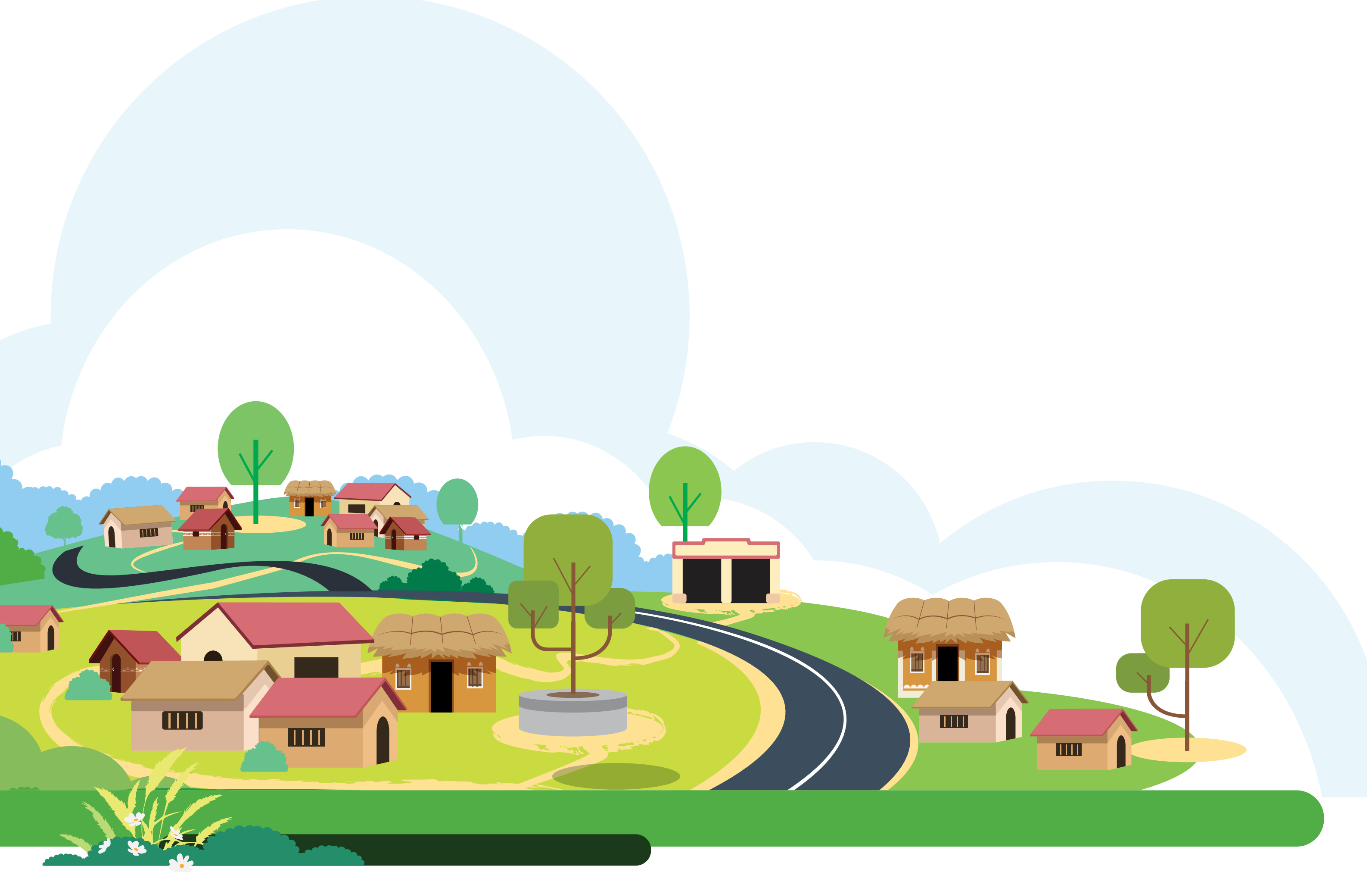

तालिका 2: प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच

क्या गाँव में या उसके आस पास कोई सार्वजनिक जल निकाय (नदी/तालाब/जलाशय) है? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो नजदीकी जल निकाय की गाँव सीमा से दूरी : _____किमी
इस जल निकाय किसके क्षेत्राधिकार में है? पंचायत/सिंचाई विभाग/वन विभाग/अन्य (बताएं)	क्या गाँव/मुहल्ले के लोग इसका उपयोग करते हैं? हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है ?	यह जलाशय कितने दिनों से है ?
क्या वर्तमान में जल निकाय के आकार/गहराई में कोई परिवर्तन हुआ है ? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो क्या ?
जल निकायों की संख्या	क्या गाँव वालों द्वारा जलनिकायों के उपयोग में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो क्या ?	वर्तमान में जल निकायों का प्रबंधन कौन करता है?

गाँव/मुहल्ले में पीने के पानी के स्रोत	स्रोत	निजी नल	सार्वजनिक हैंडपंप	पब्लिक स्टैंडपोस्ट	पब्लिक डगवेल	पब्लिक सेनीटरी वेल	निजी हैंडपंप
	संख्या						
पिछले पाँच वर्षों के दौरान पीने के पानी के स्रोत पर निर्भरता में परिवर्तन:	स्रोत	निजी नल	सार्वजनिक हैंडपंप	पब्लिक स्टैंडपोस्ट	पब्लिक डगवेल	पब्लिक सेनीटरी वेल	निजी हैंडपंप
	बढ़ी/ घटी/ अपरिवर्तित						

क्या आसपास कोई खदान है? (हाँ/नहीं)	क्या जल निकाय खदान के कारण दूषित हो रही है? (हाँ/नहीं)
क्या आसपास कोई खदान है ? (हाँ/नहीं)	क्या जल निकाय खदान के कारण दूषित हो रही है? (हाँ/नहीं)
कितने परिवारों के पास शौचालय है?______	क्या हाल के वर्षों में गाँव में टॉयलेट के चलन में कोई परिवर्तन हुआ है ? बढ़ा है/घटा है/ कोई बदलाव नहीं
क्या गाँव में जल निकासी की कोई व्यवस्था है?? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो किस प्रकार की व्यवस्था है? खुला/बंद/ लागू नहीं
क्या नजदीक में कोई वन है? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो कितनी दूर ? ______किमी
क्या गाँव/मुहल्ले के लोग निम्न के लिए जंगल पर निर्भर हैं? हाँ/नहीं	क्या पिछले दशक में निम्न की उपलब्धता में कोई परिवर्तन हुआ है? उपलब्धता बढ़ी है/घटी है/ अपरिवर्तित

जलावन		जलावन	
चारा		चारा	
इमारती लकड़ी		इमारती लकड़ी	
खाद्य मद		खाद्य मद	
दवाई		दवाई	

आईएफ़आर हेतु आवेदित परिवारों की संख्या ? ______/लागू नहीं	आईएफ़आर प्राप्त परिवारों की संख्या ? ______/लागू नहीं
क्या गाँव द्वारा सीएफ़आर के लिए आवेदन किया गया है? हाँ/नहीं/लागू नहीं	क्या गाँव में किसीको सीएफ़आर मिला है? हाँ/नहीं/लागू नहीं.
कुल परिवारों में किस अनुपात में भूमिहीन परिवार हैं ?	
गाँव/मुहल्ले में लगभग कितने घरों में निजी सिंचाई पम्पसेट की सुविधा है?	

गाँव/मुहल्ले में लगभग कितने परिवार गरमी और रबी के फसल की कृषि में लगे हुए हैं?	मौसम	जाड़ा(रबी)	गर्मी	दोनों
	संख्या			

गाँव/मुहल्ले में लगभग कितने परिवार पशुपालन संबंधी व्यवसाय में लगे हुए हैं?	डेयरी	पौल्ट्री	बकरी	भेड़	मछली	सुअर

क्या पिछले 12 महीनों में पशु हमले (जैसे हाथी/बंदर/जंगली सुअर) के कारण फसल नुकसान हुआ है? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो क्या ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है? हाँ/नहीं	
क्या आपके गाँव में कोंट्रैक्ट फ़ार्मिंग की शुरुआत हुई है?		
क्या गाँव के लोग खरीफ की खेती के बाद पशुओं को खुले में चरने के लिए छोड़ देते हैं?? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो इस तरह का व्यवहार रबी अथवा गरमा फसल के बाद भी किया जाता है? हाँ/नहीं	यदि हाँ, तो गाँव/मुहल्ले द्वारा मुक्त चारगाह के खिलाफ (पशुबंदी) की सामूहिक रूप से कोई कारवाई की गई है? हाँ/नहीं

तालिका 3: सरकारी विकास संस्थाओं/सेवाओं तक पहुँच

क्या आपके गाँव/मुहल्ले में प्राथमिक विद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी प्राथमिक विद्यालय की दूरी ? ____ किमी	क्या आपके गाँव में माध्यमिक विद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी माध्यमिक विद्यालय की दूरी ? ____ किमी
क्या आपके गाँव में उच्च माध्यमिक विद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी उच्च माध्यमिक विद्यालय की दूरी ? ____ किमी	क्या आपके गाँव में महाविद्यालय है? हाँ/नहीं	अगर नहीं, तो नजदीकी महाविद्यालय की दूरी ? ____ किमी
परिवारों का % जिसके एक सदस्य मैट्रिक पास हों :	परिवारों का % जिसके एक सदस्य 12वीं पास हो :	परिवारों का % जिसके एक सदस्य कॉलेज ड्रॉपआउट हो:	परिवारों का % जिसके एक सदस्य ग्रेजुएट हो :
गाँव/मुहल्ले में आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र की उपलब्धता : हाँ/नहीं			
आईसीडीएस/आंगनवाड़ी केंद्र में मासिक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है ? (हाँ/नहीं)			

क्या गाँव/मुहल्ले में कोई आशा दीदी है? हाँ/नहीं	क्या आशा दीदी के पास आवश्यक मेडिसिन किट की उपलब्धता है ? हाँ/नहीं	अगर हाँ, तो इस गाँव/मुहल्ले के किसी को इस सुविधा का लाभ मिला है ? हाँ/नहीं

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से दूरी? ____ किमी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दूरी? ____ किमी	गाँव के नजदीकी फार्मेसी दुकान की दूरी: ____ किमी/ गाँव के अंदर	क्या गाँव/मुहल्ले के परिवार किसी एनजीओ (संस्था) से जुड़े हुए हैं? हाँ/नहीं
गाँव /मुहल्ले में जन वितरण की दुकान : हाँ/नहीं			
गाँव में टीएचई कार्यक्रम चालू है : हाँ/नहीं			
गाँव में मिड-डे-मील कार्यक्रम चालू है ? हाँ/नहीं			

तालिका 4: संचार तक पहुँच

गाँव से ब्लॉक मुख्यालय की दूरी कितनी है ? ____ किमी	क्या गाँव में पक्की सड़क है, जो ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ी हुई हो? हाँ/ना	सड़क की स्थिति को आप कितनी रेटिंग देंगे ? बहुत अच्छा/अच्छा/ संतोषप्रद/खराब/ बहुत खराब (साक्षात्कार देने वाले द्वारा भरा जाएगा)	क्या ब्लॉक मुख्यालय के लिए सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता है?
क्या गाँव के सभी भागों को जोड़ने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध है? हाँ/नहीं		अंतर गाँव सड़क की स्थिति को आप कितनी रेटिंग देंगे? बहुत अच्छा/ अच्छा/ संतोषप्रद/खराब/ बहुत खराब (साक्षात्कार देने वाले द्वारा भरा जाएगा)	
क्या सभी आदिवासी बस्तियों में बिज़ली कनेक्सन उपलब्ध है? (हाँ/ना		क्या गाँव के सभी घरों तक मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी है? (हाँ/ना)	

एल 3 गाँव/मुहल्ला स्तर पर केन्द्रित समूह परिचर्चा (एफ़जीडी) के लिए अनुसूची

सैंपलिंग रणनीति:

इस अध्ययन के लिए कुल मिलाकर 56 ब्लॉक के नमूने लिए गए हैं। इसका विवरण निम्न है:

राज्य	आदिवासी ब्लॉक की संख्या	पीवीटीजी ब्लॉक की संख्या	कुल
मध्यप्रदेश	24	3	26 (1 पीवीटीजी ब्लॉक आदिवासी ब्लॉक के साथ संयुक्त रूप से है।)
छत्तीसगढ़	27	3	3
कुल	**51**	**6**	**6**

आदिवासी गाँव में एफ़जीडी:

परीक्षणकर्ता द्वारा चयनित 45 ब्लॉक में से प्रत्येक ब्लॉक में एक आदिवासी गाँव का चयन किया जाएगा। इन 45 ब्लॉक में से 15-15 ब्लॉक को महिलाओं के लिए, युवाओं (सभी लिंग के 18 से 35 वर्ष तक) और मिश्रित समूह के लिए चुना गया है। ब्लॉक के नाम एफ़जीडी प्रकार (मिश्रित, युवा और महिला) के अनुरूप हैं।

पीवीटीजी गाँव में एफ़जीडी:

एफ़जीडी के लिए तीन चयनित पीवीटीजी ब्लॉक से एक एक पीवीटीजी गाँव को भी चुना जाना है। इसका विवरण निम्न है:

गैर-आदिवासी गाँव में एफ़जीडी:

एफ़जीडी गैर-आदिवासी के साथ छह गैर-आदिवासी गाँव में किया जाना है।

एफ़जीडी प्रकार में परिवर्तन:

परीक्षणकर्ता अगर एफ़जीडी समूह में बदलाव करना चाहें, तो वे केंद्रीय टीम को पहले सूचित कर उसमें बदलाव कर सकते हैं।

एफ़जीडी का समूह आकार:

समूह आकार कम से कम 12 जुर अधिकतम 20 लोगों का समूह हो सकता है।

सामान्य प्रश्न सेट:

1. गाँव
2. ब्लॉक
3. जिला
4. राज्य
5. गाँव में बस्तियों की संख्या
6. आदिवासी बस्तियों की संख्या
7. आदिवासी बस्तियों/गाँव में परिवारों की संख्या:

गांव में महिला निवासियों के साथ एफजीडी के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट:

1. क्या आपको विभिन्न मौसमों में पीने और अन्य घरेलू उपयोग के लिए पानी के संबंध में किसी समस्या का सामना करना पड़ता है? कृपया विस्तार से बताएं।
2. आईसीडीएस, आंगनवाड़ी, एमडीएम और टीएचआर जैसे सरकारी कार्यक्रम गांव में कैसे काम कर रहे हैं?
3. वन आपके जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? क्या जंगल घनत्व, प्रजाति, पहुंच, सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति बदल रही हैं? परिवर्तन अच्छा है या बुरा? इस परिवर्तन के लिए कौन/क्या जिम्मेदार है? प्रमुख एमएफपी क्या हैं?
4. क्या आप लोग इसका उपयोग करते हैं? कृपया हार्नेस की मात्रा के संदर्भ में पांच प्रमुख एमएफपी को प्राथमिकता दें। एमएफपी का दोहन करते समय आपके लिए सबसे कष्टदायक काम क्या है ?
5. जंगल, कृषि, मजदूरी आदि पर निर्भरता के संदर्भ में लोगों की आजीविका कैसे बदल रही है? प्रवासन का कारण क्या हैं? इन परिवर्तनों से महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है?
6. बाज़ार में महिलाओं की भागीदारी कैसे बदल रही है?
7. क्या महिलाएँ ग्राम सभा में भाग लेती हैं? क्या महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा होती है? ग्राम सभा में निर्णय कौन लेता है? आपके क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों के मानदंड क्या हैं?
8. प्रवासियों के घरों में महिलाओं को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब महिलाएं प्रवासन करती हैं और जब वे वापस घर पर रुकती हैं?
9. प्रवासन ने कृषि में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने को कैसे प्रभावित किया है?
10. गैर-आदिवासी समाज की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? आप उनसे किस तरह की प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं?
11. अच्छे जीवन के बारे में आपका क्या विचार है?

गांव में मिश्रित समूह के साथ एफजीडी के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट:

1. क्या आप वन अधिकार संबंधी प्रावधानों के बारे में जानते हैं? क्या आपका गाँव और ग्रामीण इसके योग्य हैं? सीएफआर और आईएफआर दोनों, वन अधिकारों तक पहुंच से संबंधित आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि आपने इसका उपयोग किया है, तो इसके लाभ और चुनौतियाँ क्या रहीं?
2. क्या आप पेसा के बारे में जानते हैं? क्या आपको लगता है कि पेसा को अक्षरशः क्रियान्वित किया जा रहा है? -छत्तीसगढ़ के संबंध में इसे बाहर करना बेहतर होगा क्योंकि इसके कारण राज्य में हाल की कई घटनाएं हुई हैं।
3. जंगल, कृषि, मजदूरी और प्रवासन पर निर्भरता के संदर्भ में लोगों की आजीविका कैसे बदल रही है? कारण क्या है? प्रभाव क्या है?
4. क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और उसकी संस्कृति बाकियों से अलग है? वे कौन सी आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं जिनका आप पालन करते हैं? क्या ऐसी कोई गैर-आदिवासी प्रथाएं हैं जो आपको लगता है कि आदिवासी संस्कृति में समाहित करने लायक हैं? क्या आदिवासी संस्कृति/जीवनशैली में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप सोचते हैं कि बदला जाना चाहिए?
5. गैर-आदिवासी समाज की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है?
6. अच्छे जीवन के बारे में आपका क्या विचार है?

गांव में युवा निवासियों (20-35 वर्ष) के साथ एफजीडी के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों का सेट:

1. क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और संस्कृति बाकियों से अलग है? वे कौन सी आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं जिनका आप पालन करते हैं? क्या ऐसी कोई गैर-आदिवासी प्रथाएं हैं जो आपको लगता है कि आदिवासी संस्कृति में समाहित करने लायक हैं? क्या आदिवासी संस्कृति/जीवनशैली में कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे आप सोचते हैं कि बदला जाना चाहिए?
2. इस गांव के युवा कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं (जैसे पढ़ाई, गांव में काम करना, बाहर काम करना आदि)? वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
3. अच्छे जीवन के बारे में आपका क्या विचार है? अगर मौका मिले तो आप जीवन में क्या करना चाहते हैं?
4. अपने जीवन की पाँच प्रमुख प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध करें? आपके पंचायत, ब्लॉक और राज्य के लिए सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए?
5. गैर-आदिवासी समाज की तुलना में आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है?
6. महिलाओं में बदलाव देखकर गांव के पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया है?

एल 4 प्रख्यात आदिवासी नेताओं के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार

सैंपलिंग रणनीति:

हम उन आदिवासी नेताओं का साक्षात्कार लेना चाहते हैं जो आदिवासी समुदायों के बारे में चिंतित हैं और आदिवासी जीवन और आजीविका के बारे में अपना वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं। प्रदान और साझेदार एजेंसियां, जो डेटा संग्रह का कार्य करेंगी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में से लगभग 40-45 की सूची की पहचान करेंगी। नमूना लिंग, आयु, जनजाति, पेशे, क्षेत्र के संदर्भ में विविध होना चाहिए। ये आदिवासी नेता प्रमुख सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे जिनके साथ क्षेत्र जांचकर्ताओं/अध्ययन दल के एक चयनित समूह द्वारा अर्ध-संरचित साक्षात्कार लिए जाएंगे।

विधि:

1) उद्देश्यों का परिचय और साझा करना, 2) साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की अनुमति लेना, 3) कॉपीबुक/प्रिंट आउट से एक-एक करके प्रश्न पूछना

सामग्री:

प्रश्नावली, रिकॉर्डिंग उपकरण

अर्ध-संरचित साक्षात्कार प्रश्न:

1. क्या आपको लगता है कि आदिवासी समाज और संस्कृति बाकियों से अलग है? यदि हां, तो आप क्या सोचते हैं कि ये समाज किस प्रकार भिन्न हैं?
2. वे कौन सी आदिवासी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं?
3. क्या ऐसी कोई गैर-आदिवासी प्रथाएं हैं जो आपको लगता है कि आदिवासी संस्कृति में समाहित करने लायक हैं?
4. एमपी/छत्तीसगढ़ में अंतर-आदिवासी रिश्ते (आदिवासी-पीवीटीजी या आदिवासी-आदिवासी) कैसे विकसित हुए हैं?
5. क्या विभिन्न आदिवासी समाजों में पारंपरिक रूप से प्रचलित मूल्य, संस्कृतियाँ और प्रथाएँ बदल रही हैं? यदि हां तो कैसे? वे कौन से कारक हैं जिनके परिणामस्वरूप ऐसा परिवर्तन हो रहा है?
6. आदिवासी समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाएं कैसे बदल रही हैं?
7. आप मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में विभिन्न आदिवासी समुदायों में महिलाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या आप लैंगिक संबंधों में कोई बदलाव देखते हैं? यदि हां, तो क्यों और कैसे?
8. क्या आप आदिवासी लोगों के खुद को जंगल से जोड़ने के तरीके में कोई बदलाव देखते हैं? क्या जंगल तक पहुंच और नियंत्रण में कोई बदलाव आया है? क्या एफआरए से कोई बदलाव हुआ है?
9. भूमि जोत कैसे बदल रही है? इस परिवर्तन के कारक क्या हैं? भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व के बारे में क्या राय है?
10. समय के साथ पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ कैसे बदली/विकसित हुई हैं?
11. आदिवासी समाज में किस हद तक पारंपरिक प्रणालियों द्वारा भुखमरी या मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाले गंभीर अभावों से बचने के लिए कोई अंतर्निहित घटक मौजूद था? क्या आप ऐसी प्रणालियों के विशिष्ट उदाहरण दे सकते हैं? क्या वे बदल रहे हैं?
12. आदिवासी समाज के भीतर बाजार (एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जहां वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के बदले में मौद्रिक लेनदेन होता है) के साथ संबंध कैसे विकसित/बदल गया है?
13. क्या आजीविका गतिविधियों एवं प्रथाओं में कोई बदलाव आया है? उस परिवर्तन में योगदान देने वाले संभावित कारक क्या हैं?
14. शिक्षा की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या विभिन्न आदिवासी समुदायों में कोई अंतर है? क्या कोई बदलाव आया है? उस परिवर्तन में योगदान देने वाले संभावित कारक क्या हैं?
15. विभिन्न एजेंसियां (सरकारी सीएसओ, बैंक, आदि) क्या भूमिकाएँ निभा रहे हैं? क्या काम अच्छा हो रहा है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है?
16. आपके अनुसार, सामाजिक बेहतरी को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है?

Prepared by
Professional Assistance for
Development Action (PRADAN)